खण्ड-226, अंक-1
मंगलवार, 31 श्रावण, शक संवत् 1883
(22 अगस्त, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 226 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

MAY

विषय-सूची

मंगलवार, २२ अगस्त, १९६१

विषय			पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	...	...	१–५
प्रश्नोत्तर	...	...	५–२८
श्री बनारसी दास गौड के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न उठाने की सूचनायें (अनुज्ञा नहीं दी गई)		...	२८
बाढ़ के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें (अनुज्ञा नहीं दी गई)	...	...	२८–२९
जिला नैनीताल की तहसील खटीमा, सितारगंज, काशीपुर, बाजपुर तथा रामनगर के काश्तकारों को बेदखल करने के सरकारी आदेश के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	...	...	२९–३३
गीता प्रेस, गोरखपुर के प्रबन्धकों द्वारा कारखाने में तालाबन्दी करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य		...	३३–३६
बरेली में एक रहस्यमय विदेशी जासूस की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	...	...	३६–३८
मन्त्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (जारी)		...	३८–८६
नत्थियां	...	...	८७–९४

बुधवार, २३ अगस्त, १९६१

उपस्थित सदस्य	...	...	९५–९९
प्रश्नोत्तर	...	...	९९–११९
श्री विश्वनाथ शर्मा के निधन पर शोकोद्गार		...	११९–१२१
श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण		...	१२१
धर्मार्थ प्रयोजनों के लिये चांदगंज योजना भूमि हस्तान्तरण नियमावली (मेज पर रखी गई)		...	१२१–१२२
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) विधेयक, १९६१ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)		...	१२२
इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	...	...	१२२
द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति का दशम प्रतिवेदन (मेज पर रखा गया)	...	..	१२२
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	...	..	१२२
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें		...	१२३

विषय			पृष्ठ संख्या
उत्तराखंड म पुलिस स्टेशनों, पी० ए० सी० आवागमन के मार्गों तथा कैलाश और मानसरोवर के यात्रियों की अन्य सुविधाओं में अव्यवस्था से उत्पन्न परिस्थितियों के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य		...	१२३–१२७
लखीमपुर खीरी नगरपालिका की आज्ञा से दूकानों को उखाड़ने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य		...	१२७–१३०
मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (अस्वीकृत)		...	१३०–१८४
नत्थियां	...	...	१८५–१८७

बृहस्पतिवार, २४ अगस्त, १९६१

उपस्थित सदस्य	...	..	१८९–१९३
प्रश्नोत्तर	...	...	१९३–२२१
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग		...	२२२
सदन का भावी कार्यक्रम	...	...	२२२–२२४
उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	...	...	२२४
श्रम मन्त्री तथा उपमन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (प्रश्न समाप्त किया गया)		...	२२५–२२८
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं		...	२२८
देवरिया जिलान्तर्गत हाटा के निकट पुल के ध्वस्त होने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	...	...	२२८–२३२
प्रदेश की विभिन्न नदियों में बाढ़ के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य			२३३–२३६
प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद (जारी)		...	२३६–२८३
आगामी आमचुनाव में मत-पत्रों पर उर्दू में भी नामअंकित होने तथा सरकारी सचिवालय में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित १० अगस्त, १९६१ के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ८ तथा तारांकित प्रश्न ७–८ के सम्बन्ध में नियम ५० के अन्तर्गत विवाद (समाप्त)	...	...	२८३–२९०
नत्थियां	...	...	२९१–३१८

सोमवार, २८ अगस्त, १९६१

उपस्थित सदस्य	...	...	३१९–३२५
प्रश्नोत्तर	...	...	३२३–३३९
उत्तर प्रदेश पंचायत राज रूल्स के अधीन प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)			३१९
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न		...	३३९
उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)		...	३४०
कार्य स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं			३४०

विषय			पृष्ठ संख्या
गन्ने तथा चीनी की अधिक उत्पत्ति के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा की मांग	...		३४०
बाढ़ पर विवाद के सम्बन्ध में जानकारी	...		३४०
श्री टीकाराम पुजारी द्वारा कमरा खाली करने की शिकायत	...		३४०
जमुना तथा हिन्डन के बांध टूटने के सम्बन्ध में सूचना की मांग	...		३४१
कानपुर के लारी पार्क में राष्ट्रीय झंडा फाड़ने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	...	...	३४१
श्री गोविन्द सहाय के अभिकथित लाभप्रद पद पर रहने के सम्बन्ध में सूचना की मांग	...	...	३४१–३४२
१९६१–६२ के प्रथम पूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद	...		३४२–३९२
१९६१–६२ के प्रथम पूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या २––लेखा शीर्षक ७––भू–राजस्व (स्वीकृत)	...		३९२
अनुदान संख्या ५––लेखा शीर्षक १०––वन (स्वीकृत)	...		३९३
अनुदान संख्या १३––लेखा शीर्षक २५––सामान्य प्रशासन (स्वीकृत)	...		३९३
अनुदान संख्या १७––लेखा शीर्षक २८––कारागार (जेल) (स्वीकृत)	...		३९३
अनुदान संख्या १८––लेखा शीर्षक २९––पुलिस (स्वीकृत)	...		३९३
अनुदान संख्या १९––लेखा शीर्षक ३६––वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य–कलाप (स्वीकृत)	...	...	३९३
अनुदान संख्या २०––लेखा शीर्षक ३७––शिक्षा (स्वीकृत)	...		३९३
अनुदान संख्या २१––लेखा शीर्षक ३८––चिकित्सा (स्वीकृत)	...		३९४
अनुदान संख्या २२––लेखा शीर्षक ३९––जनस्वास्थ्य (स्वीकृत)	...		३९४
अनुदान संख्या २३––लेखा शीर्षक ४०––कृषि (स्वीकृत)	...		३९४
अनुदान संख्या २४––लेखा शीर्षक ४०––उपनिवेशन (स्वीकृत)	...		३९४
अनुदान संख्या २५––लेखा शीर्षक ४१––पशुपालन (स्वीकृत)	...		३९४
अनुदान संख्या २७––लेखा शीर्षक ४२––सहकारिता (स्वीकृत)	...		३९४
अनुदान संख्या २८––लेखा शीर्षक ४३–उद्योग (स्वीकृत)	..		३९५
अनुदान संख्या २९––लेखा शीषक ४६––श्रम तथा सेवायोजन (स्वीकृत)			३९५
अनुदान संख्या ३१––लेखा शीर्षक ४७––सूचना निदेशालय (स्वीकृत)	...		३९५
अनुदान संख्या ३३––लेखा शीर्षक ५०––सार्वजनिक निर्माण कार्य (स्वीकृत)			३९५
अनुदान संख्या ३४––लेखा शीर्षक ५०––संचार साधनों का सुधार (स्वीकृत)			३९५
अनुदान संख्या ३५––लेखा शीर्षक ५०––सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान (स्वीकृत)	...	...	३९५
अनुदान संख्या ३८––लेखा शीर्षक ५४–क––राजनीतिक निवृत्तिवेतन (पेंशनें) तथा भत्ते (स्वीकृत)	...	...	३९६
अनुदान संख्या ४०––लेखा शीर्षक ५६––लेखन–सामग्री और मुद्रण (स्वीकृत)			३९६
अनुदान संख्या ४१––लेखा शीर्षक ५७––प्रकीर्ण व्यय (स्वीकृत)	...		३९६

विषय			पृष्ठसंख्या
अनुदान संख्या ४२—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां (स्वीकृत)	...	...	३९६
अनुदान संख्या ४४—लेखा शीर्षक ४७-क—योजना और एकीकरण (स्वीकृत)			३९६
अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ६५-क—वनों पर पूंजी का लागत (स्वीकृत)	...	...	३९६
अनुदान संख्या ४६—लेखा शीर्षक ६८—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत)	...	...	३९७
अनुदान संख्या ४८—लेखा शीर्षक ७२—औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत)	...	...	३९७
अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ८१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगतलागत (स्वीकृत)	...	...	३९७
अनुदान संख्या ५१—लेखा शीर्षक ७०—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत)	...	...	३९७
अनुदान संख्या ५३—लेखा शीर्षक ८५-क—राज्य व्यापार की योजनाएं (स्वीकृत)	...	...	३९७
अनुदान संख्या ५४—लेखा शीर्षक त—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)			३९७
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६१ (विचारोपरान्त पारित)	...	...	३९८-४०४
कांग्रेस की नेशनल इंटिग्रेशन कमेटी की रिपोर्ट से सम्बन्धित ९ अगस्त, १९६१ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ७ के सम्बन्ध में नियम २० के अन्तर्गत विवाद	...	...	४०४-४१०

मंगलवार, २९ अगस्त, १९६१

उपस्थित सदस्य	...	...	४११-४१५
प्रश्नोत्तर	...	...	४१५-४३४
प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायत	...	...	४३४-४३५
सदन में गोष्ठी करने पर आपत्ति	...	...	४३५
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय) संशोधन विधेयक, १९६१ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	...	...	४३५
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६१ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	...	...	४३५
उत्तर प्रदेश विधि संशोधन विधेयक, १९६१ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)		...	४३५
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं		...	४३५-४३८
गाजीपुर, वाराणसी तथा मथुरा में हुई नाव दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	...	...	४३८-४४
कानपुर के लारी पार्क में राष्ट्रीय झंडा फाड़ने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	...	...	४४३-४४९

विषय			पृष्ठ संख्या
१९५७–५८ के अतिरिक्त अनुदानों पर विवाद	...	...	४४९–४६१
१९५७–५८ के अतिरिक्त अनुदानों पर मतदान–अनुदान संख्या ९––राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्वीकृत)	...	...	४६१
अनुदान संख्या १०––सिंचाई स्थापना पर व्यय (स्वीकृत)	...	...	४६१
अनुदान संख्या १५––न्याय प्रशासन (स्वीकृत)	...	...	४६१
अनुदान संख्या २९––परिवहन विभाग (स्वीकृत)	...	...	४६१
अनुदान संख्या ३१––सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं (स्वीकृत)	...	...	४६१
अनुदान संख्या ३३––सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय (स्वीकृत)			४६२
अनुदान संख्या ३६––प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें तथा भारतीय शासकों के निजी खर्चे (स्वीकृत)	...	...	४६२
अनुदान संख्या ४२––असाधारण व्यय (स्वीकृत)		...	४६२
अनुदान संख्या ४४––राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का संपादन (स्वीकृत)	...	...	४६२
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७–५८ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६१ (विचारोपरान्त पारित)	...	...	४६२–४६६
प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद		...	४६६–४९४
कामनवेल्थ पार्लियामेन्ट्री एसोसियेशन की बैठक के सम्बन्ध में सूचना		...	४९४
नत्थियां	...	...	४९५–४९८

बुधवार, ३० अगस्त, १९६१

उपस्थित सदस्य	...	..=	४९९–५०३
प्रश्नोत्तर	...	...	५०३–५३
प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायत	...	..	५३२–५३३
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६० (संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया)		...	५३३–५३५
अगली बैठक की जानकारी की मांग		...	५३५
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना	...	...	५३५–५३६
नियम ५२ के अन्तर्गत दिये जाने वाले वक्तव्यों के लिये समय निर्धारण		...	५३६
जिला जालौन के रेनिया ग्राम के सभापति, श्री प्रतापसिंह, की हत्या के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य		...	५३६–५४७
सीतापुर में सरायन नदी पर पुलों के गिरने तथा तोड़वा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य		...	५४७–५५१
हमीरपुर जिले में अर्जुन बांध के टूट जाने की संभावना से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य		...	५५१–५५२
झूंसी बाजार, इलाहाबाद में अनेक दूकानों के तोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	...	...	५५२–५५५

विषय			पृष्ठ संख्या
श्री अंजनी वीर प्रसाद, डी० आई० जी० की मेडिकल कालेज में मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	...	...	५५५–५६४
लखीमपुर खीरी शहर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा दूकानों को उखाड़ फेंकने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण			५६४
लखीमपुर जिले में थाना नीमगांव के थानेदार तथा पुलिस कप्तानद्वारा श्री वंशीधर शुक्ल को कत्ल कराने की आशंका	...	...	५६४–५६५
ग्राम जूरनका पुरवा, जिला इटावा में दो दलों में संघर्ष के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	...	...	५६५–५६८
नियम ५२ के अन्तर्गत लखनऊ नगर महापालिका द्वारा एक मकान को गिराने तथा तदर्थ पुलिस की सहायता के सम्बन्ध में वक्तव्य		...	५६९–५७०
ननकू पासी की पुलिस हिरासत में हुई हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य		...	५७०–५७१
राज्य मद्य निषेध बोर्ड में कार्य करने वाले सदस्यों की अवधि में वृद्धि		...	५७१–५७२
नियम ५२ के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्यों के स्पष्टीकरण की प्रक्रिया		...	५७२
केन फेडरेशन यूनियन द्वारा खरीदे गये कागज के सम्बन्ध में जानकारी की मांग			५७२–५७३
प्रदेशीय सरकार द्वारा हिन्दी को उचित स्थान न देने के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा	...	...	५७३–५९२
नियम ५३ के अन्तर्गत प्रदेश में चीनी के उत्पादन में वृद्धि तथा उसकी खपत की व्यवस्था ठीक न होने के सम्बन्ध में चर्चा (जारी)			५९२–६०१
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१–६२ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६१ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)		...	६०१
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७–५८ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६१ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)		...	६०१–६०२
नियम ५३ के अन्तर्गत प्रदेश में चीनी के उत्पादन में वृद्धि तथा उसकी खपत की व्यवस्था ठीक न होने के सम्बन्ध में चर्चा (समाप्त)		...	६०२–६१४
तिथियां	..	...	६१५–६१८

सोमवार, १३ नवम्बर, १९६१

उपस्थित सदस्य	...	...	६१९–६२३
प्रश्नोत्तर	...	...	६२३–६४६
स्थगित किये गये प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी		...	६४७
कतिपय कार्य स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	...	...	६४७–६४८
जमींदारी विनाश के सम्बन्ध में पुनर्वास अनुदान प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र देने की अन्तिम तिथि के बारे में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग		...	६४९
गन्ने की पेराई के विषय में नियम ५३ के अन्तर्गत विवाद के सम्बन्ध में सूचना		...	६४९–६५०
सर्वश्री मदन पांडे, अब्दुल रऊफ लारी, दुर्योधन तथा अमरनाथ के सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होने की सूचना		...	६५०

विषय			पृष्ठ संख्या
अनुपूरक अनुदानों पर विवाद करने के लिये दो दिन की मांग	...		६५१
उत्तर प्रदेश बिक्री कर (अस्थायी) नियम, १९४८ ई० में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	...	...	६५१–६५२
उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ के अधीन वित्त विभाग की विज्ञप्ति (मेज पर रखी गई)	...	...	६५२
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में किये गये संशोधन (मेज पर रखे गये)			६५२–६५३
उत्तर प्रदेश नागर–क्षेत्र जमींदारी–विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अधीन प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	...		६५३
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत आज्ञाएं (मेज पर रखी गयीं)	...	...	६५३
यू० पी० पंचायत राज विभाग की विज्ञप्तियों के अधीन प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	...	...	६५३
पंचायतों के सेक्रेटरियों की नियुक्ति तथा सेवा नियमों के अधीन प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	...	...	६५४
उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अधीन प्रख्यापित आज्ञा (मेज पर रखी गयी)		...	६५४
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का १९५८–५९ का प्रतिवेदन (मेज पर रखा गया)	...		६५४–६५५
उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ (मेज पर रखा गया)			६५५
यू० पी० फेमिन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, १९६१ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	...	...	६५५
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) विधेयक, १९६१ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)		...	६५५
उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)		...	६५५
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६१ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	...	...	६५५
उत्तर प्रदेश विधि संशोधन विधेयक, १९६१ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	...	...	६५६
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१–६२ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६१ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)		...	६५६
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७–५८ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६१ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)		...	६५६
उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६० (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)		...	६५६
मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	...	...	६५६
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	..	...	६५६

विषय			पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	...	...	६५७
इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	...	...	६५७
अधिनियमों के अन्तर्गत बने नियमों पर विवाद के सम्बन्ध में जानकारी	...		६५७
उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, १९६१ (पुरःस्थापित किया गया)			६५७–६५८
सितम्बर तथा अक्टूबर मास में उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में आई बाढ़ के सम्बन्ध में विवाद (समाप्त)		...	६५८–७०६
नत्थियां	...	...	७०७–७११

मंगलवार, १४ नवम्बर, १९६१

उपस्थित सदस्य	...	...	७१३–७१७
प्रश्नोत्तर (जारी)	...	...	७१७–७२२
२५ अप्रैल, १९६१ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ८ के उत्तर का शोधन			७२३
प्रश्नोत्तर	...	...	७२३–७५९
प्रश्नों के विषय में जानकारी	...	...	७५९–७६०
सदन के स्थगन के सम्बन्ध में जानकारी	...	...	७६०
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ के अधीन प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)		...	७६०–७६१
द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति का ११वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...	...	७६१
उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति का द्वितीय कार्य लेखा, संपरीक्षा प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)		...	७६२
आर्कटिक भागों में भारी ऐटम बम विस्फोटों के कारण रेडियो ऐक्टिविटी अधिक बढ़ जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य		...	७६२–७६५
प्रदेश में अक्टूबर मास में हुये साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में विवाद		...	७६५–८३६
नत्थियां	...	...	८३७–८५४

बुधवार, १५ नवम्बर, १९६१

उपस्थित सदस्य	...	...	८५५–८५९
प्रश्नोत्तर	...	...	८५९–८८६
श्री जगपति सिंह के निधन पर शोकोद्गार		...	८८६–८८८
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं		...	८८८–८९९
मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (उपस्थित करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	...	...	८९९–८९६
उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ के अननुमोदनार्थ प्रस्ताव (जारी)	...	...	८९६–८९९

विषय			पृष्ठ संख्या
सदन की बैठक ४ बजे सायंकाल स्थगित होने की सूचना	...	...	८९९–९००
उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ के अननुमोदनार्थ प्रस्ताव (जारी)	...	...	९००–९०२
उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, १९६१ (जारी)		...	९०२–९०९
उत्तरप्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ के अननुमोदनार्थ प्रस्ताव (अस्वीकृत)	...	...	९०९
उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, १९६१ (विचारोपरान्त पारित)			९०९–९२८
प्रदेश में गन्ने की पेराई की समस्या के सम्बन्ध में विवाद (स्थगित)		...	९२८–९३१
१९६१–६२ के द्वितीय पूरक अनुदान (प्रस्तुत किये गये)		...	९३१
नत्थियां	...	...	९३२–९३८

वृहस्पतिवार, १६ नवम्बर, १९६१

उपस्थित सदस्य	...	...	९३९–९४३
प्रश्नोत्तर	...	...	९४३–९८५
क्रिमिनल लाज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	...	...	९८५
उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति का तृतीय कार्य लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)		...	९८५
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)			९८५–९८९
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं		...	९८९–९९०
जमींदारी विनाश के सम्बन्ध में पुनर्वास अनुदान प्राप्त करने के लिये प्रार्थना–पत्र देने की अन्तिम तिथि के बारे में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य		...	९९०–९९२
जिला जालौन में डाकुओं के आतंक से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	..	...	९९२–९९५
१९६१–६२ के द्वितीय पूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद तथा मतदान			९९५–१०३७
अनुदान संख्या ३––राज्य आबकारी (स्वीकृत)		...	१०३७
अनुदान संख्या ५––वन (स्वीकृत)	...	...	१०३७–१०३८
अनुदान संख्या १०––राजस्व (स्वीकृत)	..	...	१०३८
अनुदान संख्या १२––अभियंत्रण संस्थाएं (स्वीकृत)		...	१०३८
अनुदान संख्या १३––सामान्य प्रशासन (स्वीकृत)		...	१०३९
अनुदान संख्या १८––पुलिस (स्वीकृत)	...	...	१०३९
अनुदान संख्या १९––वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य कलाप (स्वीकृत)			१०३९
अनुदान संख्या २०––शिक्षा (स्वीकृत)	...	...१०४०–	१०४७
अनुदान संख्या २१––चिकित्सा (स्वीकृत)		...	१०४७
अनुदान संख्या २२––जन स्वास्थ्य (स्वीकृत)		...	१०४७
अनुदान संख्या २३––कृषि सम्बन्धी विकास (स्वीकृत)		...	१०४७

विषय		पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या २५--पशुपालन (स्वीकृत)	...	१०४८
अनुदान संख्या २७--सहकारिता (स्वीकृत)	...	१०४८
अनुदान संख्या २८--उद्योग (स्वीकृत) ...	..	१०४८
अनुदान संख्या २९--श्रम और सेवायोजन (स्वीकृत)	...	१०४८
अनुदान संख्या ३०--परिवहन (स्वीकृत)	...	१०४९
अनुदान संख्या ३१--सूचना निदेशालय (स्वीकृत)	...	१०४९
अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक निर्माण कार्य (स्वीकृत)	...	१०४९
अनुदान संख्या ३४--संचार साधनों का सुधार (स्वीकृत)	...	१०४९
अनुदान संख्या ३७--दुर्भिक्ष सहायता (स्वीकृत)	...१०४९-	१०५०
अनुदान संख्या ३९--अधिवर्ष भत्ते और निवृत्ति वेतन (पेंशनें) (स्वीकृत)	...	१०५०
अनुदान संख्या ४१--प्रकीर्ण व्यय (स्वीकृत)	..	१०५०
अनुदान संख्या ४२--अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां (स्वीकृत)	...	१०५०
अनुदान संख्या ४४--योजना और एकीकरण (स्वीकृत)	...	१०५०
अनुदान संख्या ४६--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत)		१०५०
अनुदान संख्या ४८--औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत)	...	१०५०
अनुदान संख्या ४९--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत)		१०५१
अनुदान संख्या ५१--सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत)	.. ...	१०५१
अनुदान संख्या ५४--ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	...	१०५१
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६१ (विचारोपरान्त पारित)	... ...	१०५१-१०५८
सूचियां	... ...	१०५९-१०७३

शासन

राज्यपाल

डाक्टर बूरुगुल रामकृष्ण राव

मंत्रि परिषद्

मंत्री (जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं)

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल–एल० बी०, विधान सभा सदस्य, मुख्य मंत्री, सामान्य प्रशासन, नियोजन, उद्योग, विद्युत् शक्ति, सूचना, स्वास्थ्य एवं हरिजन कल्याण मंत्री।

श्री हुकुम सिंह विसेन बी० ए०, एल–एल० बी०, विधान सभा सदस्य, न्याय, माल और सहायता तथा पुनर्वासन मंत्री ।

श्री चरण सिंह, एम० ए०, एल–एल० बी०, विधान सभा सदस्य, गृह तथा कृषि मंत्री।

आचार्य जुगुल किशोर एम० ए०, विधान सभा सदस्य, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री।

श्री हर गोविन्द सिंह, एम० ए०, एल–एल० बी०, विधान परिषद् सदस्य, वित्त मंत्री।

श्रीमती सुचेता कृपालानी, एम० ए०, विधान परिषद् सदस्या, सामूहिक योजनाएं, ग्राम और लघु उद्योग तथा श्रम।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल–एल० बी०, विधान सभा सदस्य, खाद्य मंत्री।

मंत्री (जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं)।

डाक्टर सीताराम, एम० एस–सी०, पी० एच० डी०, विधान सभा सदस्य, आबकारी राज्य मंत्री।

श्री मंगला प्रसाद, विधान सभा सदस्य, सहकारिता तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री।

श्री मुजफ्फर हसन, विधान सभा सदस्य, परिवहन राज्य मंत्री।

श्री राममूर्ति, विधान सभा सदस्य, सिंचाई राज्य मंत्री।

श्री कैलाश प्रकाश, विधान सभा सदस्य, स्वास्थ्य राज्य मंत्री।

श्री अलगूराय शास्त्री, विधान परिषद् सदस्य, अर्थ और संख्या तथा वन मंत्री।

श्री चतुर्भुज शर्मा, स्वशासन राज्य मंत्री।

श्री गोविन्द सहाय, विधान सभा सदस्य, सहायता तथा पुनर्वासन राज्य मंत्री।

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी, विधान सभा सदस्य, हरिजन कल्याण राज्यमंत्री।

श्री रऊफ जाफरी, विधान सभा सदस्य, सूचना राज्य मंत्री।

उपमंत्री

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा, विधान सभा सदस्य, विद्युत् उप–मंत्री ।
श्रीमती प्रकाशवती सूद, विधान सभा सदस्या, समाज कल्याण उप–मंत्री ।
श्री रामस्वरूप यादव, विधान सभा सदस्य, शिक्षा उप–मंत्री ।
श्री मजलान सिंह, विधान सभा सदस्य, सहकारिता उप–मंत्री ।
श्री बख्शी नकछी, विधान सभा सदस्य, श्रम उप–मंत्री ।
श्री धर्म सिंह, विधान सभा सदस्य, चिकित्सा उप–मंत्री ।
श्री नवल किशोर, विधान सभा सदस्य, गृह उप–मंत्री ।
श्री उदय शंकर, विधान सभा सदस्य, राजस्व उप–मंत्री ।
श्री भगवती प्रसाद शुक्ल, विधान सभा सदस्य, राजस्व उप–मंत्री ।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव

डाक्टर रामनारायण पांडेय, विधान परिषद् सदस्य, परिवहन मंत्री के सभा सचिव ।
श्री कृपा शंकर, विधान सभा सदस्य ।

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव

श्री गनेशी लाल, विधान सभा सदस्य ।

सत्यमेव जयते

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

132591

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१	अक्षयवर्रासिह, श्री ..	.. पिपराइच ।
२	अजीज इमाम, श्री ..	.. कंतित ।
३	अतीकुल रहमान, श्री	.. नजीबाबाद ।
४	अनन्तराम वर्मा, श्री ..	.. अलीगढ़ ।
५	अब्दुल रऊफ लारी, श्री	.. विनायकपुर ।
६	अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री	.. कोपागंज ।
७	अब्दुस्समी, श्री ..	.. बरौंसा ।
८	अभयराम यादव, श्री ..	.. जसवंतनगर ।
९	अमर नाथ, श्री ..	.. महराजगंज ।
१०	अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री ..	.. मिर्जापुर ।
११	अमोलादेवी, श्रीमती ..	.. अठेहा ।
१२	अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री	.. सलेमपुर (पूर्व) ।
१३	अली जर्रार जाफरी, श्री	.. उतरौला ।
१४	अली जहीर, श्री सैयद	.. लखनऊ शहर (पश्चिम) ।
१५	अवधेश कुमार सिन्हा, डाक्टर	.. मिसरिख ।
१६	अवधेश चन्द्र सिंह, श्री	.. भोजपुर ।
१७	अवधेश प्रताप सिंह, श्री	.. बीकापुर (पूर्व) ।
१८	असलम खां, श्री ..	.. रामपुर ।
१९	अहमद बख्श, श्री ..	.. जानसठ ।
२०	आत्मा राम गोविन्द खेर, श्री	.. झांसी ।
२१	आत्मा राम पांडेय, श्री ..	.. सैदपुर ।
२२	आदिराम सिंघल, श्री	.. आगरा शहर ।
२३	आनन्दब्रह्म शाह, श्री	.. राबर्टसगंज ।
२४	आर्थर सी० ग्राइस, श्री	.. नाम निर्देशित (आंग्ल भारतीय) ।
२५	इन्दुभूषण गुप्त, श्री ..	.. सगरी ।
२६	इरतजा हुसैन, श्री ..	.. सिवाना ।
२७	इस्तफा हुसैन, श्री ..	.. गोरखपुर ।
२८	उग्रसेन, श्री ..	.. सलेमपुर (पश्चिम) ।
२९	उदयशंकर दुबे, श्री ..	.. बस्ती ।
३०	उबैदुर्रहमान, श्री ...	.. बांसी (पूर्व) ।
३१	उमाशंकर शुक्ल, श्री ...	.. कानपुर शहर ।
३२	उल्फत सिंह, श्री ...	.. सहसवान ।
३३	ऊदल, श्री ...	.. कोलासला ।
३४	एस० अहमद हसन, श्री	.. कानपुर शहर ।
३५	ओंकार नाथ, श्री ...	... चुनार ।
३६	कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री	... शाहाबाद ।
३७	कमरुद्दीन, श्री	.. बुधना ।

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३८	कमलकुमारी गोईन्दी, कुमारी	..	करछना।
३९	कमलापति त्रिपाठी, श्री	..	चन्दौली।
४०	कमलेशचन्द, श्री, उपनाम कमले	..	पुवायां।
४१	कल्याणचन्द मोहिले, श्री, उपनाम छुन्नगुरु	...	इलाहाबाद शहर (दक्षिण)।
४२	कल्याणराय, श्री ..	..	शाहाबाद।
४३	कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री	..	महाइच।
४४	कालीचरण अग्रवाल, श्री	..	कासगंज।
४५	काशीप्रसाद पांडेय, श्री ..	..	कादीपुर।
४६	कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री ..	..	सुल्तानपुर।
४७	केशभान राय, श्री ..	..	मगहर।
४८	केशव पांडेय, श्री ..	..	मनीराम।
४९	केशवराम, श्री ..	..	बिसौली।
५०	कैलाशकुमार सिंह, श्री ..	..	इस्लामनगर।
५१	कैलाशनारायण गुप्त, श्री ...	..	इलाहाबाद शहर (उत्तर)।
५२	कैलाशप्रकाश, श्री ..	..	मेरठ शहर।
५३	कैलाशवती, श्रीमती ..	..	छिल्लुपुर।
५४	कोतवालसिंह भदौरिया, श्री	..	छिबरामऊ।
५५	कृपाशंकर, श्री ..	..	नगर।
५६	खजानसिंह, चौधरी ..	..	उन्नाव।
५७	खमानीसिंह, डाक्टर ..	..	मुरादाबाद (देहात)।
५८	खयालीराम, श्री ..	..	मोहनलाल गंज।
५९	खुशीराम, श्री ..	..	पिथौरागढ़।
६०	खूबसिंह, श्री ..	..	धामपुर।
६१	गंगाधर जाटव, श्री ..	..	एतमादपुर।
६२	गंगाप्रसाद,श्री (गोंडा)	..	गोंडा (दक्षिण)।
६३	गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)	...	एटा।
६४	गंगाप्रसाद सिंह, श्री	...	रसरा।
६५	गजेन्द्रसिंह, श्री	...	बिधुना।
६६	गज्जूराम, श्री	...	ललितपुर।
६७	गणेशप्रसाद पांडेय, श्री	...	बांसगांव।
६८	गनेशचन्द्र काछी, श्री	...	भोगांव।
६९	गनेशीलाल चौधरी, श्री	...	बिस्वां।
७०	गयाप्रसाद, श्री	...	कुंडा।
७१	गयाबख्शसिंह, श्री	...	इसौली।
७२	गयूर अली खां, श्री	..	भवन।
७३	गरीबदास, श्री	...	कालपी।
७४	गिरधारी लाल, श्री	...	धामपुर।
७५	गुलजारसिंह, श्री ..	...	सरेनी।
७६	गुलजारसिंह, श्री ...	...	मुसाफिरखाना।
७७	गुलाबसिंह, श्री ...	...	मसूरी।
७८	गौरादेवी, श्रीमती ..	...	खलीलाबाद।

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम			निर्वाचन-क्षेत्र
७९	गेंदा सिंह, श्री	...	...	पडरौना (पूर्व) ।
८०	गोकुल प्रसाद, श्री	...	..	चायल ।
८१	गोपीकृष्ण आजाद, श्री	...	...	नारायनी ।
८२	गोविन्दनारायण तिवारी, श्री		...	जालौन ।
८३	गोविन्द सहाय, श्री	...	...	नगीना ।
८४	गोविन्दसिंह विष्ट, श्री		...	अल्मोड़ा ।
८५	गौरीराम गुप्त, श्री	...	...	फरेंदा (पश्चिम) ।
८६	गौरीशंकर राय, श्री	...	...	बलिया ।
८७	घनश्याम डिमरी, श्री		...	बद्रीनाथ ।
८८	घासीराम जाटव, श्री	...	...	भरथना ।
८९	चन्द्र बनु यादव, श्री	...	...	मोहम्मदाबाद गोहाना ।
९०	चन्द्रजीत श्री	...	...	पडरौना (उत्तर) ।
९१	चन्द्र देव, शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री		...	निजामाबाद ।
९२	चन्द्रभाली गुप्त, श्री	...	...	रानीखेत (दक्षिण) ।
९३	चन्द्रसिंह रावत, श्री	...	...	पौड़ी ।
९४	चन्द्रहास मिश्र, श्री	...	...	बिलग्राम ।
९५	चन्द्रावती, श्रीमती	...	...	बिजनौर ।
९६	चन्द्रिकाप्रसाद, श्री	...	...	बछरावां ।
९७	चरणसिंह, श्री	...	...	कोटना ।
९८	चित्तरसिंह निरंजन, श्री		...	कौंच ।
९९	चिरंजीलाल जाटव, श्री	...	...	जलेसर ।
१००	छतर सिंह, श्री	...	...	खुर्जा ।
१०१	छत्रपति अम्बेश, श्री	...	...	आगरा शहर ।
१०२	छेदीलाल, श्री	...	...	श्रीनगर ।
१०३	छोटे लाल पालीवाल, श्री		...	सिरहपुरा ।
१०४	जंगबहादुर वर्मा, श्री	...	...	हैदरगढ़ ।
१०५	जगदीशनारायण , श्री		...	बिलारी ।
१०६	जगदीशनारायण दत्त सिंह, श्री		...	मोहम्मदी ।
१०७	जगदीश प्रसाद, श्री	...	...	हसनपुर ।
१०८	जगदीश शरण अग्रवाल, श्री		...	बरेली शहर ।
१०९	जगन्नाथ, चौधरी	...	...	सिकन्दरपुर ।
११०	जगन्नाथ प्रसाद, श्री	..	...	धौरेहरा ।
१११	जगन्नाथ लहरी, श्री	..	...	फिरोजाबाद ।
११२	जगपति सिंह, श्री	...	...	करवी ।
११३	जगमोहन सिंह नेगी, श्री	..	...	गंगा सलाण ।
११४	जगबीर सिंह, श्री	..	...	अगोटा ।
११५	जमुनासिंह, श्री	...	...	गुन्नौर ।
११६	जयगोपाल, डाक्टर	...	...	हरौरा ।
११७	जयदेव सिंह आर्य, श्री		...	घिरौर ।
११८	जयराम वर्मा, श्री	...	...	टांडा ।
११९	जरगाम हैदर, श्री सैयद		...	बहराइच (उत्तर) ।

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१२०	जवाहरलाल, श्री ...	.. मंझनपुर ।
१२१	जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर	... कानपुर शहर ।
१२२	जागेश्वर, श्री ...	... किशनपुर ।
१२३	जितेन्द्रप्रताप सिंह, श्री	... कांठ ।
१२४	जुगलकिशोर, आचार्य ...	... गोवर्धन ।
१२५	जोखई, श्री ...	... मेजा ।
१२६	ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री	... घाटमपुर ।
१२७	झारखंडे राय, श्री ...	... घोसी ।
१२८	टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री ...	... खैराबाद ।
१२९	टीकाराम, श्री ...	... बदायूं ।
१३०	टीकाराम पुजारी, श्री	... सादाबाद ।
१३१	डूंगरसिंह, श्री ...	... राठ ।
१३२	ताराचन्द माहेश्वरी, श्री ...	... सिधौली ।
१३३	तारादेवी, डाक्टर ...	... मड़ियाहूं ।
१३४	तिरमलसिंह, श्री ...	... सहावर ।
१३५	तेज बहादुर, श्री ...	... लालगंज ।
१३६	तेजासिंह, श्री ...	... गाजियाबाद ।
१३७	त्रिलोकीसिंह, श्री ...	... लखनऊ शहर (पूर्व) ।
१३८	दत्त, श्री एस० जी० ...	... कानपुर शहर ।
१३९	दर्शनसिंह, श्री ...	... शाहजहांपुर ।
१४०	दशरथप्रसाद, श्री ..	... बलरामपुर ।
१४१	दाताराम, चौधरी ...	... नकुड़ ।
१४२	दीनदयालु करुण, श्री ...	... बलरामपुर ।
१४३	दीन दयालु शर्मा, श्री ...	... अनूपशहर ।
१४४	दीनदयालु शास्त्री, श्री ...	... रुड़की ।
१४५	दीपशङ्कर, आचार्य ...	... बड़ौत ।
१४६	दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री	देवरिया (दक्षिण) ।
१४७	दुर्योधन, श्री ...	... महाराजगंज ।
१४८	देवकीनन्दन विभव, श्री	... आगरा शहर ।
१४९	देवदत्त सिंह, श्री ..	... टप्पल ।
१५०	देवनारायण भारतीय, श्री	... जमौर ।
१५१	देवराम, श्री ...	... शाहदियाबाद ।
१५२	देवीप्रसाद मिश्र, श्री ...	... अकबरपुर ।
१५३	द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री	... मुजफ्फरनगर ।
१५४	द्वारिका प्रसाद, श्री ...	... कन्नौज ।
१५५	द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री	... फरेन्दा (पूर्व) ।
१५६	धनीराम, श्री ...	... लालगंज ।
१५७	धनुधारी पांडेय, श्री	... महूली ।
१५८	धरमपाल सिंह, श्री ...	... तुलसीपुर ।
१५९	धर्मदत्त वैद्य, श्री ...	.. सिरोली ।

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम			निर्वाचन-क्षेत्र
१६०	धर्म सिंह, श्री	...	...	अनूपशहर ।
१६१	नत्थाराम रावत, श्री	..	...	बराबंकी ।
१६२	नत्थू सिंह, श्री (बरेली)		...	फरीदपुर ।
१६३	नत्थू सिंह, श्री (मैनपुरी)		...	करहल ।
१६४	नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री		...	हाथरस ।
१६५	नन्दराम, श्री	...	...	कुण्डा ।
१६६	नरदेव सिंह दतियानवी, श्री		...	चांदपुर ।
१६७	नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री		...	केदारनाथ ।
१६८	नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री	...	...	पिथौरागढ़ ।
१६९	नवलकिशोर, श्री	...	...	आंवला ।
१७०	नागेश्वरप्रसाद, श्री	...	...	गरवारा ।
१७१	नरायणदत्त तिवारी, श्री		...	नैनीताल ।
१७२	नारायण दास पासी, श्री		...	बीकापुर (पश्चिम) ।
१७३	निरंजन सिंह, श्री	...	...	पीलीभीत ।
१७४	नेकराम शर्मा, श्री	...	...	अतरौली ।
१७५	पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री		...	अतरौलिया ।
१७६	पब्बरराम, श्री	...	...	गाजीपुर ।
१७७	परमानन्द सिनहा, श्री		...	सोरांव (पश्चिम) ।
१७८	परमेश्वर दीन वर्मा, श्री		...	पुर्वा ।
१७९	पहलवान सिंह, चौधरी		...	बांदा ।
१८०	प्रकाशवती सूद, श्रीमती		...	मेरठ (छावनी) ।
१८१	प्रतापबहादुर सिंह, श्री	...	...	फखरपुर ।
१८२	प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री		...	लहरपुर ।
१८३	प्रतापसिंह, श्री	...	...	टनकपुर ।
१८४	प्रभावती मिश्र, श्रीमती		...	लम्भुआ ।
१८५	प्रभुदयाल, श्री	...	...	बानगंगा (पश्चिम) ।
१८६	फतेहसिंह राणा, श्री	...	...	सरधना ।
१८७	बंशीधर शुक्ल, श्री	...	...	श्रीनगर ।
१८८	बदलूराम, श्री	..	...	बहराइच (दक्षिण) ।
१८९	बलदेवसिंह, श्री	...	...	महदेवा ।
१९०	बलदेवसिंह आर्य, श्री	...	..	शाहाबाद ।
१९१	बसन्तलाल, श्री	..	...	लखनऊ (छावनी) ।
१९२	बादाम सिंह, श्री	..	...	शिकारपुर ।
१९३	बाबूराम, श्री	..	...	भोजीपुरा ।
१९४	बाबू लाल कुसुमेश, श्री		...	प्रतापगंज ।
१९५	बालकराम, श्री	...	...	तिलहर ।
१९६	बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री	...	...	डोमरियागंज (दक्षिण) ।
१९७	बिन्दुमती दास, श्रीमती	...	...	प्रतापगंज ।
१९८	बिशम्बरसिंह, श्री	...	...	हस्तिनापुर ।
१९९	बिहारीलाल, श्री	...	...	बीसलपुर ।

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम			निर्वाचन-क्षेत्र
२००	बुलाकीराम, श्री	...	..	हरदोई ।
२०१	बुद्धीलाल, श्री	...	..	नानपारा ।
२०२	बुद्धीसिंह, श्री	...	..	बहजोई ।
२०३	बृजबासीलाल, श्री	...	..	बीकापुर (पश्चिम) ।
२०४	बृजरानी मिश्र, श्रीमती	...	..	बिल्हौर ।
२०५	बेचनराम, श्री	...	...	ज्ञानपुर ।
२०६	बेचनरामगुप्त, श्री	...	...	ज्ञानपुर ।
२०७	बेनीबाई, श्रीमती	...	...	मऊ ।
२०८	बैजूराम, श्री	...	...	सिधौली ।
२०९	ब्रजनारायण तिवारी, श्री		...	पडरौना (पश्चिम) ।
२१०	ब्रजभूषणशरण, श्री	...	...	देहरादून ।
२११	ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री		...	कानपुर शहर ।
२१२	भगवतीप्रसाद दुबे, श्री		...	भावापुर ।
२१३	भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री		...	प्रतापगढ़ (दक्षिण) ।
२१४	भगवतीसिंह विशारद, श्री		...	भगवन्तनगर ।
२१५	भगौती प्रसाद वर्मा, श्री		...	बाराबंकी ।
२१६	भजन लाल, श्री	...	...	औरैया ।
२१७	भीखालाल, श्री	...	...	हसनगंज ।
२१८	भीमसेन, श्री	...	...	खुर्जा ।
२१९	भुवनेशभूषण शर्मा, श्री		...	इटावा ।
२२०	भूपकिशोर, श्री	...	...	अलीगंज ।
२२१	मंगलाप्रसाद, श्री	..	...	मेजा ।
२२२	मंजूरुलनबी, श्री	...	...	सहारनपुर ।
२२३	मथुराप्रसाद पांडेय, श्री		...	नौगढ़ ।
२२४	मदनगोपाल वैद्य, श्री	...	...	अमीसन ।
२२५	मदन पांडेय, श्री	...	...	तिलपुर ।
२२६	मदनमोहन, श्री	...	...	फैजाबाद ।
२२७	मन्नालाल, श्री	...	...	मोहम्मदी ।
२२८	मलखान सिंह, श्री	...	...	सिकन्दराराव ।
२२९	मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)		..	मैनपुरी ।
२३०	महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)		...	दसना ।
२३१	महमूद अली खां, श्री (रामपुर)		...	स्वार टांडा ।
२३२	महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)		..	मुजफ्फराबाद ।
२३३	महमूद हुसैन खां, श्री	...	...	सम्भल ।
२३४	महादेव प्रसाद, श्री	...	...	फखरपुर ।
२३५	महाबीर प्रसाद शुक्ल, श्री		...	केवाई ।
२३६	महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री		...	लखनऊ शहर (मध्य) ।
२३७	महीलाल, श्री	...	...	बिलारी ।
२३८	महेन्द्रिपुदमन सिंह, राजा		...	बाह ।
२३९	महेश सिंह, श्री	...	...	हरदोई ।

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम			निर्वाचन क्षेत्र
२४०	माता प्रसाद, श्री	...	...	शाहगंज ।
२४१	मान्धातासिंह, श्री	...	...	कोपाचीट ।
२४२	मिहरबान सिंह, श्री	...	...	भरथना ।
२४३	मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल, श्री		...	रुदौली ।
२४४	मुक्तिनाथ राय, श्री	...	...	गोपालपुर ।
२४५	मुजफ्फर हसन, श्री	...	...	चायल ।
२४६	मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री	...	..	बीसल ।
२४७	मुबारकअली खां, श्री	...	...	उसेहट ।
२४८	मुरलीधर, श्री	..	...	माहुल ।
२४९	मुरलीधर कुरील, श्री		...	बिल्हौर ।
२५०	मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री	...	...	सफीपुर ।
२५१	मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री		...	वाराणसी शहर (उत्तर) ।
२५२	मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री		..	देवरिया (उत्तर) ।
२५३	मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री		...	बानगंगा (पूर्व) ।
२५४	मुहम्मद हुसैन, श्री	..	..	बरेली छावनी ।
२५५	मूलचन्द, श्री	..	..	मिसरिख ।
२५६	मोतीलाल अवस्थी, श्री		..	कानपुर (देहात) ।
२५७	मोहन लाल, श्री	..	..	महोबा ।
२५८	मोहन लाल गौतम, श्री		..	कोयल ।
२५९	मोहन लाल वर्मा, श्री		..	संडीला ।
२६०	मोहन सिंह मेहता, श्री		..	दानपुर ।
२६१	यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री	..	..	रायबरेली (उत्तर) ।
२६२	यमुनासिंह, श्री	..	..	शादियाबाद ।
२६३	यशपाल सिंह, श्री	..	..	देवबन्द ।
२६४	यशोदादेवी, श्रीमती	..	..	बांसगांव ।
२६५	यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा		..	जौनपुर ।
२६६	रऊफ जाफरी, श्री	..	..	मछलीशहर ।
२६७	रघुनाथ सहाय यादव, श्री		..	किशनपुर ।
२६८	रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री, उपनाम लाल साहब			सादुल्ला नगर ।
२६९	रघुराज सिंह चौधरी, श्री	..	..	बुलन्दशहर ।
२७०	रघुबीर राम, श्री	..	..	मोहम्मदाबाद ।
२७१	रघुबीर सिंह, श्री (एटा)	..	..	जलेसर ।
२७२	रघुबीर सिंह, श्री (मेरठ)		..	बागपत ।
२७३	रणबहादुरसिंह, श्री	..	..	हरैया (पश्चिम) ।
२७४	रमाकान्त सिंह, श्री	..	..	अमेठी ।
२७५	रमानाथ खेरा, श्री	..	..	ललितपुर ।
२७६	रमेशचन्द्र शर्मा, श्री	..	..	बरसाथी ।
२७७	राघवराम पांडेय, श्री	..	..	गोंडा (दक्षिण) ।
२७८	राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री	..	..	मनकापुर ।
२७९	राजकिशोर राव, श्री	..	..	इकौना ।

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
२८०	राजदेव उपाध्याय, श्री	..	.. सिधुवाजोबना ।
२८१	राजनारायण, श्री	..	.. कसवर सरकारी ।
२८२	राजनारायण सिंह, श्री	...	.. अहरौरा ।
२८३	राजबिहारी सिंह, श्री	..	.. कसंवर राजा ।
२८४	राजाराम शर्मा, श्री	..	.. खलीलाबाद ।
२८५	राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती	..	.. डोमरियागंज (उत्तर) ।
२८६	राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती	..	.. मौदहा ।
२८७	राजेन्द्रदत्त, श्री	..	.. शिकारपुर ।
२८८	राजेन्द्रसिंह, श्री	..	.. गोंडवा ।
२८९	राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	..	.. शमसाबाद ।
२९०	रामअधार तिवारी, श्री	..	.. प्रतापगढ़ (उत्तर) ।
२९१	राम अभिलाख, श्री	..	.. गोंडा (उत्तर) ।
२९२	रामकिंकर, श्री	..	.. पट्टी ।
२९३	रामकुमार वैद्य, श्री	..	.. अमरोहा ।
२९४	रामकृष्ण जैसवार, श्री		.. कंतित ।
२९५	रामकृष्ण सारस्वत, श्री		.. फर्रुखाबाद ।
२९६	रामचन्द्र उनियाल, श्री		.. रवाईं ।
२९७	रामचन्द्र विकल, श्री	..	.. सिकन्दराबाद ।
२९८	रामजी लाल सहायक, श्री		.. सरधना ।
२९९	रामजी सहाय, श्री	..	.. सिलहट ।
३००	रामदास आर्य, श्री	..	.. जानसठ ।
३०१	रामदीन, श्री	..	.. करहल ।
३०२	रामदुलारे मिश्र, श्री	..	.. अकबरपुर ।
३०३	रामनाथ पाठक, श्री	..	.. दोआबा ।
३०४	रामनारायण त्रिपाठी, श्री		.. सुरहुरपुर ।
३०५	रामपाल त्रिवेदी, श्री		.. मलीहाबाद ।
३०६	रामप्रसाद, श्री	..	.. सलोन ।
३०७	राम प्रसाद देशमुख, श्री		.. कोयल ।
३०८	रामप्रसाद नौटियाल, श्री		.. लैंसडाउन ।
३०९	रामबली, श्री	..	.. मुसाफिरखाना ।
३१०	राममूर्ति, श्री	..	.. बहेड़ी ।
३११	रामरतन प्रसाद, श्री	..	.. रसरा ।
३१२	रामरती देवी , श्रीमती		.. अकबरपुर ।
३१३	रामलक्षण तिवारी, श्री		.. बांसडीह (पूर्व) ।
३१४	रामलखन, श्री (वाराणसी)		.. चन्दौली ।
३१५	रामलखन मिश्र, श्री		.. बांगी (पश्चिम) ।
३१६	रामलखन सिंह, श्री	..	.. रारी ।
३१७	रामलाल, श्री	..	.. नगर ।
३१८	रामवचन यादव, श्री	..	.. माहुल ।
३१९	रामशरण यादव, श्री	..	.. मोहनलाल गंज ।
३२०	राम समझावन, श्री		.. केराकत ।
३२१	रामसिंह चौहान, श्री, वैद्य		.. एतमादपुर ।

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
३२२	रामसुन्दर पांडेय, श्री	..	नत्थूपुर ।
३२३	रामसूरत प्रसाद, श्री	..	पिपराइच ।
३२४	रामस्वरूप यादव, श्री	..	जसराना ।
३२५	रामस्वरूप वर्मा, श्री	..	भोगनीपुर ।
३२६	रामहेत सिंह, श्री	..	छाता ।
३२७	रामायण राय, श्री	..	पडरौना (दक्षिण) ।
३२८	रामेश्वरप्रसाद, श्री	..	बछरावां ।
३२९	रुक्नुद्दीन खां, श्री	..	कोंहडौर ।
३३०	रूर्मासिंह, श्री	..	खेरा बजेहरा ।
३३१	लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	..	काशीपुर ।
३३२	लक्ष्मणराव कदम, श्री	..	गरोथा ।
३३३	लक्ष्मीनारायण, श्री	..	पहाड़पुर ।
३३४	लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री	..	फतेहाबाद ।
३३५	लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	..	माट ।
३३६	लायक सिंह, चौधरी	..	शिकोहाबाद ।
३३७	लालबहादुर, श्री	..	शिवपुर ।
३३८	लालबहादुर सिंह, श्री	..	केराकत ।
३३९	लुत्फअली खां, श्री	..	हापुड़ ।
३४०	लोकनाथ सिंह, श्री	..	कटेहर ।
३४१	बजरंग बिहारी लाल रावत, श्री	..	हैदरगढ़ ।
३४२	वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री	..	जमानिया ।
३४३	वसी नकवी, श्री	..	रोखा ।
३४४	वासुदेव दीक्षित, श्री	..	खागा ।
३४५	विचित्रनारायण शर्मा, श्री	..	मोदीनगर ।
३४६	विजयशंकर सिंह, श्री	..	मुहम्मदाबाद ।
३४७	विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती	..	शाहाबाद ।
३४८	विनय लक्ष्मी सुमन, श्रीमती	..	दवप्रयाग ।
३४९	विशालसिंह, श्री	..	भिटौली ।
३५०	विश्राम राय, श्री	..	आजमगढ़ ।
३५१	विश्वनाथसिंह गौतम, श्री	..	करांद ।
३५२	विशेश्वरानन्द, स्वामी	..	फतेहपुर सीकरी ।
३५३	वीरसेन, श्री	..	हापुड़ ।
३५४	वीरेन्द्र वर्मा, श्री	..	कैराना ।
३५५	वीरेन्द्र शाह, राजा	..	कालपी ।
३५६	ब्रजगोपाल सक्सेना, श्री	..	महोबा ।
३५७	ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री	..	घाटमपुर ।
३५८	शंकर लाल, श्री	..	कादीपुर ।
३५९	शकुन्तलादेवी, श्रीमती	..	हरौरा ।
३६०	शब्बीरहसन, श्री	..	खजुहा ।
३६१	शमशुल इस्लाम, श्री	..	निधपुर ।
३६२	शम्भूदयाल, श्री	..	संडीला ।
३६३	शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री	..	हरद्वार ।

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
३६४	शिवगोपाल तिवारी, श्री ..	..	सकीपुर ।
३६५	शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)	..	सिधुवाजोबना ।
३६६	शिव प्रसाद नागर, श्री (खोरी)	..	खोरी ।
३६७	शिवमंगल सिंह, श्री ..	..	बंसडीह (पश्चिम) ।
३६८	शिवमूर्ति सिंह, श्री ..	..	फूलपुर ।
३६९	शिवराजबली सिंह, श्री	..	फतेहपुर ।
३७०	शिवराजबहादुर, श्री	..	नवाबगंज ।
३७१	शिवराजसिंह यादव, श्री	..	बिसौली ।
३७२	शिवराम, श्री ..	..	अफजलगढ़ ।
३७३	शिवराम पांडेय, श्री ..	..	डेरापुर ।
३७४	शिवबचन राव, श्री ..	..	सलेमपुर (दक्षिण) ।
३७५	शिवशंकर सिंह, श्री ..	..	डलमऊ ।
३७६	शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री	..	इकौना ।
३७७	शीतलाप्रसाद, श्री ..	..	तरबगंज ।
३७८	शोभनाथ, श्री ..	..	रावर्ट्सगंज ।
३७९	श्यामलाल, श्री ..	..	माट ।
३८०	श्यामलाल यादव, श्री	..	मुगलसराय ।
३८१	श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी	..	किथोर ।
३८२	श्रीकृष्ण गोयल, श्री ..	..	उझानी ।
३८३	श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल, श्री	..	खैरागढ़ ।
३८४	श्रीनाथ, श्री ..	..	मोहम्मदाबाद गोहाना ।
३८५	श्रीनाथ भार्गव, श्री ..	..	मथुरा ।
३८६	श्रीनिवास, श्री ..	..	गांगिरी ।
३८७	श्रीपाल सिंह, कुंवर ..	..	शाहगंज ।
३८८	संग्रामसिंह, श्री ..	..	सोरांव (पूर्व) ।
३८९	सईद अहमद अन्सारी, श्री	..	ज्वालापुर ।
३९०	सजीवनलाल, श्री ..	..	हसनगंज ।
३९१	सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती	..	दादरी ।
३९२	सम्पूर्णानन्द, डाक्टर ..	..	वाराणसी शहर (दक्षिण) ।
३९३	सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती	..	सरूज ।
३९४	सियादुलारी, श्रीमती ..	..	कन्दौ ।
३९५	सीताराम, डाक्टर ..	..	सिलहट ।
३९६	सीताराम शुक्ल, श्री	..	हरैया (पूर्व) ।
३९७	सुक्खन लाल, श्री ..	..	हसनपुर ।
३९८	सुखरानी, श्रीमती ..	..	फतेहपुर ।
३९९	सुखरामदास, श्री ..	..	टांडा ।
४००	सुखलाल, श्री ..	..	औरैया ।
४०१	सुखीराम भारतीय, श्री	..	फूलपुर ।
४०२	सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री	..	मऊ ।
४०३	सुनीता चौहान, श्रीमती	..	सलोन ।
४०४	सुन्दर लाल, श्री ..	..	फरीदपुर ।
४०५	सुरथबहादुर शाह, श्री	..	निधासन ।

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
४०६	सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री ..	.. हमीरपुर ।
४०७	सुरेन्द्र सिंह, राजकुमार ..	.. पुवायां ।
४०८	सुरेश प्रकाश सिंह, श्री	.. बिसवां ।
४०९	सुल्तानआलम खां, श्री ..	.. कायमगंज ।
४१०	सूरतचन्द्र रमोला, श्री ..	.. टेहरी ।
४११	सूर्यबली पांडे, श्री	.. हाटा ।
४१२	सोहन लाल धुसिया, श्री ..	.. बांसी (पूर्व) ।
४१३	हमीदुल्ला खा, श्री	.. चारदा ।
४१४	हरकेशबहादुर, श्री	.. पट्टी ।
४१५	हरदयाल सिंह, श्री	.. जलालाबाद ।
४१६	हरदयाल सिंह पिपल, श्री ..	.. हाथरस ।
४१७	हरदेवसिंह, श्री	.. देवबन्द ।
४१८	हरिदत्त काण्डपाल, श्री ..	.. रानीखेत (उत्तर) ।
४१९	हरिशचन्द्र सिंह, श्री	.. दातागंज ।
४२०	हरिहरबख्श सिंह, श्री ..	.. पाली ।
४२१	हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री ..	.. सीतापुर ।
४२२	हरीसिंह, श्री	.. किथौर ।
४२३	हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री ..	.. मुरादाबाद शहर ।
४२४	हिम्मतसिंह, श्री	.. हिबाई ।
४२५	हुकुम सिंह विसेन, श्री	.. कैसरगंज ।
४२६	हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री ..	.. मंझनपुर ।
४२७	होरीलाल यादव, श्री ..	.. कन्नौज ।
४२८	(रिक्त)	.. इगलास ।
४२९	(रिक्त)	.. ठाकुरद्वारा ।
४३०	(रिक्त)	.. बबेरू ।
४३१	(रिक्त)	.. लखनऊ (छावनी) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्मा राम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल–एल० बी ० ।

उपाध्यक्ष

श्री राम नारायण त्रिपाठी, बी० एस–सी० ।

सचिव, विधान मंडल

श्री रूपचन्द्र, एच० जे० एस० ।

सचिव, विधान सभा

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम० ए०, एल–एल० बी० ।

सहायक सचिव

श्री रामप्रकाश, बी० काम, एल-एल० बी ० ।

कमेटी आफिसर

श्री भोलादत्त उपाध्याय ।

अधीक्षक

श्री अहीन्द्रनाथ मित्र ।

श्री श्रीपति सहाय, बी० ए० ।

श्री गिरधारी लाल, बी० ए ० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

132591

मंगलवार, २२ अगस्त, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य–३७६

अक्षयवर्रासिह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फर्तासिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पण्डेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम गुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु कहण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दानियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेरराम, श्री

परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन , श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर ,श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद "हंस," श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री,
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनसिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री

राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राज राम शर्मा, श्री
राजन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री

शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्र सिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट---श्रम मन्त्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी, वन मन्त्री, श्री अलगूराय शास्त्री, स्वशासन मन्त्री, श्री चतुर्भुज शर्मा तथा वित्त मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २२ अगस्त, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कांट निवासी हबीब की पुलिस के हाथों मृत्यु

**१---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित), श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी), श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ), श्री मुनीन्द्रपालसिंह (जिला पीलीभीत), श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) तथा श्री बिहारीलाल (जिला पीलीभीत)---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको इस बात की सूचना है कि थाना कांट, जिला शाहजहांपुर के थाना इंचार्ज व सिपाहियों ने उक्त कांट कस्बे के निवासी हबीब नामक व्यक्ति को जान से मार डाला ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)---पुलिस के कथनानुसार थानाध्यक्ष, कांट, हबीब को गिरफ्तार करने गये थे। हबीब ने पुलिस पर गोली चलाई। पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया तथा लाठी चलाई। अधिक मात्रा में खून निकल जाने के कारण हबीब की मृत्यु थाना ले जाते समय रास्ते में हो गई।

इस घटना के सम्बन्ध में एक इस्तगासा धारा ३०२ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत इमाम बख्श ने थानाध्यक्ष आदि पर दायर कर दिया है जो अदालत में विचाराधीन है।

श्री मुनीन्द्रपालसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि किसी पुलिस अधिकारी क द्वारा इस मामले की जांच की गई या नहीं?

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)---इस मामले में एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी भी हो चुकी है, लिहाजा पुलिस आफिसर के जरिये जांच हुई या नहीं, यह इरेलिवेंट हो जाता है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हबीब ने पुलिस पर गोली चलाई तो पुलिस ने क्यों उसके ऊपर गोली चलाई?

श्री चरणसिंह---हबीब ३९४ में एबस्कांड कर रहे थे और एक काउस्लाटर के केस में एबस्कांड कर रहे थे। पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिये गई। मोटी सी बात है कि उसने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की और उसके लिये गोली चलाई।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि हबीब ने जो पहले गोली चलाई उससे कोई पुलिस कर्मचारी, जो स्थान पर थे, घायल भी हुए?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, उसने तीन बार गोली चलाई थी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने जो सूचना सदन को दी है, वह मैजिस्टीरियल इंक्वायरी के आधार पर दी है या यह पुलिस का बर्जन है?

श्री चरणसिंह---मैजिस्टीरियल इंक्वायरी के आधार पर।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हबीब के पास से कोई रिवाल्वर पकड़ा गया जिसके द्वारा उसने तीन बार गोली चलाई?

श्री चरणसिंह---जी हां, फायर आर्म पकड़ा गया और बिना इस्तेमाल किये कारतूस भी पकड़े गये। इस्तेमाल किये कारतूस भी जो मौके पर थे, वह भी पकड़े गये। अगर माननीय मित्र के पास कोई अोनाफाइडी सबूत हो तो मुझे खुशी होगी।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब हबीब को गिरफतार करने के लिये पुलिस गई तो वह किस धारा के अन्तर्गत वारन्ट लेकर गई थी?

श्री चरणसिंह---मैं यह सब बतला चुका हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हबीब का पोस्टमार्टम भी हुआ है और उसमें कुछ लाठी के चिन्ह निकले हैं?

श्री चरणसिंह---जी हां, पोस्टमार्टम हुआ है।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---क्या गृह मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हबीब की गिरफ्तारी के पहले कोई ८७, ८८ की कार्यवाही हुई या नहीं या पहले ही उसको गिरफ्तार करना आरम्भ कर दिया?

श्री चरणसिंह---इस केस में ८७, ८८ की कार्यवाही हो चुकी थी, लेकिन बिना उसके भी पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार था।

नटखेड़ा निवासी, छंगा बन्दी की मेडिकल कालेज, लखनऊ में मृत्यु

२---कुंवर श्रीपालसिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि लखनऊ नगर के आलमबाग के नटखेड़ा नामक स्थान से ८ जुलाई, १९६१ की प्रातः काल एक शिवमूर्ति उर्फ छंगा नामक व्यक्ति को पकड़ कर पुलिस वाले ले गये, जिसे जेल में भेज दिया गया और वहां से वह बलरामपुर अस्पताल और मेडिकल कालेज भेज दिया गया जहां २० जुलाई, १९६१ को उसका देहान्त हो गया और उसकी लाश लावारिस बता कर जला दी गई? यदि हां, तो इस मामले की असलियत क्या है?

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---जी हां। दिनांक २०-७-६१ को शिवमूर्ति उर्फ छंगा नामक व्यक्ति की मृत्यु मेडिकल कालेज में हुई थी। इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसे जांच के लिये स्थानीय पुलिस अधिकारी को भेज दिया गया था। जिलाधीश लखनऊ ने सूचित किया है कि उन्होंने इस मामले में मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच करने के आदेश दिये हैं। मैजिस्ट्रेट की जांच के बाद ही इस मामले की सही स्थिति का पता लग सकेगा।

कुंवर श्रीपालसिंह---श्रीमन, वैसे तो अब इसमें सप्लीमेंटरी करने की गुंजाइश है नहीं जब तक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी न हो जाय....

श्री अध्यक्ष---तो रहने दीजिये।

कुंवर श्रीपालसिंह---लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूं कि मैजिस्टीरियल इंक्वायरी होने के बाद सरकार उसका नतीजा सदन को अवगत कराने की कृपा करेगी?

श्री चरणसिंह---जी हां, आप चाहेंगे तो बतला दिया जायगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मैं यह जानना चाहता हूं कि लाश को लावारिस समझ कर जला देने के बाद जो प्रश्न में कहा गया है उसकी कोई सूचना माननीय मन्त्री जी के पास है, और क्या वह उसे सदन को बतलायेंगे?

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे इजाजत दें तो वैसे तो वह बहुत तफसील में है, लेकिन दो मिनट में इसके मुताल्लिक अर्ज कर दूं। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। छंगा के मामले की सूचना ११ बजकर १७ मिनट पर फोन से जेल में दी गई थी मेडिकल कालेज से। जेलर ने इसकी सूचना जिलाधीश को लिखकर भेजी जिसमें मृतक के घर वालों को सूचित करने को कहा गया था। यह पत्र जिलाधीश के कार्यालय में ३ बजकर ४५ मिनट पर मिला। अतिरिक्त जिलाधीश ने इस पर एस० एस० पी०, लखनऊ को आदेश दिया कि छंगा के घरवालों को सूचित कर दिया जाय। एस० एस० पी० के कार्यालय द्वारा यह पत्र उसी दिन को डाक में थाना कृष्णनगर में रात को प्राप्त हुआ। इसके पूर्व लगभग साढ़े ६ बजे ही थाने पर मेडिकल कालेज द्वारा सूचना मिल गई थी उसकी मृत्यु की। एस० ओ० ने टेलीफोन द्वारा जिला अधिकारियों से छंगा की मृत्यु की पुष्टि की और उन्हें टेलीफोन द्वारा यह सूचित किया गया कि छंगा के घरवालों को जेल से सूचना भेज दी गई है। उस पर एस० ओ० ने कोई कार्यवाही नहीं की और डी० एस० पी० का यह कहना है कि जब थाने में सूचना प्राप्त हुई थी तो थानेदार को तुरन्त ही छंगा के घरवालों को सूचना भेजना चाहिये था। इस सम्बन्ध में उन्होंने ऐसा न करके गलती की और इस सम्बन्ध में मैजिस्टीरियल इंक्वायरी के बाद आवश्यकता हुई तो कार्यवाही की जायगी।

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं। जेलर ने जहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इत्तला दी, उसके साथ-साथ सेवा समिति को भी इत्तला दे दी। यह जेलर को नहीं करना चाहिये था जब तक डी० एम० से कोई और इत्तला उसे न मिल जाती। हमने डी० एस० पी० से इंक्वायरी करा ली है, लेकिन हम चाहते हैं कि मैजिस्ट्रेट से भी इंक्वायरी हो जाय।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जब यह फैक्ट इस्टेबलिश हो चुका है कि एस० ओ० ने इत्तला नहीं दी और पुलिस रेगुलेशन्स में यह मैन्डेटरी होता है कि उसे इत्तला देना चाहिये, तो क्या उस पर कोई स्टेप लेने का विचार सरकार रखती है ?

श्री चरणसिंह---अभी यह बात इतनी स्पष्ट नहीं है कि जब उसे इस प्रकार की सूचना मिल गई थी तो फिर उसका फर्ज रह जाता है या नहीं, और मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय मित्र को इतनी परेशानी क्यों है, जब हमने डी० एस० पी० से इन्क्वायरी करा ली और मैजिस्टीरियल इंक्वायरी हो रही है।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी को इसकी इत्तला है कि जब डी०एस० पी० इंक्वायरी कर रहे थे, उस समय इस तरह की एक दरख्वास्त भी आई थी कि वहां के एस० ओ० साहब बराबर इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि उसके लिये कोई गवाही न मिले और उन्होंने उसके भाई को भी लालच दिया है कि कुछ रुपया लेकर सुलह कर लो ?

श्री चरणसिंह---इस तरह की कोई इत्तला नहीं है और यह बात एपेरेंटली इसलिये भी गलत मालूम पड़ती है कि बलरामपुर और मेडिकल कालेज की रिपोर्ट के मुताबिक उसको टेटेनस हो गया था और उसको चोट मौजूद थी।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या यह बात सही है कि ८ जुलाई को जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई उस समय पुलिस के पास कोई वारन्ट नहीं था ? और उसकी मां तथा दूसरे लोगों के पूछने पर कि वह किस दफा में गिरफ्तार हो रहा है, पुलिस कुछ न बता सकी ?

श्री चरणसिंह---इस केस में ४ मुलजिम थे जिनमें ३ गिरफ्तार हो चुके हैं। छंगा का सगा भाई भीगिरफ्तार हो चुका है। यह फरार था और रेलवे हास्पिटल के कम्पाउन्ड में पकड़ा गया। इसलिये मां के कहने या न कहने का सवाल नहीं है। अब वारन्ट था या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस समय छंगा गिरफ्तार हुआ उस समय जो उसकी जेल में डाक्टरी हुई, तथा बाद में बलरामपुर हास्पिटल में डाक्टरी हुई, तो उन दोनों डाक्टरी रिपोर्ट्स में कोई अन्तर है या दोनों एक ही प्रकार की हैं ?

श्री चरणसिंह---जिस वक्त कैदी जेल में दाखिल होता है उस वक्त जो चोट वगैरह होती है उसको दर्ज कर लिया जाता है। उसे डाक्टरी मुआइना नहीं कहते हैं। तो यह तो हुआ, और १४ तारीख को उसे बलरामपुर हास्पिटल भेजा गया जहां उसका एक्सरे हुआ। अब मैजिस्टीरियल इंक्वायरी चल रही है और किसी सवाल का कोई जवाब यहां मैं दे देता हूं तो बाद को उसके कई कामप्लीकेशन्स निकल सकते हैं, इसलिये और प्रश्न यहां होना उचित नहीं मालूम होता।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलरामपुर हास्पिटल में जो एक्सरे हुआ था उसमें पैर का अंगूठा टूटा हुआ पाया गया ?

श्री चरणसिंह---जिस वक्त वह गिरफ्तार हुआ था उस वक्त वह रेलवे हास्पिटल के कम्पाउन्ड में था और उसके पैर के अंगूठे में चोट थी और उसी के इलाज के लिये वह वहां गया था। जिस वक्त वह गिरफ्तार हुआ था थाने में उसकी यह चोट दर्ज है।

विकास खंडों में कृषि फार्म खोलने के लिए जोत सीमा निर्धारण से प्राप्त भूमि लेने का सुझाव

**३---श्री चन्द्रहास मिश्र (जिला हरदोई)---क्या कृषि मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या सरकार हर ब्लाक में कृषि फार्म बनाने जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार इस स्कीम को सीलिंग में जो जमीन अधिक भूमि पर कृषि करने वालों से निकले उसी में कृषि फार्म खोलने पर विचार करेगी और सम्बन्धित अधिकारियों को इस सम्बन्ध में तदनुसार सूचित करेगी?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां। यह योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है। जो सुझाव प्रश्न में हैं उस पर गवर्नमेंट अवश्य विचार करेगी।

श्री चन्द्रहास मिश्र---क्या सरकार अपने उत्तर को ध्यान में रखते हुए इस समय जो हर ब्लाक में छोटे-छोटे काश्तकारों की जमीन ली जा रही है, उसको रोकने के प्रश्न पर विचार करेगी?

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, जहां भी जमीन ली जा रही है सीड फार्म के लिये, वहां जिनकी जमीन ली जाती है उनको तकलीफ तो होती ही है, किन्तु सरकार की नीति यह है कि जहां तक संभव हो छोटे काश्तकारों की जमीन न ली जाय और कम से कम ऐसे काश्तकारों की जमीन बिलकुल न ली जाय जिनकी जमीन लेने के बाद वे बेजमीन हो जायं यानी उनके खुद के लिये बिलकुल जमीन ही न बचे। अब इस पर्टीक्यूलर केस में क्या हो सकता है, अभी मैं नहीं बतला सकता।

श्री झारखंडेराय---क्या सरकार के पास प्रदेश के पूर्वी अंचल से इस प्रकार की कोई भावनायें पहुंची हैं कि वहां पर चूंकि जमीन बहुत कम है और आबादी का बोझ बहुत ज्यादा है, इसलिये वहां पर इस स्कीम को मुल्तवी रखा जाय?

श्री चरणसिंह---बुन्देलखंड को छोड़ कर जमीन तो प्रदेश के सभी अंचल में कम है। यह सही है कि पूर्वी अंचल में जमीन कम है, किन्तु जैसा कि मैंने कहा था कि हमारी नीति यह है कि जमीन उन किसानों से न ली जाय जिनके पास जमीन बहुत कम है और उनकी जमीन लेने के बाद वे बिना जमीन के न रह जायें।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि सरकार फार्म के लिये किसानों की जमीन न लेकर उन्हीं की जमीन पर डिमान्स्ट्रेशन करे और अपने फार्म न बनाये?

श्री चरणसिंह---डिमान्स्ट्रेशन करने की बात और है और सीड फार्म बनाने के लिये जमीन लेने वाली बात दूसरी है। डिमान्स्ट्रेशन तो बहुत से किसानों की जमीन पर ही, चाहे वे छोटे हों या बड़े हों, किये जाते हैं। इससे उसका कोई वास्ता नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन काश्तकारों की जमीन ली गयी है उनको उसके एवज में जमीन ही दी जायेगी? इस प्रश्न पर क्या सरकार विचार करेगी?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, अगर ऐसी जमीन होती तो उसे ही न लेते।

डफरिन अस्पताल, गोंडा में गलत दवा खाने से लड़की की मृत्य

४—श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ६ अगस्त, १९६१ को जिला गोंडा के डफरिन अस्पताल में एक लड़की को जो दवाई दी गई उसमें दो पुड़िया जहर की थीं और पुड़िया खाते ही लड़की की मृत्यु हो गई? यदि हां, तो किस की लड़की थी और कौन अधिकारी सूचना पाते ही अस्पताल गये?

श्री रामस्वरूप यादव—स्थिति इस प्रकार है कि दिनांक ६-८-६१ को ११ बजे दिन में श्री एस० सी० शाह, आनरेरी स्पेशल मजिस्ट्रेट, गोंडा अपनी लड़की को चेहरे पर फुन्सियों के इलाज के लिये डफरिन अस्पताल ले गये थे। एम० ओ० इंचार्ज, डफरिन अस्पताल ने तीन दवाएं लिख दीं जो अस्पताल की डिस्पेन्सरी से ले कर श्री शाह अपनी लड़की के साथ घर वापस आये। उनमें एक दवा Cetaralex Cream भी थी। ३ बजे के करीब श्रीमती शाह ने इस क्रीम के डिब्बे को खोला। डिब्बे में एक ट्यूब के अतिरिक्त दो पुड़ियां भी मिलीं। श्रीमती शाह ने एक पुड़िया लड़की को खिला दी। लड़की दवा खाकर खेलने लगी किन्तु थोड़ी देर बाद वह गिर पड़ी और उसका जिस्म ऐंठने लगा। श्री शाह लड़की को तुरन्त डफरिन अस्पताल ले गये जहां लड़की को ३ इंजेक्शन दिये गये परन्तु उसकी मृत्यु हो गई।

५—श्री गंगाप्रसाद**—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उपर्युक्त लड़की की शव परीक्षा की गयी? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है, और अस्पताल के किन-किन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। शव का पोस्ट मार्टम किया गया परन्तु मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं हुआ और (Viscere) को कैमिकल एक्जामिनर के पास परीक्षणार्थ भेज दिया गया जिसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट आने पर ही किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार हो सकेगा।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टीन के डिब्बे में जो २ पुड़िया पाउडर दिया गया वह कम्पाउन्डर ने दिया या किसी दूसरे ने?

श्री चरणसिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गंगाप्रसाद—दी गई पुड़िया अस्पताल की थी या बाहर की थी?

श्री चरणसिंह—वह पाउडर तो अस्पताल से ही आया था, लेकिन क्रीम वाले डिब्बे में दो पुड़िया रखी थीं। लड़की की माता ने उसके पिता से पूछा कि यह पुड़िया क्रीम वाले डिब्बे में से निकली है, यह दे दी जायं क्या? उन्होंने कहा कि जो पुड़िया खाने के लिये दी गई हैं वे मेरी जेब में हैं। हो सकता है कि इस प्रकार और पुड़िया भी दे दी गई हो। तो क्रीम वाले डिब्बे में से यह पुड़िया दे दी गई, जिसका नतीजा यह हुआ। दूसरी पुड़ियां और लड़की का विजैरा हमने कैमिकल एग्जामिनर के पास भेजे हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या यह भी जांच की गई कि खाने के अलावा कोई एक्सटर्नल इस्तेमाल के लिये, लगाने के लिये, भी दवा दी गई थी?

श्री चरणसिंह—लड़की के बाप ने कहा कि खाने की पुड़िया मेरे कुरते की जेब में हैं लेकिन पुड़िया इसमें से भी निकल आई और उनकी वाइफ ने वह दे दी। लगाने की कोई पुड़िया दी थी या नहीं, तो मेरा खयाल है कि दी थी, लेकिन वह अलग थी।

श्री शिवप्रसाद नागर—अध्यक्ष महोदय, मैं तो समझता था कि मैं ही कवि हूं लेकिन गृह मन्त्री जी तो आशुकवि हैं। प्रश्न ४ के उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया है कि पुड़िया देने से मृत्यु हो गई। मन्त्री जी बताने की कृपा करें कि प्रश्न ५ के उत्तर में वह कैसे कह सकते हैं कि पोस्ट मार्टम में मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं हुआ?

श्री चरणसिंह—मैं केवल लेमैन हूं, कवि नहीं। यह आया है। और, जो बात मैंने बतलाई वह भी सही है। उनके मां-बाप का बयान लेकर ही डी० एम० ने भेजा है।

श्री अध्यक्ष—आपने कहा कि पुड़िया खाने के बाद मत्यु हो गई। पुड़िया में क्या था, यह नहीं लिखा है।

श्री चरणसिंह—जी नहीं, यह नहीं बतलाया जा सकता क्योंकि उसके बाद ३ इंजेक्शन भी लगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट क्या है?

श्री चरण सिंह—जो मैं बता चुका हूं वही है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्रीम के डिब्बे की पुड़िया की जिम्मेदारी किसकी है?

श्री चरणसिंह—केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारी तय होगी।

बूढ़ाडीह ग्राम में प्रसोपा के स्वयं-सेवक से झण्डा छीन कर जलाना

**६—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को इत्तला है कि गत २३ जुलाई, दिन में गोरखपुर जिले की सदर तहसील के बूढ़ाडीह ग्राम में चकबन्दी में हुई धांधलियों के विरुद्ध प्रदर्शन में १८ जुलाई को नेतृत्व करने के कारण प्रजा सोशलिस्ट पार्टी स्वयं-सेवक से क्रुद्ध होकर के कानूनगो शेषनाथ द्वारा कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिल कर उसकी टोपी तथा प्रजा समाजवादी दल का झंडा छीन कर जलाये जाने की सूचना उक्त स्वयं सेवक की दरख्वास्त के साथ प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना, एम० पी० ने गोरखपुर के डी० आई० जी० पुलिस को दी है? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण सरकार सदन के सामने रखेगी?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। उस आवेदन-पत्र की प्राप्ति पर एक अभियोग भा० दं० वि० की धारा १४७/१४९/४२६ के अन्तर्गत थाना पिपराइच में दर्ज कर जांच की गई। परन्तु आरोप सही नहीं पाया गया। अतः कोई कार्रवाई नहीं की गई।

श्री मदन पांडेय—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच किस अधिकारी के द्वारा कराई गई और उसकी रिपोर्ट क्या है?

श्री चरणसिंह—मैं इस वक्त नहीं बता सकूंगा कि किस अफसर द्वारा जांच की गई, लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी गजटेड अफसर द्वारा की गई। रिपोर्ट यह है कि यह एजीटेशन गलत है। असल में कुछ रोज पहले यहां चकबन्दी चल रही थी। एक शख्स ने कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत की थी उसका यह नतीजा हुआ।

श्री मदन पांडेय—क्या यह सही है कि यह जांच किसी गजटेड अफसर के द्वारा नहीं बल्कि पिपराइच थाने के दरोगा ने की है और यह वही दरोगा हैं जो इस मामले में गवाह थे या होने वाले थे, उनके ऊपर १०७ चलाकर बन्द कर दिया?

श्री चरणसिंह—शिकायत तो १०७ की जून में हो चुकी थी। शिब्बन लाल सक्सेना मौके पर गये हैं २३ तारीख को। २५ तारीख को शिकायत हुई। उसमें उन्होंने कानूनगो का नाम रखा जो उस दिन वहां थे ही नहीं, किसी और जगह चकबन्दी की ड्यूटी पर गये हुए थे। जून में वह शिकायत कर चुके थे और १०७ की कार्यवाही उसकी बिना पर हुई होगी। इसीलिये मैंने कहा कि शिकायत की जांच गालिबन किसी गजटेड अफसर ने की।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—श्रीमन्, प्रश्न के अन्तिम भाग में कहा गया है कि सरकार पूर्ण विवरण सदन के समक्ष रखे तो क्या सरकार ने जो पूर्ण विवरण मंगाया है उसमें यह सूचना नहीं है कि जांच किस अधिकारी ने की ?

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, पूरी रिपोर्ट तो आयी हुई है और उस में यह हो भी सकता है, लेकिन किसी मिनिस्टर के लिये, कम से कम मेरे लिये, यह असंभव है कि हर तफसील को पहले से, यह सोच कर कि इस पर जिरह होगी, याद रखूं।

श्री मदन पाडेय---श्रीमन्, उस घटना के बाद मैं स्वयं उस गांव में गया था और जिस व्यक्ति से झंडा लेकर फाड़ा गया था उसके बयानात भी लिये। तो क्या इस बात को देखते हुए मंत्री जी किसी और उच्चाधिकारी से जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री चरणसिंह---माननीय मित्र चूंकि अपनी निजी जानकारी के आधार पर कह रहे हैं, उसके सिलसिले में और कुछ कहना मेरे लिये परेशानी की बात होगी, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया आपस में १--२ आदमियों में झगड़ा हो गया था जिसका कांसोलिडेटर से कोई वास्ता नहीं था। अगर माननीय मित्र को यकीन है और वे मुझे यह लिख कर दें कि उनको इसकी मारल सरटेनटी है तो मैं फिर उसकी इंक्वायरी करा लूंगा।

(श्री अमरनाथ का नाम पुकारा गया)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, अभी माननीय गृह मन्त्री जी ने यह फरमाया कि पूरक प्रश्नों के हर प्रकार के उत्तर और उनके शब्दों में जिरह के लिये वे तैयार हो कर नहीं आ सकते। लेकिन हमारा यह वैधानिक अधिकार है और माननीय मंत्री जी का कर्तव्य है कि वे हमारे पूरक प्रश्नों का उत्तर देने के लिये तैयार होकर आयें। हो सकता है कि बहुत छोटी डिटेल उन्हें याद न रहे, लेकिन यह कि यह जांच किस अधिकारी ने की, यह कोई ऐसी डिटेल नहीं है जिसका उत्तर न दिया जा सके। अतः श्रीमन्, इस पर अपनी रूलिंग देने की कृपा करेंगे ताकि भविष्य के लिये यह कन्वेंशन न हो जाय और अन्य मन्त्री महोदय भी यह कह कर पूरक प्रश्नों को न टाल दें कि जिरह के लिये तैयार होकर नहीं आये।

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि मन्त्री जी क्या उत्तर दें, इसके लिये मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अगर उनको कोई बात मालूम नहीं होती तो वे सूचना मांग लेते हैं। दूसरी बात यह है कि जब अल्पसूचित तारांकित प्रश्न होते हैं तो उनके सिलसिले में दुनिया भर का ब्योरा, जिस प्रकार का तारांकित प्रश्नों में पूछा जाता है, नहीं दिया जा सकता। अगर इस प्रकार का ब्यौरा वे नहीं दे सकते हैं तो मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता। वे यह उत्तर दे सकते हैं कि हमें इसके लिये सूचना चाहिये और इस समय हमें यह मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको दूसरी तरह से पुट कर दिया। उन्होंने जो जनरलाइजेशन किया, उसकी आवश्यकता नहीं थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में नाम होगा। तो सूचना तो उनको है, लेकिन उसके लिये उन्होंने कहा कि वे तैयार नहीं हैं और ऐसा उनके लिये जरूरी भी नहीं। लेकिन हमारा यह कहना है कि उनको मुख्य-मुख्य प्रश्नों के लिये तैयार होकर आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने कहा कि 'होगा' न कि 'है'।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---यह तो मैं मान सकता हूं कि अल्प-सूचित तारांकित प्रश्नों के सम्बन्ध में पूरा विवरण नहीं मिल सकता, लेकिन मन्त्री जी को यह उत्तर देना चाहिये था कि पूर्ण विवरण नहीं मिल सका। लेकिन मन्त्री जी ने कहा कि पूर्ण विवरण आ तो गया है और शायद उसमें यह बात होगी भी कि किस अधिकारी ने जांच की, लेकिन मैं उसे पढ़ कर और तैयार हो कर नहीं आया हूं, तो क्या इस सम्बन्ध में आप मन्त्री महोदय को यह सुझाव नहीं दे सकते कि जब उनके पास पूरा विवरण आ जाया करे तो उसको पढ़ कर आया करें?

श्री अध्यक्ष—मैं किसी को यह हिदायत कैसे दे सकता हूं कि वह हर चीज के लिये तैयार हो कर आया करें। जब वे 'गालिबन' कह रहे हैं तो फिर कैसे मैं उनकी याददाश्त पर जोर दे सकता हूं। लेकिन उनका यह जवाब कि "हर तरह के पूरक प्रश्नों के लिये मेरे लिये और किसी मन्त्री के लिये यह संभव नहीं हो सकता कि वह तैयार होकर आ सकें", पार्लियामेंटरी पद्धति के हिसाब से उचित नहीं है। उनका उत्तर केवल यह होना चाहिये था कि सूचना की आवश्यकता है। इस प्रकार का उत्तर देने के कारण और अनेक प्रश्न पैदा हो जाते हैं।

श्री गौरीशंकर राय—अगर इस मामले की जांच किसी थानेदार ने ही की है, तो चूंकि एक पोलीटिकल पार्टी का झंडा फाड़ डाला गया है और उस पार्टी के एक कार्यकर्त्ता की बेइज्जती का सवाल है, क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच थानेदार से ऊपर के किसी गजटेड अफसर से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—जी, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं।

हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट के कुछ विद्यार्थियों का परीक्षा-फल रोकना

***७—**श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट बोर्ड की १९६१ की हाई स्कूल तथा इंटर की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले कितने विद्यार्थियों का रिजल्ट निकलने से रोक दिया गया है, तथा क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—इंटरमीडिएट परीक्षा के १,४३४ तथा हाई स्कूल के ३,३६७ विद्यार्थियों के परीक्षा-फल विभिन्न कारणों से रोक दिये गये थे जिनका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८७ पर।)

***८—**श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त रिजल्ट कब तक प्रकाशित कर दिये जायेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—ज्यों-ज्यों जांच पूरी होती जा रही है परीक्षा-फल घोषित किये जा रहे हैं अथवा निर्णय लिया जा रहा है। आशा है कि इन पर निर्णय अक्तूबर मास के अन्त तक सम्भव हो सकेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक लिये गये निर्णय के आधार पर कितने लोगों के परीक्षा-फल घोषित किये जा चुके हैं अथवा अन्य प्रकार के निर्णय लिये जा चुके हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, इंटरमीडिएट के ५२ और हाई स्कूल के १७६ विद्यार्थियो के परीक्षा-फल घोषित किये जा चुके हैं। ६ केन्द्रों की जांच समाप्त हो चुकी है और परीक्षा समिति अपनी सिफारिशें अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पास भेज चुकी है। २१ केन्द्रों की जांच हो गई है, उनके बारे में सम्भवतः श्रीमन्, आज ही बैठक है और वे निर्णय लेकर अपनी सिफारिशें अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पास भेज देंगे। इस सम्बन्ध में हमारा यह प्रयत्न है कि पहले इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के बारे में ही निर्णय लिया जाय क्योंकि अगर वे सफल घोषित होते हैं तो उनको विश्वविद्यालय में दाखिला लेना पड़ता है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—गत तीन-चार वर्षों से इसी परीक्षा फल के घोषित होने में विलम्ब होता रहा है, तो क्या माननीय मन्त्री जी सरकार की ओर से बोर्ड को इस तरह का निर्देश देंगे कि उसके जो रेगुलेशन्स बने हुए हैं उनमें सुधार के लिये कोई इस तरह का सुझाव आ जाय जिससे भविष्य में परीक्षा-फल घोषित करने में आसानी हो ?

श्री रामस्वरूप यादव——श्रीमन्, माध्यमिक शिक्षा परिषद् को शासन की ओर से तो यह लिख ही दिया गया है, लेकिन उनकी एक कठिनाई है। कठिनाई का कारण यह है कि अभी कुछ वर्ष पीछे और अभी भी अदालतों में कई मुकदमे इस विषय में गये, जिनके बारे में कान्स्टीट्यूशन की दृष्टि से बहुत से काम होने जरूरी हैं, जवाब लेना जरूरी है, उसके लिये विद्यार्थियों को चार्जशीट देना जरूरी है, इसकी जांच करना जरूरी है, इस वजह से अक्सर अड़चन पड़ती है, जिसकी वजह से देर हो जाया करती है। इसके अलावा श्रीमन्, हमारे पास जिला स्तर पर इतने अफसर भी नहीं हैं जो इन शिकायतों की जांच साहसपूर्वक कर सकें। यह भी सम्भव हो सकता है कि जिले के आफिसर उतनी जिम्मेदारी से वह रिपोर्ट बोर्ड को न कर सकें, लिहाजा समिति चारों तरफ स्वयं जा रही है और यह कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी उनका फैसला कर दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी——क्या माननीय मन्त्री जी इस प्रकार का कोई आदेश देने की कृपा करेंगे कि जिन विद्यार्थियों के पक्ष में यह निर्णय हो जाय कि उनका कोई दोष नहीं है, तथा उनका परीक्षा-फल घोषित कर दिया जाय, तो इंटरमीडिएट करने पर उनकी भर्ती बी० ए० में कर ली जाय जिससे उनका साल बर्बाद न हो सके?

श्री रामस्वरूप यादव——जहां तक उनके दाखिले का प्रश्न है, उसके लिये पहले ही से है कि उनका परसेंटेज न गिर जाय, लेकिन क्या आदेश दिया जाय जिससे कि परीक्षाफल घोषित होने पर उनका दाखिला विद्यालयों में हो जाय, इसके लिये तो निर्णय का अधिकार विद्यालय के प्रबन्धकों पर ही छोड़ना पड़ेगा। ऐसे जहां तक हो परसेंटेज न गिरे इसके लिये इंटरमीडिएट ऐक्ट में नियम बने हुए हैं और परीक्षा-फल घोषित होने पर विश्वविद्यालय उनका दाखिला कर लेते हैं।

श्री गौरीशंकर राय——श्रीमन्, जिस तरह से विश्वविद्यालयों में एडमिशन की निश्चित तिथि है इसी तरह से इंटरमीडिएट कालेजेज में भी जब विद्यार्थी एडमिशन पा लेंगे तब परसटेज का सवाल होगा, लेकिन जो विद्यार्थी परीक्षा-फल का फैसला न होने की वजह से निश्चित तिथि के पहले निर्दोष होने के बावजूद भी एडमिशन न पा सकेंगे उनके लिये सरकार क्या सुविधा और प्रयत्न करने की बात सोच रही है कि उन का वर्ष बरबाद न हो?

श्री रामस्वरूप यादव——मैंने अभी निवेदन किया कि विश्वविद्यालयों में भी उन के ऐसे स्टेचूट्स हैं कि जिन का परीक्षा-फल किन्हीं कारणों से रुक जाय उनके दाखिले पर बाद में विचार हो सकता है, बाकी यह बात दूसरी है कि किसी कक्षा में बाद में दाखिले की गुंजायश ही न हो।

श्री मोतीलाल अवस्थी——क्या सरकार को मालूम है कि जिन विद्यार्थियों का परीक्षा-फल रोका गया है उन के लिये यह भी नियम रखा गया है कि वह अगले वर्ष भी अपना प्रवेश-पत्र भर सकते हैं और फीस जमा कर के बैठ सकते हैं, लेकिन अगर वह उत्तीर्ण निकले तो क्या सरकार उनकी फीस वापस करेगी?

श्री रामस्वरूप यादव——यह तो अपने रिस्क पर रुपया जमा करते हैं। सरकार के सामने फीस वापस करने का सवाल नहीं है। अगर वह पास हो गये तब तो वह इस्तेमाल हो गई और अगर उन की गलत कार्यवाही की वजह से फैसला हुआ तो फिर वापसी का सवाल ही क्या है।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)——श्रीमन्, मैं आप की व्यवस्था चाहूंगा कि आप ने प्रश्न ६ के बारे में मेरा नाम पुकारा था, लेकिन मैं यह नहीं समझा कि श्री नारायणदत्त जी के प्वाइंट आफ आर्डर के बाद आप ने मुझे मौका क्यों नहीं दिया? इसका कारण क्या है?

श्री अध्यक्ष——मेरी नजर आप पर नहीं पड़ी होगी, हिमाग दूसरी तर चल [illegible] संभवतः मेरी गलती हो गई।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१–३––श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)––[२९ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४–६––श्री नारायणदत्त तिवारी––[५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

दारुल उलूम देवबन्द के विद्यार्थियों में पचमांगी

*७––कुंवर श्रीपालसिंह––क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसका ध्यान लखनऊ से प्रकाशित होने वाले 'तरुण भारत' नामी दैनिक पत्र के २७ जुलाई, १९६१ के अंक में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है कि सहारनपुर में एक सरकारी सहायता प्राप्त संस्था, पाकिस्तानी पंचमांगियों का गढ़ बन रही है ? यदि हां, तो क्या यह संस्था 'दारुल उलूम' देवबन्द की है ? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव––सरकार का ध्यान तरुण भारत के २७ जुलाई, १९६१ के अंक में प्रकाशित समाचार की ओर गया है । सरकार के पास जो सूचना उपलब्ध है उससे यह प्रतीत नहीं होता है कि कोई ऐसी संस्था पाकिस्तानी पंचमांगियों का गढ़ बन गई है ।

कुंवर श्रीपालसिंह––क्या यह सत्य है कि दारुलउलूम, देवबन्द में पढ़ने वाले कुछ पाकिस्तानी विद्यार्थी भी हैं, जिनके पास कोई पासपोर्ट नहीं था, लेकिन अब उनको आसाम का रहने वाला घोषित किया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह––एक विद्यार्थी जो कि इस देश का नहीं था और गलतबयानी की बिना पर वहां दाखिल हो गया था, उस पर मुकदमा चला और वह कनविक्ट हुआ और ४ लड़कों पर और मुकदमा चल रहा है । इसके अलावा इस बात का शक है कि कुछ और भी वहां ऐसे हों लेकिन उन के मुताल्लिक यह वसूक के साथ नहीं कहा जा सकता कि वह पाकिस्तानी हैं या नहीं ।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)––क्या यह सही है कि इस मामले की जांच भारत सरकार का खुफिया विभाग कर रहा है ?

श्री चरणसिंह––मुझे इसका कोई इल्म नहीं है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा––क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लड़कों ने गलत नाम या प्रदेश लिखाया था उन के ऊपर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, उन्हें गिरफतार किया गया या नहीं ?

श्री चरणसिंह––२ को तो गिरफतार किया गया, बाकी के मुताल्लिक नोटिस चाहिये, ४ पर मुकदमा चल रहा है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल––मंत्री जी के उत्तर से मालूम पड़ता है कि इस संस्था में ऐसे भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है और उनका दाखिला हो जाता है, तो क्या सरकार इस संस्था को हिदायत करेगी कि जो विद्यार्थी दाखिल हों उन का वह पासपोर्ट देख लिया करे ?

श्री चरणसिंह––जब विद्यार्थी दाखिल होने के लिये दारुल उलूम में आते हैं तो वहां के अध्यापकों का या मैनेजर आदि का फर्ज है कि वह इस बात की जांच करें कि अपने देश का है या परदेश का है और परदेश का है तो प्रापर ट्रेवलिंग डाक्यूमेंट्स उसके पास है या नहीं पुलिस या गवर्नमेंट के नोटिस में जब आता है कि कानून की खिलाफवर्जी की है तो वह कार्यवाही करती है। ।

श्री झारखंडे राय---क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि दारुल उलूम, जो देवबन्द की संस्था है, सर्वदा से राष्ट्रीय आन्दोलन में अग्रणी रहा है और इसके प्रबन्धक, संचालक आदि लोग कौमी आन्दोलन में आगे रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---वह आगे रहे हैं या पीछे रहे हैं, यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ लोगों ने राष्ट्रीय आन्दोलन में हिस्सा लिया था ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि आजकल इस पाठशाला में, जैसे कुछ आसाम के हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चीन की तारीफ किया करते हैं ?

श्री चरणसिंह---ऐसे तो असेम्बली में भी कुछ लोग मौजूद हैं । (हंसी)

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी को मालूम है कि इस सदन में और मंत्रिमंडल में भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं अमेरिका की और उसकी विशेष व्यवस्था की ?

(हंसी---कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री गौरीशंकर राय---जब किसी विद्यालय में कोई एडमीशन होता है तो विद्यार्थी के व्हेयरएबाउट्स--गांव का नाम, पता, बाप का नाम वगैरह लिखा जाता है, तो इस बात को देखते हुये क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस इंस्टीट्यूशन के रेकार्ड में उन पांच विद्यार्थियों के, जिन पर कि मुकदमा चल रहा है, व्हेयरएबाउट्स में क्या लिखा है, कहां के आदमी लिखे हैं ?

श्री चरणसिंह---नोटिस की आवश्यकता है ।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या मंत्री जी को इस बात की इत्तला है कि उसी संस्था के कुछ राष्ट्रीय मुस्लिम छात्रों में कांग्रेसी, एम० पी० मौलाना हिफजुर्रहमान को ४--७--६१ को एक आवेदन-पत्र दिया था इस बात को कहते हुये कि इस संस्था के अन्दर पाकिस्तानी पंचमांगियों का गढ़ बन रहा है ?

श्री चरणसिंह---नोटिस की आवश्यकता है ।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या मंत्री जी को इस बात की इत्तला है कि इस संस्था के एक फजलुल हसन, अध्यापक हैं जो इस प्रकार की अवांछनीय गतिविधियों के केन्द्र हैं ?

श्री चरणसिंह---नोटिस की आवश्यकता है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

शहरों में गुंडा व बदमाशों को दबाने के लिये योजना

*१---**श्री झारखंडेराय**---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गुंडों और बदमाशों के आतंकपूर्ण कार्यों की बढ़ती की चिन्ताजनक स्थिति की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव---गुंडों और बदमाशों के कार्य की ओर सरकार का ध्यान बराबर रहता है और इसे रोकने के लिये आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाती है ।

*२---**श्री झारखंडेराय**---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के पुलिस प्रशासन ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बदमाशों और गुंडों के आतंक को समाप्त करने के लिये कोई योजना बनाई है अथवा उसके विचाराधीन है ?

*३---यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव--ग्रामीण क्षेत्र के लिये तो कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है, परन्तु यह आदेश अवश्य दिये गये हैं कि गजटेड अधिकारी अपने दौरे के समय इस समस्या की ओर विशेष ध्यान दें और परिस्थिति के अनुकूल कार्यवाही करें। आई० जी० पी० द्वारा शहरी क्षेत्र के लिये बनाई गई योजना की रूप रेखा संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८८ पर)

श्री झारखंडेराय--मंत्री जी बतायेंगे कि सूचना के पहले हिस्से में जो जवाब दिया गया है कि कुछ शहरों में गुंडा विरोधी दल स्थापित किये गये हैं जो हमेशा दौरा करते हैं, इससे यह मालूम होता है कि जो मौजूदा पुलिस फोर्स है उसके ऊपर यह कार्यभार भी है। अतः मंत्री जी उनके पहले के कार्यभार को देखते हुये, जिसके अन्दर वह दबे रहते हैं, इसके लिये एडीशनल फोर्स बनाने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह--सरकार पुलिस फोर्स की स्ट्रैन्थ बढ़ाने के आम प्रश्न पर विचार कर ही रही है।

श्री झारखंडेराय--क्या प्रान्तीय सरकार के सामने किसी भी स्टेज पर यह बा विचाराधीन रही है कि जो गुंडा-विरोधी अभियान सरकार चला रही है, किन्हीं शहरों में ही सही, और जो इस प्रकार की घटनायें बढ़ती जा रही हैं शहरों में इनमें गुंडों के खिलाफ या डाउटफुल लोगों के खिलाफ डिटेन्शन ऐक्ट का कानून लागू किया जाय ?

श्री चरणसिंह--अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस प्रश्न पर विचार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी बशर्ते कि माननीय झारखंडे राय जी जो आज हैं वह वही रहें अगर हम ऐसा अमेंडमेंट लायें।

श्री गोविन्दसिंहबिष्ट--गृह मंत्री जी को ज्ञात है कि जो गुंडा दल पुलिस का बनाया है वह हाथ में बिल्ला लगा कर चलता है जिसकी वजह से गुंडे उनके सामने से टल जाते हैं और उनके चले जाने पर फिर अपनी हरकतें शुरू करते हैं, इसलिये मंत्री जी इस दल के लोगों को प्लेन क्लोद्स में भेजने पर विचार करेंगे ?

श्री चरणसिंह--कुछ बिल्ले वाले रहते हैं और कुछ प्लेन क्लोद्स में भी रहते हैं। जो बात माननीय मित्र ने कही कि बिल्ला लगा हुआ देख कर गुंडे पहले से ही आगाह हो जाते हैं, इस पर हमने आई० जी० को लिखा है और वह विचार कर रहे हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--मंत्री जी ने जो गुंडा दल बनाया है वह गुंडा पुलिस वालों का दल है या गुंडों का दमन करने वाला दल है ?

श्री चरणसिंह--माननीय मित्र समझते हैं कि इस सवाल का क्या जवाब होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी--उत्तर में कहा गया कि यह दल या यह कार्य अभी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं किया जा रहा है, तो क्या इसलिये नहीं किया जा रहा है कि गुंडों का आतंक देहातों में कम समझा जा रहा है या वहां के लिये सरकार के पास अभी व्यवस्था नहीं है ?

श्री चरणसिंह--गांवों की आबादी को देखते हुये गुंडे देहातों में उतने नहीं हैं जितने शहरों में हो गये हैं। दूसरे, पुलिस फोर्स इतना नहीं है कि कानपुर, लखनऊ आदि की भांति देहातों में भी काम किया जा सके। तीसरे यह कि रेडियो वगैरह की जो सुविधा शहर में हो सकती है वह देहात में हासिल नहीं है।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार की तरफ से कोई आदेश ऐसा निकाला गया है जिससे देहाती क्षेत्रों में गुंडों के नाम थानों में लिखे जा रहे हैं ?

श्री चरणसिंह--जी हां, क्या माननीय मित्र को इसमें कोई एतराज है ?

श्री अध्यक्ष---आप प्रश्न थोड़े ही पूछ सकते हैं अन्यथा आपको इधर मेरे बाईं ओर बैठना पड़ेगा । (हंसी)

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---प्रदेश में देहाती क्षेत्रों में जो गुंडे बढ़ रहे हैं इसका सर्वे कोई मंत्री जी ने कराया है ? यदि हां, तो किस अनुपात में पिछले १० सालों से गुंडे बढ़ रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---कोई सर्वे नहीं कराया है ।

कानपुर में अपराधों में बढ़ती

*४---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय सरकार ने अभी हाल ही में जुर्मों के जो आंकड़ें प्रकाशित किये हैं उनके अनुसार हिन्दुस्तान के तमाम शहरों की अपेक्षा कानपुर में जुर्मों की संख्या बहुत ज्यादा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित 'Crime in India' पुस्तक राज्य सरकार की नोटिस में है जिसमें १९५९ के जुर्मों के आंकड़े हैं । कानपुर में जुर्मों की संख्या कलकत्ते को छोड़ कर देश के अन्य बड़े शहरों से कम है ।

*५---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार को पता है कि वहां पर आये दिन कत्ल व खून होते रहते हैं और अभी हाल ही में वहां गुमटी नं० ५ पर एक व्यक्ति पर उसके घातकों ने कई फायर किये व जिस ट्रक से वह उसका पीछा कर रहे थे उससे उसे बुरी तरह कुचल कर मार डाला था ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह कहना सही नहीं है कि कानपुर में आये दिन कत्ल होते रहते हैं । दिनांक १४-३-६१ को गुमटी नं० ५ पर हत्या की घटना अवश्य हुई थी जिसमें एक व्यक्ति पर देशी पिस्तौल से फायर किया गया और ट्रक से कुचल कर मार दिया गया ।

*६---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार को पता है कि अभी हाल में एक प्रोफेसर के लड़के को वहां सरसैया घाट पर गंगाजी में डुबा दिये जाने से कुछ लोगों द्वारा बचाये जाने पर एक कम्पाउन्डर को उसका उपचार करने तथा उसको अस्पताल ले जाने से एक कांस्टेबिल ने रोक दिया था जिसके परिणामस्वरूप उसकी वहीं मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---दिनांक १०-३-६१ को दोपहर में जी० एन० के० कालेज के एक प्रोफेसर का लड़का जो अन्य लड़कों के साथ गंगा में नहा रहा था, नदी की धार में बह गया । शोर होने पर रिवर पुलिस का एक सिपाही व और लोग वहां जा पहुंचे तथा लाश को तलाश करने की कोशिश की । करीब आधे घंटे के बाद लाश दिखाई दी और उसे पानी से निकाला गया । किसी कांस्टेबिल द्वारा उपचार करने या अस्पताल ले जाने में रुकावट का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उस लड़के की मृत्यु पानी में डूबने के कारण पहिले ही हो चुकी थी । Rescue operations में सतर्कता से भाग न लेने के कारण ३ कांस्टेबिलों को मुअत्तल कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी कानपुर में सन् १९५९ में होने वाले कत्ल व अन्य जुर्मों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह---कानपुर में सन् १९५८ में १८२८ जुर्म हुये थे और सन् १९५९ में २११० हुये थे ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार को पता है कि कानपुर में कत्ल व जुर्मों की संख्या बढ़ जाने के सम्बन्ध में वहां के कारपोरेशन ने २६ मार्च, १९६१ को एक प्रस्ताव द्वारा सरकार

का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था ? यदि हां, तो सरकार ने उसके ऊपर क्या नोटिस लिया ?

श्री चरणसिंह—कोई इस तरह का प्रस्ताव हुआ या नहीं, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—सरकार का अगर यह कहना है कि जुर्मों की संख्या इसलिये बढ़ रही है कि अब रिपोर्ट्स सही-सही लिखी जा रही हैं तो क्या सरकार पहले सही रिपोर्ट्स न लिखने वाले जो कर्मचारी थे उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष—अब यह तो बड़ा गोल सा सवाल है । पहले वाले कर्मचारी कौन थे, वे कहां हैं, यह सब पता लगाना तो बड़ा मुश्किल है ।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब कि अस्पताल ले जाने में सिपाही की दस्तअन्दाजी के कारण देरी हुई तो बजाय मैन स्लाटर का जुर्म लगाने के उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने का क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह—मैंने तो जवाब यह दिया था कि उसने कोई दस्तअन्दाजी नहीं की । अस्पताल आदि ले जाने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि जब वह लाश नदी से निकाली गई तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी ।

श्री गौरीशंकर राय—आज सरकार का कहना है कि अब रिपोर्ट ज्यादा लिखी जाती है पहले कम लिखी जाती थीं और है भी ऐसी बात, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कत्ल के सिलसिले में भी पहले रिपोर्ट कम लिखी जाती थीं और अब सब की सब लिखी जाती हैं, ऐसा फैक्ट है ?

श्री चरणसिंह—रिपोर्ट्स पहले भी सही लिखी जाती थीं, अब ज्यादा सही लिखी जाती हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या २० जुलाई, १९६१ के पुलिस गजट के खंड ४ की तरफ मंत्री जी का ध्यान गया है कि जिसमें उत्तर प्रदेश में खीरी जिला सब से टाप कर रहा है अपराधों में ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में कौन सा कदम उठाने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—यह खीरी के बारे में तो प्रश्न नहीं है ?

श्री शिवप्रसाद नागर—यह हिन्दुस्तान भर की बात है और खीरी उसमें आ जाता है

श्री अध्यक्ष—वह ठीक है, लेकिन यह प्रश्न कानपुर के बारे में पूछा था ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कत्ल के सिलसिले में यही फैक्ट है कि वे पहले सही लिखे जाते थे और अब ज्यादा सही लिखे जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने कह दिया है और वह इसके बारे में भी हैं ।

श्री गौरी शंकरराय—कत्ल के बारे में भी ?

श्री अध्यक्ष—सब के बारे में ।

[२२ अगस्त, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

पाखंड उन्मूलन समिति, हापुड़ का ब्रह्मकुमारियों के विरुद्ध आन्दोलन

*१—श्री झारखंडेराय, श्री मदन पांडेय तथा श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ है कि इस प्रदेश के अनेक स्थान एवं नगरों में 'ब्रह्मकुमारियों का कार्य बढता जा रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रदेश के ८ नगरों में 'ब्रह्म कुमारियों' के केन्द्र होने की सूचना सरकार को मिली है।

*२---**श्री झारखंडेराय, श्री मदनपांडेय तथा श्री होरीलाल यादव**---क्या सरकार को ज्ञात है कि हापुड़ (जिला मेरठ) में इन 'ब्रह्मकुमारियों' के कार्य-कलाप के विरुद्ध प्रायः १ सप्ताह से प्रदर्शन तथा धरना व आंदोलन जनता की ओर से चल रहा है?

श्री रामस्वरूप यादव---दिनांक १७-५-६१ से 'पाखंड उन्मूलन समिति' के सदस्यों द्वारा आन्दोलन चल रहा है।

*३---**श्री झारखंडेराय, श्री मदन पांडेय तथा श्री होरीलाल यादव**---यदि हां, तो सरकार इस 'ब्रह्मकुमारी' आंदोलन के पाखंड उन्मूलन हेतु क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री रामस्वरूप यादव---ब्रह्मकुमारियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता, जब तक कि उनके द्वारा की गई कार्यवाही कानून की परिधि में न आए।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश के कौन कौन नगर हैं जहां पर इनके आठ सेंटर्स हैं और वहां पर किस तरह का कार्य-कलाप यह ब्रह्म कुमारियां करती हैं?

श्री चरणसिंह---हरिद्वार, सहारनपुर, मेरठ, हापुड़, लखनऊ, कानपुर, मिर्जापुर औ आठवां शायद इलाहाबाद।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह लोग किस तरह के कार्य-कलाप (एक्टीविटीज) करते हैं?

श्री चरणसिंह---अपना सत्संग करते हैं जिस तरह से और मतावलम्बी करते हैं और जो ब्रह्मकुमारियां हैं वह महिलाओं को समझाती हैं कि इससे शान्ति मिलती है। अपना इनका प्रचार है और सत्संग है।

श्री मदन पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ब्रह्मकुमारी आन्दोलन क प्रवर्तकों की तरफ से और पाखंड उन्मूलन समिति की तरफ से परस्पर विरोधी रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या वे उनकी मुख्य-मुख्य बातें सदन के सामने रखेंगे?

श्री चरणसिंह---दोनों की ओर से आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं और दोनों की ओर से मुझ को और मुख्य मंत्री जी को अपनी-अपनी बातें सुनाई गई हैं। अब यह कि आवेदन-पत्र सदन के सामने रखे जायं इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं कोई फायदा भी नहीं समझता हूं।

श्री होरीलाल यादव---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हापुड़ में जो आन्दोलन चला तो पाखंड उन्मूलन समिति की क्या-क्या मांगें थीं जिससे आन्दोलन चला?

श्री चरणसिंह---वह तो यह चाहते हैं कि ब्रह्मकुमारियों का केन्द्र हापुड़ में बन्द कर दिया जाय।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ब्रह्मकुमारी आन्दोलन कोई राजनीतिक संस्था है या धार्मिक है या सामाजिक है और इसकी क्या रूपरेखा है? इसको क्या वह सदन को बतायेंगे?

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, यह राजनीतिक संस्था नहीं है। धार्मिक ह और जो धार्मिक संस्था होती है वह सामाजिक भी होती है। यदि श्रीमन्, इजाजत दें तो दो फिकरे और कह दूं। १९३७ में दादा लेखराज ने हदराबाद (सिंध) में इसको कायम किया। कुछ दिनों के बाद यह कराची ट्रांसफर हो गया और ओ३म् मंडली के नाम से विख्यात है। उसको

सिंध गवर्नमेंट ने अवैध घोषित कर दिया। देश के विभाजन के बाद इसका हैड क्वार्टर माउन्ट आबू में हो गया और वहां से यह संचालित किया जाता है। इसके ३५ केन्द्र हैं जिनमें से आठ केन्द्र उत्तर प्रदेश में हैं। उनके काम की रूपरेखा वैसी ही है जैसी कि रिलीजस मूवमेंट की होती है।

उन्नाव मार्ग पर बस पर ढेला फेकने वाले को दंड

*४—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—गृहमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या २८ अप्रैल, १९५८ को रोडवेज बस नं० ७२३४ पर मौरावां (उन्नाव) जाते समय किसी डाकू ने हमला करके लूटने का प्रयास किया था?

*५—यदि हां, तो क्या गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बस कन्डक्टर ने सफर कर रहे मुसाफ़िरों की सहायता से डाकू का सामना किया और रिवाल्वर सहित डाकू को पकड़ कर मौरावां थाने के सुपुर्द कर के रिपोर्ट लिखायी?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। दिनांक २८-४-५८ को बस नं० ७२३४ पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी परन्तु बस नं० ७२३५ पर ढेला फेंके जाने की घटना इस तारीख पर हुई थी। ढेला फेंकने पर ड्राइवर ने बस को रोका। कंडक्टर व मुसाफिरों ने भागते हुये दो आदमियों में से एक को पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति के पास से एक देशी पिस्तौल बरामद हुई जिसकी रिपोर्ट थाने पर की गई। जांच के पश्चात् इस व्यक्ति का चालान धारा १९ आर्म्स ऐक्ट में किया गया और न्यायालय से उसको १ साल सख्त कैद की सजा हुई।

सीतापर जिले में 'पलेवा' सिचाई में अधिक रुपये की वसूली

*६—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—विधान सभा के दिनांक २१ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५ के लिखित तथा पूरक उत्तर के क्रम में क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में पलेवा के हेतु जो सिंचाई की रकम सन् १९५३ से अधिक वसूल की गई और जिसे वापस किये जाने के आदेश भी दिये जा रहे हैं यह कुल कितनी धनराशि दिनांक ३० अप्रैल, १९६१ तक वापस की जा चुकी है? यदि अभी तक कुछ भी धनराशि वापस नहीं की गई है तो कब तक और किस प्रकार वापस की जायेगी?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)—सीतापुर जिले में सन् १९५३ से जो अधिक धनराशि पलेवा सींच की ली गई है उसमें से ३० अप्रैल, १९६१ तक कुछ भी वापस नहीं की जा सकी थी। इस धनराशि की वापिसी के नक्शे ३० जून, १९६१ को तहसीलों में भेजे जा चुके हैं और कृषकों को पर्चे भी बांट दिये गये हैं अब वे किसी भी दिन सम्बन्धित तहसीलों से अपना रुपया प्राप्त कर सकते हैं।

दारुलशफा, विधायक निवास, में चोरियां

*७—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ के दारुलशफा के बी ब्लाक व ए ब्लाक में सन् १९६० व १९६१ ई० में कितनी चोरियां हुई हैं?

श्री चरणसिंह—दारुलशफा के ए व बी ब्लाक में सन् १९६० में क्रमशः १० व ७ तथा सन् १९६१ में ५ व ४ चोरियां हुईं।

लखनऊ जिले में ट्रक दुर्घटनाओं से हताहत

*८—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६० में लखनऊ जिले में ट्रकों द्वारा दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मरे व घायल हुये थे?

नोट—तारांकित प्रश्न ३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चरणसिंह---सन् १९६० में लखनऊ जिले में ट्रकों द्वारा दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप २२ व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा ७४ घायल हुए।

*९---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हर एक जिले में ट्रकों से रोजाना होने वाली उक्त दुर्घटनाओं के रोकने के लिये वह क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री चरणसिंह---घटनाओं को रोकने के लिए ट्रकों की तीव्र गति पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं तथा उनको सावधानी से चलाने की हिदायत की गयी है। समय-समय पर आर० टी० ओ० तथा पुलिस द्वारा गति की चेकिंग होती रहती है और निर्धारित गति से अधिक तेज चलाने वालों का चालान किया जाता है। जहां यातायात अधिक है वहां ट्रैफिक पुलिस का प्रबन्ध है जो गाड़ियों के आवागमन पर नियंत्रण रखते हैं तथा जनता को भी बायें ओर चलने के लिये सचेत करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थानों पर सूचना-पट भी लगाये गये हैं जिन्हें देख कर ट्रक चालक सावधान हो कर गति कम कर देते हैं। ऐसी सड़कों पर जहां यातायात अधिक है वहां एक-तरफा यातायात की व्यवस्था की गयी है।

*१०---श्री लक्ष्मणराव कदम---[५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

नहरें व नलकूप

*११---श्री गोविन्दसिंह विष्ट तथा श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---क्या सरकार प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान में विभिन्न जिलों में जो नहरें बनीं व ट्यूबवेल लगे उनकी जिलेवार लिस्ट तथा उनके प्रथम एस्टीमेट व बनने के सही मूल्यों की लिस्ट की एक कापी सदन की मेज पर रक्खेगी और बतायेगी कि इनसे कितनी भूमि में सिंचाई होती है?

श्री राममूर्ति---वांछित सूचना एकत्रित करने में जो धन, श्रम तथा समय लगेगा वह उसकी उपयोगिता के अनुरूप न होगा।

*१२---श्री गनेशचन्द्र काछी---[५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*१३---श्री गोविन्दसिंह विष्ट---[हटा दिया गया।]

देहरादून के 'ननकू कान्ड' से संबंधित पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*१४---श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून के प्रसिद्ध "ननकू कांड" के सम्बन्ध में किन-किन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध जांच की गई तथा उसमें क्या कार्यवाही अब तक हुई है?

श्री चरणसिंह---इस घटना की जांच सी० आई० डी० द्वारा करायी गयी। पर्याप्त सबत न होने के कारण मुकदमा अदालत में न भेजा जा सका। अब दो सब-इन्सपेक्टर, दो हेड कान्सटेबिल व एक कान्सटेबिल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाई की जा रही है। यह सब पुलिस अधिकारी मुअत्तल हैं।

जालौन जिले में हिस्ट्रीशीटर्स

*१५---श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४८ ई० से अब तक जिला जालौन में कुल कितने व्यक्तियों की हिस्ट्रीशीट खोली गयी तथा कितने व्यक्तियों की खुली हुयी हिस्ट्रीशीट बन्द की गयी?

श्री चरणसिंह---सन् १९४८ से ३१ जुलाई, १९६१ तक ११०३ व्यक्तियों की हिस्ट्रीशीट खोली गयी तथा ६६९ व्यक्तियों की हिस्ट्रीशीट बन्द की गयी।

कृषि विभाग के अस्थायी कर्मचारी

*१६--श्री होरीलाल यादव--दिनांक २५ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४ के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसमें उल्लिखित अधिकारियों की अलग-अलग संख्या क्या है और उनको स्थायी न करने का कारण क्या है ?

श्री चरणसिंह--उन ९४१ कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या निम्नलिखित है :

(१)	कृषि निरीक्षक वर्ग २	४४४
(२)	कृषि निरीक्षक वर्ग ३	३१९
(३)	कामदार	१७८

कृषि निरीक्षक वर्ग २ के २७० पदों को छोड़ कर अन्य सभी पद अस्थायी हैं और उन पर किसी को स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता। कृषि निरीक्षक वर्ग २ के २७० पदों पर स्थायी करने का प्रश्न कृषि निदेशक तथा लोक सेवा आयोग के बीच विचाराधीन है।

खीरी जिले में शराब की दूकान से कांस्टेबिलों की बन्दूकों की चोरी

*१७--श्री होरीलाल यादव--क्या सरकार प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या ८५, दिनांक १६ मई, १९६१ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि पुलिस कांस्टेबिल शराब की दूकान पर क्यों गये और उनकी बन्दूकें कैसे चोरी गईं ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस सम्बन्ध में वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरणसिंह--जांच से पता लगा कि कांस्टेबिल दुकान पर शराब पीने गये थे। रात में वे लोग बन्दूकों को एक बक्स में बन्द करके सो गये और यह बक्स चोरी चला गया। दोनों कांस्टेबिल अपने पद से निलम्बित करके लाईन हाजिर किये गये हैं। चोरी के सम्बन्ध में भारतीय दंड विधान की धारा ३८० के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया है जिसकी अभी जांच हो रही है।

*१८--श्री मदन पांडेय--[५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

चानकी घाट के निकट एक अभियुक्त की गिरफ्तारी

*१९--श्री मदन पांडेय--क्या यह सही है कि जून, सन् १९६१ के प्रथम सप्ताह में गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में चानकी घाट पर डाका डालने की तैयारी में लीन दस्यु दल गिरफ्तार किया गया है ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं, जून के प्रथम सप्ताह में पुलिस ने किसी ऐसे डाकुओं के दल को गिरफ्तार नहीं किया। एक अभियुक्त को जो धारा ३७९ के जुर्म में नामजद था पुलिस ने २/३-६-६१ को नई कोट इलाके में चानकीघाट के पास अवश्य गिरफ्तार किया था।

*२०-२१--श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--[५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

जालौन जिले में हिस्ट्री शीटर ग्राम सभा प्रधान

*२२--श्री गोविन्दनारायण तिवारी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में ऐसे कितने ग्राम सभाओं के प्रधान हैं जिनकी हिस्ट्रीशीट खुली है ?

श्री चरणसिंह--चार।

जाली आयुर्वेदिक कालेज खोलने वाले की न्यू हैदराबाद, लखनऊ में गिरफ्तारी

*२३--श्री मदन पांडेय--क्या गत २० मई, १९६१ को लखनऊ के न्यू हैदराबाद मुहल्ले में कुछ व्यक्ति इस इल्जाम में गिरफ्तार किये गये थे कि उन्होंने जाली आयुर्वेदिक कालेज खोल कर लोगों को ठगने का प्रयास किया था ?

श्री चरणसिंह--१७ मई, १९६१ को इस अपराध के सम्बन्ध में एक व्यक्ति न्यू हैदराबाद, लखनऊ में गिरफ्तार किया गया था।

*२४-२५--**श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)--[३१ अगस्त, १९६१ के लिये प्रश्न ८२-८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२६-२७--**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़) तथा **श्री रामसुन्दर पांडेय**--[५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*२८-२९--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--[५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।

मुजफ्फरनगर जिले में हत्याएं

*३०--**आचार्य दीपंकर**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मार्च, १९६० से मार्च, १९६१ तक मुजफ्फरनगर जिले की तहसील जानसठ में कितनी हत्याएं हुईं तथा कितने केसों में अभियुक्तों का चालान हुआ है?

श्री चरणसिंह--जिला मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ में मार्च, सन् १९६० से मार्च, १९६१ तक १० हत्याएं हुईं जिनमें से ७ केसों में अभियुक्तों का चालान हुआ।

*३१--**आचार्य दीपंकर**--क्या सरकार कृपा करके जिला मुजफ्फरनगर में मार्च, १९६०] से ३१ मार्च, १९६१ तक कितनी हत्याएं हुईं, यह बताने की कृपा करेगी?

श्री चरणसिंह--जिला मुजफ्फरनगर में मार्च, १९६० से मार्च, १९६१ तक ३७ हत्याएं हुईं।

पशुधन अधिकारी, वाराणसी द्वारा लखनऊ में फिनायल की खरीद

*३२--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पशुधन अधिकारी, वाराणसी ने पत्र-संख्या ३०/८-४-ए-एच, दिनांक २८ जून, १९६० के द्वारा किसी फर्म को १९ डिस्पेन्सरियों में फिनायल और सोडा बाई कार्ब भेजे जाने के लिए लिखा था?

श्री चरणसिंह--जी हां। वाराणसी जिले के पशुधन अधिकारी ने अपने पत्र, दिनांक २८ जून, १९६० द्वारा श्री गर्ग केमिकल्स, ताल कटोरा रोड लखनऊ को वाराणसी जिले की विभिन्न १९ संस्थाएं जैसे अस्पताल, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, स्टैड रैम सेंटर आदि के लिये ३५० गैलन फिनायल और ९१ पौंड सोडा बाई कार्ब के शीघ्र ही भेजने के लिये आदेश दिया था।

*३३--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--यदि हाँ, तो क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त फिनायल और सोडा बाई कार्ब किन-किन डिस्पेन्सरियों में किसके द्वारा किन-किन तारीखों में कितनी मात्रा में सप्लाई किया गया और क्या सप्लाई किये गये माल का भुगतान सप्लायर को दे दिया गया है? यदि नहीं, तो भुगतान कब तक दे दिया जायेगा?

श्री चरणसिंह--उपरोक्त मात्रा में से १०० गैलन फिनायल और २५ पौन्ड सोडा-बाई कार्ब, जो मेसर्स गर्ग कैमिकल्स से १८ अगस्त, १९६० को प्राप्त हुआ था, ले लिया गया। इसके मूल्य का भुगतान कर दिया गया। २३० गैलन फिनाइल मेसर्स सनलाइट केमिकल्स, लखनऊ से २५ अगस्त, १९६० को प्राप्त हुआ था इस माल का भी पूरा भुगतान कर दिया गया है। उक्त सामान के वितरण का विवरण संलग्न तालिका में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८९-९० पर)

*३४--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि जिला पशुधन अधिकारी, वाराणसी को दिनांक ३ अगस्त, १९६० ई० में लखनऊ आकर पूर्व सप्लाई किये गये फिनायल के मुकाबले ७० नये पैसे प्रति गैलन अधिक दर से फिनायल को खरीदना पड़ा है? यदि हां, तो अधिक कीमत देकर फिनायल खरीद किये जाने का क्या कारण है तथा कुल कितना फिनायल खरीदा गया है?

श्री चरणसिंह—मेसर्स गर्ग केमिकल्स को दिये गये आर्डर की कुल मात्राएं निर्धारित समय पर न आने के कारण पशुधन अधिकारी वाराणसी को, जो लखनऊ सरकारी कार्यवश आये थे, ३ अगस्त, १९६० ई० को स्वयं कम्पनी जाकर आर्डर को रद्द कर देना पड़ा। इस परिस्थिति में जिला पशुधन अधिकारी को दूसरी कम्पनी जिस की दर ४ ३७ रु० प्रति गैलन था और जो उद्योग निदेशक द्वारा स्वीकृत थी, २३० गैलन फिनायल का आर्डर देना पड़ा। कुल ३३० गैलन फिनाइल खरीदी गयी। दूसरी कम्पनी से उक्त फिनाइल खरीदने का कारण यह था कि गर्ग केमिकल्स से अवधि बढ़ाने पर भी माल प्राप्त न हुआ। इस बीच में जिले में बीमारियों के कारण फिनायल की मांग बढ़ती जा रही थी। अतः दूसरी कम्पनी से उद्योग निदेशक द्वारा निर्धारित दर पर ६२ नये पैसे प्रति गैलन अधिक दर पर फिनायल लेने के लिये बाध्य होना पड़ा।

जगदीशपुर बांध में ली गयी भूमि का मुआवजा

*३५—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में जगदीशपुर बांध में ली गयी भूमि के मुआविजे के हेतु कुल कितना धन किसानों को अब तक दिया गया है और कितना धन देना बाकी है?

श्री राममूर्ति—(क) अब तक कुछ भी नहीं दिया गया है।

(ख) लगभग १७४ रु०।

*३६—श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त बांध में ली गयी भूमि का लगान अभी तक किसानों से लिया जा रहा है?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

नलकूपों की गूलों के पुनर्निर्माण पर व्यय

*३७—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५४ से १९६० तक प्रदेश के नलकूपों की कितने मील लम्बी दोषपूर्ण गलों का पनर्निर्माण करना पड़ा तथा उस पर सरकार का कुल कितना व्यय हुआ?

*३८—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रकार का जो खर्च हुआ वह किस अधिकारी की असावधानी से हुआ तथा उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राममूर्ति—सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री मुरली, सदस्य, नगरपालिका भदोही का पुलिस द्वारा पीटा जाना

*३९—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ज्ञानपुर के परगना हाकिम (जिला वाराणसी) की अदालत से श्री मुरली सदस्य, भदोही नगरपालिका, को पुलिस के लोग तारीख १९ मई, १९६१ को घसीट ले गये और उन्हें पीटते हुए ले गये और पुलिस बैरक में बन्द करके भी पीटा?

श्री चरणसिंह—यह सही है कि दिनांक १९-५-६१ को भदोही नगरपालिका के सदस्य, श्री मुरली को पुलिस के सिपाही परगनाधीश ज्ञानपुर की अदालत से जबरदस्ती बाहर ले गये। बैरक में बन्द करके पीटने की कोई सूचना नहीं है। किन्तु यह पता चला है कि उन्हें अदालत से बाहर ले जाकर पीटा गया।

*४०—श्री ऊदल—क्या उपरोक्त घटना के संबंध में ज्ञानपुर के वकीलों का एक प्रतिनिधि मंडल परगनाधीश से मिला था ? यदि हां, तो उपरोक्त घटना के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चरणसिंह—जी हां। इस घटना के संबंध में दो कांस्टेबिलों को मुअत्तल कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध पुलिस ऐक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही हो रही है।

पनिना ड्रेन के एक्सटेंशन में ली गयी भूमि का मुआवजा

*४१—श्री राजेन्द्रदत्त (जिला मुजफ्फरनगर)—जिला मुजफ्फरनगर की पनिना ड्रेन के एक्सटेंशन में जिन किसानों की जमीन ली गयी है उनको अब तक मुआवजा न देने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—मुआवजे के स्टेटमेन्ट तैयार करने में देरी होने के कारण अभी तक मुआवजा नहीं दिया जा सका परन्तु अब स्टेटमेन्ट तैयार हो गये हैं और नोटिस मुआवजे के संबंध में एतराज (objection) करने के लिये जारी किये जा चुके हैं। आशा है कि शीघ्र ही अब मुआवजा दे दिया जायेगा।

इटावा जिले में नलकूप तथा पाताल तोड़ कुएं

*४२—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में १९५६ से अब तक सरकार द्वारा कितने पाताल तोड़ कुए और कितने ट्यबवेल खोदे गये?

श्री राममूर्ति—इटावा जिले में सन् १९५६ से अब तक एक नलकूप तथा १४ पाताल तोड़ कुंओं (artesian wells) का निर्माण हुआ है।

*४३—श्री भुवनशभूषण शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९६१ तथा १९६२ में इटावा जिले में कितने आर्टीजन वेल तथा ट्यूब वेल खोदने का विचार वह कर रही है और कहां-कहां ?

श्री राममूर्ति—वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९१ पर)

बाराबंकी जिले के लिए जल निकासी योजना बनाने की प्रार्थना

*४४—श्री जंगबहादुर वर्मा—सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९५९ में कोई प्रार्थना पत्र सरकार को दिया गया है कि जिला बाराबंकी में जिन नालों, नदियों, झीलों व तलाबों में सेलाव आता है उनके पानी के निकास की व्यवस्था की जाय? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति—जी हां, प्रश्नकर्त्ता के दो पत्र दिनांक २० व २१ अप्रैल, १९५९ के प्राप्त हुए थे। उनमें दिये गये सुझावों की जांच की गयी और उनकी जो स्थिति है उसका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९२ पर)

*४५–४७—श्री शिवमंगलसिंह (जिला बलिया)—[५ सितम्बर, १९६१ के लिए स्थगित किये गये।]

इलाहाबाद जिले में कत्ल तथा मान सरोवर सिनेमा काण्ड संबंधित व्यक्तियों पर से मुकदमा हटाने की प्रार्थना

*४८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार बतायेगी कि मुख्य मंत्री जी से इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी छात्रों का कोई डेपुटेशन २२-७-६१ को इलाहाबाद में मानसरोवर सिनेमा कांड से संबंधित उन छात्रों पर से जिनके ऊपर पुलिस ने मुकदमा चलाया है, मुकदमा हटाने के बारे में मिला था ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चरणसिंह—जी हां। मानसरोवर सिनेमा कान्ड के सिलसिले में इलाहाबाद के छात्र व अन्य व्यक्तियों पर चलाये गये मुकदमे वापस लेने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

*४९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में कितने आदमियों का कत्ल जनवरी, १९६१ से २८ जून, १९६१ तक किस-किस गांव में हुआ और उस संबंध में कितने मुकदमे चालू किये गये और कितने मामलों का चालान नहीं हुआ ?

श्री चरणसिंह—इस अवधि में जिला इलाहाबाद में २८ घटनाओं में ३० व्यक्तियों के कत्ल की घटनाएं हुईं। गांव के नाम संलग्न सूची में दिये हुए हैं।

इस संबंध में सभी घटनाओं की जांच की गयी जिनमें से ७ मामलों में अभी तक अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९३ पर)

एटा जिले के बीज भंडारों में गबन

*५०—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एटा जिले में वर्ष १९६०-६१ व चालू १९६१-६२ ई० में कितने तथा किन-किन राजकीय कृषि बीज भंडारों पर राजकीय धन के अपहरण (गबन) सम्बन्धी मामलों की जांच की गई तथा जांच के पश्चात् क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? प्रत्येक बीज भंडार पर अपहृत धनराशि कितनी-कितनी है तथा अपहृत सामग्री का मूल्य क्या-क्या है ?

श्री चरणसिंह—१९६०-६१ में कोई गबन नहीं हुआ। अतः किसी मामले की जांच का प्रश्न नहीं उठा। १९६१-६२ में दो गबन के मामलों की जांच हुई जिनका ब्योरा संलग्न तालिका में दिया है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९४ पर)

*५१-५२—श्री अमरनाथ—[५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले की पुलिस के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*५३—श्री रामसुन्दर पांडेय—गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास वन मंत्री के २४ फरवरी, १९६१ के पत्र के साथ १५ फरवरी, १९६१ का लिखा हुआ आजमगढ़ के किसी वकील का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें आजमगढ़ जिले की पुलिस के विरुद्ध निरपराध व्यक्तियों को मारने, गलत मुकदमा चलाने आदि की शिकायत लिखी गयी है ? यदि हां, तो पत्र की जांच किसी अधिकारी से करायी गयी है और उसका परिणाम क्या हुआ है ?

श्री चरणसिंह—वन मंत्री के पत्र के साथ आजमगढ़ के एक वकील का दिनांक २१-२-६१ का पत्र प्राप्त हुआ था। अभी तक पत्र की जांच नहीं करायी जा सकी, क्योंकि पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध पत्र में उल्लिखित शिकायत के संबंध में एक मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन था। जिलाधीश ने सूचित किया है कि अब मुकदमे का निर्णय हो गया है अतः उक्त पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच कराने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

*५४—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—[४ सितम्बर, १९६१ के लिए प्रश्न २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*५५-५७—श्री ऊलद— [५ सितम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५८-६०—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—[५ सितम्बर, १९६१ के लिए स्थगित किये गये ।]

श्री बनारसीदास गौड़ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न उठाने की सूचनाएं- (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री टम्बरेश्वर जी तथा गोविन्द सिंह विष्ट जी ने श्री बनारसीदास गौड़ के विरुद्ध सदन के अवमान के बारे में प्रश्न उपस्थित करने की अनुमति मांगी है। उसके साथ एक पुस्तिका छोटी सी है जो कहा जाता है कि गौड़ जी की तरफ से छापी गयी, किसी प्रेस का उसमें उल्लेख नहीं है और उसमें अध्यक्ष के ऊपर आरोप किया गया है। उसमें जिस भाषा में अध्यक्ष को बुरा-भला कहा गया है वह भी मैंने देखी। मैं समझता हूं कि सदन की प्रतिष्ठा और अध्यक्ष की प्रतिष्ठा जिसे माननीय सदस्य यह समझते हैं कि उसको कायम रखा जाय और इस हेतु श्री गौड़ के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना की अनुमति दी जाय, तो वह प्रतिष्ठा इसमें नहीं बढ़ेगी और कायम भी नहीं रहेगी या कम से कम उसमें कोई इजाफा नहीं होगा अगर उनके ऊपर कोई विशेषाधिकार का मामला चलाया जाय। इसलिये मैं अनुमति नियम ६४ के अनुसार नहीं दे रहा हूं।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, आपने फैसला कर ही दिया। मैं आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मामले जब भी उठें तो सदन की मान-मर्यादा इसी में है कि उस पर कोई कार्यवाही न की जाय।

श्री अध्यक्ष—तो आप तो सहमत हैं। ठीक ही है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—कमरे में कह देते तो अच्छा था।

श्री अध्यक्ष—सदन में उन्होंने दिया और बहुत जोर देते रहे। आइंदा मैं, जो आपका सुझाव है, उसको मानूंगा। (हास)

बाढ़ के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—अब कामरोको प्रस्ताव बाढ़ के संबंध में है और माननीय न्याय मंत्री सभी जिलों के बारे में वक्तव्य देंगे कई जगह की बाढ़ों के बारे में प्रश्न हैं, यह पश्चिमी जिलों की तरफ का है।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—उसके लिये २४ तारीख मुकर्रर है।

श्री अध्यक्ष—२४ तारीख मुकर्रर है। कुछ तो १८ तारीख तक मंत्री जी ने छपवा लिया है वह बांट देंगे, और भी कल तक प्रश्न आ जायं तो मैं उनके पास भेज दूंगा। जिस तारीख तक छापने के लिये वक्तव्य देना संभव है उस तारीख तक की जानकारी छपवाएं बाकी नए प्रश्नों के बारे में सूचना कम से कम हाथ से नोट करके ले आना चाहिये और पढ़ देना चाहिये। लेटेस्ट सूचना सदन को मिलनी चाहिये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मेरा निवेदन यह है कि इधर ४८ घंटे में पूर्वी जिले में वर्षा हो रही है, जरा मंत्री जी हाउस छोड़ कर जायं। इनका इन्तजाम बहुत खराब है, जिला अधिकारी बंगलों में पड़े हैं ....

---

*२१ अगस्त, १९६१ की कार्यवाही से।

श्री हुकुमसिंह विसेन---मेरा इन्तजाम बहुत अच्छा है, आप गलत दख आय हैं।

श्री अध्यक्ष---(श्री उग्रसेन से) आप लिख कर दें।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---छपा हुआ वक्तव्य बहुत दिनों से पेंडिंग है।

श्री अध्यक्ष (श्री हुकुमसिंह विसेन से) आप कल तक दे दीजिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन---जरूर दे देंगे।

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ वाले प्रश्नों में इनके भी जोड़ दिये हैं---

श्री रामचन्द्र विकल, श्री शिवप्रसाद नागर, श्री नारायणदत्त तिवारी, श्री अब्दुल रऊफ लारी---इन्होंने भी वर्षा के संबंध में नियम ५२ के अनुसार दिये थे। वह मैंने न्याय मंत्री के पास भेज दिये हैं।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---मैंने भी सीतापुर की बाढ़ के बारे में नियम ५२ की सूचना दी थी ?

श्री अध्यक्ष---सीतापुर में तो सुनता हूं कि फिटों में वर्षा हुई है, इंचों के बजाय !

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---मैंने नियम ५२ की सूचना इसलिये दी है कि लखीमपुर में ४८ इंच बारिश हुई है, पानी आने वाला है लखनऊ में। यह असल में ५२ का नहीं है, बल्कि सरकार के लिये नोटिस है कि बाढ़ आने वाली है, लखनऊ वाले संभल जायं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री खयाल करेंगे, क्योंकि लखनऊ को बचाना उनका पहला काम है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---हमारा क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष---जो पानी के बारे में थे वह सब आ गये।

श्री राजनारायण---मैंने दूसरा दिया था, इलाहाबाद के जजों ने लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में फैसला दिया है.....

श्री अध्यक्ष---आप मेरे कमरे में बात करें। अगर कोई प्रश्न रह जाता है तो उसके बारे में कमरे में कहें।

जिला नैनीताल की तहसील खटीमा, सितारगंज, काशीपुर, बाजपुर तथा रामनगर के काश्तकारों को बेदखल करने के सरकारी आदेश के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---जिला नैनीताल के बारे में जो नारायणदत्त जी ने ध्यान आकृष्ट करने के लिए प्रश्न उठाया था उसके बारे में न्याय मंत्री वक्तव्य देंगे। आज नियम ५२ के प्रश्न ३ हैं और अविश्वास का प्रस्ताव भी सामने है। तो मैं समझता हूं कि प्रश्न जितने आवश्यक हों उतने ही पूछे जायं, अधिक कहना चाहें तो अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस के वक्त गवर्नमेंट के खिलाफ कह सकते हैं, लेकिन प्रश्न ज्यादा न हों।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---मैं तो प्रार्थना करूंगा सदन से कि आपने जो सलाह दी है उसका पालन करें, सदन के हाथ में सब कुछ है।

श्री अध्यक्ष---सदन के हाथ में तो है ही।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी जमीनों पर गासिबाना कब्जा करने वालों का सवाल सरकार के समक्ष कई सालों से दरपेश था। १९४८ में जब पश्चिमी पंजाब के लोग आये तो उन्होंने गवर्नमेंट की तराई और खाम भावर स्टेट के कालोनाइजेशन एरिया में नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया, तो इसकी अहमियत और ज्यादा हो गयी। इसलिये सदन ने १९५३ में यू० पी० गवर्नमेंट लैंड इविक्शन ऐंड रिकवरी आफ रेंट ऐक्ट, १९५३ को पास किया। उसके जरिये से गासिबाना कब्जा करने वालों के खिलाफ बेदखली की नोटिसें जारी हुईं। एक मुकदमे में हाईकोर्ट में अपील हुई जिसमें वह ऐक्ट नाजायज करार दिया गया, इसलिये जितनी नोटिसें पहुंचनी थीं, काम्पीटेंट अथारिटी के सामने वह खारिज हुईं और जो अपीलें डिस्ट्रिक्ट जज के सामने थीं वह स्टेट के खिलाफ फैसल हुईं। लिहाजा जो गासिब थे वह उस आराजी पर काबिज रहे।

लेकिन इस सदन ने इविक्शन ऐक्ट, १९५३ के बजाय यू० पी० पब्लिक लैंड रिक्वीजीशन ऐंड इविक्शन ऐक्ट, १९५९ को पास किया और जब से वह ऐक्ट पास हुआ है तबसे बेदखलियां हो रही हैं, लेकिन वह ऐसे किसी किसान के खिलाफ जारी नहीं हो रही हैं जो जायज तरीके पर काबिज हों। जिनके नाम जिम्न १० (के) में दर्ज हैं उन्हीं के खिलाफ ऐसी नोटिसें बेदखली की जारी हुई हैं।

जो कहा जाता है कि बड़ा डिस्सेटिस्फेक्शन है, तो हम को जो रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार, वह उन्हीं लोगों में हैं जो गासिब हैं। जाहिर है कि जब ऐसे लोगों को नोटिसें दी जायेंगी तो डिस्सेटिस्फेक्शन होगा ही। गवर्नमेंट ने वक्तन फवक्तन अहकामात जारी किये हैं कि कुछ शरायत के मातहत जितने केसेज रेगुलराइज किये जा सकें, वह किये जायं। ४२७ केसेज ट्रेसपासर्स के रेगुलराइज किये गये। ब को लोगों ने जो उसका फायदा नहीं उठाया, उन्हीं के खिलाफ बेदखली का नोटिसें जारी हैं। सरकार की यह बड़ी पेनफुल ड्यूटी है कि सरकारी जमीन को गासिबों के कब्जे से छुड़ाए और उनको उनसे बेदखल करे। मुझे कोई इससे खुशी नहीं होती, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य पालन करने के लिये और सदन के कानून पास कर देने की वजह से, उस कानून के मुताबिक हमें अमल करना है। इस वजह से अगर किसी भाई को तकलीफ होती हो, तो कृपा करके हमें माफ करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि जो १९५६ में सरकार ने यह आदेश दिये थे कि जो कथित ट्रेसपासर्स दुगुना लगान जमा कर देंगे उनके केसेज रेगुलराइज कर दिये जायेंगे लेकिन चूंकि यह सूचना उनको नहीं प्राप्त हो सकी, इसलिये वे इसका लाभ नहीं उठा सके। तो क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि जो आज १० हजार के लगभग नोटिसेज दी जा रही हैं, उनमें से ऐसे केसेज जो नाजायज काबिज नहीं हैं, बल्कि पटवारी की गलतियों की वजह से उनके नाम जिम्न १० में लिखे चले आ रहे हैं, जैसे बोक्सा हैं, जिनको सरकार ने कुछ जमीन देकर बसाया, उनके केसेज रेगुलराइज नहीं हुए हैं, क्या उनको रेगुलराइज करने की सरकार आज्ञा देगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पटवारियों और प्रधानों को जमीन देने का अधिकार नहीं है। अगर किसी ने दिया है तो वह नाजायज है और जो काबिज हैं, नाजायज तरीके पर काबिज हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि दस हजार नोटिसेज जो दी जा रही हैं, उनमें से कुछ काश्तकार, जैसे बोक्सा काश्तकार हैं, उनको भूतपूर्व माल मन्त्री, श्री चरणसिंह ने स्वयं गदरपुर में जा कर कहा था, कि ढिमरी ब्लाक में बसाया जाय, उनको तहसीलदारों ने बसाया, तो ऐसे काश्तकारों को जिनको सरकार ने खुद बसाया, उनके नाम जिम्न १० पर दर्ज हैं और उनको एविक्ट किया जा रहा है, क्या उनके लिये मन्त्री जी आदेश देंगे कि वह सारे केसेज रेगुलराइज किये जायं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—रेगुलराइजेशन के लिये इंस्ट्रक्शन्स मौजूद हैं। लोकल अथारिटी के पास जायं। अगर कायदे के मुताबिक रेगुलराइज हो सकते हैं तो रेगुलराइज हो जायेंगे।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन किसानों के बारे में उनका कहना है कि गासिबाना कब्जा किये हुए हैं, वह चार, छः, साल से बराबर, साल-ब-साल, फसल-ब-फसल, सरकार को लगान देते आये हैं, और उस की रसीदें उनके पास हैं, तो ऐसे काश्तकारों का गासिबाना कब्जा किस बिना पर कहते हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—महज लगान दे देने से गासिब की नवइयत खत्म नहीं होती है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मालूम होता है कि १० हजार आदमियों ने जमीन पर एक साथ या एक दो वर्ष के भीतर कब्जा किया, तो उस वक्त सरकार की कोई अमलदारी वहां पर थी जिसने उस जमीन को आबाद करने, और कब्जा करने से रोका?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। खाम स्टेट थी। रुकावट डाली गयी।

श्री गेंदासिंह—कितने ऐसे मुकदमे चले जो जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करने के सम्बन्ध में हैं, इसकी जानकारी माननीय मन्त्री जी को हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—एग्जैक्ट फीगर नहीं बतला सकता लेकिन सैकड़ों, हजारों की तादाद में चले।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माल मन्त्री जी बतायेंगे कि जो दस हजार नोटिसेज जारी हुई हैं यह केवल पंजाबियों पर ही जारी हुई हैं या जो बंगाल से आये हैं, या पूर्व से जा कर बसे हैं या पोलिटिकल सफरर हैं, उन पर जारी की गयी हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह गासिबों के खिलाफ हैं। जाति नहीं बतला सकता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि उन्होंने रुकावट डाली तो क्या रुकावट डाली और वह उसमें कारगर क्यों नहीं हुए?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पोलिटिकल पार्टीज के लोगों के उकसाने में आये और कब्जा करते रहे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९ के जिस कानून का जिक्र उन्होंने किया उसमें स्पष्ट तौर से यह कहा गया था कि जो रायसिख आ गये हैं उनको निकालने के लिये इसे ला रहे हैं। यह देखते हुए कि वहां पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनसे सरकार बराबर लगान वसूल कर रही है, पूरब वाले और पहाड़ के लोग भी बहुत काफी तादाद में वहां आये हैं और कम से कम पिछले ८ साल से बराबर हर साल लगान की रकम उनसे सरकार वसूल कर रही है, मन्त्री जी यह आज्ञा उनको देंगे कि वह न निकाले जायं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमने तो कहा कि हम गासिबों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। जो गासिब नहीं हैं उनके खिलाफ नहीं कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी किसी सीनियर आफिसर को वहां डेप्यूट करके यह जांच कराने की कृपा करेंगे कि जिनको ट्रेसपासर्स कहा जा रहा है क्या वाकई वह ट्रेसपासर्स हैं या नहीं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अ वल तो हमारा कलेक्टर वहां मौजूद है और दूसरे अदालत में जब नोटिस जाती है ो वहां तय होता है कि वह ट्रेसपासर्स हैं या नहीं ?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इसमें कुछ ऐसी भी जमीनें हैं जो कि पोलिटिकल सफरर के नाम पर ऐसे लोगों को दे दी गयी थीं जो स्वतः पोलिटिकल सफरर नहीं थे और बाद में उन्होंने उस जमीन को दूसरे लोगों को उठा देया और उस जमीन पर नियमित रूप से सरकार लगान ले रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह जानकारी नहीं है कि जो पोलिटिकल सफरर नहीं थे उनको जमीन उठा दी गयी थी।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब उन्होंने लगान किसी से वसूल कर लिया तो वह कांट्रेक्ट हो गया और जब आपने कांट्रेक्ट सात-सात वर्ष तक कर लिया तो अब उसको तोड़ने में आपको शर्म नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—आप जरा पार्लियामेंटरी शब्द इस्तेमाल करें ।

श्री सुरथबहादुरशाह—श्रीमन्, वह तो सीजन की वजह से मैंने कह दिया। वैसे मैं यह अर्ज कर रहा था कि जब आपने लगान वसूल कर लिया और लगान वसूल करके कांट्रेक्ट कर लिया तो अब उसको तोड़ने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय सदस्य बिला वजह हीट में आ गये। लगान देने से कोई कांट्रेक्ट नहीं हो जाता है। ला यह नहीं है। किसी वकील से पूछा जाय तो यह राय आपकी गलत साबित होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इन्हीं ट्रेसपासर्स को रेगुलराइज करने के लिये जो सरकार ने समय-समय पर आर्डर्स निकाले वह क्या हैं और किस श्रेणी के ट्रेसपासर्स के लिये वे थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह लोग हैं जो पहली जुलाई, सन् १९५४ के पहले से काबिज हैं उनको रेगुलराइज किया और जो पहली जुलाई, सन् १९५६ के बाद के हैं उनको और जिनकी खुद की जमीन है अपने निजी राइट्स हैं कानूनन उनको साढ़े ३ एकड़ की फेमिली मिलनी चाहिऐ। उनका लगान सर्किल रेट से जो आता हो, उसका डबल देना चाहिऐ। यही सब शर्तें हैं जिनको मंजूर हो, वह जाकर के रहें ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी इस बात पर विचार करने का कष्ट करेंगे कि जो ऐसे किसान दो, तीन या चार एकड़ के गासिबाना कब्जे के हैं और जिनका कब्जा सन् १९५४ के पहले का है उसकी जांच कराकर उनको वह जमीन देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं किसी एक गासिब को एक इंच भी जमीन देना नहीं चाहता, लाफुल टेनेंट को देना चाहता हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, सरकार का जब ग्रो मोर फूड कैम्पेन (अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन) चला जिसमें कि जो जमीन अब तक खेती के काम में नहीं लायी गयी थी उस जमीन को किसानों को जोतने के लिये देकर अन्न का उत्पादन बढ़ाने की स्कीम थी, तो क्या कारण है कि जो लोग उस जमीन को तोड़कर, जोतकर, बनाकर खेती के काम में ले आये उनको सरकार अब गासिबाना कहकर बेदखल कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता।

13259

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या प्रदेशीय सरकार के पास यह सूचना है कि जिन्हें ट्रेसपासर्स कहा जा रहा है इनमें से कुछ के बारे में प्रधान मन्त्री नेहरू जी और मास्टर तारासिंह के आपसी परामर्श के परिणामस्वरूप कुछ आदेश निकले हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे इसका इल्म नहीं है।

गीता प्रेस, गोरखपुर के प्रबन्धकों द्वारा कारखाने में तालाबन्दी करने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब ६ अगस्त, १९६१ से गीता प्रेस, गोरखपुर के प्रबन्धकों द्वारा कारखाने में तालाबन्दी करने के सम्बन्ध में श्री उग्रसेन द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दिनांक ९ अगस्त, १९६१ को दी गयी सूचना पर श्रम मन्त्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

श्रमउप-मंत्री (श्री वसी नकवी)—श्रीमन्, गीताप्रेस, गोरखपुर के प्रबन्धकों ने ६ अगस्त, १९६१ से कोई तालाबन्दी नहीं घोषित की।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि कारखाने के २७५ कर्मचारी जब ६ अगस्त, १९६१ को काम मांगने गये तब उनको वापस कर दिया गया और काम नहीं दिया गया?

श्री वसी नकवी—मैंने आपको बताया कि गीताप्रेस की तरफ से कोई तालाबन्दी घोषित नहीं की गयी और न किसी को काम देने से गीताप्रेस की ओर से रोका गया।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि गीताप्रेस का ही कुछ काम कारखाने की हद के बाहर जगह-जगह पर होता है। मैनेजमेंट गीता प्रेस का ही है, लेकिन उनको काम देने से इन्कार कर दिया गया?

श्री वसी नकवी—बात यह है कि जो चीजें वहां छपती हैं, वह वहां छपती हैं, लेकिन किताबों की जिल्दबन्दी का काम अलग होता है और उसका कोई सम्बन्ध प्रेस से नहीं है। २ दफ्तरी हैं और वे ठेके पर जिल्दबन्दी करते हैं। इन दफ्तरियों ने अपने इस्टैब्लिशमेंट को ६ अगस्त से बन्द करने की नोटिस ५ अगस्त को दी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गीता प्रेस में जितने कर्मचारी इस समय लगे हुए हैं उनको प्रेस ऐक्ट और फैक्ट्री कानून से बचने के लिये गीता प्रेस के प्रबन्धकों ने छिटपुट करके इधर उधर रख दिया है?

श्री वसी नकवी—ऐसी बात नहीं है।

श्री उग्रसेन—माननीय मन्त्री जी ने अभी फरमाया कि उन्होंने ५ अगस्त को नोटिस लगा दी। तो क्या वे कृपया बतायेंगे कि वे वही दफ्तरी हैं जो गीता प्रेस के कारखाने में काम करते हैं और उसका सारा प्रबन्ध गीता प्रेस के मालिकों के हाथ में है?

श्री वसी नकवी—जी नहीं। वह दफ्तरी ठेके पर काम करते हैं। वहां जो इस प्रकार के कर्मचारी हैं वे भी पीसमील वर्क, फी जिल्द के हिसाब से करते हैं और उनको उसी हिसाब से मजदूरी मिलती है। उनके काम करने का कोई टाइम नहीं है। वे अपने घरों पर भी जिल्द बांधते हैं और लाकर उनको दे देते हैं।

श्री रामजीसहाय (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किन कारणों से इन दफ्तरियों ने अपना काम बन्द किया था?

श्री वसी नकवी—इन दफ्तरियों ने कप्तान साहब के यहां यह रिपोर्ट लाज की है कि वहां के एक सोशलिस्ट नेता वहां के कर्मचारियों को भड़का रहे हैं और कहते हैं कि तुम्हारा

काम गीता प्रेस में शामिल कर दिया जायगा और तुम गीता प्रेस के कर्मचारी बना दिये जाओगे। साथ ही साथ यह भी रिपोर्ट लिखवाई कि वे जो जिल्दें बांधी जाती हैं उनको गीता प्रेस तक पहुंचाने में भी रुकावट डाल रहे हैं। और साथ ही साथ यह भी कि जो जिल्दबन्दी का काम वह कर रहे थे उसको उन्होंने खराब करना शुरू कर दिया। इसलिये यह नोटिस दी गयी।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या श्रम मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस दफ्तरी ने अपना यह काम बन्द किया उसके काम बन्द करने से कितने कर्मचारियों पर इसका प्रभाव पड़ा है?

श्री वसी नकवी—दोनों दफ्तरियों के यहां कुल २३४ कर्मचारी जिल्द बन्दी का काम ठेके पर लेकर करते थे। अब कोई काम बन्द नहीं है। समझौता ९ अगस्त को हो गया है। समझौता ह कर काम शुरू हो गया है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी समझौते की शर्तों को सदन के सामने रखेंगे जिसके आधार पर यह हड़ताल खत्म हुई है?

श्री वसी नकवी—उसमें सबसे मुख्य शर्त यह थी कि तालाबन्दी १२ अगस्त से समाप्त हो जायगी। दूसरे यह तय हुआ कि बाहर का कोई आदमी इन लोगों के मामले में दखल नहीं देगा। अगर कोई झगड़ा उठेगा तो उनके ३ प्रतिनिधि अपनी बात इम्पलायर से कहेंगे। अगर इम्पलायर अपना ठीक निर्णय नहीं देंगे तो वे इसको कंसिलियेशन अफसर को रेफर करेंगे। वह जो फैसला करेंगे वह सब को मान्य होगा। इसी तरीके पर यह तय हुआ कि हर लेबर डिसिप्लिन के अन्दर रहेगा और अगर कोई डिसिप्लिन तोड़ेगा तो उसके विरुद्ध इम्पलायर कार्यवाही कर सकेंगे। कोई दखलन्दाजी उनकी ओर से नहीं होनी चाहिये। यह भी तय हुआ कि जो कुछ यह झगड़ा हुआ, काम शुरू होने के बाद, उसकी वजह से किसी मजदूर को तंग नहीं किया जायगा और न निकाला जायगा। यह भी तय हुआ कि अगर काम कम हो जायगा क्योंकि हमेशा बराबर काम नहीं रहता है तो उस हालत में जो लोग हटाये गये हैं कम काम होने की वजह से, पहले उनको प्रिफरेन्स मिलेगा। अगर कोई काम घटेगा तभी उनको हटायेंगे।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को बिलकुल स्पष्ट करेंगे कि वह कैसे कह रहे हैं कि इसका प्रेस से कोई मतलब नहीं है और यह दफ्तरियों के हाथ की बात है, जब कि उनके समझौते में यह लिखा हुआ है कि अगर दोनों पार्टियों में समझौता नहीं होगा तो मामला कंसिलियेशन मशीनरी को रेफर होगा? श्रम मंत्री जी ने यह दोनों बातें कैसे कहीं?

श्री वसी नकवी—यह दफ्तरी और मजदूरों के बीच की बात है। प्रेस से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि अभी उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि २३४ मजदूर दफ्तरियों के कर्मचारी थे, मैं यह जानना चाहता हूं कि गीता प्रेस के रेगुलर कर्मचारियों की संख्या क्या है? क्या ६ अगस्त को गीता प्रेस के कर्मचारियों की गीता प्रेस में हड़ताल के फलस्वरूप तालाबन्दी हुई या कर्मचारियों ने कोई हड़ताल की और कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच में कोई समझौता हुआ?

श्री वसी नकवी—ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री राजनारायण—बयान में कहा कि तालाबन्दी हुई और फिर कहा कि कोई समझौता उनमें नहीं हुआ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कोई बात मंजूर नहीं की।

श्री मदन पांडेय—मन्त्री जी ने अभी कहा कि जो शर्तें मन्जूर हुई हैं उनमें एक शर्त यह भी है कि आउट साइडर की कोई मदाखलत नहीं होगी। हैल्दी ट्रेड यूनियनिज्म का यह दुनिया में सर्वमान्य सिद्धांत है, जब तक ट्रेड यूनियनिज्म यहां पर परिपक्व न हो जाय बाहर के आदमी को पदाधिकारी रखने का उनको अधिकार है। क्या मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो एक सर्वमान्य सिद्धांत दुनिया का है उसकी अवहेलना करके इस समझौते को किस अधिकारी के सामने किया गया और क्यों मान्यता दी गई?

श्री वसी नकवी—मैंने बतलाया कि इस के सम्बन्ध में सरकार की ओर से पहल नहीं हुई। वहां एक अशांत वातावरण पैदा हो रहा था, इसलिये कंसीलियेशन अफसर ने बैठ कर समझौता करा दिया वरना कमर्शियल ऐक्ट इन इस्टैबलिशमेंट्स पर लागू नहीं होता।

श्री राजनारायण—क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि जब करीब २५० मजदूर वहां लगे हुए थे और अभी जो सरकार ने समझौते की शर्तें पढ़ी हैं उसमें सरकार ने स्पष्ट किया है कि तालाबन्दी हुई और तालाबन्दी होने के बाद समझौता हुआ। तो समझौते पर किन-किन लोगों के हस्ताक्षर हैं?

श्री वसी नकवी—मैंने यह कहा था कि गीता प्रेस की ओर से तालाबन्दी नहीं हुई। और यही प्रश्न था। लेकिन जो ठेकेदार हैं उन ठेकेदारों ने अपने इस्टैब्लिशमेंट्स में तालाबंदी की। मैं नाम बतलाये दे रहा हूं। एक तो समझौते में दोनों दफ्तरी थे जिनके दस्तखत थे, और थे श्री राम अग्रवाल, श्री मुरारी लाल सुरेका, श्री हलधर शर्मा, और वर्कर्स की तरफ से ५ आदमी थे, श्री बेचू प्रसाद, श्री बाबू लाल, श्री रामलखन शुक्ला, श्री राम दुलारे और श्री पारस नाथ।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—आपने फरमाया था कि किसी सोशलिस्ट नेता ने उन मजदूरों को उभारा और उस पर यह सारी कार्यवाही हुई। तो क्या यह सोशलिस्टों का एलेक्शन प्रोपेगेंडा तो नहीं है वोट हासिल करने के लिये?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि तालाबन्दी होने के पहले उन मजदूरों ने हड़ताल की थी? यदि हां, तो उसमें उनकी मांगें क्या थीं?

श्री वसी नकवी—उन्होंने कोई हड़ताल नहीं की थी।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी को याद है कि प्रश्नकर्त्ता ने गीता प्रेस, मजदूर सभा की ओर से एक मांग-पत्र दिया था कि इसकी जांच की जाय और उसकी जांच लेबर इन्स्पेक्टर कर रहे थे, बीच में ही यह तालाबन्दी कर दी गयी और इन २७५ मजदूरों को अलग कर दिया गया?

श्री वसी नकवी—इसकी कोई इत्तला सरकार को नहीं है।

श्री राजनारायण—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह गीता प्रेस का मामला नया नहीं है। मैं आपको जानकारी करा दूं, स्वतः मैं २५, २६ को गोरखपुर में था.....

श्री अध्यक्ष—यह तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राजनारायण—जब माननीय सदस्य ने स्वतः मंत्री जी को मांग-पत्र दिया है और मंत्री जी कहते हैं कि ऐसे मांग-पत्र की जरूरत नहीं है तो क्या सदन में कोई सरकार की प्रतिष्ठा और सम्मान इस प्रकार रहेगी या नहीं?

श्री अध्यक्ष—इसके बारे में आप लिख कर भेज दें।

श्री राजनारायण—मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि मैं मंत्री जी के विरुद्ध जो उन्होंने सदन को धोखा देने का प्रयत्न किया है उसके लिए प्रिविलेज के प्रश्न को लाने की सूचना देता हूं।

बरेली में एक रहस्यमय विदेशी जासूस की गिरफ्तारी के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब माननीय गृह मंत्री सर्वश्री गोविन्द सिंह विष्ट, विश्वेश्वरानन्द, शिवराम, झारखंडे राय, भीखालाल, प्रताप सिंह, राजनारायण तथा नारायणदत्त तिवारी द्वारा दिनांक २१ अगस्त, १९६१ की सूचना पर वक्तव्य देंगे।

*श्री गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री, संसद में इस विषय के संबंध में एक बयान दे चुके हैं जो कि माननीय सदस्यों ने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा। स्टेट गवर्नमेंट को जो बातें मालूम हुई हैं वह इस प्रकार हैं—

एक व्यक्ति जो अपने आप को कैप्टेन पंवार कहता था, बरेली में कुछ दिन पहल आया। उसने अपना नाम कैप्टेन पंवार बताया था। वह अपन को एक गढ़वाली बताता था और वह रेलवे ट्राफिक के एक आफिसर के डिस्पैच राइटर के यहां आकर ठहरा। वह डिस्पैच राइटर स्वयं भी गढ़वाली है। १७ अगस्त, १९६१ को यह तथा कथित कैप्टेन साहब स्टेशन स्टाफ आफिसर, कैप्टेन चौधरी के पास आये। बातचीत के दौरान स्टेशन आफिसर साहब को कुछ शक हुआ। ११ बजे क करीब उन्होंने रेलवे ट्राफिक अफसर को इस बात की सूचना दी कि अमुक व्यक्ति के एन्टीसीडेन्ट्स के बारे में उन्हें संदेह है। तो आर० टी० ओ० साहब स्वयं रेलवे क्वार्टर में उसी डिस्पैच राइटर के मकान पर गये जहां कि यह कैप्टेन साहब ठहरे हुये थे और वहां उन्होंने उस शख्स की आइडेंटिटी जाननी चाही। इस पर उस शख्स ने कहा कि मेरा आइडेन्टिटी कार्ड धोबी के यहां चला गया है, धुलने वाले कपड़ों के साथ। उसके बाद आर० टी० ओ० साहब उसे अपने दफ्तर में ले आये। वहां भी उसने अपने आपको कैप्टेन पंवार बतलाया। वहां कुछ देर बातचीत हुई और उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने शौचालय जाने की इजाजत मांगी। आर० टी० ओ० साहब ने उनको इजाजत दे दी और वे बगल वाले बाथ रूम में गये, फिर वहां से खिसक गये। इस पर स्टेशन स्टाफ आफिसर या और जो सिक्योरिटी स्टाफ था, आर० टी० ओ० थे, उनके संदेह की पुष्टि हो गयी और फिर उन्होंने उसके सामान को खोला और उसमें अनेक प्रकार की चीजें मिलीं जिसमें बिला स्टैम्प किये गये रेलवे वारन्ट, स्टैम्प पैड, आइडेन्टिटी कार्ड्स और फौजी वर्दी वगैरह पाई गयीं। रेलवे ट्राफिक आफिसर ने ३ बजे एस० पी० को इत्तिला दी और उनसे उचित कार्यवाही करने की रिक्वैस्ट की। इस पर सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने फौरन पुलिस मैनों को इधर उधर भेजा। इसके बाद करीब साढ़े तीन बजे कैप्टेन पंवार साहब आइजट नगर में पकड़े गये।

इसके अलावा जब कि आर० टी० ओ० साहब अपने कमरे में मौजूद नहीं थे एक व्यक्ति उनके कमरे में आया और जो कर्मचारी वहां ड्यूटी पर था उसको उसने रिवाल्वर दिखाया और कहा कि कैप्टेन पंवार का जो सामान वहां है उसको वह दे दें। इस पर उस कर्मचारी ने वहां शोर मचाया और वह व्यक्ति वहां से फिर भाग गया। जो रेलवे पुलिस, बरेली स्टेशन पर रहती है उसको फौरन सूचना दी गयी, उसके पास रिपोर्ट दर्ज की गयी। एस० पी० ने एक आर्म-गार्ड भी वहां भेज दिया, स्वयं भी वे गये, इधर-उधर उसको सर्च भी किया गया, लेकिन उसमें उनको कोई कामयाबी नहीं मिली और वह व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। पुलिस ने कैप्टेन पंवार का जो बयान लिया है वह मेरे पास है जो करीब ११ सफे का है। वह बयान सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। उसके

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

अपने बयान के मुताबिक उसका असली नाम अवतार सिंह है । वह जिला गढ़वाल का रहने वाला है । उसका पिता भीम सिंह १९४७ में फौज से हवलदार की हैसियत से रिटायर हुआ और अब पेंशन पाता है । १९४९ में वह आर्मी हैडक्वार्टर दिल्ली में एम्प्लायड था । उसके बाद वह कहता है कि जनरल केरियप्पा के टेलीफोन पर उसकी डयटी थी । वह यह भी कहता है कि ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के स्थान पर फौज में उसने काम किया है । फौज से १९५६ में वह डिस्चार्ज हो गया । इसके बाद उसको कहीं नौकरी नहीं मिली । फिर इसने अफीम और चरस का तस्कर व्यापार कुछ दिल्ली में रहने वाले व्यापारियों की सहायता से करना शुरू कर दिया । पश्चिम के कुछ जिलों और दिल्ली में यह व्यापार चलता रहा । जब वह यह व्यापार करता था तो आर्मी की वर्दी पहनता था । इस बीच रेलवे में आने जाने के सिलसिले में उसने एक रेलवे के आफीसर को इस बात पर कनविंस कर दिया कि वह आर्मी में आफीसर है जिससे वह अपनी लड़की की शादी उससे करने के लिये तैयार हो गया और उससे कुछ कपड़े तथा कुछ रुपया भी लेने में कामयाब हो गया । उस समय उनके कहने से उसने स्मगलिंग का काम छोड़ दिया लेकिन धोखा देही का काम शुरू कर दिया । १९५७ में वह पकड़ा गया और चीटिंग में उसको सहारनपुर में एक साल की सजा हुई । वहां से फिर रिहा हो जाने के बाद वह पहाड़ों की तरफ चला गया । फिर लैंसडाउन में उसको चीटिंग में एक साल की सजा हुई । सजा पूरी करके फिर वह इधर-उधर घूमता रहा । बिजनौर में फिर वह एक चीटिंग के केस में फंस गया और ३१ मार्च, १९६१ को २ महीने की सख्त सजा उसको हो गयी । जब उसकी तलाशी ली गयी तो उसके पास एक कागज ऐसा भी मिला जिसमें अम्बाला का जो रणबीर सिंह का केस चल रहा है उसका जिक्र था । उसका कहना है कि समाचार पत्रों में यह लेख था जिसकी प्रतिलिपि उन्होंने कर ली थी ।' जो आइडेन्टिटी कार्ड उसके पास मिले वह उसने लखनऊ के किसी प्रेस में प्रिन्ट कराये थे । तहकीकात चल रही है । अभी और कुछ ज्यादा इस स्टेज पर कहना संभव भी नहीं है और उचित भी नहीं है । इतना जरूर है कि समाचार पत्रों में जो सूचनायें निकली हैं वे अतिशयोक्ति से भरी हुई हैं और बिला वजह एक अलार्म पैदा करने वाली हैं । अभी तक पुलिस को कोई ऐसा बात नहीं मिला है जिससे यह साबित होता हो कि उसका किसी विदेशी सत्ता से या मुल्क से ताल्लुक है या कोई चिन्ता का विषय है ।

श्री अध्यक्ष---अब इसमें कोई ज्यादा प्रश्नों की आवश्यकता नहीं मालूम होती ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या गृह मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या वहां के जिला अधिकारियों ने प्रेस को इस प्रकार की सूचना दी कि उसका संबंध किसी विदेशी सत्ता से है, यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री चरणसिंह---समाचार पत्रों ने यह अर्थ लगा लिया था । उन्होंने नहीं दी ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय प्रधान मंत्री के वक्तव्य को पढ़ा है, जिसमें उन्होंने इशारा किया कि यू० पी० की पुलिस ने ही इस समाचार को पूस्ट किया ? यदि हां, तो वे पुलिस के ऊपर कोई कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---मैंने भी उनका पूरा बयान पढ़ा है और जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है, उन्होंने यह तो नहीं कहा कि ऐसा है उन्होंने कहा---"शायद ऐसा है" ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---जैसा कि सरकार ने स्वतः कबूल किया है कि जब यह आदमी अपना सामान छोड़ कर इज्जतनगर चला गया तो कोई दूसरा आदमी अपना पिस्तौल लिये हुये आया और उसने वहां पर जो रक्षक था उसको धमकाया कि हमको वह सामान दे दो ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर भी यह नहीं समझ पा रही है कि यह केवल एक आदमी का काम नहीं था बल्कि उसके और भी दूसरे साथी हैं, तो सरकार उनकी खोज करने के लिये क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री चरणसिंह---जो प्रयत्न पुलिस और सरकार को करना चाहिये, वह कर रही है । रहा यह कि एक दूसरा आदमी अपने हाथ में पिस्तौल लिये हुये आया जो उसका सहायक मालूम पड़ता था, इस तरह की बात तो मुजरिम लोग कह ही सकते हैं । केवल इससे यह नहीं कहा जा सकता कि वह कोई स्पाई या जासूस था ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---माननीय गृह मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में उस तथाकथित कैप्टेन के कब्जे से जो समान बरामद किया गया, उसमें अम्बाला केस के संबंध में किसी कागज के बरामद होने की बात भी कही, यदि मैंने सुनने में गलती नहीं की है, और ऐसा है, तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस केस से उसका कोई संबंध था या नहीं था ?

श्री चरणसिंह---मैं अपने पहले बयान में यह कह चुका हूं कि एक बार वह सजा भुगतन के लिये अम्बाला जेल भेजा गया था, गालिबन नवम्बर, ५९ से जनवरी, ६० तक वह वहां रहा । और जब वह वहां जेल में था तो रणवीर सिंह सहगल वाले केस के कुछ अभियुक्तों से, जो उस जेल में थे, उस केस के विषय में वहां उसकी उन सब से बातचीत हुई थी ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या यह सही है कि इस व्यक्ति से यह देखते हुये कि इसने बड़ी कामयाबी के साथ लोगों को धोखा दिया है, तथा इस कलाकौशल में काफी प्रवीण है, सरकार का कुछ ऐसा विचार है कि वह शासन के संचालन में उसकी सहायता लेगी ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न इससे उठता नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पिस्तौल वाली घटना के बाद कुछ लोग संदिग्ध अवस्था में एक आर० टी० ओ० के घर के पास चक्कर लगाते हुये फिर रहे थे और जब उन्होंने पूछा कि तुम लोग कौन हो, तो वहां कुछ और अतिरिक्त लोग आ गये ? यदि हां, तो सरकार ने इसका पता लगाया कि वे अतिरिक्त लोग कौन थे, जो वहां आये थे ?

श्री चरणसिंह---कैप्टेन यादव, आर० टी० ओ०, के मकान के पास एक और मिलिटरी आफिसर रहते हैं, जहां दो व्यक्ति आये थे किसी एन० सी० ओ० का मकान मालूम करने के लिये । इस पर कैप्टेन साहब ने यह कहा कि यह तो आफिसर का मकान है, क्या तुम्हें दिखलायी नहीं देता है ? यह एक एन० सी० ओ० का मकान कैसे हो सकता है ? इसके बाद वे चले गये । फिर पुलिस कर्मचारियों का यह खयाल हुआ कि इस मामले से वे लोग कोई वास्ता नहीं रखते ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पुलिस ने इस सिलसिले में जो सवाल जवाब किये हैं और जो जांच-पड़ताल की है, उससे उन्हें यह पता लगा है कि जालसाजों का एक गैंग इस प्रदेश में या इसके बाहर भी है जो इस तरह के काम किया करता है ?

श्री अध्यक्ष---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं और आप से विनम्रता के साथ निवेदन करते हुये यह आशा करता हूं कि आप के द्वारा मेरे इस निवेदन को मानने से प्रजातांत्रिक परम्पराओं को बल मिलेगा । सारी दुनिया की कोई प्रजातांत्रिक प्रणाली ऐसी नहीं है कि जहां गुप्त मतदान का ऊंचा स्थान

न हो । हमारे यहां आज जो राजनैतिक वातावरण है उसमें उस तरफ के लोग सफोकेशन फील करते हैं इसलिये इस अविश्वास के प्रस्ताव पर मैं चाहूंगा कि आप गुप्त मतदान की व्यवस्था करने की कृपा करें । इस संबंध में मैं एक बात और निवेदन करूंगा कि संसार के पार्लियामेंटरी इतिहास में जब ऐसी परिस्थिति और अवसर आये हैं तो उसी के अनुकूल सदस्यों को प्रिविलेज दिये गये हैं । यदि इस प्रकार की परिस्थिति कभी हाउस आफ कामन्स के लोगों के सामने आई होती तो मेरा विश्वास है कि इस विशेष परिस्थिति में अवश्य ही गुप्त मतदान का तरीका अपनाया गया होता । इसलिये अगर आप इस अविश्वास के प्रस्ताव पर गुप्त मतदान की इजाजत दे दें तो उससे पार्लियामेंटरी पद्धति और प्रजातंत्र सफल होगा ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि मतदान के संबंध में हमारे यहां निश्चित नियम हैं उनके मुताबिक ही यहां कार्य होगा, लेकिन किसी को भी इतना कमजोर या किसी सदस्य को भी मैं इतना बुजदिल नहीं समझता हूं कि जो अपनी राय स्पष्ट न दे सके, और इस तरह का लांछन सदस्यों के ऊपर लगाने के लिये मैं तैयार नहीं हूं ।

अब श्री श्रीकृष्णदत्त जी पालीवाल प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि मेरे लिये कितना समय निश्चित है ?

श्री अध्यक्ष—पिछली बार ३० मिनट प्रस्तावक के लिये थे और मैं, अगर जरूरत होगी तो, ५ मिनट और दे दूं ऐसा था। इसलिये ३५ मिनट तक प्रस्तावक बोल सकते हैं और दूसरे नेताओं के लिये २५ मिनट । प्रक्रिया नियमावली में जो नियम हैं उससे थोड़ा सा यह समय का बंटन कुछ भिन्न है, लेकिन दलों के नेताओं के लिये आपसी समझौते से पिछली बार २५ मिनट का समय तय हुआ था, उसके बाद जिन मंत्रियों के संबंध में कोई बहस में आक्षेप होगा वह १५ मिनट की जगह २० मिनट ले सकते हैं । मुख्य मंत्री जी ने पहले ५० मिनट का समय लिया था उतना ही उनके लिये रहेगा जवाब के लिये । श्री पालीवाल जी के लिये ३५ मिनट का समय रहेगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—तो ३५ मिनट मेरे पहले भाषण के लिये और १५ मिनट आखीर के लिये रहे ?

श्री अध्यक्ष—जी हां ।

*श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन वर्तमान मंत्रि परिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है । वर्तमान मंत्रि परिषद् में हमारे अविश्वास के अनेक कारण हैं लेकिन उन कारणों में से जो कारण ऐसे स्थायी हैं कि जिनका सत्तारूढ़ पार्टी या मौजूदा मंत्रि परिषद् से संबंध है उनका मैं उल्लेख नहीं करूंगा, मैं केवल उन्हीं कारणों का उल्लेख करूंगा जो पिछले अविश्वास के बाद नये कारण उत्पन्न हुये हैं या पुरानों के बाद नये और अधिक प्रकट हुये हैं या उनका प्रकोप बढ़ गया है या आजकल की नीतियों को स्पष्ट करने के लिये जिन प्रमाणों की आवश्यकता है केवल उन्हीं का वर्णन करूंगा ।

उनमें से सबसे पहला कारण यह है कि वर्तमान मंत्रिमंडल में भीतरी गुटबंदी है । हमारे प्रधान मंत्री ने जब वर्तमान मंत्रि परिषद् को जन्म दिया था तो उन्होंने यह आशा प्रकट की थी कि वर्तमान मंत्रि परिषद् के आने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी की आपस की गुटबन्दी बन्द हो जायगी और एक शांति का वातावरण उत्पन्न हो जायगा, लेकिन ९ मास में, जब कि दुनिया के तमाम काम हो जाया करते हैं, उस दल की गुटबन्दी दूर नहीं हुई और प्रधान मंत्री जी की वह आशा भी पूरी न हो सकी । मैं मानता हूं कि यह गुटबन्दी सत्तारूढ़ दल का आपसी घरेलू मामला है लेकिन अगर इस घरेलू लड़ाई का जनहित पर, प्रदेश के प्रशासन पर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल]

सार्वजनिक कार्यों पर बुरा प्रभाव न पड़ता तो इसका मैं यहां जिक्र न करता पर चूंकि उसका हमारे यहां के सारे प्रशासन पर, जनहित पर, हर दिशा में बहुत दूर तक प्रभाव पड़ा है और पड़ रहा है इसी कारण से मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं । इतनी बात स्पष्ट है कि इस गुटबन्दी की वजह से मंत्रि परिषद् के सदस्यों को इतना अवकाश नहीं है कि वह प्रशासन और जनहित के कार्यों की तरफ पर्याप्त ध्यान दे सकें । उनकी सारी शक्ति और समय अपनी गुटबन्दी को ठीक करने में लगा रहता है । इसलिये प्रशासन चौपट हो रहा है, उसमें ढिलाई आ रही है, उसमें स्लैकनेस आ रही है और उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । वह यह है कि शासन ने एक उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तक पुनर्वीक्षण समिति की स्थापना की । १२ सितम्बर को उसकी स्थापना हुई और १२ सितम्बर को जो समिति स्थापित की गई थी आज तक उस समिति को क्या साधन और सुविधायें प्रदान की जाएगी जिस से कि वह अपना काम कर सके इसका कोई निर्णय सरकार की तरफ से नहीं हो पाया है । साल भर होने आ गया है । समिति से तो आशा की जाती है कि जल्दी काम समाप्त कर दे लेकिन सरकार का शासन इतना एफीशियेंट है कि साल साल भर शासन की तरफ से कोई सुविधा, सहायता का प्रबन्ध नहीं किया जा सका । उस हालत में समिति ने १५ नवम्बर की बैठक में शासन के पास भी पत्र भेजा, लेकिन चार, साढ़े चार महीने तक उस पत्र का कोई उत्तर नहीं आया और जब अप्रैल के पहले हफ्ते में शिक्षा मंत्री महोदय को लिखा गया तो १५ अप्रैल को उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे खेद है कि ऐसा हुआ और मैं इस बात की जांच करा रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ और शीघ्र ही इस संबंध में कार्यवाही हो जाएगी । यह १५ अप्रैल का शिक्षा मंत्री महोदय का पत्र है लेकिन १५ अप्रैल के उस पत्र के बाद भी कोई सुविधा या सहायता का आदेश नहीं निकला । २३ मई की बैठक में समिति ने विभाग के एक उप-सचिव को बुलाया क्योंकि सचिव मौजूद नहीं थे । उनसे पूछा कि क्या हो रहा है, क्या बात है, क्यों देर हो रही है ? उन्होंने उत्तर दिया कि आज शाम को अवश्य निकल जाएगा । लेकिन वह १० जुलाई तक नहीं निकला और १० जुलाई के बाद जो आदेश निकला उसमें यह स्पष्ट नहीं था कि समिति के सदस्यों को जो टी० ए०, डी० ए०, दिया जायगा उसका हेड क्या रहेगा? इसलिये शिक्षा संचालक ने सरकार से यह क्लैरीफिकेशन चाहा कि किस मद से हम उनको रुपया दें ? आज तक उस बात का कोई प्रबंध नहीं हो सका है—जैसी कि मेरी सूचना है—कि उनको टी० ए०, डी० ए०, मिल सके । चार-पांच बैठकें हो चुकी हैं । एक उदाहरण ढिलाई का मैंने आपके सामने रख दिया । जब उच्च स्तरीय सरकारी समिति के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो सकता है और होता है तो जनता के साथ कैसा व्यवहार होता होगा इसकी कल्पना आप, मंत्रि परिषद् के सदस्य और सदन के सदस्य स्वयं कर लें ।

गुटबन्दी का प्रभाव, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हुआ कि यहां जो विधेयक लाये जाते हैं, जो अधिनियम बनाये जाते हैं, वह भी गुटबन्दी से प्रेरित होते हैं । संसार में इस बात के उदाहरण बहुत कम मिलेंगे कि अपनी भीतरी गुटबन्दी के सिलसिले में विधान सभा में विधेयक लाये जायं और अधिनियम बनाये जायं । विश्वविद्यालय विधेयक जो यह आया और आज अधिनियम हो गया है वह इसका एक ज्वलन्त उदाहरण है । पुराने मंत्रि परिषद् द्वारा नियुक्त जो उप-कुलपति थे उनको हटाने के लिये यह विश्वविद्यालय विधेयक आया । यह विधेयक जो था वह उनकी भीतरी गुटबन्दी का परिणाम था और जो अंतरिम काल, ६ महीने के लिये व्यवस्था की गई कि रिटायर्ड जजों को उप-कुलपति नियुक्त किया गया, इसके दो परिणाम हुये । एक तो यह प्रयोग कोई उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि मुझे अपने निजी ज्ञान से मालूम है कि उन जजों को समय ही नहीं है कि वह उस काम को देख सकें । हफ्ते में घंटे, डेढ़ घंटे, का समय देते हैं और गर्मियों में कश्मीर में अपना हेडक्वार्टर रखते हैं कि प्रशासन का खर्च बढ़े । साथ ही इसका एक पतनकारी प्रभाव यह हुआ है कि वह लोग सोचने लगे हैं कि जजों के रिटायर होने पर सरकार उन्हें पद दे सकती है । तो मानव स्वभाव के अनुसार हर जज की अभिलाषा होती है कि सरकार

को प्रसन्न करने की कोशिश करे । तो न्याय शासन भी इस तरह से भ्रष्ट किया जा रहा है और मैं अपने निजी ज्ञान के आधार पर कहता हूं कि आज वह रिटायर्ड जज इस बात के लिये लालायित हैं कि वे ही फिर उप-कुलपति नियुक्त हों। और इस बात के लिये वह यहाँ तक कहने को तैयार हैं कि हम अवैतनिक काम करने को तैयार हैं अगर हमें रखा जाय। उस प्रयोग का यह अच्छा प्रभाव हुआ है । यह भी कोशिश की जा रही है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का नाम चुनाव समिति में उप-कुलपति के लिये कार्यकारिणी समिति की ओर से पेश किया जाय । तो इस तरह के जो विधेयक बनाये जा रहे हैं वे गुटबन्दी के प्रमाण हैं और इससे बुरा प्रभाव पड़ा है ।

इंटरमीडियेट शिक्षा विधेयक जो इस समय सदन के सामने है वह भी किसी गुटबन्दी का प्रयास है। मैं उसकी मैरिट्स में नहीं जाता, लेकिन एक विधेयक पुराने मंत्रि परिषद् द्वारा पेश किया गया । अब दूसरा विधेयक उसके विपरीत उसी सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य ला रहे हैं । इसी से कल्पना की जा सकती है कि जब गुटबन्दी के कारण ऐसे विधेयक आते हैं तो और बातों में क्या होता होगा ?

अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने भीतरी गुटबन्दी की बात कही । शासन की मशीनरी और अपने पदों का भी दुरुपयोग किया जा रहा है अपनी पार्टी का राज्य हमेशा के लिये कायम रखने के लिये, जो कि जनतंत्र के विरुद्ध है। अभी-अभी प्रदेश में अंतरिम जिला परिषदों के अध्यक्षों के चुनाव कराये गये। उन चुनावों में, मेरी निजी सूचना है, मिनिस्टरों ने मेम्बर्स को फोन किया, चिट्ठियां भी लिखीं और तरह तरह के दबाव डाले कि वोट उनके उम्मीदवार को ही दें । किसी से परमिट के वायदे किये गये, किसी से कहा गया तुम्हारी संस्था को ग्रान्ट मिलती है इसलिये अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे । जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे थे, उनसे कहा गया हम मुकदमा वापस ले लेंगे यदि तुम हमको वोट दो । अध्यक्ष पद के एक उम्मीदवार पर बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा था पर जब वह उम्मीदवार बना दिया गया तब वह मुकदमा वापस ले लिया गया। इस तरह की बातें की जाती हैं। इतना ही नहीं शासन की मशीनरी का दुरुपयोग यहां तक किया जाता है कि सत्तारूढ़ पार्टी की प्रादेशिक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वह पुलिस कमीशन के भी अध्यक्ष हैं। उन्होंने उस पद का सदुपयोग यह किया कि पार्टी के उम्मीदवारों के झगड़ों को मिटाने के लिये लोगों को वायरलैस सेट के जरिये से और एस० एस० पी० के जरिये से बुलाया।

इसी तरह की बातें हो रही हैं साथ में विरोधी दलों के माननीय सदस्य जो यहां बैठे हुए हैं उनके विरुद्ध भी मुकदमें चलाये गये और वे मुकदमें न्यायालय से झूठे साबित हुये । एक उदाहरण हमारी ही स्वतंत्र पार्टी के सदस्य का है जिनका नाम बलदेव सिंह जी है । उन पर कत्ल, और आगजनी का मुकदमा चला । उस मुकदमें के जजमेंट की, जो सेशन जज ने दिया है, सर्टीफाइड कापी मेरे पास है, इसे मैं शासन को दे सकता हूं। इसमें से केवल २, १ बातें जो उन्होंने अपने फैसले में लिखी हैं, आपकी आज्ञा से पढ़ कर सुना देना चाहता हूं--

"I am satisfied that the prosecution case is false and a got up one".

जज महोदय लिखते हैं मुझे समाधान हो गया है कि जो मुकदमा चलाया गया है वह झूठा है और बनाया हुआ मुकदमा है । आगे लिखते हैं :

"I am satisfied that no case has been made out against the accused on any of the counts with which they are charged. They are entitled to acquittal".

यानी उनके विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं उनमें से एक भी सिद्ध नहीं होता है और इसलिये वे छोड़े जाते हैं ।

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)--यह कब का जजमेंट है ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--आपके साथ न्याय करने के लिये मैं बता दूं कि वर्तमान मंत्रिपरिषद् के जमाने का तो नहीं है, लेकिन प्रश्नकर्ता मंत्री महोदय के जमाने का है।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

अब वर्तमान मंत्रिपरिषद् का उदाहरण ले लें । मुझे विश्वस्त सूत्र से सूचना मिली है कि जिस क्षेत्र से जनसंघ के नेता माननीय यादवेन्द्रदत्त दुबेजी खड़े होने वाले हैं, उनके मुकाबले में माननीय वित्त मंत्री खड़े होने वाले हैं । इसलिये डी० एस० ओ० को यह हिदायत की गई है कि वह इस बात की सूची तैयार करें कि सस्ते गल्ले की दुकानें दुबेजी की सिफारिश से किन किन को दी गई हैं और जिनको दुबेजी की सिफारिश से दुकानें दी गई हैं उनके लाइसेन्स रद्द कर दिये जायं । इसके अलावा एस० एस० पी० को यह हिदायत की गई है कि वह यह देखें कि दुबेजी की सिफारिश से किस किस को बन्दूक के लाइसेन्स मिले हैं और जब सूची तैयार हो जाय तो जिन-जिन को इन ही सिफारिश से लाइसेन्स मिला है उनके लाइसेन्स रद्द कर दिये जायं । इस तरह की कार्यवाही विरोधी लोगों के साथ अपने शासन को कायम रखने के लिये की जा रही है ।

इससे भी आश्चर्य और दुःख की बात तो यह है कि वर्तमान मंत्रिपरिषद् विरोधी दलों के विरुद्ध ही इस प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रहा है बल्कि अपनी ही पार्टी के असंतुष्ट गुट के साथ भी इस प्रकार की कार्यवाही कर रहा है । मैं आपको याद दिलाता हूं कि आज से दो साल पहले जब पहले मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव हम यहां लाये थे तो वर्तमान मंत्रि-परिषद् के गुट के ६८ सदस्यों ने इसी सदन में एक वक्तव्य दिया था जिसमें कुछ आरोप लगाये थे और उनमें से एक आरोप यह भी था कि वह अपने पदों का और शासन मशीन का दुरुपयोग हमारे गुट को नुक्सान पहुंचाने के लिये कर रहे हैं । इस आरोप में वर्तमान मंत्रिपरिषद् के जो सदस्य हैं उनके उस वक्तव्य में हस्ताक्षर थे और ये उसमें शामिल थे । आज समाचार-पत्रों से यह सबको मालूम है कि ६८ से ज्यादा सत्तारूढ़ दल के सदस्यों और पुराने मंत्रिपरिषद् के अनेक सदस्यों का यही आरोप वर्तमान मंत्रिपरिषद् के सम्बन्ध में है । इसलिये गुटबन्दी का प्रयोग उनके विरुद्ध भी किया जा रहा है, यह इस बात का प्रमाण है । समाचार-पत्रों में जो उनका वक्तव्य प्रकाशित हुआ है उसमें उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे गुट को लिक्वीडेट किया जा रहा है ।

यहीं तक नहीं कि शासन मशीन का मामूली दुरुपयोग होता है, ये सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य अपनी ही पार्टी के अपने प्रतिद्वन्दियों की हत्या तक कराने से नहीं चूकते हैं । श्री नेकराम शर्मा का, जो उसी पार्टी के सदस्य हैं, ध्यान आकर्षित करने का एक प्रस्ताव आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस के पास ऐसे १६ आदमियों की सूची है जिनमें से ८ जान से मारे जा चुके हैं । मैं उस दिन यहां उपस्थित नहीं था लेकिन अखबारों में जो मोटे अक्षरों में खबर निकली है यदि वह सही है तो माननीय गृह मंत्री ने यह स्वीकार किया था कि उन हत्याओं का एक कारण सत्तारूढ़ पार्टी की भीतरी गुटबन्दी भी है । तो माननीय गृह मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि इस प्रकार की हत्यायें अपनी ही पार्टी में एक दूसरे के विरुद्ध की जा रही हैं फिर विरोधियों का क्या कहना ।

राजनीतिक हत्याओं का अब एक और प्रचलन चल पड़ा है । कानपुर में समाचार-पत्रों में यह खबर निकली थी कि सोशलिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गयी थी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कोई वर्कर या नेता थे वह भी मार दिये गये । अभी उरई-जालौन से मेरे पास एक तार माननीय गोविन्दनारायण तिवारी का आया है कि समाज-वादी पार्टी के कार्यकर्त्ता की हत्या कर दी गई । इस प्रकार की हत्यायें हो रही हैं और, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़ी-बड़ी पार्टियों तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि उनका प्रभाव यह हुआ है कि जन-साधारण में जा पहुंची हैं। जैसा कि सुना है, और अगर रिपोर्ट सही है, तो आपने आचार्य संहिता सेमिनार में यह कहा था कि प्रधानों की हत्यायें हो रही हैं और कत्ल के काम शुरू हो गये हैं तो, श्रीमन्, यह हालत हो गयी है और गवर्नमेंटल मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, जब यह हो रहा है और शासन में ढिलाई हो रही है, पदों का दुरुपयोग हो रहा है इस का एक परिणाम यह भी हो रहा है कि प्रदेश में अराजकता फैल रही है, शासन की व्यवस्था बहुत खराब हो रही है और ला ऐन्ड आर्डर की पोजीशन बहुत खराब हो रही है ।

संयोग से आज प्रश्न किये गये, उनमें से एक प्रश्न माननीय झारखंडेराय जी का है। वैसे तो कई प्रश्न हैं लेकिन मैं उनके प्रश्न का उल्लेख करता हूं। उनके प्रश्न में कहा गया है कि "क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि गुंडों और बदमाशों के आतंकपूर्ण कार्यों के कारण चिन्ता-जनक स्थिति गांवों और शहरों में पैदा हो गई है।" इसका उत्तर दिया गया है कि शहरों के लिये तो योजना बनाई गई है लेकिन गांवों के लिये कोई योजना नहीं है और कारण यह बताया कि पुलिस फोर्स की कमी है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि गांवों में अराजकता की स्थिति है और सरकार यह कहती है कि वह उस स्थिति में नहीं है कि उसको रोक सके, उसके पास साधन नहीं हैं।

मैं अपनी निजी सूचना के आधार पर कहता हूं कि हालत यहां तक हो रही है कि जिस चुनाव क्षेत्र से मैं आया हूं उसका एक गांव रिछौहा है, उस गांव पर राजस्थान की सीमा के लोगों ने सामूहिक आक्रमण किया और उनके ऊंट खोल ले गये। दुबारा वे फिर आये तो गांवों के लोग इकट्ठे हो गये और उन्होंने उनका मुकाबला करके अपनी रक्षा की। पुलिस न तो उस समय उनको बचा सकी और न बाद में ही बचा सकी। इसी तरह से अगस्त में जिनसौरा गांव में लोग आये और उनकी भैंस खोल ले गये। दुबारा वे फिर आये तो गांववालों ने मिलकर उनका मुकाबला किया और तब वे अपनी रक्षा कर पाये। यह समाचार समाचार-पत्रों में भी माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा। अभी की बात है कि शाहजहांपुर के एक गांव में एक परिवार के आठ आदमियों को कत्ल कर दिया गया। उनमें से पांच मर गये हैं और तीन घायल हो गये हैं।

श्रीमन्, मेरा कितना समय बाकी है?

श्री अध्यक्ष—२१ मिनट हुये हैं और १४, १५ मिनट बाकी हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मैं आपको यह बताऊं कि बगरा गांव में कांग्रेस के एक वकील कार्यकर्त्ता हैं उनके ऊपर इसी हफ्ते में हमला किया गया और वे घायल हुये।

भ्रष्टाचार न्याय प्रशासन तक में बढ़ गया है। आगरे की खबर यह है और यह समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो गई है कि एक वकील और जुडीशियल मैजिस्ट्रेट में झगड़ा होता है और जूते मारने तक की नौबत आ जाती है। वकील श्री सूर्यपाल सिंह तोमर के विरुद्ध जुडीशियल आफिसर श्री क्षेत्रपालसिंह ने दुर्व्यवहार किया। इनका नाम मैंने इसलिये ले दिया कि यह अख-बारों में निकल चुका है। इसके विरुद्ध यंगमैन लायर्स ने एक प्रस्ताव पास किया कि मैजिस्ट्रेट ने दुर्व्यवहार किया है। खबरें यह हैं कि चेम्बर में चाय पी जाती है, कुछ बुराई नहीं है, कुछ और चीज पी जाती है, उसकी उपेक्षा की जाती है लेकिन दलाल और फरीक चैम्बर में आते हैं और उनसे सौदा तय होता है और मुकदमों का फैसला सौदा के आधार पर होता है। इस प्रकार की शिकायतें हैं। यह शर्मनाक बात है। कांग्रेस को, कांग्रेस के पदाधिकारियों को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ शर्म, हया होनी चाहिए। उसका कुछ खयाल करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीति का एक बहुत अच्छा नतीजा यह हो रहा है कि ढोल तो पीटा जा रहा है बचत करने का और बचत के नाम पर बेचारे क्लर्क गरीब की गर्दन मारी जा रही है। चपरासियों को कत्ले आम करने का हुक्म हुआ है लेकिन मिनिस्टर बढ़ाये जा रहे हैं। मिनिस्टरों की तादाद शैतान की आंत की तरह से बढ़ रही है। प्रधान मंत्री नेहरू इस बात के विरुद्ध हैं कि इस साल मिनिस्टर बढ़ाये जांय। आंध्र और बिहार में उन्होंने अपनी आज्ञा से मिनिस्टरों का बढ़ाना रोका। लेकिन यहां एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच-पांच बार मंत्रि-परिषद् बढ़ायी जा चुकी है। पिछली मंत्रि-परिषद् की संख्या २८ थी और अब ३० तक पहुंच गयी है। इसके बावजूद भी मुख्य मंत्री ने यह कहा है कि यह कंटीनुइंग प्रोसेस है। अभी तो पांच ही मर्तबा बढ़े हैं,

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

दस मर्तबा बढ़ जायं, ३० के स्थान पर ६० हो जांय, तो कोई बात नहीं। इससे मुख्य मंत्री का बोझ हल्का होगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री से कहूंगा कि इससे उनका बोझ जरूर हल्का होता है लेकिन वह गरीब करदाताओं का बोझ बराबर बढ़ा रहे हैं और वही कहावत चरितार्थ कर रहे हैं कि अशर्फियां लुटायी जा रही हैं और कोयलों पर मोहर लगायी जा रही है।

विभागों में अंधेर हो रहा है। प्रशासन में गुटबन्दी है। गुटबंदी यहां तक पहुंच गयी है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं कि अगर किसी कर्मचारी ने किसी दूसरे कर्मचारी की शिकायत की, उसकी जांच हुई और जिसकी शिकायत की गयी, उसको सजा हुई। जिसके विरुद्ध शिकायत है, उसी के सुपुर्द जांच करने का काम दिया जाता है। अजीब तमाशा हो रहा है।

विद्यार्थियों की जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिये १ करोड़ के करीब कापियां छपती हैं। इनमें से २० लाख हर साल बच रहती हैं। यह २० लाख कापियां कहां जाती हैं? इसका कोई हिसाब नहीं है। मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि यह जो बीसों वर्ष से २० लाख कापियों का तमाशा हो रहा है, क्यों नहीं इसका हिसाब रखा जाता है?

इसी तरह से टैबुलेशन फार्म्स छपाये जाते हैं। ३५ रुपया पर शीट के हिसाब से छपायी दी जाती है। पिछले साल शायद ३२-३२ रुपये के हिसाब से दिया गया था। लोग इनको ७ रुपये में छापने को तैयार हैं। २० रुपये के टेंडर आ चुके हैं। अगर २० रुपये भी मान लें तो तीन लाख रुपये क्यों बरबाद किये जा रहे हैं? इसका जवाब देना है। जब तक इसका जवाब नहीं देते तब तक यह सरकार इन कुर्सियों पर बैठने की अधिकारी नहीं है।

श्री सुरथ बहादुरशाह (जिला खोरी)--छापाखाना वाला कोई अग्रवाल होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--खैर, इस तरह की बातें मैं नहीं करता। इन सब बातों से वातावारण विषाक्त हो गया है और इतना विषाक्त हो गया है कि मैं स्वयं मंत्रि-परिषद् के साथ न्याय करने के लिये कह रहा हूं, जिन बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उन्हीं बातों की प्रदेश भर में चर्चा है। उदाहरण के लिये यह कहा जाता है कि जो आरोप पहले मुख्य मंत्री पर था कि जिस जाति के मुख्य मंत्री, उसी जाति के मुख्य सचिव, उसी जाति के इंस्पेक्टर जनरल, वही आरोप आज वर्तमान मंत्रि-परिषद् पर लगाया जा रहा है कि जिस जाति के मुख्य मंत्री हैं, उसी जाति के मुख्य सचिव हैं, उसी जाति के इंस्पेक्टर जनरल हैं, और उसी जाति के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। लेकिन में मुख्य मंत्री और मंत्रि-परिषद् के साथ न्याय करने के लिये कह देना चाहता हूं कि मेरे सोचने के अनुसार उन पर यह जातिवाद का आरोप गलत है। उन्होंने जिन लोगों को नियुक्त किया है वह अपनी वरीयता, अपनी गुण-गरिमा के कारण आये हैं। लेकिन वातावरण इतना दूषित है कि सरकार की हर नीयत पर जनता शक करती है। इस वातावरण को दूर करना सरकार का, हमारा सब का मिल कर काम है। अगर यह वातावरण बना रहा तो बहुत गड़बड़ हो जायगी।

मैं यह भी कहूं कि वातावरण यहां तक दूषित है कि यह कहा जा रहा है कि चुनाव फण्ड में एक डी० एस० ओ० ने माननीय मुख्य मंत्री जी के पास ५० हजार रुपया यह कह कर भेजा कि हमने यह लोगों से कांग्रेस के चुनाव फन्ड के लिये कलेक्ट किया है और ५० हजार और भेजने का वादा किया है। यह कहा जा रहा है कि जिन उद्योगपतियों को कर्जा दिया जा रहा है उन उद्योगपतियों से पचास, पचास हजार रुपया चुनाव फन्ड के लिये लिया जा रहा है। उनसे कहा जाता है हमने तुम्हें कर्जा दिया है, तुम हमें चन्दा दो। मैं यह मान लूं कि यह बातें गलत होंगी, सही नहीं होंगी, लेकिन फिर वही बात पेश करता हूं कि वातावरण इतना दूषित है कि उसकी लोग चर्चा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और सरकार का और

हमारा सब का यह कर्त्तव्य है कि वह इस वातावरण को शुद्ध करें। यह वातावरण उस समय तक शुद्ध नहीं हो सकता जब तक जो लोग ऐसे आरोप लगाते हैं, वह चाहे भले ही ऐरे-गैरे नत्थू खैरे या गैरजिम्मेदार लोग हों, न्यायालय में जाकर इन आरोपों को झूठा नहीं सिद्ध किया जायगा और उनको सजा नहीं दिलायी जायगी, तब तक केवल मंत्रि परिषद् या मुख्य मंत्री के इनकार करने से जनता का समाधान नहीं होगा, जनता आश्वस्त नहीं होगी। इसलिये मेरी यह राय है कि उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिये और न्यायालय में अपनी सच्चरित्रता और अपनी निर्दोषिता मंत्रि परिषद् को सिद्ध करनी चाहिये। इन सब बातों से राष्ट्रीय चरित्र का ह्रास हो रहा है, सार्वजनिक जीवन का स्तर गिर रहा है।

यह बात माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वयं आपने वहीं आचार संहिता की सभा में कही थी कि हालत डिटेरिओरेट हो रही है। तो हालत इतनी गिर रही है और भ्रष्टाचार की ऐसी बाढ़ सी आ गई है भय है कि कहीं हम सब उसमें बह न जायं। भ्रष्टाचार का यह भस्मासुर कहीं हम सबको भस्म न कर दे। जनतंत्र, सार्वजनिक जीवन, जो कुछ अच्छा है आज सब इस भ्रष्टाचार के कारण खतरे में है। इससे सब चिन्तित हैं और सर्वोदयी और आपने तो इस संबंध में आचार संहिता बनाकर के इसको खत्म करने के लिये कुछ स्तुत्य प्रयत्न भी किये हैं, लेकिन मुझे यह कहने की इजाजत दीजिये कि केवल आचार संहिता बनाने से यह बुराइयां दूर नहीं हो सकतीं। उग्र रोगों के लिये उग्र चिकित्सा की आवश्यकता होती है, यह सब लोग जानते हैं। अगर हम चाहते हैं कि दूषित वातावरण का अन्त हो, भ्रष्टाचार दूर हो, प्रदेश की जनता का लाभ हो तो एक ही इसका उपाय है कि वर्तमान मंत्रि परिषद् की सत्ता के मद से मुंदी हुई आंखों को खोला जाय और वह तभी खुल सकती हैं कि जब इनको गहरा झकझोर दिया जाय और वह गहरा झकझोर इस अविश्वास के प्रस्ताव को उपस्थित करके ही दिया जा सकता है। इसलिये मैं सदन के सदस्यों से आपके द्वारा प्रार्थना करता हूं कि वह इस प्रस्ताव क समर्थन करें और इसे स्वीकृत करें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पालीवाल जी ने इस सरकार में जो अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं एक वाक्य में यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार जनतंत्र, समाजवाद और न्याय के लिये अभिशाप हो गई है। जितनी जल्दी इस सरकार का पतन हो उतनी ही जल्दी न्याय प्रतिष्ठित होगा, जनतंत्र विकसित होगा, समाजवाद पल्लवित होगा।

मैं इस सरकार के पूर्व की घटनाओं को नहीं रखना चाहता हूं क्योंकि अक्सर मंत्री लोग यह कह दिया करते हैं कि यह तो हमारे पहले की घटना है, जैसा कि अभी माननीय चरण सिंह जी ने पालीवाल जी के बोलते समय एक प्रश्न पैदा कर दिया था। मैं आपकी सेवा में इस सरकार के समय में जो कार्य हुए हैं उन्हीं का विश्लेषण करना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में जो-जो घोषणायें की हैं, जिन-जिन नीतियों की घोषणा की है उस संबंध में विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि उनका एक का भी पालन इस सरकार की ओर से नहीं किया गया है। एक प्रकार से इस सरकार ने जो सदन को आश्वासन दिये थे उनको भी वापस ले लिया है। सदन में विभिन्न समयों पर कही गयी बातों को तोड़ा-मरोड़ा गया है। इस सरकार के द्वारा तीन प्रकार की घोषणायें हुई थीं। पहली तो यह थी कि पहाड़ों पर जाना नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने जब पहाड़ों पर न जाने की घोषणा इस सदन में की थी तो फिर सरकार द्वारा पहाड़ पर जाने की घोषणा कराई गई या नहीं कराई गई ?

श्रीमन्, जो संसदीय प्रथा है और उसमें जो प्रमुख बात होनी चाहिये थी वह थी सरकार से उच्च अधिकार आपका माना जाय और उसको भी सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। अगर हमारे विधान सभा की नियमावली देखी जाय तो उसके अतर्गत यह बात सन्निहित है कि आपकी जो हाउस की कमेटियां होंगी जब इस भवन के बाहर उनका कोई कार्य होगा तो वह अध्यक्ष की राय से, उनके आदेश पर ही होगा। लेकिन बिना अध्यक्ष की राय के मुख्य मंत्री जी ने यहां

[श्री राजनारायण]

पर घोषणा कर दी कि हम बैलट करवायेंगे कि कौन कमेटी जायगी और कौन कमेटी नहीं जायगी। किस अधिकार से सरकार ने ऐसी घोषणा की ?

(इस समय १ बजकर २६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुए।)

मैं चाहता था कि इस समय आप यहां रहते, लेकिन आप चले गये। श्रीमन्, आज इस बात को देखा जाना चाहिये कि हमारे जनतंत्र की प्रतिष्ठा के लिये तीन विभाग हैं--(१)--लेजिस्लेटिव, (२) एक्जीक्यूटिव, और (३) जुडीशियरी। संविधान में मान्यता दी गई है कि इन तीनों का अलगाव हो और उसके करने के लिये सरकार सतत प्रयत्नशील रहेगी। लेकिन इस संबंध में इस सरकार ने क्या किया है ? आज स्थिति यह है कि हमारी विधान निर्मात्री संस्था, जो विधान सभा है, उसको भी यह सरकार धीरे-धीरे अपने हाथ में लेती जा रही है। हमारे विधान सभा का संचालन पूर्णतः अध्यक्ष के अधिकार में होना चाहिये और विधान सभा का सचिवालय पूर्णरूप से अपने में स्वतंत्र होना चाहिये, लेकिन आज यह सरकार उस पर भी आक्रमण कर रही है और उसको अपने हाथ में लेती जा रही है। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि माननीय अध्यक्ष महोदय जो इस कुर्सी पर बैठे थे उन्होंने कैसे उस बात को सुन लिया और इस सदन के सम्मानित सदस्यों ने कैसे सुन लिया ? जब मुख्य मंत्री जी ने बड़ी बेहयाई के साथ अपनी पुरानी की गयी घोषणा को वापस लिया था। श्रीमन्, पुस्तकालय कमेटी में इत्तिफाक से मैं भी हूं, यद्यपि मैंने कह दिया था कि मैं किसी भी कमेटी में नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा नाम है। खैर, आज तक का इतिहास देखा जाय तो पुस्तकालय कमेटी की बैठक कभी भी बाहर नहीं हुई, लेकिन अब की बार पुस्तकालय कमेटी की बैठक भी नैनीताल में बुलाई गई। एक ओर तो समाचार-पत्रों में बयान देकर इकानामी का नाटक रचते हैं और दूसरी तरफ दबाव पड़ने पर अपने से मुकर जाते हैं।

एक बात जिस का जिक्र यद्यपि माननीय पालीवाल जी ने कर दिया है लेकिन मैं उसको जरा खोल देना चाहता हूं। आज सरकार न्यायपालिका और कार्यपालिका का एकीकरण करना चाहती है और करती जा रही है। यह जो जज लोग हमारे विश्वविद्यालयों के कुलपति और उप-कुलपति बनाये गये उससे मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार सोचे जरा ईमानदारी से, इससे आज जो न्यायपालिका है वह क्या भ्रष्ट नहीं हो रही है ? निश्चित रूप से भ्रष्ट होगी। जज लोग निश्चित रूप से प्रयत्नशील होंगे, कोशिश करेंगे कि निर्णय देते वक्त सरकार की कृपाकटाक्षों और भृकुटिविलासिताओं को देखते रहें और उसी पर आश्रित होकर जज लोग अपने फैसले करेंगे क्योंकि सरकार की कृपा होने पर ही ऐसे जजेज ऐसे पदों पर लाये जायेंगे।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मुझे कटु अनुभव है। हमारे एल० आर० हाई कोर्ट के जजेज हो जाया करते हैं। मुझे उनकी सेवा में उपस्थित होने का अवसर भी आया है जो यहां एल० आर० थे और यहां से हाई कोर्ट के जज बनाकर भेजे गये हैं। वही एल० आर० जो यहां विधेयकों को बनाते हैं, जो यहां इस सदन से विधेयकों को प्रस्तुत कराने में और पारित कराने में सरकार को सहयोग देते हैं, सरकार की मदद करते हैं और जब उसी कानून को हम हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो वही एल० आर० साहब वहां क्या उसी कानून के विरुद्ध निर्णय देगा कि वह गलत है ? जो वह सदन में एक बार अपने निर्णय को सरकार के द्वारा रखा चुका है क्या उसी के विरुद्ध निर्णय वहां देगा ? हरगिज नहीं दे सकता। इसलिये यदि सरकार को सही मानों में जनतंत्र में, यहां के समाजवादी तरीके में, निष्ठा है तो उसे अपनी इस तरह की नापाक कोशिशों पर अंकुश लगाना चाहिये।

श्रीमन्, बड़ा ढोल पीटा गया है ५८ और ५५ पर, नम्रता के साथ मैं जानना चाहता हूं बहुत प्रयत्न में मैं हूं कि यह सरकार कहां-कहां, किन-किन को बढ़ा रही है, हम उसे जान सकें। मगर जिन मामलों में मौका मिलेगा और जहां नकेल दबेगी वहां जिनकी सेवायें ५५ साल के

बाद समाप्त हो जानी चाहिये थी उनकी सेवाओं को बढ़ा रही है और बढ़ायेगी। नाटक किया जाता है टेक्नीकल पदों का। नीचे के लोगों की पदोन्नति नहीं होगी। पदोन्नति होगी डाइरेक्टर की, उनकी कार्यविधि को बढ़ाया जायगा। यह कहां की मर्यादा है, कहां का नियम है और कहां का जनतन्त्र है? इससे बढ़ कर स्वेच्छाचारिता का ज्वलंत उदाहरण और नहीं हो सकता।

एक बात और आई है, श्रीमान् चन्द्रभानु गुप्त के शासनकाल में। मैं इसको छिपाना नहीं चाहता हूं। जब सम्पूर्णानन्द जी की सरकार का पतन हुआ और चन्द्रभानु जी गुप्त की सरकार शासनारूढ़ हुई तो उस समय सरकारी कर्मचारियों में एक आशा का भाव आया था कि शायद पुराने पापों से छुटकारा मिले और पुरानी गलत कार्य प्रणाली के ढंग से छुटकारा मिले मगर आज स्वेच्छाचारिता साक्षात रूप में खड़ी है। जो यहां पर ट्रान्सफर्स हो रहे हैं उनमें क्या मर्यादा है, क्या नीति है? कोई निष्पक्षता है? कोई समान व्यवहार है? सरकार ने घोषणा की कि तीन साल से अधिक जो अधिकारी सेक्रेटरियट में रह चुका है उसको हम बाहर भेजेंगे। मैं ज्यादा नाम गिनाना नहीं चाहता हूं, यद्यपि हमारे पास नाम हैं, मगर मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या जो आज आपके यहां बी० बी० लाल हैं इनको यहां सेक्रेटेरियट में कितने दिन हुए? ३ साल हुए, ७ साल हुए या १० साल हुए? आपके यहां जो भरत नारायण हैं यह सेक्रेटरियट में कितने साल से हैं? आज जो आपके यहां एस० बी० माथुर हैं यह सेक्रेटरियट में कितने साल से हैं? आर० एन० मेहरा सेक्रेटरियट में कितने साल से हैं? जी० पी० पांडेय सेक्रेटरियट में कितने साल से है? वसंत सिंह सेठ यहां सेक्रेटरियट में कितने साल से हैं जो आज मुख्य मंत्री के नाक के बाल बने हुए हैं? प्रश्न यह है कि कहना कुछ और करना कुछ। कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। यह इस सरकार की नीति है।

आप देखें कि सरकार के इधर कुछ आदेश हो रहे हैं जो किसी भी सभ्य सरकार के आदेश नहीं हो सकते। आज सारे के सारे सरकारी सेवा में लगे हुए जो कर्मचारी हैं वह बेचारे बेबस हैं उनकी सुरक्षा को पूरा खतरा है और वह समझ नहीं पाते हैं कि उनको कब और कहां किस स्थान में जाना पड़े। जब मुख्य मंत्री की मर्जी में आयेगी तो उनको कहीं का कहीं फेंक दिया जायगा। एक नहीं अनेक इस तरह के उदाहरण हैं इनके शासन काल के। रीजनल इन्सपैक्ट्रेस आफ स्कूल्स आगरा में थीं। सरकार की मर्जी हुई कि उसको मेरठ जाना होगा तो वह मेरठ गईं। फिर सरकार की मर्जी में आया कि मेरठ से उनको वाराणसी जाना होगा तो उनको वाराणसी भेजा गया। फिर वहां से हटाकर उनको दूसरी जगह सरकार ने भेजने के लिये सोचा। फिर उसी आगरा में वे विराजमान हो गईं। इन मुख्य मंत्री के शासन काल में इलाहाबाद के सिविल सर्जन का ट्रान्सफर हुआ और मि० सूरी से कहा गया कि तुम जाकर अलीगढ़ चार्ज लो तो वहां जाकर उन्होंने चार्ज लिया। लेकिन फिर वह सूरी साहब वाराणसी में विराजमान कर दिये गये। यह क्या नाटक है? क्या तरीका है?

फिर इसके बाद डी० एम०, बदायूं को डिप्टी लैंड रिफार्म्स कमिश्नर बनाया गया। उसको कैंसिल करके उनको डिप्टी डेवलपमेन्ट कमिश्नर इलाहाबाद बना दिया गया। केहर सिंह का तो अजीब हाल है। वह शिक्षा सचिव थे तो उनको एल० एस० जी० सेक्रेटरी बनाया गया। वह तीन दिन भी एल० एस० जी० सेक्रेटरी नहीं रहने पाये थे कि उनको ट्रान्सफर करके लखनऊ में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पद पर आसीन कर दिया गया। डा० माथुर, असिस्टेंट सिविलसर्जन को ६ महीने में ही लखनऊ से उठाकर फेंक दिया। गोरखपुर के ए० डी० एम० का ट्रान्सफर सेक्रेटरियट में किया गया और सेक्रेटरियट का आदमी गोरखपुर चला गया। उसको वहां पर चार्ज नहीं दिया गया। हुक्म हुआ कि वह गोरखपुर में ही रहे। वहां से उनको फिर वापस अना पड़ा। यह सब क्या तमाशा है? मैं कहना चाहता हूं कि आज इस सरकार ने प्रदेश में अराजकता पैदा कर दी है। यह सब क्यों हो रहा है? क्या कारण है? उसका केवल एक कारण है। आगामी आम निर्वाचन। उसी आम निर्वाचन के कारण यह शासन कार्य कर रहा है।

[श्री राजनारायण]

मैं सारे प्रदेश का दौरा करता हूं और इस देश के अन्य प्रदेशों का भी दौरा करता हूं। मगर आज मुख्य मंत्री ने जितना शासन अपने हाथ में ले रखा है और जितने अधिकार अपने हाथ में ले रखे हैं उतना कहीं भी किसी के हाथ में नहीं है। इसको देखा जाना चाहिये। कल मुख्य मंत्री जी ने यहां पर कह दिया कि मैं मंत्रियों का भी मुख्य मंत्री हूं। ऐसे मंत्री हैं जो उनके मुख्य मंत्रित्व में काम करेंगे। मुख्य मंत्री होता है जब मंत्री बनते हैं या मंत्री बनकर वे मिल कर मुख्य मंत्री बनाते हैं। यह एक विवाद का प्रश्न है, लेकिन सदन में कह दिया कि मैं मंत्रियों का भी मुख्य मंत्री हूं। इस प्रकार की असंयत वाणी किसी भी जनतांत्रिक व्यवस्था से ओतप्रोत होकर चलने वाले मुख्य मंत्री के मुंह से नहीं निकल सकती, लेकिन यहां निकल रही है। मैं इसी के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि और क्या हो रहा है, उसे पहले देखा जाय।

कैबिनेट में काउन्सिल के कितने लोग हैं? इसके पूर्व भी काउन्सिल के लोग कैबिनेट में आये हैं। कैबिनेट में जनता के द्वारा, सीधे प्रत्यक्ष चुनाव से जो आये, मुख्य रूप में जनतांत्रिक प्रणाली में उनको ही रखना चाहिये। किसी परिस्थिति विशेष के लिये अन्य व्यवस्था हो सकती है, लेकिन परिस्थिति विशेष को हमारे मुख्य मंत्री ने सामान्य परिस्थिति बना लिया है। श्री हर गोविन्द सिंह, श्री अलगू राय शास्त्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी चली आ रही हैं जिनको कहीं जगह नहीं थी उनको नामिनेट करके काउन्सिल में ले आये और फिर कैबिनेट में ले आये। श्री चतुर्भुज शर्मा का तो केस इससे अलग है। जनता द्वारा आम चुनावों में ठुकराये हुए लोगों को लेकर मंत्रि-परिषद् का गठन करना जनतंत्र के साथ बलात्कार है। श्री चतुर्भुज शर्मा आम चुनाव में हारे थे। जब श्री चन्द्रभानु गुप्त आये थे तो हम सोचते थे कि यही पूर्णाहुति है, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम अकेले ही क्यों रहें। उन्होंने साथ में शर्मा जी को भी पकड़ लिया। आक्षेप हो, तो सब पर हो और इसमें हमारे मुख्य मंत्री जी बड़े माहिर हैं। इसके सम्बन्ध साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि यहां श्रीमती सुचेता कृपालानी जी बैठी हुई हैं। कोई भी सभ्य मंत्रिमंडल और किसी भी प्रदेश की सभ्य जनता इस प्रकार की मंत्राणी को कभी कबूल करने के लिये तैयार नहीं हो सकती। मंत्री पद पर आने के बाद उनमें गर्व बढ़ गया है। जब विधान सभा के सदस्य बात करते हैं तो वे फोन फेंक देती हैं फुरसत नहीं है। लोग घेरे रहते हैं। कौन घेरे रहते हैं, वे जो टिकट के आकांक्षी हैं क्योंकि आज कल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री के लिये एक लेजां अफसर की जरूरत है जो पं० जवाहर लाल नेहरू और श्री चन्द्रभानु गुप्त में संबंध स्थापित करता रहे और वे यह काम कर रही हैं और कर सकती हैं।

श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चहता हूं कि जिन-जिन लोगों पर हमने इस सदन में आरोप लगाये हैं और जिन-जिन कामों को लेकर हमने भूतपूर्व मंत्रिमंडल में प्रश्न किये थे मैं चाहता हूं कि उनकी पूरी जांच होनी चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि यह भूतपूर्व मुख्य सचिव की पूरी फाइल मेरे पास मौजूद है। जब से वे नैपाल छोड़ कर आये हैं, उसके बाद का एक-एक डिटेल्ड ब्यौरा इसमें है। मैं जानना चाहता हूं कि जो आदमी गंदा रहता है, जिस आदमी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और जिसके संबंध में एक नहीं अनेक प्रमाण मेरे पास मौजूद हैं, क्या यह सरकार उन मुख्य सचिव को उनके पद से हटायेगी अथवा जो इंडस्ट्रियल ट्रेड कारपोरेशन सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का बन रहा है उसमें उनको एप्वाइन्ट कर देगी? जो कर्मचारी दोषी हैं, जिनके ऊपर आरोप हैं उनकी जांच होनी चाहिये। अगर इस सदन का कोई आदमी नहीं है तो क्या उसका कोई सम्मान नहीं है? मुख्य मंत्री जी उसके लिये कह देंगे कि वह ऐरा-गैरा है, सदन का मेम्बर नहीं है। मैं समझता हूं कि यह भारतीय संविधान की अवहेलना है, उसका असम्मान है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि मुख्य मंत्री जी को जरा भी कर्त्तव्य का ज्ञान हो तो वे श्री गोविन्द नारायण जी से पता लगायें कि किस प्रकार वे नैपाल से लौटे, किस तरह किंग के हवाई जहाज का इस्तेमाल उन्होंने किया, किस तरह से अपने वीसा को छिपाया, किस तरह यहां मकान बनवाया, किस तरह इन्कम टैक्स में उसका गलत चिट्ठा दिया और किस तरह

अपनी लड़कियों की शादी में अफसरों का नाजायज इस्तेमाल करके सामान मंगवाया, पांच-पांच हजार रुपये का सामान आया है नवाब साहब रामपुर की वजह से। यह सारा का सारा चिट्ठा है, जब तक इसकी जांच न हो जाये तब तक उनकी पदोन्नति नहीं होनी चाहिये। (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, यह बत्ती तो बुझा दी जानी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—आप १५ मिनट बोल चुके हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं कोई बुरी बात तो कह नहीं रहा हूं (हंसी)।

तो मैं यह कहने जा रहा था कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी यहां आये हुए थे उस समय मैंने उनकी सेवा में करीब १५ प्वाइन्टस लिख कर भेजे थे, किन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। माननीय मुख्य मंत्री जी बतायें कि उन्होंने उस पर क्या किया। उसमें हमने बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट से संबंधित मूल प्रश्न लिखा, उसमें हमने मूल प्रश्न हरिजनों के उत्थान के संबंध में लिखा, मगर सरकार ने उस पर कुछ नहीं किया। यह सरकार यहां खड़ी होकर कहती है यहां हमने यह किया वह किया, परन्तु हमारे पास पूरे प्रदेश के आंकड़े हैं। उन लोगों का वही दुख है, वही रोना है, कहीं-कहीं तो उनकी हालत और भी गिरी है।

दूसरी बात श्रीमन्, यह है कि स्टील के लाइसेन्स आज दिये जा रहे हैं। यह किनको दिये जा रहे हैं? मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं कि स्टील के लाइसेन्स उन लोगों को दिये जा रहे हैं जो लोग कांग्रेस के चुनाव में ५ हजार, १० हजार रुपये चन्दे के रूप में देते हैं।

श्रीमन्, जिस तरह से जिला बोर्डों के चुनाव हुए थे उसकी यहां पर मैंने सख्त मुखालफत की थी। मैंने हमेशा कहा है कि यह चुनाव बालिग मताधिकार के अनुसार होना चाहिये। आज जिस तरह से जिला परिषदों का गठन हुआ ह यह क्या है? इसमें क्या हो रहा है? जो कांग्रेसी जिलों के अध्यक्ष हैं वे अध्यापकों की लिस्ट बना रहे हैं और उन अध्यापकों की जिनके बारे में उनको यह आभास होता है कि अगले आम चुनाव में वे कांग्रेस की हां में हां नहीं मिलायेंगे उनको दूर फेंका जा रहा है। इसके पूर्व के मुख्य मंत्री जी ने यह निश्चय कर लिया था कि जब चुनाव का कार्यक्रम शुरू होगा उस समय किसी आफिसर का ट्रान्सफर नहीं होगा, लेकिन आज सरकार तमाम जिलों के आफिसरों का ट्रान्सफर इधर से उधर कर रही है और वह सब आगामी आम चुनाव को देखकर किया जा रहा है। इसके लिये इस सरकार की जितनी भी निन्दा की जाय उतनी थोड़ी है।

आज हमारे किसानों के लिये क्या राहत है? यह पंचवर्षीय योजनाएं किसके लिये हैं? इसका फायदा किनको मिल रहा है? सरकार की ओर से कहा जाता है कि हमको इन योजनाओं के लिये ज्यादा रुपया चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पंचवर्षीय योजनाएं जनता की योजनाएं नहीं हैं। यह गरीबों के लिये नहीं हैं। हमारे प्रदेश की साढ़े ७ करोड़ की आबादी है और यह योजना मुश्किल से एक करोड़ लोगों की योजना है, शेष उससे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं।

श्रीमन्, बद्रीनाथ रोड पर जो दुर्घटनाएं घटित हुईं उनके बारे में हमने इस सरकार से मांग की कि सड़कों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। इस सरकार ने उसको भी नहीं माना। राप्ती का पुल गिरा, इस सरकार ने क्या किया? जिस प्रकार से एक नौटंकी की तरह से सरकार ने उसकी जांच के लिये समिति का निर्माण किया, उससे कोई जांच होने वाली नहीं है। इन्टरमीडिएट एजूकेशन बोर्ड के संबंध में जो बिल पेश किया गया है उसकी मंशा क्या है? क्या वह पुराने कानून के मातहत अध्यापकों को जो हक मिले थे, उनको छीनने के लिये नहीं है। प्रबन्धकों की ओर से सरकार के पास प्रतिनिधिमंडल आया और उसने अपनी मांग को रखा और सरकार ने उसको यह आश्वासन दिया कि हम आपकी मदद करेंगे। आज जो अध्यापक साल-साल भर के प्रोबेशन पर थे उनका जीवन नारकीय जीवन बना हुआ है।

श्रीमन, दो तीन मिनट और दे दीजिएगा।

श्री अधिष्ठाता--आप २० मिनट बोल चुके हैं। ५ मिनट के अन्दर समाप्त कर दें।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। लीडर आफ दि ग्रुप्स को २५ मिनट का टाइम निर्धारित किया गया है, लेकिन माननीय राजनारायण जी किसी ग्रुप के लीडर नहीं हैं, इनको यदि अधिक टाइम दिया जायगा तो और सदस्यों को भी उतना ही देना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता---यह स्पीकर के डिस्क्रिशन पर है कि किसी को अधिक समय दे और किसी को कम दे।

श्री राजनारायण--मैं यह कह रहा हूं कि माननीय गुप्त जी सोचें कि जो साढ़े पाच करोड़ रुपया गन्ने के किसानों का मिल मालिकों पर बकाया है वह क्यों नहीं अब तक वसूल कराया गया है? अगर सरकार गरीब किसानों की हिमायती बनती है तो उनसे अदा करवाये।

क्या यह सही नहीं है कि मिल मालिकों की ओर से सरकार को थैलियां मिल रही हैं, इसलिए वह किसानों को उनसे रुपया दिलाने में हिचक रही है? जो सब से बड़ी चीज़, जिसके सम्बन्ध में कानपुर में और इस प्रदेश के अन्य शहरों में कहा गया था कि अब इस सरकार के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव सदन में आना चाहिए और मैं उन लोगों में हूं जिन्होंने अविश्वास का प्रस्ताव लाने में ज्यादा से ज्यादा काम किया और जो चाहते रहे हैं कि अब इस सरकार का पतन होना अवश्यम्भावी हो गया है।

श्रीमन्, मंत्रिपरिषद् के विस्तार के सम्बन्ध में मैं बतलाना चाहता हूं कि एलेक्शन कमीशन आया हुआ था, उसके सामने यह बन्दा हाजिर हुआ था। हमारा यह प्रश्न है कि जबकि एलेक्शन के लिए उम्मीदवारों का चयन आरम्भ हो गया है, ऐसे समय में मंत्रि-परिषद् का ३० की संख्या में विस्तार, यह जनतन्त्र पर बलात्कार है। यह संख्या जो अब तक की मंत्रि-परिषदों की संख्याओं में सब से बड़ी है यह क्या आगामी चुनावों को दृष्टि में रख कर नहीं बढ़ायी गयी है? कौन-कौन लोग मंत्री होकर जनता के पैसे से चुनाव लड़ें। जो पिछला तजुर्बा था, क्या उसकी बुनियाद पर फैलाव नहीं किया गया है? यह अजनतंत्रीय, अशोभनीय और गैर-सामाजिक काम है। क्योंकि समाज और जनता के पैसे से आगामी आम निर्वाचन का गठन और नियोजन माननीय गुप्त जी कर रहे हैं इसलिए इसका विरोध सब ओर से होना चाहिए।

मजे की बात तो यह है कि ये चपरासी खड़े हैं, इनकी छटनी होगी और मंत्रि-परिषद में--मैं माननीय मुख्य मंत्री के शब्दों को दोहराता हूं---इधर-उधर के ऐरे-गैरे नत्थू-खैरे लोगों को लेकर उसका विस्तार होता है। क्या अपने ही हाथों से शर्म की कालिख गुप्त जी अपने चेहरे पर नहीं पोत रहे हैं?

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। आपका बार-बार टोकना हमारे लिए कोई अच्छा नहीं है, और आपको हम यह मौका नहीं देना चाहते। श्रीमन्, २० हज़ार और ३० हज़ार के अन्दर जो हैजे में मृत्युएं हुई हैं वह इसी शासन-काल में हुई हैं। माननीय गुप्त जी, चन्द्रभानु जी, अब यह पुराना शासन नहीं रहा है। बदरीनाथ के रास्ते में कुछ तो बस की दुर्घटनाएं हुई हैं, मगर जो हम सरीखे चलते थे बेचारे और चलते हुए जो मर गये हैं, जिनको कहीं लिखा नहीं गया है, उनकी ४-५ सौ की तादाद होगी। इसके बारे में सरकार कुछ सोच रही है या कर रही है? हमारे तिनजुनला दर्रे के बारे में, मानसरोसवर, स्फुलिंग मठ, कैलाश जो उत्तर प्रदेश में है और जिससे देश की जनता का विशेष रूप से सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है? यह हम को बताया जाय। चाहे प्रदेश की जनता का सम्बन्ध हो, चाहे दूकानदारों का अध्यापकों का, विद्यार्थियों का, मजदूरों का, या खेतिहर मजदूरों का सम्बन्ध हो, या किसानों का और छोटे-छोटे कर्मचारियों का सम्बन्ध हो, यह सरकार सबके लिये अहितकर साबित हुई है। इसलिए आज हम प्रदेश की जनता का आह्वान करते हैं कि इस सरकार का पतन कराने में वह हमारा साथ दे।

इन शब्दों के साथ मैं पालीवाल जी के अविश्वास के प्रस्ताव के लिये सदन से अपील करता हूं कि वह उसके पक्ष में मत दे ।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन के बहुत बुजुर्ग नेता माननीय पालीवाल जी के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, इस सदन में इस सरकार के खिलाफ़ यह ५वीं बार अविश्वास का प्रस्ताव पेश हुआ है--५७, ५८ और ५९ में और ६१ में २ बार । कोई नयी बात जनता के सामने रख कर विरोध पक्ष ने यह मुतमइयन नहीं किया कि सरकार किसी काम की नहीं है । आज जो दो भाषण हुये उनके सुनने से मालूम ऐसा होता है कि इस १० या ५ वर्ष के समय में कांग्रेस की सरकार ने जनता के निमित्त कोई भलाई का काम नहीं किया है । यह कह कर कम से कम सवा सात करोड़ जनता के सामने, मैं समझता हूं, एक ग़लत नक़शा पेश किया जा रहा है । ५ मर्तबा के अविश्वास के प्रस्ताव में कुल १० दिन लगे और औसतन इस विधान सभा के बैठने का एक दिन का खर्चा १०,००० रुपया है । तो १० दिन में १ लाख रुपया विरोध पक्ष ने केवल इसलिये खर्चा कराया है कि सरकार के खिलाफ वह कुछ कह ले । अलावा इसके कामरोको प्रस्ताव आधे घंटे, के विवाद और इतने सवाल-जवाब होते हैं उन पर कितना ख़र्चा सरकार से कराया जाता है, उसके बारे में विरोध पक्ष ने कभी हिसाब लगाया है ?

मैं विरोध पक्ष के सम्मानित नेताओं से जानना चाहता हूं कि एक तरफ़ तो यह कहा जाता है कि मुल्क में उछृंखलता और हत्यायें बढ़ रही हैं और दूसरी ओर वर्तमान गृह मंत्री के शब्दों के अनुसार, विरोधी पार्टियों में बहुत से ऐसे पेशेवर क्रिमिनल शरण पाये हैं जो हत्या और डकैती किये हैं । इसी सदन में गृह मंत्री ने बताया था कि विभिन्न पार्टियों में कितने पेशेवर क्रिमिनल शरण पाये हैं । नेतागण इस पर विचार करें और उनकी छटनी करके देखें कि उसका असर क्या होगा । कांग्रेस में कोई लायक़सिंह जी जैसा आदमी नहीं है । (शोर तथा व्यवधान) मुझे क्षमा करेंगे आप । इस प्रकार की कोई घटना हमारी पार्टी में नहीं हुई है और न होने वाली है । अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति हमारी पार्टी में होगा तो मैं तुरन्त माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी से कहूंगा कि उसे वे न केवल कुर्सी छोड़ देना का आदेश दें, बल्कि यह आदरणीय सदन भी छोड़ देने का आदेश दें । मान्यवर, ईमानदारी के साथ सुनने के लिये तैयार न होना और यह कहना कि हमारी पार्टी में कोई दोष नहीं है, दूसरी पार्टी में ही सब दोष है, यह प्रजातंत्र का खून है ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि लायकसिंह जी का मुक़दमा अदालत में होते हुये क्या ऐसा रेफरेंस यहां दिया जा सकता है ?

श्री अधिष्ठाता--जो मामला सब-जुडिस हो उसके लिये यहां ऐसा पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिये ।

श्री केशव पांडेय--मैं वापस लेता हूं । लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि हमारे अन्दर कोई "लायक़" नहीं है ।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार बेकार है, अगर वह कोई काम नहीं कर सकती है तो पिछले ५ वर्षों में या १५ वर्षों में विरोधी पक्ष बराबर जनता के सामने जाता रहा है परन्तु बहुमत में यहां नहीं आ पाता है । जनता ने ही चुन कर हमारी सरकार बनायी है । इस समय विरोधी पक्ष कोई सत्याग्रह करके जेलखाने नहीं जाना चाहता है । सोचता है कि कौन जेल जाए, इसलिये यह प्रस्ताव पेश हो गया ।

मैं यह सुनने की चेष्टा कर रहा था कि कोई ऐसी बात बतायी जायगी जिससे हमारा १५ वर्ष का जनतंत्र का बच्चा पनपेगा, मगर कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया गया । जैसे प्राब्लम विद्यार्थीगण क्लास में बैठ कर मास्टर को विकल कर देते हैं कि हमारी नहीं सुनी गई, हमारी कापी नहीं देखी गई, हमारी पेंसिल फलां ने ले ली आदि, वैसी ही बात विरोध पक्ष यहां करता है । जैसे अगर हमारी तरफ़ से कोई बोलता है तो फ़ौरन व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित होता है । प्रजातंत्र के हनन का हमारे ऊपर दोष

[श्री केशव पांडेय]

लगाया जाता है। लेकिन अभी सोशलिस्ट पार्टी के भूतपूर्व नेता राजनारायण जी ने १५ मिनट के बजाय २५ मिनट लिये जो कि हाउस के निर्णय के अनुसार उन्हें १५ मिनट ही लेने चाहिये थे। नेता न होते हुये उन्होंने चिरौरी करके २५ मिनट ले लिये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, आपने उन्हें इतने समय बोलने का हुक्म दिया था तो उन्हें क्या एतराज़ है ? वह कौन हैं ? उनकी हैसियत पूछ ली जाय।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---वह चेयर पर अविश्वास ला रहे हैं जिसने राजनारायण जी को बोलने का अवसर दिया।

श्री अधिष्ठाता---मैं माननीय सदस्य से यह कहूंगा कि उन्होंने राजनारायण जी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अधिक समय लिया, उन्हें १५ मिनट से अधिक नहीं बोलना चाहिये था। लेकिन चूंकि अधिष्ठाता ने या चेयर ने राजनारायण जी को इजाजत दी, इसलिये इस प्रकार का जिक्र नहीं करना चाहिये था।

श्री केशव पांडेय---मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता हूं। मैंने तो यह कहा कि प्रजातंत्र की दुहाई देते हुये राजनारायण जी ने प्रजातंत्र का हनन करके अधिक समय लिया।

श्रीमन्, कहा गया कि कुछ लोगों को आम चुनाव के समय, रुपया लेकर कंट्रोल का सामान दिया जाता है। मैं अपने जिले को जानता हूं कि डी० एस० ओ० के पास सामान के लिये दरख्वास्तें जाती हैं, लेकिन जो वह अपना मापदंड रखते हैं उसी के अनुसार कोटा देते हैं। इस प्रकार से आरोप लगा कर यह कहना कि चन्दा देने वाले को कोटा दिया जाता है, उचित नहीं है। यह मैं नहीं समझ सका कि विपक्ष के पास क्या कोई नोट छापने को मशीन है जिसके कारण उनको चन्दा नहीं मांगना पड़ता या क्या उनका चुनाव में कोई खर्चा ही नहीं होता है ? जो लोग इस प्रकार से बावेला मचाते हैं उनके छोटे-छोटे कार्यकर्ता २-२, ४-४ आने दरख्वास्त का लेते हैं लेकिन हमारी ओर के आदमी इस प्रकार का काम नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग हम लोगों से काम लेते हैं उनसे हम अवश्य कहते हैं कि तुम हमारे क्षेत्र के निमित्त कुछ काम करो, हमारे श्रमदान में हिस्सा लो आदि। मैं समझता हूं यह जनतंत्र के विरुद्ध नहीं है और इस प्रकार से कहना, मेरा विचार है, खराब भी नहीं है।

श्रीमन्, शोर हो रहा है और मुझे बीच-बीच में टोका भी जा रहा है। वे लोग नाराज क्यों होते हैं ? उनको हमें भी अपनी बात कहने का मौका देना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---मैं समझता हूं सदन को शांति रखनी चाहिये। आप लोग बीच में इन्टरप्ट न करें। माननीय सदस्य कृपया जारी रखें।

श्री केशव पांडेय---मैं यह कह रहा हूं कि यह अविश्वास का प्रस्ताव बेवक्त लाया गया है। बेकार ही जनता का दो दिन में हजारों रुपया खर्च कराया गया है। इस समय तक जो भी बातें कही गयी हैं उनका अगर रिकार्ड उठा कर देखा जाय तो मालूम होगा, कई बार प्रश्नों, कामरोको प्रस्तावों आदि के सिलसिले में कहा जा चुका है। मैं यह आशा करता था कि इधर के और उधर के समझदार लोग बैठ कर कुछ विचार करेंगे और जनतंत्र को पनपाने के लिये कोई कार्यवाही करेंगे और सोचेंगे कि किस प्रकार से प्रदेश को ऊंचा उठाया जा सकता है, लेकिन यहां तो केवल इस प्रकार से शोर ही मचाया जाता है, फबतियां ही कसी जाती हैं और इस प्रकार से अविश्वास का प्रस्ताव लाकर जनता को गुमराह करने का प्रयत्न किया जाता है। होना तो यह चाहिये था कि जनतंत्र के प्रति विश्वास पैदा करने वाली बातें की जातीं जिनसे आगे आने वाली संतानों को उसमें कुछ विश्वास पैदा हो सकता। लेकिन इस प्रकार की उभय पक्ष से कोई चेष्टा नहीं की गयी है। यह भी नहीं कहा गया कि हमारे पास साधनों की कमी है।

हमें ऐसे काम करनें हैं जिनसे हमारा मुल्क आगे बढ़े। यहां एक ओर तो पाकिस्तान है, दूसरी ओर चीन है तीसरी ओर उधर की ओर से जनता में गड़बड़ी पैदा की जाती है और उलझनें पैदा की जाती हैं। मैं इन शब्दों के साथ आदरणीय पालीवाल जी से प्रार्थना करूंगा कि १–२ घंटे तो अब इस पर बहस हो ही गयी, अब वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)––माननीय अधिष्ठाता महोदय,मुझे इस बात का दुख है कि हमारे प्रदेश में, जो हमारे देश में आजादी के आन्दोलन का जन्मस्थान था, और जहां प्रजातांत्रिक भावनाओं को भी सब से ज्यादा उन्नति प्राप्त हुई, उसी प्रदेश में मौजूदा मंत्रिमंडल की रचना प्रजातंत्र की मर्यादाओं व सिद्धान्तों का उल्लंघन करके हुई है। जिन व्यक्तियों को चुनाव में जनता ने ठुकरा दिया था (यद्यपि संविधान में इस बात का अधिकार है कि विशेष परिस्थिति में कुछ लोगों को जिनको जनता ने तिरस्कृत कर दिया हो, उन्हें भी मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। लेकिन जो विशेष परिस्थितियों के लिये नियम हैं, जो संकटकालीन नियम हैं) उन्हें संकटकालीन नियमों की बुनियाद पर ही वर्तमान मंत्रिमंडल में लिया गया है। जब कि विशेष परिस्थिति का कोई सवाल नहीं था, बल्कि सामान्य स्थिति ही थी।

शुरू-शुरू में यह सोचा गया था कि कांग्रेस के अन्दरूनी संकट को दूर करने के लिये इस तरह मंत्रिमंडल की रचना करने के सिवा और कोई दूसरा तरीका नहीं था। परन्तु एक व्यक्ति के लिये जो नियम बनाया गया था वह नियम जैसे सब के लिये लागू हो गया। इस मंत्रिमंडल के निर्माण होने पर शुरू-शुरू में ऐसा मालूम पड़ता था कि जो व्यक्ति जनता में से, समाज में से ठुकरा दिये गये थे, उन सब के पुनर्वासन की दृष्टि से ही उनको इस मंत्रिमंडल में रखा गया है।

माननीय राजनारायण जी ने यह बात बिल्कुल सही कही (जिसका प्रत्येक व्यक्ति समर्थन करेगा) कि जो व्यक्ति जनता द्वारा ठुकराये जाने पर पुनः जनता में जाकर अपना निर्वाचन नहीं करा सकता था, जनता के सामने भी नहीं जा सकता था, आज वह जनता को ठेंगा दिखा कर यह कहता फिरता है कि तुमने तो मुझे ठुकरा दिया, लेकिन आज मैं पुनः तुम्हारे सामने मंत्री बन कर खड़ा हुआ हूं। वह दोबारा मंत्री की हैसियत से ही सन् ६२ का चुनाव भी लड़ना चाहता है। मान्यवर, इस दृष्टि से मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता का यह विश्वास, डेमोक्रेसी का एक बड़ा वरदान है कि अगर जनता किसी को विधान सभा में जाने से रोकना चाहे, या किसी को मंत्रिपद की जिम्मेदारी को निबाहने से भी रोकना चाहे, तो उसे वह रोक सकती है। यह विश्वास आज टूक-टूक हो गया है। आज कांग्रेस के नेता जनता में जाकर कहते हैं––तुम्हारे चुनने न चुनने से क्या होता है, अगर हम चाहें तो तुम्हारे ठुकराये जाने पर भी मंत्रिपद पर आसीन हो सकते हैं। यहां तो यह हालत है कि कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने जिनको कांग्रेस पार्टी का प्रेसीडेंट चुना सबेरे उसकी जगह पर कोई दूसरा आदमी आ जाता है और शाम को प्रतिनिधियों ने चुना कि फलां व्यक्ति हमारा मुख्य मंत्री हो, लेकिन सबेरे चादर के नीचे से दूसरा ही व्यक्ति निकल आता है। इस तरह की चीजें जब होती हैं तो जनतंत्र के प्रति जनता में अविश्वास पैदा हो जाता है।

एक बात यहां पर बार-बार यह कही गयी है कि यहां पर एक बिरादरी विशेष का ध्यान रखा गया है। इसका मतलब बनिया जाति से था। लेकिन जो व्यक्ति आम जनता की सेवा करना आवश्यक समझता है वह बनिया जाति की भी सेवा कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति पक्षपाती होता है, जो समाज में सामान्य सिद्धान्तों व आदर्शों का प्रचार नहीं करता है, वह किसी भी बिरादरी के साथ न्याय नहीं कर सकता है और वह बनिया जाति की भी भलाई नहीं कर सकता है। मैं तो आपसे दावे के साथ कहता हूं कि पिछली मर्तबा जो सेल्स टैक्स लगाया गया था, उस सेल्स टैक्स का सब से ज्यादा बोझ बनिया जाति पर ही पड़ा है। मैं बनिया जाति के कल्याण करने की भावना के लिये किसी पर कोई आक्षेप नहीं लगाता हूं, लेकिन यह भी सच है कि बनिया जाति का (इस मंत्रिमंडल से) बिरादरी के लिहाज से कोई लाभ नहीं हुआ है। आज सुरसा के बदन की तरह से यह सेल्स टैक्स का भार बराबर बढ़ता ही जा रहा है। इसलिये किसानों की भलाई के लिये व छोटे-छोटे दूकानदारों की भलाई के

[आचार्य दीपंकर]

लिये उस ऐक्ट में कुछ संशोधन करने की मांग बार-बार उठती रही है। लेकिन यहां तो जब विधेयक में संशोधन आते हैं तो उससे बजाय भलाई के सब की बुराई ही होती है। हर ६ महीने पर कछ न कुछ तरमीम करने का प्रस्ताव आ जाता है और उसको (बिक्री-कर को) सरकार ज्यादा सख्त करती जाती है।

मान्यवर, इस प्रकार मैं माननीय पालीवाल जी से इस बात में बिल्कुल सहमत हूं...

(इस समय २ बज कर १२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

और मैं समझता हूं कि इस सरकार को हमें अविश्वास की भावना से देखते हैं। लेकिन इस के साथ-साथ हमें बहुत गम्भीरता के साथ इस बात पर विचार करना चाहिये कि शासन यंत्र में जो अनुशासन, मर्यादा होनी चाहिये और जो आस्था जनता की उस पर होना चाहिये वह है या नहीं, या जो जिम्मेदारी राजकाज के चलाने की उस पर आई है उसमें लोगों के अनास्था के भाव पैदा हुये हैं या नहीं ? पार्टीबाजी सब जगह होती है, कौन मुख्य मंत्री बने, कौन मंत्री बने, क्या विभाग किस के पास रहें लेकिन वह फिर भी ऊपर की चीज होती है, लेकिन यहां ऊपर के दर्जे से लेकर सब से नीचे के दर्जे तक पार्टीबाजी पहुंच गई है। यहां की सरकार की गुटबन्दी इस दज तक पहुंच गई है कि अगर कहीं कोई कलेक्टर है तो वह किस गुट का है, अगर कहीं कोई तहसीलदार संकट में फंस गया तो फिर देखा जाता है कि किस गुट की शरण लेने से उसका कल्याण हो सकता है। इतने नीचे दर्जे यह चीज पहुंच गई है। अगर सरकार अपनी इस गुटबन्दी पर नियंत्रण नहीं कर सकी तो लाजमी तौर पर मैं कहता हूं कि आज जो अराजकता और अव्यवस्था यहां पर इस प्रदेश में फैली हुई है वह अभी बहुत कम है उससे जो आगे पैदा होने वाली है। अगर मंत्रिपरिषद् का यह ढांचा, यह तरीका और मंत्रिमंडल का यह रंगरूप नहीं तब्दील हुआ तो यह केवल कांग्रेस के लिये ही संकट नहीं लायेगा बल्कि यह पूरे प्रदेश के लिये और यहां की सारी जनता के लिये एक महान् संकट होगा और मैं आपके द्वारा यकीनन कहना चाहता हूं कि आज विरोधी पक्ष के लोग ही नहीं कुचले जाते हैं, उन्हीं को नहीं ठुकराया जाता है, बल्कि जो कांग्रेस के अन्दर अल्पसंख्यक हैं या बहुसंख्यक होने पर भी अल्पसंख्यक हो गये हैं, जो अल्पसंख्यक न होकर भी अधिकारहीन अपने को समझते हैं, उनको अपमानित किया जाता है।

मान्यवर, उनको भी छोड़िये, जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनकी भी हालत यह है कि आप किसी भी विभाग के मंत्री के पास जाइये उस विभाग के मंत्री आपकी बात सुन कर कहेंगे कि आप की बात तो कतई ठीक है लेकिन आप जरा इस बारे में मुख्य मंत्री जी से भी बात कर लीजिये। आप किसी दूसरे मिनिस्टर के पास जायें वह भी यही कहेंगे कि आप की बात बिल्कुल ठीक है लेकिन मुख्य मंत्री से आप बात जरूर कर लें जैसे कि सम्पूर्ण अधिकार, प्रत्येक विभाग के अधिकार, वर्तमान मंत्रियों के सारे अधिकार, व्यक्ति व्यक्ति के अधिकार केवल एक व्यक्ति में ही सिमट कर संकुचित और सीमित हो गये हैं और वह भी उस व्यक्ति के कि जिसके लिये २ बार जनता ने कहा कि हमारा पिंड छोड़ो और हम अब तुम पर विश्वास करना नहीं चाहते। मैं आपके द्वारा अर्ज करना चाहता हूं कि मझे उनसे कोई व्यक्तिगत द्वेष या रंजिश नहीं है, लेकिन मैं उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों से अर्ज करना चाहता हूं कि जो स्थिति आज पैदा हुई है उसका समाधान वे स्वयं करें।

आज से ठीक एक वर्ष पहले ९८ व्यक्तियों की ओर से यहां एक वक्तव्य दिया गया था वह किस ओर राज्य को मोड़ता था और वह किस प्रकार से प्रदेश को और जनता को अन्दरूनी पार्टी संकट में डालता था, यह किसी से छिपा नहीं है। जो रूलिंग पार्टी है और जो पार्टी हम चाहें न चाहें हमारे ऊपर हुकूमत करती है और जनता चाहे न चाहे लेकिन वह उस पर हुकूमत करती है अगर वह पार्टी सही ढंग से काम न करेगी और अगर वह पक्षपात-

एर्ण तरीके से काम करेगी तो वह असंगत होगा। सुसंगत तरीके से काम न करेगी तो उसका असर पूरे सूबे की जनता पर पड़ेगा। इसलिये मैं आज आप के द्वारा कहूंगा कि जहां तक कांग्रेस के अन्दरूनी संगठन का सवाल है उसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। कौन मुख्य मन्त्री बनता है कौन मन्त्रिमण्डल में लिया जाता है इसमें हमारा किसी से कोई रागद्वेष नहीं है, लेकिन जो रवैया आज कांग्रेस के अन्दर अपनाया जा रहा है, जो सत्ताविहीनों के साथ व्यवहार हो रहा है उससे आज पूरे सूबे का वातावरण अशान्त हो गया है और किसी को विश्वास नहीं रह गया है कि हमारे साथ हुये अन्याय का कहीं निवारण हो सकता है। आज की स्थिति में जनता पर बड़े-बड़े संकट आते हैं और सरकारी अधिकारी तथा सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती हैं। माननीय सदस्यों ने जैसा कि यहां प्रकट किया कि जिले के जिले जलमग्न हैं, पानी में डूबे हुये हैं, जहां बीमारी नहीं थी, वहां बीमारी फैली है, जहां कभी हैजा नहीं था वहां एक रात और दिन में ३०० आदमी हैजे के शिकार हो गये। और इनमें कोई नहीं समझता कि जनता के प्रति उनका क्या कर्त्तव्य है, वह तो केवल टैक्सेज की वसूली करना जानते हैं। वह सब तो.... (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष—सदन में शांति रहनी चाहिये।

आचार्य दीपंकर—अगर टैक्स वसूल नहीं होता है तो उसकी वसूलयाबी के लिये जनता की कुर्की करना जानते हैं, लेकिन अगर गरीब जनता त्राहि-त्राहि करती है, संकट मेंहोती है, तो उसकी मदद करना यह शासन नहीं जानता, उसकी मदद करना कांग्रेस मन्त्रिमंडल के बस का नहीं है।

सरकारी अधिकारियों के जो स्थानान्तरण किये जाते हैं उसमें भी आज सियासत होती है। यह सोचा जाता है कि किस अफसर को किस जिले में रखें, किस पुलिस वाले को किस थाने में रखें ताकि सन् ६२ के चुनाव में वह हमारी मदद कर सके। अखबारों में अनेक मर्तबा यह निकलता है। शासक पार्टी के लोग और उसके अन्दर के गुट के लोग जाकर कहते हैं कि इसका तबादला कर दीजिये, सन् ६२ के चुनाव में यह हमारे लिये संकट का कारण है। ठीक उसके २ घंटे बाद दूसरे गुट का आदमी जाकर कहता है कि इसे जरूर रहने दीजिये, सन ६२ के चुनाव में काम आयेगा। बहुत सी बातें कही जाती हैं। ये बातें कहां तक सही हैं इसके सम्बन्ध में मेरी प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है, लेकिन जो चीज सामने आती है वह यह है कि जिन पर लाखों करोड़ों रुपया टैक्स बाकी है उनसे कहा जाता है कि टैक्स मत दो, धीरे-धीरे दे देना लेकिन अभी थोड़ा-सा चन्दा दे दो।

मान्यवर, मैं व्यक्तिगत आक्षेप करना राजनीतिक जीवन में गलत समझता हूं, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति का व्यक्तिगत आचारण हमारे सामाजिक जीवन पर भी असर डालता है। आज एक-एक मन्त्री इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा बटोरे, तिकड़म करे और ऐसी साजिश करे कि सन् ६२ क चुनाव में येन-केन-प्रकारेण सत्ता उसके हाथ में आ जाय। आज हमारे प्रदेश में इस बात पर बड़ा रोष है कि करीब दस करोड़ रुपया हमारे प्रदेश के किसानों का मिल मालिकों के पास बाकी है। वही पैसा गन्ना पैदा करने वाले किसानों के बच्चों को पालता है और उसका ६ महीने का सहारा है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बार-बार प्रतिवाद किया कि उनकी वजह स मिल मालिकों को यह प्रोत्साहन नहीं मिला है कि पैसा न दें बल्कि उनकी अपनी कठिनाई है जिनकी वजह से पैसा नहीं देते। एक जगह से नहीं बल्कि १०—२० जगह से यह बात कही जाती है कि फलां मिल मालिक से मुख्य मन्त्री जी से व्यक्तिगत रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद बजाय उनके अन्दर यह भावना पैदा हुई हो कि किसानों का पैसा जल्दी दें, यह भावना पैदा हुई कि कोई बात नहीं, दो-चार महीने न दें तो कुछ नहीं बनता बिगड़ता। आज यह मंत्रिमण्डल जो जनता के द्वारा निर्वाचित है और जिससे जनता को तमाम उम्मीदें हैं, उसका यह कर्त्तव्य है कि वह उन गरीब किसानों की मदद करे जिन्होंने

[आचार्य दीपंकर]

कि साल भर तक गन्ना पैदा किया परन्तु उनको उसका दाम नहीं मिला, लेकिन यह मंत्रि-मण्डल मिल मालिकों के साथ खड़ा होता है और उन्हें अभय दान देता है कि तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा।

पिछली बार जब अविश्वास का प्रस्ताव पेश हुआ था तो हमारे विरोधी पक्ष के मान-नीय सदस्यों को यह विश्वास नहीं था कि वह पास होगा और आज भी विरोधी पक्ष के सदस्यों को और मुझे यह विश्वास नहीं है कि यह पास होगा, लेकिन जनता के द्वारा निर्वाचित जो यह उच्चतम संस्था है, जिससे हमारी जनता कुछ आशा करती है, इसमें खड़े होकर हम यह बात जरूर कहना चाहते हैं कि इस सरकार का रवैया जनता के साथ कैसा है। हम इसकी भर्त्सना करना चाहते हैं, निन्दा जरूर करना चाहते हैं। इसके ऊपर से आज जनता का विश्वास उठ गया है। आज मैं कांग्रेस के उन अल्पसंख्यक विधायकों से अपील करना चाहता हूं कि आज भी कांग्रेस की पुरानी परम्परा जीवित रहनी चाहिये। कांग्रेस के वे कारनामे जिनकी वजह से हम सब एक झंडे के नीचे खड़े हुये थे, उन कारनामों के न रहने के कारण चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे पी० एस० पी० हो, चाहे जनसंघ हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, ये सभी अपनी मातृ संस्था कांग्रेस से अलग हुये। कुछ लोग आज से १० वर्ष पहले अलग हो गये, कुछ लोग आज से १५ वर्ष पहले अलग हो गए। जो १५ वर्ष पहले अलग होने की परम्परा थी या १० वर्ष पहले अलग होने की परम्परा थी वह परम्परा आज भी बदस्तूर चालू है और आज भी कांग्रेस संगठन में अगर वे अपना दम घुटते हुए महसूस करते हैं, अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं समझते, यदि उनके टिकट भी सुरक्षित नहीं हैं, सम्मान और मर्यादा नहीं है, तो उनका कर्त्तव्य हो जाता है कि वे अविश्वास के प्रस्ताव में हमारा साथ दें और कहें कि जनता और जनता के कार्यकर्त्ता जिन्दा हैं वे अन्याय का विरोध करना जानते हैं।

मैं कहना चाहता हूं किस प्रकार से हमारे प्रदेश की जनता सरकार के जो पुराने कार्य-कलाप थे उनकी आलोचक थी और हम लोग सोचते थे कि जो पुराना ढर्रा मन्त्रिमन्डल का था उसमें बड़ी-बड़ी तब्दीलियां लाई जायेंगी। पर आज हमारे विश्वास को ठेस लगी, पुराने मन्त्रिमन्डल से भी घटिया किस्म का अपोर्चुनिस्ट और जनता का गला घोटने वाला मन्त्रि-मंडल बना है। कहा गया कि हम किफायतशारी करेंगे। क्या किया? चपरासी निकाल दिये। कहा गया कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द का मन्त्रिमण्डल बहुत बड़ा था जिसमें २८ सदस्य थे। मैं जानता हूं कि २८ या २६ सदस्य भी ज्यादा थे और उससे भी कम से काम चल सकता था। मैं यह भी जानता हूं कि ३० भी कम नहीं हैं और ५० भी कम नहीं हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मन्त्रियों को जब मन्त्रिमण्डल में शामिल करते हैं तो क्या सामाजिक आवश्यकतायें हैं जिनसे प्रेरित होकर इन कामों को करते हैं? अगर आप ३० व्यक्तियों का मन्त्रिमन्डल संगठित करते हैं इससे हमें कोई आपत्ति न होती, लेकिन मन्त्रिमण्डल में जब ऐसे मन्त्रियों को लाते हैं जिन पर जनता का विश्वास नहीं है तो जरा दुख होता है कि जनता की कद्र नहीं की जाती। अगर आप जनता का विश्वास पाये हुये लोगों को मन्त्रिमण्डल में रखते तो कोई एतराज नहीं था। पर मुख्य मन्त्री जी अपने जैसे ही मिलते-जुलते जनता के ठुकराये हुये लोगों को मन्त्रिमन्डल में ले आये हैं। मैं किसी की नीयत पर सन्देह नहीं प्रकट करता, लेकिन प्रश्न उठता है कि इन व्यक्तियों को लाने की क्या आवश्यकता हुई? अतः आज प्रदेश की जनता के लिये जरूरी सवाल हो गया है कि अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में केवल विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य तो अपने विचार प्रकट करेंगे ही, पर साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं जिनकी आत्मा जिन्दा है, जो अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करना जानते हैं और अपनी आवाज बुलन्द कर सकते हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वे आगे आवें और मजबूती के साथ कहें कि हम इस अन्याय का विरोध करते हैं और भ्रष्टाचारी, कुनबापरस्त, बिरादरीवादी तथा समाज के अन्दर कुरीतियां फैलाने वाली सरकार पर अविश्वास प्रकट करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं पालीवाल जी द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव इस सदन के सामने माननीय पालीवाल जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जितनी जिम्मेदारी, मान्यवर, शासक दल की स्वस्थ परम्परायें उपस्थित करने की है उससे कहीं अधिक जिम्मेदारी विरोधी पक्ष की होनी चाहिये। परन्तु मुझे यह कहते हुये अत्यन्त खेद है कि हमारे प्रदेश के विरोधी दलों ने पिछले ५ सालों में अविश्वास केप्रस्ताव पेश करने के सिलसिले में किसी स्वस्थ परम्परा का अनुसरण नहीं किया और आज सदन के सामने पांचवीं या छठीं बार अविश्वास का प्रस्ताव उस मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध उपस्थित किया है जिसके विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव सफल होने के सिलसिले में एक क्षण के लिये भी उनके हृदय में विश्वास नहीं हो सकता।

मान्यवर, यह आत्मप्रवंचना कही जा सकती है, अपने आपको धोखा देना कहा जा सकता है। साथ ही साथ यह जनहित के भी सर्वथा विरुद्ध है जिस जनहित की दुहाई देते हुये विरोधी दल शासक दल के प्रत्येक कार्य में दोष और त्रुटियां ही देखा करते हैं। वे कभी यह सोचते ही नहीं कि जनता की गाढ़ी कमाई का लगभग एक लाख रुपया केवल इस बात में व्यर्थ जाया किया जाना क्या उचित है जिसका वे एक क्षण भी विश्वास नहीं करते कि यह प्रस्ताव स्वीकार हो सकता है? मुझे खेद इस बात से और भी ज्यादा हुआ कि इस प्रस्ताव के समर्थन में जो बातें कही गई हैं वे सर्वथा निस्सार हैं।

मान्यवर, जिन बातों का जिक्र माननीय पालीवालजी ने प्रस्ताव पर बोलते हुये किया उनमें हमारे इस प्रदेश के शासक दल की गुटबन्दी को उन्होंने सर्वोपरि स्थान दिया। यदि शासक दल में आपसी मतभेद को अविश्वास का कारण बनाया जा सकता है तो किसी मुख्य मन्त्री के पारिवारिक कलह को भी इस सदन में अविश्वास का कारण बनाया जा सकता है। इस सदन में कई बार इस बात के लिये प्रत्याशा की गई है कि सभी दल इस बात की परम्परा कायम करें कि किसी राजनीतिक पार्टी के अन्दरूनी मामलों को सार्वजनिक विषय बनाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लेंगे। हमारे इस सदन के विरोधी दलों ने इस परम्परा का अनुसरण नहीं किया। जो बात उनके लिये प्रसन्नता की होनी चाहिये उसको इस सदन में शिकायत का कारण क्यों बनाते हैं। यदि आज शासक दल में जो प्रदेश में पिछले १० सालों में जनता का विश्वास प्राप्त कर के शासन का सूत्र संचालन कर रहा है, ऐसी कमजोरियां हैं तो उससे उनको कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिये बल्कि उन्हें प्रसन्न होना चाहिये और कदापि इस विषय को अपनी शिकायत का कारण नहीं बनाना चाहिये। ऐसा तो कोई भी राजनीतिक दल हो नहीं सकता जिसमें परस्पर कोई भेद, विभेद न हो। परन्तु उस विभेद के कारण उसकी कार्यपद्धति में, उसके शासनसूत्र संचालन में कोई अन्तर न पड़ रहा हो जो जनहित के विरुद्ध हो, तो ऐसी बात को इस सदन में कहना सर्वथा निस्सार है और मैं समझता हूं कि कोई भी तथ्य का जानने वाला व्यक्ति इसका आदर नहीं कर सकता।

मान्यवर, दो ही तीन बातें माननीय पालीवाल जी ने अपने प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहीं। एक तो यह कि हम सब सार्वजनिक जीवन में जातियों और सम्प्रदायों को विशेष महत्व दिया करते हैं और सभी यह कहते हैं कि व्यक्तियों के गुणों को न देखकर के अमुक व्यक्ति जाति की भावना से काम किया करता है। हमारे देश और प्रदेश में जातियां और धर्म तो पुराने काल से चले आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जाति या धर्म में जन्म लेता ही है, लेकिन यदि वह अपने गुणों के कारण योग्य स्थान प्राप्त करे और यदि किसी जाति विशेष के ही आदमी इस योग्य समझे जांय कि विशेष स्थान पर वे पहुंच जांय तो यह कहना कि किसी जातिवाद के कारण है यह भी सर्वथा निराधार बात है। जहां तक, मैं जानता हूं सरकारी पदों में पदोन्नति सदैव योग्यता और वरीयता के आधार पर होती है और यदि ऐसा न हो तो जो भी व्यक्ति उससे प्रभावित होता हो उसको यह अधिकार होता है कि अपनी ग्रीवान्स को शासन के सम्मुख ले आये और यदि वरीयता और योग्यता के कारण ऐसी पदोन्नतियां न हुई हों तो वे ठीक की जांय।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, एक ऐसी सरकार जिसका यह दावा है कि वह जनतन्त्र के सिद्धान्तों पर गठित है अगर उस सरकार के मन्त्री जनता द्वारा पराजित व्यक्ति बनाये गये हों, तो इसको जन दलित सरकार कहने में विरोधी पक्ष की क्या गलती है? इसके सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---यह तो राय का प्रश्न है। यह सवाल कई बार उठाया जा चुका है।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---मान्यवर, मैं अनुग्रहीत हूं कि माननीय सदस्य ने फिर से उस बात को मान्यवर के सामने प्रस्तुत किया जिसको कि वह बंशी बजाकर कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र को खुशी होनी चाहिये। मैंने पहले भी कहा कि अगर हम कौरवों की तरह पांडवों की तरह एवं यदुवंशियों की तरह आपस में लड़कर नष्ट हो जांय तो उनके लिये मैदान खाली हो जायगा। लेकिन मैं उनसे बड़ी नम्रता के साथ यह भी कह देना चाहता हूं कि अभी वह दिन बहुत दूर हैं। मैं यह कहना चाहता हूं और पूजनीय माता कुन्ती के वाक्य को दुहराना चाहता हूं कि आपस में हम लड़ते हुये १०० और ५ हैं। लेकिन आप के लिये हम १०५ हैं, रहेंगे और इसमें कभी भी, किसी प्रकार की कमी नहीं आ सकती है।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बातें इस प्रस्ताव के समर्थन में कही गई हैं वे अनेक बार इस सदन में जब विधेयक आये और वे इस आदरणीय सदन की स्वीकृति से ही अधिनियम बने उस समय कही जा सकती थीं। लेकिन आज जब वे अधिनियम बन चुके हैं और जिनको सदन ने ही पारित किया है तो उनको शासक दल के पारस्परिक मतान्तरों का कारण बतायें, या जो पदोन्नति होती हैं उनको शासक दल के पक्षपात की नीति का कारण बतायें, तो यह जो अविश्वास का प्रस्ताव लाने का विरोधी दल को अधिकार है, यह उसका दुरुपयोग है, और अनीतिपूर्ण है।

मान्यवर, हमारे आदरणीय मित्र, समाजवादी दल के भूतपूर्व नेता माननीय राजनारायण जी को सदा की भांति प्रत्येक कार्य में आगामी चुनाव की नीयत से किया जाना ही दिखता है। यह कोई नई बात नहीं है जितने भी उनके भाषण ५ वर्षों में हुये, बल्कि १० वर्षों में हुये, उनके सुनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, चाहे उन्होंने अविश्वास के प्रस्ताव में कहा हो या एड-जर्नमेंट मोशन में कहा हो, वह सदा यही कहा करते हैं कि शासक दल अमुक कार्य आगामी चुनाव के लिये ही कर रहा है। इसके उत्तर में मैं यह कहना चाहता हूं कि वह जो बात किया करते हैं वह आगामी चुनाव को सामने रखकर ही करते हैं और राजनीतिक दलों को, चुनाव को सामने रखना एक बहुत ही साधारण सी बात है। जिस जनता का विश्वास वे लेकर आते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी खुशी के लिये, उसको प्रसन्न करने के लिये, उसको सुखी बनाने के लिये, और उसका कल्याण करने के लिये यदि हम प्रयास करें तो निश्चय ही उसका असर आगे चुनाव पर पड़ता है और पड़ेगा और कांग्रेस दल पिछले ५-६ वर्षों से इस दृष्टि से काम करता है। उसका प्रत्येक कार्य जनता को सुखी करना, प्रसन्न करना, कल्याणमय करना और उसकी उन्नति करने का होता है और अगर इसका असर आगामी चुनाव पर होता है और वह जनता का विश्वास प्राप्त करता है तो यह उसका जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे ऐसे कार्य करने चाहिये। इसमें कोई लांछन की बात नहीं है।

इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अविश्वास का प्रस्ताव विरोधी दलों की ओर से प्रस्तुत किया गया है यह चुनाव की दृष्टि से ही किया गया है । उन्होंने पिछले पांच वर्षों में जनता के सुख और सुविधा के लिये कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं किया है और न सुझाव ही दिये हैं। इसलिये वे बार-बार इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव ला कर दिखाना चाहते हैं कि वे जनता की सेवा कर रहे हैं। यह सरकार जो जनता से चुनाव में प्रतिज्ञा करके आई है उसका वह पिछले पांच वर्षों से पालन करती चली आ रही है। इस के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है कि सरकार की अमुक नीति का पालन नहीं हुआ है या

सरकार ने जो बात कही थी उसमें वह असफल रही। आप तो यह कहते हैं कि आपके दल में गुटबन्दी है, आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप सत्तापूर्ण बात करते हैं और व्यक्तिगत बातें करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी बातों के कहने से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल में अविश्वास करना होगा।

मान्यवर, मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं उन अपने सभी साथियों का आदर करता हूं जो यहां पर जनता का विश्वास प्राप्त करके आये हैं, चाहे वे किसी दल से आते हैं। हम सब का यह कर्त्तव्य है कि हम इस प्रदेश की जनता की सेवा करें और उसके जीवन को सुखमय बनायें। लेकिन यहां पर हम इस विचार से बैठें कि जो लोग इधर बैठे हुए ह उनके प्रत्येक काम में दुर्भावना का आरोपण करें तो यह शिष्ट और सभ्य सामाजिक जीवन की परम्परा नहीं होती। इसलिये मान्यवर, मैं आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि जब भी हम इस सदन में ऐसे प्रस्ताव उपस्थित करें, हमें इस बात की चेष्टा करनी चाहिये कि पहले तो यह देखें कि वह सफल हो सकता है या नहीं। यदि एक, दो, तीन बार के प्रयास के बाद हमने यह देख लिया कि हमारा यह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है तो जनता के पैसे के साथ और जो हम उसका विश्वास ले कर आये हैं उसके साथ विश्वासघात करना है और उसके धन का दुरुपयोग करना है।

हमारे कुछ आदरणीय मित्रों ने प्रदेश में होने वाली कतिपय हत्याओं का भी जिक्र किया। इस देश में जहां हर शहर और गांव में विभिन्न दलों के लोग साथ-साथ रहते हों तो यह नामुमकिन नहीं है कि हमारे बीच में व्यक्तिगत विरोध भी हो जाय और उसके कारण लोग अपने को कानूनी सीमा के बाहर करके ऐसे कार्य करें जो जघन्य या घृणित हों। ऐसे भी काम कुछ लोग करते हैं। लेकिन हमारे जन-जीवन में यह कोई असाधारण बात हो तो नहीं है। यह नामुमकिन बात नहीं है कि हम और दीपंकरजी जो दो राजनीतिकदलों के आदमी हैं आपस में कलह कर बैठें और हमारे और उनके बीच में हाथापायी हो जाय। तो यह कहना कि कांग्रेस और स्वतन्त्र पार्टी की यह राजनीतिक पार्टीबन्दी है इसलिये हम उनको अपमानित करना चाहते हैं या हत्या करना चाहते हैं, यह बात गलत है। जिस प्रदेश की इतनी बड़ी जनसंख्या हो, जो साथ-साथ रहते हों, जिनके स्वार्थों में संघर्ष हो, अगर राजनीतिक विरोधों के कारण आपस में ऐसा कार्य कर बैठें तो अवश्य निन्दनीय है। लेकिन इसके लिये किसी राजनीतिक दल को और विशेषकर मन्त्रि-परिषद् की निन्दा करना या अपेक्षा करने का आरोप लगाना, यह सर्वथा निराधार है।

मान्यवर, मैं अन्त में यही चाहूंगा कि हमारे विरोधी दल के नेतागण अपनी इस जिम्मेदारी को महसूस करेंगे और जब कभी भी ऐसा प्रस्ताव सदन के सामने लाने का इरादा करें, तो देख लें कि उस प्रस्ताव के कामयाब होने की राई बराबर भी सम्भावना है या नहीं। अगर ऐसी सम्भावना नहीं है, तो निश्चय ही जनता के धन का दुरुपयोग करना है। मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने गौर के साथ, संजीदगी के साथ प्रस्तावक के व्याख्यान को सुना और इस पहलू पर बोलने से पहले मैं श्री पालीवाल जी को मुबारकबाद देता हूं कि निहायत खूबी के साथ उन्होंने अपने केस को पुट-अप किया। मुझे शिकायत है कांग्रेस दल से कि उसका जवाब अच्छा नहीं दिया गया।

मेरी गुजारिश यह है कि पार्टीबाजी की शिकायत वह करते हैं जो खुद पार्टीबाज हैं। कौन पार्टी है, जो पार्टीबाज नहीं है? किस पार्टी के अन्दर गुटबाजी नहीं है? कौन पार्टी का लीडर और उसके फालोवर ऐसे हैं जो ट्रांसफर करवा कर, ठेका, लाइसेंस और नौकरी दिलवा कर वोट हासिल करने की कोशिश नहीं करते? खुदरा फजीहत, दीगरा नसीहत। आप खुद पार्टीबाजी करें और दूसरे को उपदेश दें कि पार्टीबाजी मत करो। तो यह बात नहीं चल सकती। मैं उसके शब्दों से सहमत हूं कि पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिये। पार्टीबाजी ही की वजह से, कांग्रेस में खराबी ही की वजह से ४० साल उसका वालंटियर रहने के बाद आज से

[श्री सीताराम शुक्ल]

दो साल पहले मैंने कांग्रेस छोड़ दिया। लेकिन पार्टीबाजी की शिकायत वह कर सकते हैं जो पार्टीबाज न हों। मेरी गुजारिश है कि पार्टीबाजी ही का नतीजा है कि बहुत अच्छे-अच्छे विरोधी भाई आज यहां बैठे हैं जो कल तक आपके साथ स्वतन्त्रता की लड़ाई में शरीक थे, जेलखाने में थे, कालकोठरियों में भी हमारा उनका साथ था, चक्की पीसने में भी साथ था और जुर्माना देने में भी साथ था, वह इस पार्टी को छोड़कर आज उधर निकल गये। मुझे दुख आज इस बात का है कि काबलियत की कदर नहीं हो रही है, पांडित्य की पूजा नहीं हो रही है। देखा यह जा रहा है कि वफादार कौन ज्यादा है। वह देखते हैं कि यहां इज्जत नहीं हुई तो चलो टोपी लाल कर लो, पीली करलो, काली कर लो, यहां काम नहीं चलेगा तो वहां चलेगा। मुझे जो शिकायत अपोजीशन से है वही शिकायत कांग्रेस पार्टी से भी है। तो मेरी गुजारिश है कि पार्टीबाजी मिटनी चाहिए, जरूर मिटनी चाहिए। मुझे बड़ी तकलीफ थी जब श्री चन्द्रभानु गुप्त ऐसे साधु, तपस्वी को पार्टीबाजी करके अलग कर दिया गया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई कि जीतने वालों का साथ तो सभी दिया करते हैं, मगर १० साथियों ने हारने वालों का साथ देकर रिकर्ड बीट कर दिया। आप साहबान मंत्रिमंडल में आये, मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन श्री सम्पूर्णानन्द जी के बिना, श्री कमलापति आदि के बिना कुछ कुर्सी सूनी है। आपका आना अच्छा हुआ लेकिन उनको इग्नोर करना अच्छा नहीं हुआ। अच्छे आदमियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अभी एकता की बात एक माननीय सदस्य ने की कि हम लोगों में एकता कायम है। लेकिन यह एकता कायम है तब तक जब तक कि टिकट मांगने का सवाल है और जिस दिन टिकट का फैसला हो जायगा, उस दिन पता नहीं यह एकता कहां पहुंच जायेगी। तो इनकी उपेक्षा करके यह हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। पांडित्य की पूजा अगर नहीं हुई, काबिलियत की कद्र नहीं हुई तो हुकूमत अच्छी नहीं चल सकती।

मैं अर्ज करता हूं कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मशक्कत करते हैं, लेकिन नतीजा क्या है। पब्लिक खिलाफ जा रही है। आप जीतते इसलिये हैं कि मुखालिफ कई होते हैं, कांग्रेस का उम्मीदवार एक होता है। वोटों की गिनती की जाय तो खिलाफ ज्यादा होते हैं, माफिक कम होते हैं। सरकार कह सकती है विरोधी दलों के लिये कि ये लम्बी चौड़ी बातें करके जनता को धोखा देते हैं। लेकिन आपके सरकारी कर्मचारी आपको क्या कहते हैं? जरा शकल बदल के चले जायं किसी बड़े क्लब में—डाइरेक्टर्स, सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स क्या कहते हैं आपको? कोई गाली बाकी नहीं है जो सरकार को वह न देते हों और आपके कल के साथी आपको क्या कहते हैं? जो शिकायतें एक दूसरे ने गुट की की हैं, आबजर्वर के सामने, वे अगर अखबारों में छाप दी जायं तो एक भी सीट आप पा नहीं सकते। गर्जेकि आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और पब्लिक खिलाफ जा रही है, सरकारी कर्मचारी खिलाफ जा रहे हैं, आपके साथी ही आपको गाली दे रहे हैं तो जरूर कहीं न कहीं खराबी है। मेरी गुजारिश है कि नीयत आपकी बहुत अच्छी है, भलाई आप चाहते हैं। लेकिन सिर्फ एक शिकायत है कि आप चाहते हैं कि कुर्सी हमें जरूर मिले। सोचते हैं कि अगर बहुत काबिल आदमियों को ले लेंगे तो वह अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा काम करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे लेकिन वह एस अगर मैन नहीं हो सकते। गरीब होंगे, काबिल नहीं होंगे तो एस-मैन हो जायेंगे। वह सोचते हैं अगर काबिल को ले लेंगे तो कल को वह हमारी कुर्सी भी छीन सकता है। लेकिन पांडित्य की पूजा, काबिलियत की कद्र आपने नहीं की.....

श्री उपाध्यक्ष—शुक्ल जी, "आप" आप मुझे कह रहे हैं, मैं तो पांडित्य की पूजा करता हूं, मैं समझता हूं कि यह आप किसी और के लिये कह रहे हैं (हंसी)।

श्री सीताराम शुक्ल—मेरा हुजूरवाला, मतलब है गवर्नमेंट से। मैं आपसे आँख मिलाकर नहीं कह रहा हूं। आपसे जब अर्ज करूंगा तो माननीय डिप्टी स्पीकर साहब कह दूंगा। तो मेरी प्रार्थना यह है कि यह हमारे दोस्त जो बैठे हैं ये अपनी जान पर खेल गये थे

मालूम न था कि जिन्दा रहेंगे या मर जायेंगे, कौन मरेगा और कौन रहेगा किसी को पता न था उस वक्त जब जेल गये थे। तो आज कुर्सियों को भी जोखिम में डालो, काबिल आदमियों को लाओ तभी तुम हुकूमत चला सकते हो।

जनसंघ की आप शिकायत करते हैं कि वह साम्प्रदायिक है। सिर्फ उसको साम्प्रदायिक कहने से आपको वोट नहीं मिल जायेंगे। जनाबवाला, साम्प्रदायिकता की शुरुआत तो कांग्रेस से हुई है। सन् १९१६ में किसने पृथक निर्वाचन (सैपरेट एलेक्टोरेट) मान लिया था। परन्तु मज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। पहले सैपरेट एलेक्टोरेट की बात थी फिर नौकरी का सवाल आया और फिर मुल्क का बटवारा हुआ, खूंरेजी हुई। जिसमें चरित्र है, जिसने सिगरेट बीड़ी पीना मना कर रखा है, वह तो कम्यूनल है। जिसमें हिन्दू भी आ सकता है, मुसलमान भी आ सकता है, ईसाई भी आ सकता है, पारसी भी आ सकता है वह तो कम्यूनल है लेकिन आप नान-कम्यूनल हैं जो यह कहते हैं कि इतनी सीटें फलां जात को दीजिये, इतनी नौकरी फलां बिरादरी के लोगों को दीजिये। तो हुजूर कम्युनल तो आप हैं, कम्युनल जनसंघ नहीं है।

मैं आपको बताता हूं कि सन् २४ में पहली मीटिंग हरिजनों के उद्धार के सम्बन्ध में मेरे घर पर हुई थी। उस वक्त मैंने "पूजिय विप्र सर्व गुण हीना, शूद्र न पूजिय परम प्रवीना" का विरोध किया था। आज मैं "पूजिय शूद्र शील गुण हीना, विप्र न पूजिय परम प्रवीना" का भी विरोध करता हूं। कोई गरीब है तो उसे भोजन, वस्त्र और मकान दीजिये, लेकिन कोई गरीब है तो उसे मिनिस्टर न बना दीजिये। उससे साम्प्रदायिकता कैसे मिट जायगी। आपके इस कार्य से तो साम्प्रदायिकता और बढ़ेगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और सभी बिरादरियों के अन्दर भी बढ़ती जायगी। साम्प्रदायिकता को रोकने के लिये सख्ती के साथ पक्षपात बन्द कीजिये तभी साम्प्रदायिकता रोकी जा सकती है।

मेरी प्रार्थना है कि सरकारी कर्मचारी आपकी आज्ञा को नहीं मानते। आपके आर्डर्स हैं कि हिन्दी में कार्य हों लेकिन आपके कर्मचारी अंग्रेजी में लिखकर भेजते हैं। आप उसके बारे में उनसे जवाब नहीं पूछते। जब आप अपने नौकर से ही काम नहीं लेते, सेक्रेटरी हुकुमअदूली करते हैं, रोज आपके आदेश का उल्लंघन करते हैं तो हुकूमत कैसे होगी। अफसोस तो यही है कि:—

"हर डाल पे उल्लू बैठे हैं अंजाम गुलिस्ताँ क्या होगा।"

मैं इसीलिये कहता हूं कि 'प्रीतिः साधु जने, नयो नृपजने, शाठ्यंसदा दुर्जने" अच्छों के साथ अच्छाई और जो बदमाश है उसके साथ सदा सख्ती का व्यवहार करना चाहिये तब शासन चलता है, आप कहीं सबको खुश करने में सब को नाराज न कर दें यही मैं सोचा करता हूं।

अब मुझे अपने अपोजीशन के दोस्तों से प्रार्थना करनी है कि हुजूर आपका यह रोज इस तरह से प्रस्ताव लाना मेरी समझ में नहीं आता। सरकार की आप शिकायतें जो रोज करते हैं वही तो इसमें भी करते हैं। श्री महावीर प्रसाद शुक्ल ने इस बात को तो ठीक ही कहा है कि गवर्नर का ऐड्रेस हो तो वही बात, बजट हो तो वही बात कि यह खराब है। अरे जनाब यह खराब है तो आप कहां से अच्छे हो गये। क्या आप सोचते हैं कि इनको हटाकर आप बैठ जायेंगे तो आपकी हुकूमत अच्छी हो जायगी ?

एक सदस्य—जी हां ?

श्री सीताराम शुक्ल—"दिल को खुश करने को गालिब यह ख्याल अच्छा है" लेकिन हमने आपकी हुकूमत केरल में देख ली है। आज भी आपका प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का मुख्य मन्त्री वहां पर है लेकिन क्या अच्छाई है ? जनसंघ, प्रजा सोशलिस्ट, कम्यूनिस्ट, सोशलिस्ट इन सबकी मिली-जुली सरकार बनेगी। सब अगर एक साथ बैठेंगे तो क्या काम होगा। आपस में झगड़ा होगा। इसीलिये तो मैं कहता हूं कि पांडित्य की कद्र कीजिये तब शासन

[श्री सीताराम शुक्ल]

अच्छा होगा। असेम्बली के चलने में एक दिन में १० हजार रुपये खर्च होते हैं या २० हजार रुपये दो दिन में खर्च हुए। क्या इस तरह के प्रस्ताव पर इन रुपयों को बरबाद करने से देश का भला होगा? इन २० हजार रुपयों से कोई बांध बंध सकता था और दूसरे अच्छे काम भी हो सकते थे। यह हमारे आपके सबके देखने की बात है। मैं त्रिलोकी सिंह जी, नेता अपोजीशन से यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप जो यह अविश्वास का प्रस्ताव लाते हैं यह विश्वास का प्रस्ताव हो जाता है क्योंकि अविश्वास का प्रस्ताव तो तब होगा जब कि वह पास हो जायगा। परन्तु जब आप अविश्वास का प्रस्ताव लायें और लाने के बाद वह यहां पर फेल हो जाय तो वह विश्वास का प्रस्ताव हो जायगा। जब यह मालूम है कि यह प्रस्ताव पास होने वाला नहीं है तो फिर इस प्रकार से अविश्वास के प्रस्ताव को ले आना कोई अक्लमन्दी की बात नहीं है। यह हर तरह से राजनीति के खिलाफ होता है। आप पहले आर्गनाइज कीजिये और गिनती देख लीजिये कि इस प्रकार से पास हो सकता है तब तो यह प्रस्ताव लाना सही हो सकता है फिर चाहे दो चार मेम्बरों के इधर उधर हो जाने से फेल हो जाय तब तो परवाह नहीं। लेकिन जब यह मालूम है कि पास नहीं होगा तो फिर ले आना सदन का वक्त खराब करना है, जो बुद्धिमानी की बात नहीं कही जा सकती।

मेरे कई दोस्त कह रहे हैं कि तुमको बोलने का मौका तो मिला, इसके उत्तर में निवेदन है कि "वह दुश्मनी से देखते हैं, देखते तो हैं, "मैं शाद हूं कि हूं तो किसी की निगाह में"।

मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। मुझे खुशी हुई लेकिन पब्लिक का पैसा बरबाद हुआ इसका मुझे दुख है (व्यवधान)। मेरी प्रार्थना है कि महाराणा प्रताप ४० साल तक जंगलों में मारे-मारे फिरते रहे। हजरत मुहम्मद मक्का छोड़कर मदीना चले गये। लड़ाई में अंग्रेज पीछे हटते रहे परन्तु हमला तब किया जबकि अपनी तैयारी कर ली, इसीलिये सफलता प्राप्त कर सके। इसलिये जब तक आपको गिनती मालूम न हो जाय तब तक ऐसे प्रस्ताव को लाना बुद्धिमानी की बात नहीं हो सकती है। एलेक्शन करीब है, वहां पर शक्ति के आजमाने का मौका है। किन्तु इस प्रकार से जब मालूम है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है तब यह बात ठीक नहीं है।

एक बात यह भी है कि जब बिदा होते हैं, साथ छूटता है तो दुश्मन भी हाथ मिलाते हैं गले से मिलते हैं। हाउस खत्म होने वाला है। हम लोग चलाचली, पर हैं तब ऐसे प्रस्ताव। को लाना उचित नहीं है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि श्री पालीवाल जी इसको वापस लेलेंगे क्योंकि सरकार की आलोचना काफी हो चुकी।

श्री उपाध्यक्ष---शुक्ल जी 'नो मेन्स लैंड' से बोलते हैं। इसलिये उनके लिये किसी पार्टी का सवाल नहीं है।

वन राज्य मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)---उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मेरे मित्र माननीय पालीवाल जी ने उपस्थित किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हुं। मैं इस प्रस्ताव के विरोध में कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं समझता था और बोलने की आवश्यकता भी नहीं समझता था लेकिन जब पिछली बार यह प्रस्ताव आया था तो मैंने इस बात की चर्चा की थी, जब यह आक्षेप हुआ कि कौंसिल के बहुत से सदस्यों को मन्त्रिमण्डल में मिला लिया गया है। चूंकि मैं भी कौंसिल का तब सदस्य था तो मैंने उसकी नैतिकता पर कुछ कहने की आवश्यकता समझी थी। जो हमारे देश का संविधान है, जो परिपाटी है उसमें हमको केन्द्र का अनुकरण करना है। केन्द्र में राज्य सभा के कितने ही माननीय सदस्य मन्त्रि-मण्डल में हैं। हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब, स्वर्गीय गोविन्दवल्लभ पन्त जी, श्रीमती

लक्ष्मी मेनन और कितने लोग हैं किस किसका नाम गिनाऊं--बहुत से लोग हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपर हाउस के किसी सदस्य का मंत्रिमण्डल में लिया जाना कोई अनैतिकता नहीं है। मन्त्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव जो यह लाये हैं.....

एक सदस्य--हारे हुए सदस्यों को लेने के बारे में कहा था। (व्यवधान)

श्री अलगूराय शास्त्री--श्रीमन्, मेरा नाम लिया गया था और मैं अपने जस्टीफिकेशन में खड़ा हुआ हूं। हारे हुए की बात भी बतलाता हूं। ऐसे तो बनेगा नहीं, आप सुनें।

प्रश्न यह है कि जो लोग विधान परिषद् के सदस्य हैं उनको मंत्रिमण्डल में लिया गया और उन से भर दिया गया मन्त्रिमण्डल को। इस पर माननीय राजनारायण जी ने और माननीय पालीवाल जी ने काफी बल दिया। मैं जानता हूं कि अपर हाउस के मेम्बर होकर ही राजगोपालाचारी जी मुख्य मन्त्री बने थे मद्रास में। दूसरे, बम्बई में श्री मोरार जी देसाई इसी तरीके से आये थे और वे चुनाव हार गये थे। हमारी प्रजातन्त्र प्रणाली में अगर हमने यह माना है कि कोई सदस्य जो दोनों हाउसेज का सदस्य न हो, ६ महीने तक मन्त्रिमण्डल में रह सकता है तो वह संविधान का प्राविजन इसी दृष्टि से है कि अच्छे आदमियों को कार्य संचालन के लिये, शासन संचालन के लिये, अवसर दिया जाय और किसी एक व्यक्ति विशेष की बात माननीय सदस्यों की दृष्टि में अनुपयुक्त हो सकती है, मगर तत्कालीन मुख्य मन्त्री यदि किसी व्यक्ति विशेष को अपनी मन्त्रिपरिषद् में सम्मिलित करता है तो उसकी विशेष योग्यताओं को वह जानता है, उसकी उपयोगिता को वह जानता है (व्यवधान)। अपनी आंखों में बसारत की कमी है। जरूरत है कि आंखों में अंजन लगाया जाय। "जाने बिनु न होय परतीती, बिनु परतीत होय नाहिं प्रीती।" कोई मुख्य मन्त्री अपने मन्त्रिपरिषद् का निर्माण अपने काम को चलाने की सहूलियत की दृष्टि से ही करेगा। मन्त्रिपरिषद् का कोई चुनाव नहीं होता कि माननीय सदस्य उसमें बैठ कर कहें कि इन इनको ले लिया जाय। ऐसा नहीं है कि जनता में हारे हुए व्यक्ति कभी मन्त्री न बने हों, मुख्य मन्त्री तक बने हैं और परिपाटी हमारे देश के इतिहास की दिखायी पड़ती है। उसी के अनुरूप यहां काम हुआ है। लेकिन इस बात को लेकर बार-बार मन्त्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव लाना, मैं नहीं समझता कि कहां तक उचित है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन में अविश्वास का प्रस्ताव पेश है और इस पर केवल इस सदन के सदस्य ही बोल सकते हैं और जो सदस्य की परिभाषा हमारी प्रक्रिया नियमावली में दी गयी है उसमें है कि सदस्य का तात्पर्य सभा के सदस्य से है और उसमें मन्त्री तथा उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता भी सम्मिलित हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि वे इस अविश्वास के प्रस्ताव पर नहीं बोल सकते इसलिये कि वे दूसरे सदन के सदस्य हैं। वे केवल अपनी सफाई में बात कह सकते हैं। इस प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोल सकते और इसका उन्हें अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--आपने तो स्वयं ही कह दिया कि सदस्य का तात्पर्य मन्त्री से भी है और पूरे मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव है। माननीय शास्त्री जी भी एक मिनिस्टर हैं, वे बोल सकते हैं और वे अपने बारे में सफाई न दें, यह ठीक न होगा।

श्री अलगूराय शास्त्री--श्रीमन्, ... (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे शान्ति स्थापित रखें।

श्री अलगूराय शास्त्री--एक बार मैं इस सदन में इसी प्रकार के अविश्वास के प्रस्ताव पर पूरा भाषण दे चुका हूं। तब यह वैधानिक प्रश्न किन्हीं माननीय सदस्य की ओर से नहीं उठाया गया था। आज एक नयी बात आयी है और इसके पहले भी इसी हाउस में यह बात आयी थी कि अपर हाउस के सदस्य यहां बैठ भी सकते हैं या नहीं। उस पर स्पीकर साहब की व्यवस्था हो चुकी है कि वह यहां बैठ सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। प्रत्येक

[श्री अलगूराय शास्त्री]

प्रस्ताव पर, प्रत्येक विधेयक पर उस सदन के सदस्य जो मंत्रिपरिषद् में हैं, भाषण कर सकते हैं, उनको उपस्थित कर सकते हैं और उनके पक्ष या विपक्ष में बोल सकते हैं । जब भाषण होते हैं, बजट जब प्रस्तुत होता है उस समय भाषण होते हैं और उस समय जब हम उसमें भाग ले सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि इस अविश्वास के प्रस्ताव पर हम भाग न ले सकें । जब आपने इस मंत्रिपरिषद् पर अविश्वास का प्रस्ताव रखा है तो उस प्रस्ताव की अदूरदर्शिता तथा निराधारिता को सामने रखकर, मंत्रिपरिषद् का एक सदस्य होने के नाते, मुझे बोलने का अधिकार होना चाहिये ।

अब मैं इस बात पर आता हूं कि जो ग्राउन्ड माननीय पालीवाल जी तथा माननीय राजनारायण जी ने इस अविश्वास के प्रस्ताव को पेश करते समय रखे हैं । जितने भी कारण इस अविश्वास के प्रस्ताव को लाने के संबंध में उन्होंने रखे हैं, मैं समझता हूं उनमें एक कारण भी ऐसा नहीं है जिसके लिए यह अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सके । मैं समझता हूं कि इस तरह के प्रस्ताव को ले आना, सरकार में असंतोष है या खराबियां हैं, उनको बताने के लिये केवल एक बहाना है । प्रस्ताव लाने वाले माननीय मित्र अच्छी तरह जानते हैं कि वे इतने बहुमत में नहीं हैं कि उनका यह प्रस्ताव पास हो जाय और जैसा कि माननीय शुक्ल जी ने कहा कि इस प्रस्ताव के पास होने की तो संभावना नहीं है, किन्तु हां, कुछ जली-कटी बातें अवश्य कही जा सकती हैं, कुछ सुनाया अवश्य जा सकता है ।

श्रीमन्, नयी सरकार के आने पर, हमारे मंत्रिमंडल ने काम करने की जो लगन और काम करने की क्षमता दिखलाई है उसकी प्रशंसा और उसका स्वागत जनता में हुआ है । इस बात को उस तरफ के बैठने वाले सभी सदस्य जानते हैं । पहाड़ी क्षेत्रों में हमारे मुख्य मंत्री जी ने दौरा करके वहां की जनता की तकलीफों को देखा है । उनको दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है । वे उन क्षेत्रों में गये हैं जहां पर इसके पहले कोई अधिकारी या सरकारी कर्मचारी कभी नहीं गये थे । इससे यह प्रकट होता है उनके अन्दर भूखी-नंगी जनता तक जाने की, उनकी तकलीफों को पता लगा कर उसको दूर करने की और उसके लिये सही तरीकों को निकालने की लगन है । उनके इस तरह के कार्यों को देखते हुये जो भी कार्य आज उनके द्वारा किये जा रहे हैं और आगे किये जाने वाले हैं उनको देखते हुये इस तरह के प्रस्ताव रोज रोज लाना ठीक नहीं । उससे कोई उपयोगी काम सिद्ध होता नहीं है और फिर उसके ऐसे-ऐसे कारण बताये जायं जो अकारण हों कितना उचित है, आप देखें ।

यह कहना कि एक रिटायर्ड जज को विश्वविद्यालय का उपकुलपति बना दिया, इससे न्याय का गला घुट गया, इससे न्याय विभाग का स्तर नीचे चला गया, यह गलत है । आज की परिस्थिति और वातावरण में हम प्रत्येक उन व्यक्तियों को सेवा का अवसर देना चाहते हैं जो उसके लिये उपयुक्त हैं । हमारे विश्वविद्यालयों का वातावरण, हमारे विभिन्न राजनीतिक दलों के कारण, कुछ दूषित-सा बन गया है और उसमें दलबन्दी आ गयी है । माननीय राजगोपालाचार्य कहा करते थे कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिये । हमारे गांधी जी ने अपने जमाने में, जो राजनीतिक आन्दोलन हुये, उनमें विद्यार्थियों को स्कूल और कालेज छोड़ देने के लिये कहा । तो उनका जीवन ही इस तरह से आरम्भ हुआ है । मैं समझता हूं कि राजनीति से विद्यार्थी बिलकुल अलग नहीं हो सकते । किन्तु यह मानना पड़ेगा कि जब स्वराज्य हुआ, उसके बाद इस तरह की कार्यवाही से हमारे विश्वविद्यालयों का वातावरण बहुत विषाक्त हो गया है और आज काफी दलबन्दी विश्वविद्यालयों में बढ़ गयी है । अब अगर कोई रिटायर्ड जज है और वह उपयुक्त आदमी है, जो उस वातावरण में निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकता है, तो उसके लिये यह कहना कि उससे न्याय विभाग का स्तर गिर जायेगा, उनका पतन हो जायेगा, उनमें लालच आ जायगा कहां तक उचित है। यह दृष्टिकोण रखना कि कितने ही जज रिटायर होंगे,

उनके लिये यह मार्ग खुल गया, और पर उनको एक क्रिटिसिज्म की ग्राउंड बना देना और चर्चा कर देना व्यक्ति के स्तर को गिरा देता है और मर्यादा को ठेस पहुंचा देता है, यह मैं विनय से कह सकता हूं । इसी प्रकार से जिन सुयोग्य व्यक्तियों का कार्य-काल समाप्त हो गया है उनकी योग्यता के कारण साल दो साल के लिये उनके सेवा-काल की वृद्धि कर देना, इससे यदि माननीय सदस्यगण यह दृष्टिकोण बना लें कि यह जाति के कारण या व्यक्ति विशेष को फेवर करने के कारण है और उस पर इतने उच्च स्वर से जय-घोष किया जाय, यह कहां तक उचित है ? हमें यह समझना चाहिये कि हमारे यहां विशेषज्ञों की इतनी बड़ी संख्या नहीं है । देश के विभाजन के बाद, अंग्रेजों के चले जाने के बाद बहुत से सुयोग्य व्यक्ति रिटायर हो गये, विदेश चले गये, तो फौरन हम अपने काम को संभाल नहीं लिया । जो अपने पास कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको साल दो साल की तौसीअ दे देने से कोई न तो वज्रपात होता है देश के हित पर, न समाज के हित पर, और न इस प्रकार से जाति विशेष के या व्यक्ति विशेष के नाम का उल्लेख करके, प्रचार करना ही उचित होगा, बल्कि वास्तविकता के ऊपर पर्दा डालना है और उस विषाक्त वातावरण को प्रश्रय देना है जो जाति-पांति का वातावरण पहले से ही देश में बना हुआ है ।

मेरे मित्र पालीवाल जी ने बड़ी सावधानी और सतर्कता से कहा कि वह इस प्रकार का आरोप मुख्य मंत्री जी के ऊपर सही नहीं समझते, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह चीज जनता में है । अगर दुर्भाग्य से जनता में है तो आपको सौभाग्य से कहना चाहिये कि ऐसी बातें जो कही जाती हैं उनको वह अनर्गल समझते हैं, तब तो ठीक है, लेकिन केवल कहकर परिमार्जन कर देने से काम नहीं चलता कि यह चीज नहीं है, लेकिन जनता में यह दृष्टिकोण है । जैसा कि महावीर प्रसाद शुक्ल जी ने कहा कि हर एक आदमी एक न एक जाति में पैदा हुआ है । वह कोई काम करता है । उसके पीछे उसी प्रकार की दृष्टि को लायें कि इस दृष्टि से यह कर रहा है, यह कहां तक उचित है

हममें गुटबन्दी है, प्रत्येक स्वतंत्र देश में जो संसार में है उनमें आपस में मत-भेद रहता है, प्रत्येक दल में रहता है, लेकिन इस बात पर जोर देकर कि सीक्रेट बैलट से वोट डलवाये जायें, हम विरोध की भावना पैदा करने का प्रयास करते हैं तो यह कोई शोभनीय बात नहीं है । जो प्रस्ताव उस तरफ के बैठने वालों की ओर से लाया गया है, उनके द्वारा ऐसी बात कह देने से कोई असर होने वाला नहीं है । जो राजनीतिक दल आज जनता के मत के बल शासनारूढ़ है, सेवा कार्य को कर रहा है, जब तक उसको जनता का विश्वास प्राप्त है वह इसी प्रकार से काम करेगा और अपने मंत्रि-परिषद् के द्वारा जनता की सेवा करता रहेगा । उसके विरुद्ध इस प्रकार से विषाक्त प्रचार करने और उत्तेजनात्मक प्रेरणाएं देने से इस दल के अन्दर दरार नहीं पैदा कर सकते । हम उस अपनी दरार के बारे में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में बातचीत करते हैं । कोई भी दल हो उसमें आपस में विचार-विमर्श होता है । बड़ा भारी कम्युनिस्ट दल भी है उसमें भी एक प्रस्ताव के चन्द शब्दों पर आपस में बड़ा भारी भेद हो गया है उसी का परिणाम था बोल्शेविक तथा मेन्शेविक के दो दलों में रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन । इस प्रकार आपसी दलों के भीतर विचार-विमर्श हुआ करते हैं । पहले यहां पर श्री ख्रुश्चेव और मार्शल बलगेनिन साथ-साथ आये थे लेकिन यहां से जाने के बाद एक साहब का नाम भी नहीं रहा । तो इस प्रकार से आपस में विचार-विमर्श तो पार्टियों में होते ही रहते हैं । इसलिये हमारे अन्दर क्या बात हुई इससे हमें परेशान नहीं होना चाहिये ।

हां, अगर इस गुटबन्दी का असर जनता पर बाहर पड़ता है तब तो कुछ कहा भी जा सकता है । पालीवाल जी अगर यह कहते कि उसकी वजह से इनसिक्योरिटी बढ़ गयी है तब तो बात भी थी । इसके अलावा मुझे भी बाहर जाने का मौका मिलता है, मैं भी जनता के बीच में

[श्री अलगूराय शास्त्री]

जाता रहता हूं, और मुझे भी बड़ी-बड़ी मीटिंग्स को एड्रेस करने का मौका मिलता है लेकिन बाहर मुझे आपसी दलबंदी का कोई असर नहीं मालूम पड़ता है ।

अभी अन्तरिम जिला परिषदों के चुनाव हुए । श्रीमन्, उसमें बड़ी भारी आश्चर्यजनक बात हुई । जितने भी लोग परिषदों के चेयरमैन चुने गये हैं वे सब के सब एक ही दल के चुन लिये गये, २–४ छोड़ कर । उसमें भी कोई दलबन्दी की वजह दिखायी नहीं पड़ी । उससे तो यही साबित होता है कि हमारे कांग्रेस के संगठन में एकता कायम है और सालिड है क्योंकि इस प्रकार का दृश्य बरसों बरसों में यहां पहले दिखायी नहीं पड़ा ।

एक बात यह भी कही गयी कि यह जो एकता की भावना दिखायी देती है वह केवल इलेक्शन्स के कारण है । अगर ऐसा है तो वह तो दानिशमंदी है । बहरहाल एकता, अनेकता नहीं है चाहे किसी भी कारण से क्यों न हो ।

श्रीमन्, यह जो कहा जाता है कि पदों का दुरुपयोग होता है । यह भी कहा गया कि इलेक्शन्स के कारण आफीसरों का तबादला उसी प्रकार से किया जा रहा है जिससे उनसे इलेक्शन्स में मदद मिल सके । अब वे आफीसर तो यहां हैं नहीं जो जवाब दे सकें । लेकिन उन लोगों का नाम लेकर यहां प्रचार करना ठीक नहीं है । हो सकता है उनको शिकायत हो और उन्होंने उनसे शिकायत की हो लेकिन इस प्रकार से उनकी आड़ लेकर प्रचार करना उचित नहीं है । यह जनतंत्रीय परम्पराओं के विरुद्ध है ।

परिषद् के चुनाव के बारे में कहा गया कि ऐसा किया गया, वैसा किया गया । जब अंतरिम जिला परिषद् विधि बना दिया गया और उसके अनुसार ही काम हुआ तो फिर शिकायत की क्या बात है ? इसी प्रकार से विश्वविद्यालय विधेयक के बारे में यह कहना कि जो पहली गवर्नमेंट ने किया था, उसको यह गवर्नमेंट खत्म करने पर तुली हुई है । यह प्रश्न एक बार जब यहां काटजू साहब थे, आया था और उनसे भी यही कहा गया था कि पिछली गवर्नमेंट के खिलाफ यह गवर्नमेंट कानून बना रही है । उन्होंने कहा था जो गलतियां पिछली गवर्नमेंट ने कीं उनको अवश्य ही सुधारा जायगा । जो भी गवर्नमेंट आती है उसका अपना दृष्टिकोण होता है, उसकी मर्यादाएं होती हैं, उनको सामने रख कर वह उन कामों को करती है । इसमें किसी प्रकार की नीयत की बात कहना कुछ ठीक मालूम नहीं देता । वह चीज इसमें पैदा नहीं होती । एक शब्द मैं और कह कर बैठता हूं । किसी ने शर्मा जी का नाम लिया और क्या क्या नाम लिये, यहां तक कि श्रीमती सुचेता कृपलानी जी का नाम लिया गया । मैं कह सकता हूं कि इन दो व्यक्तियों को सम्मिलित करके हमारे मंत्रिपरिषद् का बल और शक्ति बढ़ी है और इन उपयुक्त व्यक्तियों को लेकर यह परिषद् इस रूप में हो गयी है कि उसमें सबका विश्वास होना चाहिये और इस अविश्वास के प्रस्ताव को बिलकुल रद्द कर देना चाहिये ।

*श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)––श्रीमन्, मुझे २५ मिनट समय मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष––बाद में आपके नेता आकर क्लेम करेंगे तब ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट––वे हैं नहीं यहां ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री पालीवाल जी द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ है । अभी वन मंत्री महोदय ने अन्तरिम जिला परिषदों की दुहाई देते हुये बड़ी खुशी इस बात पर जाहिर की कि आज प्रदेश में सर्वत्र उनकी कांग्रेस पार्टी विजयी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हुई है वे इस पर गर्व कर सकते हैं कि उनकी कांग्रेस पार्टी ९०–९५ फीसदी विजयी हुई है और यदि यही रवैया रहा तो अगले चुनाव में शत प्रतिशत विजय मिलेगी । इधर की बेंचें खाली रहेंगी । चूंकि उनको अपनी पार्टी में पूरा विश्वास है, और उनकी पार्टी के जो नेता हैं उनका यही रवैया है, तो मौजूदा गवर्नमेंट पर वे फख्र कर सकते हैं लेकिन यह तानाशाही मनोवृत्ति है । हिटलर और स्टालिन की भी यही प्रवृत्ति थी । उनके खिलाफ भी कोई बोल नहीं सकता था । लेकिन उनकी जो हालत हुई वह सब को मालूम है । माननीय वन मंत्री ने अपने भाषण में बोल्शेविज्म का भी जिक्र किया । उनकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि उनको ही वे अपना उदाहरण बनाये हुए हैं । स्टालिन ने अपने प्रतिद्वन्दी ट्राटस्की को जिन्दा नहीं रहने दिया । जब ट्राटस्की यहां से भाग कर मैक्सिको गया तो वहां पर उसकी हत्या करवा दी गयी । इसी भावना से प्रेरित होकर सरकार ने उस आदर्श को अपने सामने रखा है । इसके लिये सामने बैठने वाले मंत्रिगण और उनकी सरकार को मुबारकबाद है ।

प्रजातंत्र की यह पद्धति और स्वस्थ परम्परा है कि एक शक्तिशाली और सबल विरोधी पार्टी यहां पर रहे ताकि जो भी सरकार गलती करती हो, उसके लिये वह उसे ठीक रास्ते पर लावे और उनकी गलतियों पर नुक्ताचीनी करने के बाद अपना रास्ता साफ करे । लेकिन ऐसी बात यहां नहीं है । हम देखते हैं कि एक बिल यहां लाया गया । बड़ी दुहाई दी गयी कि इस आदरणीय सदन में वह पास हो गया । जब कांग्रेस पार्टी का यहां बहुमत है तो कोई भी बिल आप लाकर उसे पास कराना चाहेंगे तो बहुमत के बल पर उसे पास तो करा ही लेंगे । अगर आप इस तरह का भी कोई बिल लावें कि हमारी पार्टी में फलां-फलां नहीं आवेंगे, उनको सजा दी जायेगी, तो क्या वह बिल नहीं पास हो जायेगा ?

श्रीमन्, जिस दिन वह बिल इस आदरणीय सदन में लाया गया था उसी दिन मैंने अपनी नाकिस राय दी थी कि जो मौजूदा बिल है उसके आधार पर अन्तरिम जिला परिषदों के सदस्यों को इस तरह से छांटा जायगा कि वे कांग्रेस कमेटी ही रह जायेंगी । मैं यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि कांग्रेस पार्टी के ही बहुत से लोग इस बात को स्पष्ट रूप से मानते हैं कि ये अन्तरिम जिला परिषदें गुप्ता कमेटीज के तौर पर हैं । मेरी उन लोगों से आज, कल, परसों भी बातें हुई थीं लेकिन वे खुले आम उन बातों को सदन में कहने से घबड़ाते हैं ।

अब रह गया अविश्वास की बात । उसके लिये कहा जाता है कि यह तो कांग्रेस पार्टी के अन्दर की बातें हैं, लेकिन मेरा कहना तो यह है कि जिस व्यक्ति को अपनी पार्टी में ही विश्वास प्राप्त नहीं है, उस पर सारे प्रदेश की जनता कैसे विश्वास कर सकती है ? उस व्यक्ति को तो सारे प्रदेश के लोगों का विश्वास प्राप्त होना चाहिये । श्रीमन्, कल ही श्री कमलापति त्रिपाठी के यहां विरोधी गुट के १४० आदमियों की मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने हाई कमांड से पार्टी के अन्दर ही अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने की इजाजत मांगी । पिछली मर्तबा जिस तरह ९८ आदमियों ने अविश्वास के प्रस्ताव पर बोलते हुये उस सरकार में अपनी अनास्था प्रकट की थी, जिसके लिये उनको हाई कमांड से माफी मांगनी पड़ी, उसी को देखते हुये होशियारी से इन लोगों ने उस तरह का कोई कदम नहीं उठाया है । इन सब बातों को देखते हुये मैं कह सकता हूं कि यह सरकार कांग्रेस की न होकर एक गुट विशेष की और थोड़े से आदमियों की सरकार है । बल्कि अगर मैं यह कहूं, गुप्ता जी मुझे माफ करें, कि यह सरकार केवल उनकी व्यक्तिगत सरकार है । मंत्रियों में से किसी की हुकूमत नहीं है । मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत से ऐसे मामले हैं, नैनीताल में कांग्रेस कमेटी की जब बैठक हुई, पर्वतीय क्षेत्र के लोग वहां गये जब उनसे लोगों ने पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि हमने तो तुम्हारे कागज गुप्ता जी के पास भेज दिये हैं, मैं तो यही कर सकता हूं लेकिन विभाग ने कुछ नहीं किया । जब आपस में यह हालत है, विश्वास नहीं है तो उन्हें सदन का और प्रदेश का विश्वास कैसे प्राप्त हो सकता है ।

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

रात दिन कहा जाता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना को हमें सफल बनाना है और हमें उसके लिये हरएक का सहयोग चाहिये लेकिन पग-पग पर हर चीज में डिसक्रिमिनेशन दिखाई देता है। बहुत से रचनात्मक कार्य करने हैं लेकिन हर चीज में देखा यह जाता है कि फलां काम हो जायगा तो उससे तो संपूर्णानन्द का नाम हो जायगा, वह तो उस ग्रूप का है, वह तो विरोधी ग्रुप का है। इतना ही नहीं डाक्टर संपूर्णानन्द जी के दिये हुए आश्वासनों तक को उलट दिया जाता है। २२ मार्च सन् ६० को या उसी के करीब—ठीक दिन याद नहीं—श्री विचित्र नारायण शर्मा ने इस सदन के सारे सदस्यों को चैलेन्ज दिया था कि यह बात कतई गलत है कि सरकार रुपया नहीं देती। हम तभी दे सकते हैं जब हम से कोई रुपया मांगे। हमने समझा कि हमारी ही गलती है। उसके बाद हम कई साल से जिलाधीश को लिख रहे हैं कि हमारी पुलों की मांग भेजी जाय। मैंने एक खत भी लिखकर उनके हाथ में दिया। उसकी जांच हुई और डी० एम० के यहां से प्रायर्टी लगी। उसके ब्लूप्रिन्ट भी तैयार हुए, एस्टीमेट बना और १ लाख ७५ हजार रुपया मंजूर हुआ लेकिन जब उसका जी० ओ० बना तो उसमें जरा-सा लेकुना रह गया कि उसमें पुलों का नाम नहीं था। बाद में यह हुआ कि और पुल भी उसमें आ सकते हैं और डी० एम० से पूछा गया कि क्या श्रमदान से पैसा दिया जा सकता है तो उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है। उसके लिये बाद में पूरा रुपया दिया गया लेकिन बाद में किसी ने मंत्री जी से कहा कि क्या गजब कर दिया। इससे तो कांग्रेस डूब जायगी, जनसंघ आगे बढ़ जायगा। फिर वह अन्तरिम परिषद को भेजा गया और उसका ढोंग पीटा गया। उसके बाद सारा मामला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया।

बड़ा शोर है वैसे पहाड़ों की तरक्की का, रेडियो पर भी ३ दिन तक मनीला-धारचूला रोड के उद्घाटन का हाल आता रहा लेकिन वहां पर उत्तराखन्ड को छोड़कर जो काम हो रहा है वह सब माननीय मुख्य मंत्री जी को जहां से चुनाव लड़ना है वहीं पर हो रहा है। वहां मुख्य मंत्री जी की कांस्टीटुएंसी है, क्योंकि उनको यू० पी० में कहीं भी सिवा उस पहाड़ के और जगह नहीं है। सारे यू० पी० में और कहीं जीते नहीं, मौदहे में औरत से हार गये, लखनऊ में मर्द से हार गये और तीसरे से लड़ने वाले थे तो वह बैठ गया। जो कुछ होता है अब उसी कांस्टीटुएंसी में होता है। केवल इसलिये कि वह गुप्ता जी की कांस्टीटुएंसी है। ३ अस्पताल खोले गये लेकिन सब वहीं के लिये थे। क्या और कोई जगह नहीं थी ? केवल एक नई जगह में दिया जाता है। बाराछीना हाई स्कूल की ग्रान्ट कम की गई क्योंकि वह उनके दल के कंट्रोल में नहीं है। सारे जिले में उसका नतीजा अच्छा, ७०—८० प्रतिशत उसका नतीजा और उसका अनुदान कम कर दिया गया। और जिनका नतीजा १८ प्रतिशत उनका चौगुना कर दिया जाता है। इस तरह के तमाम डिसक्रिमिनेशन किये जाते हैं ताकि किसी तरह से विरोधी पक्ष वाइपआउट हो जायं। लेकिन याद रखें गुप्ता जी कि वह कोई अमरघुट्टी पी कर नहीं आये हैं।

हमीं जब न होंगे तो क्या रंगे महफिल किसे देखकर आप शर्माइएगा।

जब हम ही बुरी बात के कहने वाले न होंगे, हिटलर और मुसोलनी की तरह से सब आपकी ही जयकार मनाने वाले होंगे तो शासन किस पर किया जायगा। ज्यादातर ईमानदार लोग हैं लेकिन वह आत्मा खो चुके हैं। जिन्होंने पहले कांग्रेस छोड़ी, आचार्य कृपालानी, लोहिया, त्रिलोकी बाबू और पालीवाल जी ने, उनके हाथ में फिर ताकत नहीं आई। हम कहते हैं कि हिम्मत कीजिये, यह न सोचिये कि फिर ताकत नहीं आएगी। यह न सोचिये कि हमारी मां ने घी खाया तो हमारी मूछें चिकनी हो गईं। गांधी जी या जवाहरलाल जी हमें ताकत दें यह मत सोचिए, अपनी हिम्मत से आगे बढ़िए।

आज सरकार की नीति की वजह से देश में विद्रोही ताकतें पनप गई हैं जिससे सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। भगवान न करे कि वह दिन आये, लेकिन ऐसा कार्य किया जा रहा है कि १९४७ की घटना फिर यहां पर घटित हो। हिन्दी यहां की राष्ट्रभाषा है, यह सरकार की घोषित नीति है। ८ अक्टूबर सन् ४७ को घोषणा हो चुकी, बिल पास हुआ कि यहां की राष्ट्रभाषा

और राज्य भाषा हिन्दी होगी। इसके बाद क्या हुआ ? मेरे पास यह पुस्तक हिन्दी निर्देशिका है। इसमें सारे जी० ओज दिये हैं। इसमें लिखा है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी उत्तर प्रदेश की राजभाषा होगी। १९५२ में श्री भोलानाथ झा, तात्कालिक चीफ सेक्रेटरी ने जी० ओ० निकाला कि २ परसेन्ट लोग सीखने को बाकी रह गये हैं। लेकिन फिर भी हिन्दी के टाइपराइटर नहीं लिये जा रहे हैं।

इसके अलावा भाषा विवाद जो इस प्रदेश में नहीं था वह भी उठ खड़ा हुआ है। क्या मुख्य मंत्री जी भूल गये कि भाषा के प्रश्न को लेकर महाराष्ट्र और गुजरात में कितनी खूंरेजियां हुईं ? क्या वह भूल गये कि आसाम में कितने लोग बेघरबार हुए और कितनी जानें गईं ? क्या वह भूल गये कि आन्ध्र में क्या हुआ ? फिर उस भाषा के प्रश्न को पैदा किया जा रहा है। वह सोचते हैं कि पिछली बार पी० एस० पी० ने किताब कान्ड के संबंध में कुछ वोट पा लिये थे तो वह उन्हें मिलने चाहिये। मुस्लिम कन्वेशन हुआ। मौलाना हिफ़ज़ुर्रहमान शोर करते हैं। उसके बाद यह भाषा का सवाल आ जाता है। आज केवल भाषा का सवाल ही नहीं है। आज सरकार सेल्फ कंडेम्ड है। जो उसने भाषा समिति बनाई है उसका काम क्या है ? शिक्षा क्षेत्र में भाषायी अल्पसंख्यकों के संवैधानिक और स्वीकृत संरक्षणों से सम्बद्ध प्रश्नों पर विचार करना। यह नहीं है कि शिक्षा पर या उर्दू पर बल्कि यह है कि लिंग्विस्टिक मायनारिटीज पर कहां तक एनक्रोचमन्ट हो रहा है। केवल भाषा का सवाल नहीं है। इसमें यह भी है कि क्या नौकरियों में सुविधाएं हैं, क्या ट्रेडस में सविधायें हैं, कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है ? इसी तरह से टर्म्स आफ रेफरेंस में यह भी है कि उर्दू और भाषायी अल्पसंख्यकों के संरक्षणों के प्रश्न से संबंधित किन्हीं ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना जो समिति की राय में उसे गठित करने के प्रयोजनों से सुसंगत समझे जायं। जो दिल्ली में मुस्लिम कन्वेशन में यह आरोप वर्तमान सरकार पर लगाया गया कि मुसलमानों के हितों की रक्षा नौकरियों में नहीं की जा रही है तो इसके मानी हैं कि यह सरकार स्वीकार करती है कि उसके द्वारा मुसलमान और अल्पसंख्यकों के हितों पर कुठाराघात किया गया। यह उनको मुबारक हो लेकिन इससे प्रदेश का महान अनर्थ होने जा रहा है। माल मंत्री जी ने कहा था कि टर्म्स आफ रेफरेंस के बाहर नहीं जाने वाले हैं लेकिन 'अंजुमन तरक्कियें उर्दू' का शिष्ट मंडल जब मुख्य मंत्री जी से मिला तो उसका कहना था कि रीजनल लैंग्वेज उर्दू हो जाय। तो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इसको भाषा समिति को भेजे देते हैं और हमारा खयाल है कि वह बड़ी सहानुभूति-पर्वक विचार करेंगे यानी टर्म्स आफ रेफरेंस से बाहर जायंगे। तो इस तरह की बातें भाषा के नाम पर की जाती हैं।

आज सुरक्षा का क्या हाल है ? दिन पर दिन अरक्षा बढ़ती जा रही है। नेकराम शर्मा जी ने यहां कहा था कि और तो और, पालिटिकल मर्डर्स होने लगे हैं। मंत्रि मंडल बना, होम मिनिस्ट्री जरूर है लेकिन होम मिनिस्टर पर विश्वास नहीं है। उनके ऊपर दूसरा सी० आई० डी० डिपार्टमेंट मौजूद रहा करता है। लखनऊ के एक थानेदार का तबादला कर बैठे। बड़ी गलती हुई। उसके बाद क्या क्या हुआ, यह मुख्यमंत्री जी बताएं। लोगों की सिफारिश पहुंची तो होम मिनिस्टर का हुक्म रद्द हो गया और उसको यहां पर बरकरार कर दिया गया। तो एक अशान्ति का वातावरण बन गया है। हापुड़ में बारूद पकड़ा गया, सीतापुर में पकड़ा गया। गत वर्ष इसी सदन के बाहर तिरंगे झंडे को फाड़ा गया और कानपुर में फिर यह बात हुई। खाकसार आन्दोलन को पुनर्जीवित किया गया लेकिन सरकार उंगली नहीं उठाएगी। मैं कहता हूं कि सन् ६२ के लिये, थोड़े से वोटों के लिये देश को और प्रदेश को तबाह न करो। यह हिन्दुस्तान माफ नहीं करेगा। सब ओर अरक्षा का वातावरण हो रहा है। कहीं पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लग रहे हैं, कहीं तिरंगा झंडा फाड़ा जा रहा है। अफसोस की बात है कि कांग्रेसी नेता के लड़के ने कानपुर में तिरंगा झंडा फाड़ा, १७ तारीख की बात है। हमको आज कहा जाता है कि तुम कम्युनल हो, तुम्हारा कसूर है। हम अखन्ड भारत चाहते हैं, खंडित नहीं चाहते। जो हमसे बिछुड़ गया है चाहे उसे पाकिस्तान कहते हैं, सब भारत माता की संतान हैं। इसलिये हम साम्प्रदायिक हो गये। रिजरवेशन सीटों को अलग करें, भाषा जाति के आधार

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

पर देश का बटवारा किया, केरल में मुस्लिम लीग से गठबन्धन किया, उड़ीसा में गणतंत्र परिषद से गठबन्धन किया, और कांग्रेस ने अपनी रैंक एंड फाइल में मुस्लिम लीगियों को भरा। लेकिन हमसे कहा जाता है कि जनसंघ को कुचल देंगे। यह गर्व रावण को हुआ था, हिटलर को हुआ, नैपोलियन को हुआ और सिकन्दर को हुआ था। आज वही झनकार मुख्य मंत्री के मुंह से निकलती है। एक प्रजातांत्रिक प्रदेश का मुख्य मंत्री कहे कि कुचल देंगे, यह क्या मनोवृत्ति प्रदर्शित करता है? ताना-शाह बोल रहा है, इनसान नहीं, हैवान बोल रहा है। उनको मालूम होना चाहिये कि उनसे पहले जिन्होंने दम्भ प्रदर्शित किया....

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---श्रीमन्, माननीय सदस्य ने कहा कि वह मनुष्य नहीं बोल रहा है, शैतान बोल रहा है। तो "शैतान" शब्द कहना कहां तक मुनासिब है?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---"जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।"

श्री उपाध्यक्ष---आपने क्या कहा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---मैंने जो कहा वह सदन ने सुना। मैंने कहा इनसान नहीं हैवान बोल रहा है। हर आदमी की दो प्रकार की भावनायें होती हैं, यह बाइबिल का फ्रेज है, उसको माननीय मंत्री जी पढ़ लें।

आज भी सीमा सुरक्षित नहीं है। मैं बराबर इस बात को कहता रहा हूं कि मंत्री जी भले ही चार बार दौरा करें पर आज भी सीमा पर सड़कों की वह प्रगति नहीं हो रही है जो होनी चाहियें। मैं उस सड़क का नाम नहीं लूंगा क्योंकि जनसंघ चाहता है कि देश पर किसी प्रकार का ऐग्रेशन न हो। अगर देश पर कहीं से भी किसी तरह का खतरा आयेगा तो हम उसका डट कर मुकाबला करेंगे। अगर हम देखेंगे कि जनसंघ की आवश्यकता नहीं है तो अपनी पार्टी को देश के हित में स्वतः समाप्त कर देंगे। सीमा की सुरक्षा के बारे में जो कार्य जिस प्रगति से होने चाहिये वह नहीं हो रहे हैं।

मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वह भी दौरे पर वहां तक गये हैं जहां तक डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी गये, पिथौरागढ़ जिले तक। एक बार डिवीजन बनाया गया फिर उसको तोड़ दिया गया। २,५०० बोरियां सीमेंट की पकड़ी गईं, अभी हाल में। वहां भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा व्यापक है। मैं उस स्तर पर नहीं उतरना चाहता जिस पर माननीय महावीर प्रसाद शुक्ल जी उतरे थे क्योंकि मुझे दुख होता है। उन्होंने एक आदरणीय सदस्य का नाम ले कर कहा, चौधरी लायकसिंह के बारे में उन्होंने कहा। मैं तो कहता हूं कि अगर उन्होंने बुरा काम किया है, और वह साबित हो जाता है, तो उनको कानूनन सजा जरूर मिलनी चाहिये, हम उसका स्वागत करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---वह मामला सब-जुडिस है। उसका जिक्र आप दोबारा न करें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---लायक सिंह जी विरोधी दल में बैठने वाले हैं, हमें कोई मुहब्बत नहीं है उनके खराब काम से। लेकिन वह भूल गये कि ४०० रेल के टिकट किसने बनवाये थे? किस पार्टी के वह सदस्य हैं? राजा साहब कालाकांकर ने क्या किया? अलीगढ़ में मर्डर का केस चला....

श्री उपाध्यक्ष---आप कोई दूसरी बात कहें, इस प्रकार हर आदमी का नाम ले कर बात न कहें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया।

श्री उपाध्यक्ष---राजा साहब कालाकांकर आपने कहा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---दो आदमियों को सेशन सुपुर्द कर दिया गया फिर केस हटा लिया। बुंदेलखंड में लोग पकड़े गये। तो दूसरे के घर में पत्थर तब मारे जब कांच के महल में खुद न रहे।

नौकरियों की बात कही गई। नौकरियों की यह हालत है। अब में ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। कल मंत्री जी ने एक जस्टिफिकेशन करना चाहा था। १३ आदमी तो निकम्मे निकले, १४ वां योग्य निकला, उसको आगे बढ़ाया गया। किसको बढ़ाया गया? एक बहुत बड़े इंजीनियर थे उन्हीं की तरक्की हुई।

एक चीज अन्त में आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि इस सरकार की कथनी और करनी में कितना अन्तर है। माननीय मुख्य मंत्री जी जब अपने पद पर आसीन हुये थे तो एक यह बयान निकाला था—

"The Chief Minister, Mr. C. B. Gupta, has ordered a 'stop' to the opening and inauguration ceremonies that are arranged by the various Government departments from time to time. Mr. Gupta has requested his colleagues in the Government not to attend any such function. This has been called a measure of economy. Mr. Gupta asked his colleagues not to attend any inaugural and opening ceremony or function by even non-Government institutions."

यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हो तो भी उद्घाटन में मत जाओ। ६ तारीख को यह कहा था और १२ तारीख से ही शुरू कर दिया। मैंने गिन रखे हैं, सिर्फ ५२ आते हैं। जो काम न करने को कहा गया वह ५२ मर्तबा तो अभी हाल ही में कर चुके हैं। इसी तरह एकोनामी की बात कही गयी कि हम एकोनामी करेंगे। पहले ६ कारें थीं अब १८ हो गयी हैं। पहले छोटी गाड़ी, फियट वगैरह के लिये कहा था, लेकिन आज मीडियम में आ गये। तो क्या आप दुनिया को बेवकूफ समझते हैं? ये बड़े पुराने खिलाड़ी हैं और समझते हैं कि पब्लिक मेमोरी बड़ी शार्ट होती है, लेकिन हम भी पीछे से उनका हाल देखा करते हैं। हम इतनी जल्दी नहीं भूला करते हैं। मुझे पुरानी सरकार से कोई मुहब्बत नहीं है, लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को चैलेंज देता हूं कि वे अपने पदारूढ़ होने से ६ महीने पहले और ६ महीने बाद ट्रैवलिंग पर होने वाले खर्च को देखें कि कितना खर्चा अब बढ़ा है। यही नहीं, बड़े-बड़े रुपये वाले हवाई जहाज से मंत्रियों के साथ जाते हैं उनके काम से।

इन शब्दों के साथ मैं यही कहूंगा कि जो कुछ काम इस वर्तमान सरकार के द्वारा हो रहा है वह एक दल के लिये हो रहा है और एक दल के एक गुट के लिये हो रहा है। जनता का उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। इस सरकार पर मेरा अविश्वास है और मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं अपने भाई गोविन्दसिंह विष्ट को एक बात बतलाना चाहता हूं कि हम इतने तंग दिल, इतने तंग नजर और संग दिल नहीं हैं कि हमें उनसे कोई मुहब्बत न हो। उन्होंने कहा था कि—

'हमीं गर न होंगे तो क्या रंग महफिल,
किसे देख कर आप शरमाइयेगा।'

मैं यह कहता हूं कि—

'सताये जब आपको हमारी मुहब्बत,
खरामां खरामां चले आइयेगा।'

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने जो माननीय पालीवाल जी ने अदम ऐतमाद की तजवीज रखी है उसकी सख्ती से मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं और इसकी वजह मैं यह अर्ज कर दूं कि एक शायर ने तो यह कहा है कि—

"बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
जो चीरा तो एक कतरये खूं निकला।"

[श्री अहमद बख्श]

लेकिन मैं यह कहता हूं कि—

'बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
जो चीरा तो एक कतरये खूं न निकला ।'

सवाल यह है कि आज पहली मर्तबा ही नहीं बल्कि ५ वीं, छठी मर्तबा यह अदम ऐतमाद का रेजोल्यूशन आया है । मेरी समझ में नहीं आया कि आज कौन सी नयी बात हो गयी है जिसकी वजह से यह रेजोल्यूशन लाने की जरूरत पड़ी । आज तो मुख्तलिफ हजरात की तकरीरों से ऐसा मालूम होता है कि जैसे एक कमजोर से कमजोर केस को अच्छे से अच्छा वकील पेश करे लेकिन केस इतना कमजोर हो कि वह उसकी कमजोरी को पूरी न कर सके, उसकी खराबी को ठीक न कर सके और आखिर में मजबूर हो जाय । मैंने इस दौरान में जितनी तकरीरें हुई उनको बड़े गौर से सुना । उनको सुनकर ऐसा मालूम हुआ कि पहले जो तकरीरों में जोश-खरोश रहता था वह न होकर आज उनमें कोई जान ही नहीं है । इसलिये नहीं थी कि जब केस में कोई जान ही नहीं है तो वे क्या कहें ? पांच बार यह रिजोल्यूशन इस सदन में आ चुका है और यह एक सियासी खिलवाड़ बनाया जा रहा है । मेरी समझ में नहीं आता है कि खिलवाड़ क्यों बनाया जा रहा है । आज यहां माननीय त्रिलोकी सिंह जी मौजूद हैं, माननीय गेंदा सिंह जी मौजूद हैं और बहुत से दूसरे बुजुर्ग मौजूद हैं जिन्होंने आजादी की जंग में हिस्सा लिया है, अंग्रेजों को अपने मुल्क से निकालने में हिस्सा लिया है । तो ऐसे बुजुर्ग इस किस्म की परम्परायें, ट्रेडीशन्स कायम करें जो आयन्दा के लिये नजीर हों । लेकिन इस तरह से बार-बार रिजोल्यूशन्स लाना कहां तक हक बजानिब है ? इससे प्रदेश का कोई फायदा नहीं हो रहा है । इस तरह से आप लोग मुल्क का कोई फायदा नहीं कर रहे हैं, मुल्क की भलाई नहीं कर रहे हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि हर छठे महीने इस तरह के रेजोल्यूशन रखने की क्या जरूरत है ।

श्री उपाध्यक्ष—सदन में शांति नहीं है । कृपया शांति स्थापित रखें ।

श्री अहमद बख्श—यह सियासी खिलवाड़ कोई हकीकत नहीं रखती है । हमसे तो कहा जाता है कि हम फिजूलखर्ची नहीं रोक सकते हैं, लेकिन इंसानियत के साथ देखिये कि इस सियासी खिलवाड़ में कितना मुल्क का रुपया सर्फ हो रहा है और इससे आप मुल्क का क्या फायदा कर रहे हैं जिससे आप देश को दिखा सकें कि आप ने इन दो दिनों में जनता की यह सेवा की । इसमें मुल्क का रुपया बेकार खर्च होता है ।

यह भी देखिये हजूर, झगड़ा हमारा, लड़ाई भी हमारी, शिकायत हमारी, मुहब्बत हमारी है और आप उससे फायदा उठाना चाहते हैं । यह कहां का तरीका है ? आपका कहना है कि कांग्रेस पार्टी में दो दल हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि हो सकता है, हों । लेकिन आपको इससे क्या वास्ता ? हमारे अन्दर दो तो क्या, बीस दल हों ? आप किसी के इख्तलाफ से क्यों फायदा उठाना चाहते हैं । यह तो हमारे बीच की चीज है, इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है । मैं कहता हूं कि हम वह आहनी दीवार हैं जिसमें कभी भी छेद नहीं हो सकता है । हम वह दीवार हैं जिसमें कभी सूराख नहीं हो सकता है और हमसे कोई फायदा नहीं उठा सकता है । एक शायर ने कहा है कि—

"मुहब्बत हो तो हम से हो, अदावत हो तो हम से हो ।
मगर यह गैर का मिलना गवारा हो नहीं सकता ।"

यह ठीक नहीं है कि आप दूसरे के जज्बात से फायदा उठाने की कोशिश करें और इस तरह की बातें करें । मैं समझता हूं कि यह तो आपकी भूल है, नादानी है, और यह आपकी बातें दानिशमन्दी से दूर हैं । किसी भी तरह स अगर आप हमारा जिक्र न करें तो ज्यादा अच्छा हो । इससे क्या फायदा जो आप अपना मजाक खुद उड़वायें ।

अब मैं एक और चीज इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। आपने बड़ी खूबी के साथ, जोरदार अल्फाज में और पुरजोर तकरीर में यह कहा कि आज की मिनिस्टरी में कौंसिल के मेम्बरान को मिनिस्टर बना दिया गया है या ऐसे लोगों को मिनिस्टर बना दिया गया है जो बाहर के हैं और डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में ऐसा नहीं था। यह आपने नई चीज क्या पैदा कर दी? आप तो बहाना खोजते हैं। आपको लोअर हाउस और अपर हाउस से क्या मतलब? आप चाहते हैं कि पानी वहीं गिरे जहां आपकी राय हो। जब डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में कोई कौंसिल का मिनिस्टर नहीं था तब आपने क्या बात पैदा कर दी? आपने कल कौन-सी हमारी तारीफ की थी, कौन-सी आपने हमारी सितायश की थी और अब कौन-सी बात हो गई जो आप बुराई कर रहे हैं? आप से तो हमको जो कल तवक्को थी वही आज भी है और आगे भी रहेगी। आपको इससे क्या कि इसमें कौंसिल का मिनिस्टर है या लोअर हाउस का है। यह तो हमारी पार्टी का मामला है। आप हुजूर वाला दखल देने वाले कौन होते हैं? यह तो हमें शिकायत होनी चाहिये। इसमें हम आपके दखल देने की जरूरत नहीं समझते हैं और न आपकी राय की जरूरत समझते हैं। यह तो अनइन्वाइटेड गेस्ट, "मान न मान मैं तेरा मेहमान" का मामला हो रहा है....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य जरा रफ्तार धीमी कर दें हमारे रिपोर्टर्स लिख नहीं पा रहे हैं।

श्री अहमद बख्श—बहुत अच्छा। वही ऐतराजात जो इससे पहले भ्रष्टाचार के किये गये, वही छोटी-छोटी बातें, वही गिरी-गिरी बातें अगर पुराने मैदान के लड़ने वाले करें तो उनके मुंह से ऐसी ओछी बातें अच्छी नहीं लगतीं। हिन्दुस्तान आजाद हुआ। अब हम परम्परायें बना रहे हैं। क्या आने वाली नस्लों को हम यही सिखायेंगे? कल डाक्टर सम्पूर्णानन्द वजीर आजम थे। अपोजीशन की तरफ से तब कहा गया कि कायस्थगर्दी हो रही है और आज गुप्ता जी वजीर आजम हैं तो कह रहे हैं कि बनियागर्दी हो रही है। पालीवाल जी ने डाइरेक्टली नहीं कहा, इनडाइरेक्टली कहा। लेकिन हम मजमू भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। उन्होंने जबान को रोककर और तरीके से कहा, लेकिन उनका मकसद हल हो गया। अगर डाक्टर सम्पूर्णानन्द कल अच्छा काम करते थे तो उन को वहां बख्श दिया गया था और अगर गुप्ता जी आ गये तो क्या नयी खराबी पैदा हो गयी? ऐसी बात अगर बड़े से बड़े आदमी के मुंह पर आती है तो ओछी बात मालूम होती है। क्या इस तरह से कौमें बनती हैं या इस तरह से कौमें बिगड़ती हैं? इस ऐतबार से मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इन छोटी-छोटी बातों में न जायं। हम यह भी जानते हैं कि यह जो प्रस्ताव आया है इस में कोई हकीकत नहीं है। महज एक प्रोपेगन्डा है। आने वाले चुनाव के लिये एक जमीन तैयार की जा रही है।

जहां तक फिजूलखर्ची का जिक्र किया गया, यह जिम्मेदारी हमारे कन्धों पर है कि जहां तक फिजूलखर्ची को हम बचा सकते हैं, बचायें। आइन्दा आने वाला इलेक्शन इस बात का पैमाना होगा, इस बात का स्टैन्डर्ड होगा। कोई ऐसी बात नहीं है। ६, ७ महीने में हम अवाम के सामने जाने वाले हैं। अगर हमारी फिजूलखर्चियों से जनता परेशान है तो वह खुद उसका जवाब दे देगी। अगर हम में कोई इख्तलाफ है, कोई कमी है, तो यह हमारे फिक्र करने की बात है। हम अपनी मंजिल को खुद पहचानते हैं, हम अपनी आकबत को खुद जानते हैं, इसमें हमें आपके मशविरे की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि जहां तक इस अदम ऐतमाद के वोट का सवाल है रुपया में एक नया पैसा भी कोई आशा नहीं कर सकता कि यह पास हो जायगा। अगर किसी का दिमाग खराब हो गया हो तो शायद वह समझ ले कि यह पास हो जायगा, लेकिन इस प्रस्ताव को लाने वाले कौन लोग हैं, अगर अनपार्लियामेंटरी न हो तो मैं कहूंगा—कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानमती ने कुनबा जोड़ा। कहां जनसंघ, कहां प्रजा सोशलिस्ट, कहां सोशलिस्ट, कहां स्वतन्त्र, कहां

[श्री अहमद बख्श]

कम्युनिस्ट–बिना नकेल का ऊंट और बेजोड़ का गठबन्धन, इस तरह से कैसे काम चल सकता है। जनसंघ और प्रजा सोशलिस्ट से क्या ताल्लुक? स्वतन्त्र और कम्युनिस्ट से क्या ताल्लुक है। बिना लगाम का घोड़ा आगे नहीं चल सकता।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)––ऐसा बोलिये जिसमें प्रेस वाले लिख लें बेचारे।

श्री अहमद बख्श––इस ऐवान के लोग जिम्मेदार से जिम्मेदार लोग हैं। अगर इस ऐवान के लोग ऐसी ओछी बातें करेंगे तो फिर कौन व्यक्ति जिम्मेदारी की बात करेगा? काम बिगाड़ना तो आसान है लेकिन बनाना बहुत मुश्किल है। गुजारिश करूंगा---

"खंजर चले हैं किसी पर तड़पते हैं मीर,
सारे जहां का दर्द गोया हमारे जिगर में है।"

आपके दिल में सारी दुनिया का दर्द भर गया है। आपके दिल में कांग्रेस की बहबूदी का दर्द भरा है, कांग्रेस की फूट का दर्द भरा है, फिजूलखर्ची का दर्द भरा है, ऐडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशेंसी का दर्द भरा है, मुख्य मन्त्री के वजारत बनाने का दर्द भरा है––गोया सारा दर्द आपके दिल में आ गया है। हमें गैर जिम्मेदारी से काम नहीं करना चाहिये। हमें ऐसी बातें करनी चाहिये जिनसे कौमें बनती हैं। जिम्मेदारी आपकी भी और हमारी भी है। आने वाली दुनिया में हम इस बात के दावेदार नहीं हो सकते कि हमेशा कांग्रेस दल की ही हुकूमत रहेगी। हो सकता है, खुदा न करे, कभी कि अन्धे पूतों का मुंह देखें इस तरह शायद कभी आपको भी मौका मिल जाय तो इस बात का खयाल रखिये बोलते समय कि कहीं उस वक्त आप ही की किताब आपके सामने न पेश कर दी जाय कि कल तो आप यह फरमा रहे थे। और आज यह इसलिए गुजारिश करूंगा कि बार–बार भ्रष्टाचार का जिक्र करने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। दूसरे यह कि कलेक्टर को वहां रख दिया, फलां को फलां जगह भेज दिया, इससे कोई काम बनने वाला नहीं है। मेरे हाथ में अगर जिम्मेदारी है तो मैं जानता हूं कि कौन-सा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहां के लिये मुनासिब होगा, कौन सा मुख्य सचिव रखना मुनासिब होगा, किसको हमें डाइरेक्टर बनाना है, किसको डिप्टी डाइरेक्टर बनाना है, किसको पुलिस में बैठाना है, किसको आई० जी० बनाना है। जिम्मेदारी मेरी है तो ख्वाहिश भी मेरी और मर्जी भी मेरी होगी। घोड़े पर चढ़ूं तो मैं और बाग आप को दे दूं ऐसा तो कोई अक्लमन्द आदमी नहीं कर सकता। तो इस तरह से ऐसे ओछे हथियारों से काम नहीं चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा गुजारिश करूंगा कि जो यह अदम ऐतमाद का प्रस्ताव है जिस पर मुख्तलिफ किस्म की तकरीरें हमने सुनीं और बड़े बड़े संजीदा लोगों की सुनीं, सब से पहले प्रस्ताव को पेश करने वाले माननीय पालीवाल जी ने जो फरमाया उसमें एक चीज उन्होंने यह भी कही कि आगरे में यह हुआ और फिरोजाबाद में यह हुआ। कुछ मुकामी बातों का जिक्र भी उन्होंने किया। उसके लिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि अदम ऐतमाद के प्रस्ताव पर तो बहुत ही खास और अहम बातों की चर्चा होनी चाहिए। इस तरह की जनरल चीजें तो बजट के मौके पर भी कही जा सकती हैं। जब हम इतना अहम प्रस्ताव रख रहे हों और हुकूमत को नाकारा साबित कर रहे हों, उस पर इल्जामात की फेहरिस्त सामने ला रहे हों तो हमें ऐसी बातें रखनी चाहिए जिनसे हम अपने इल्जामात को साबित कर सकें। साथ ही हमें इस बात का भी खयाल रखना है कि आने वाली सन्तानें भी इससे कुछ सीखेंगी। केवल सियासी खिलवाड़ के रूप में कोई चीज हम न रखें।

आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लाख कोशिश करें, आप न इसमें आज कामयाब होंगे और न पहले कभी कामयाब हुए हैं। यह वह आहिनी दीवार है कि जिसमें एक भी सूराख आप नहीं कर सकेंगे। एक डेसिमल, एक प्वाइन्ट भी फर्क आप इसमें नहीं कर पायेंगे।

इन लफ्जों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और गुजारिश यह करता हूं कि अगर इसको वापस ले लें तो मुंह की खाने से बच जायेंगे। इसलिए शराफत से इसे वापस ले लें।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री त्रिलोकीसिंह का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)——यह हमेशा ठेकेदार रहेंगे, श्रीमन्, त्रिलोकी सिंह, झारखंडे राय, पालीवाल····

श्री उपाध्यक्ष——माननीय पुजारी जी, आप कृपया बैठिए।

श्री टीकाराम पुजारी——हम लोग पीछे बैठने वाले हैं श्रीमन्, हमारा भी तो नम्बर आना चाहिए। शेर को मौका मिलना चाहिए, श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष——माननीय पुजारी जी, आप कृपा कर के बैठिए। आपको भी मौका मिलेगा।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)——उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव स्वतन्त्र दल के माननीय नेता ने उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मुजफ्फरनगर जिले के माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव के विरोध में जब अपना भाषण शुरू किया तो दावत दी कि अगर कोई तकलीफ है तो खरामां खरामां उनके पास चले जायं। दावत देने के बाद उन्होंने आहिनी दीवार का जिक्र किया।

(इस समय ३ बज कर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैं उनकी खिदमत में आपके जरिये से महज इतना अर्ज करना चाहता हूं कि उनके मर्द अहम (लौह पुरुष) को हमने देखा है और उनकी आहिनी दीवार को फरवरी, १९६२ में उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी। अध्यक्ष महोदय, हमें दुःख है कि इस प्रकार का प्रस्ताव बार बार इस सदन में लाया जाता है। दुःख इसलिए है कि जब यह प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके पीछे यह भावना रहती है कि जिन लोगों के विरोध में यह आवाज उठायी गयी है वे उससे असर लेंगे। लेकिन साढ़े चार साल के अनुभव के बाद यह बात सिद्ध हो गयी कि उन पर रत्ती भर भी कुछ असर नहीं होता है। वह याद रखें कि इस प्रकार के अविश्वास के प्रस्ताव का आना सर्वमान्य संसदीय प्रथा है। इस प्रथा का अनुसरण भारत में ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों में लगातार सैकड़ों वर्षों से किया जा रहा है। फैसला करेगी इस प्रस्ताव का प्रदेश की जनता। जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से, मान्यवर, हमारा यह कर्त्तव्य है कि आज जो उनको तकलीफ है, जो उनको परेशानियां हैं, जिससे वह नजात पाना चाहते हैं, जो अपने भले के लिये हसरत भरी निगाह से देख रहे हैं, उनके लिये इस प्रस्ताव के द्वारा, इसको उपस्थित करके या इसका समर्थन करके, कुछ बातें अर्ज करें और उनको बतायें कि इस झंझट से नजात पाने के लिए क्या राह है। इसका फैसला २३ अगस्त को नहीं होगा, जैसा मैं पहले कह चुका हूं, बल्कि ६ महीने के बाद होगा। कोई भूला नहीं है, सबके आंखें हैं, सब देखते हैं।

संसदीय प्रथा का बहुत हवाला दिया गया है। कहते हैं कि संविधान में लिखा हुआ है कि कोई शख्स जो लेजिस्लेचर का मेम्बर न हो वह मंत्री हो सकता है। लेकिन मैं आपके द्वारा अर्ज करूं कि यह प्राविधान भारत के संविधान में क्यों किया गया? यह संकटकालीन समय के लिए है। विशेष आवश्यकता में इसका उपयोग होना चाहिए। यदि वे गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट, १९१९ को पढ़ें, मान्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट अथवा ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट जो पार्लियामेंट को दी गयी थी तो उसमें लिखा है कि हिन्दुस्तान में प्रजातंत्र का एक नया तजुर्बा किया जा रहा है। कहीं ऐसा न हो कि अच्छे लोग चुनाव में न आयें, और हमारा यह तजुर्बा नाकामयाब हो जाय। इसलिए इस बात की गुंजायश रखी गयी थी कि वह लोग जो विधान मंडल के सदस्य न हों वह भी मंत्री मुकर्रर कर दिये जायं, लेकिन शर्त यह होगी कि ६ महीने के अन्दर उनका मेम्बर होना लाजिमी होगा ताकि जनता के दिल में सन्देह पैदा न हो। कहीं ऐसा न हो

[श्री त्रिलोकीसिंह]

कि सरकार अपने खास आदमियों को मंत्री के पद पर रखना चाहती है। यह १९१८ की बात है। सन् १९५० में इस प्राविधान को पुनः रखा गया और आज १९६० और १९६१ में उस पर अमल किया जा रहा है। यह फख्र की बात नहीं है कि उस पर अमल किया जाय। कानून के अन्दर हजार गुंजायशें हैं। कानून के अन्दर गुंजायश है कि कोई चोरी करे, और पकड़ा न जाय अथवा जुर्म साबित न हो तो छोड़ दिया जायगा। किन्तु उसके चोरी करने को किसी भी जमाने में जायज और सही करार नहीं दिया गया। कानून में कुछ लिखा होता है। प्रजातंत्र चलता है प्रथाओं से, रवायतों से। मैं उम्मीद करता था कि इतनी बड़ी जमात के सदस्य, जिस जमात का पिछले ७५ और ८० वर्षों का शानदार इतिहास है, वह जमात जिसने जंगे आजादी में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया और वह जमात जिसने आजाद होने के बाद हिन्दुस्तान के पुनर्निर्माण में किसी दूसरे दल के मुकाबिले में ज्यादा हिस्सा लिया है वह सर्वमान्य प्रथाओं का अनुसरण करेगा। क्या यही तरीका है प्रजातंत्र को बचाने का? यही तरीका है भलमनसाहत को ऊंचा करने का? और यही तरीका है जनता की सेवा करने का?

माननीय, किसी सरकार का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह लोगों में सुरक्षा की भावना सही माने में पैदा करे। माननीय गृह मंत्री जी मौजूद हैं वह तसलीम करते हैं और आज उन्होंने खुद फरमाया है कि पहले रिपोर्ट सही लिखी जाती थी और अब बहुत सही लिखी जाती है। क्या माने हैं इसके कि सही और बहुत सही किसी घटना के बयान में इसकी गुंजायश नहीं। यह डिग्री का फर्क हो गया यानी पहले कुछ कम अच्छा था अब वह बेहतर हो गया। अभी बहुत अच्छा होना बाकी है। वह सरकार जो इस बात को तसलीम करे और जिसके राज्य में सही रिपोर्ट जुर्म की दर्ज न की जाय क्या यह कानून की खिलाफवर्जी नहीं है? अगर जुर्म को दबाया जाय तो इससे बढ़कर क्या अपराध हो सकता है, लेकिन कितने थानेदारों को और कितने थाना मुन्शियों को इस अपराध में सजा कराई गई है? जुर्म को छिपाना और उसकी सूचना दर्ज न करना भारतीय दंड विधान के अन्दर एक जुर्म है। जुर्म का फैसला कोई उच्च अधिकारी नहीं कर सकता है। उसका फैसला अदालत करती है लेकिन कितने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सही रिपोर्ट न लिखने की वजह से मुकदमे चलाये गये? मालूम होगा नहीं के बराबर है। क्या इस तरह से सुरक्षा की दशा इस प्रदेश और देश के अन्दर पैदा की जा सकती है?

जिक्र किया गया कि उरई जिले के एक साहब का कत्ल हो गया। कोई हर्ज की बात नहीं है। जो प्रजा सोशलिस्ट हों, कांग्रेसी हों, या कम्युनिस्ट हों उनका किसी का कत्ल न हो इसका इतमिनान कोई बिधान, कोई व्यक्ति, कोई सरकार नहीं कर सकती है, लेकिन क्या यह बात नहीं है कि जिन साहब को कत्ल किया गया उन्होंने दो महीने पहले मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दी थी कि उनकी जान का खतरा है? उस दरख्वास्त पर रिपोर्ट हुई। उस पर थानेदार साहब कहते हैं कि जान का खतरा नहीं है। वह दरख्वास्त जब खारिज होती है उसके ६ दिन के बाद ही वह मारे जाते हैं। क्या यह वाक़या नहीं है? लखनऊ जिले की बात मैं कहता हूं एक आदमी ने पहली अप्रैल को दरख्वास्त दी माननीय मंत्री को। उसके बाद १८ अप्रैल को कप्तान पुलिस को मैंने लिखा कि उसकी जान का खतरा है। उस पर कार्यवाही धीमे-धीमे होती है। सरकार का काम इतमिनान से चलता है। २० मई को वह मार डाले जाते हैं। उसके एक दो दिन के अन्तर से १०७ की कार्यवाही की जाती है। यह बातें आये दिन की हैं। जो सरकार किसी की जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकती हो और जिस सरकार ने अराजकता की दशा पैदा कर दी हो वह हरगिज किसी भी हिसाब से गौर किया जाय, अपनी जगह पर कायम रहने के काबिल नहीं है।

आज हम भले ही हार जायं लेकिन पूरे मंत्रिमंडल से आपके द्वारा यह अर्ज करना चाहता हूं कि कभी उन्होंने सोचा कि पुलिस की गर्ज क्या है। यह राज्य की रक्षा के लिये है या जनता की रक्षा के लिये? पुलिस का काम है फौजदारी से जनता को बचाना। फौजदारी क्या है वह काम जो फौज करे। तहसीलदार तहसील का काम करता है। थानेदार थाने का काम

करता है। उस कानून के मातहत जनता की हिफाजत करना सरकार का फर्ज है। उसी तरह पुलिस का काम जनता को मजालिम से बचाना है। हाकिमों के मजालिम से जनता को बचाना पुलिस का काम है। "To save the people from the excesses of Govt. Servant." इसलिए पुलिस की स्थापना हुई। अंग्रेजों ने पुलिस किस लिए कायम की थी ? अपने राज्य को कायम रखने के लिये उन्होंने पुलिस को कायम किया। अंग्रेज चले गये। संसार के किसी भी सभ्य देश में सरकार की पुलिस नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार आज भी पुलिस बनाए हुए है। अन्तरिम जिला परिषद्, नगर महापालिका और नगरपालिकाओं को यह काम क्यों नहीं दिया जाता है ? साफ़ बात है कि इस सरकार का सारा दारोमदार पुलिस पर है। आये दिन यह देखने में आता है और जो दिन गृह मंत्री का उत्तर देने का होता है उस दिन और प्रश्न रहते हुए भी सारा वक्त पुलिस के सम्बन्ध में लगता है। ज्यादा सवाल उसी पर होते हैं। और जो उत्तर दिये जाते हैं उससे साधारणतया सदस्यों को सन्तोष नहीं होता। उस पर भी सरकार को गर्व है। सरकार के प्रति जनसाधारण की नाराजगी है। फिर यह आशा कि पुलिस को जनता सहयोग नहीं देती है।

मंत्रिमंडल ४।। साल से एक ही पार्टी का है और अगर महज इसी मंत्रिमंडल को ही लिया जाय तो उसको ९ महीने भी नहीं हुये हैं। इस राज्य के अन्दर इसी पार्टी की सरकार पिछले १५ साल से कायम है। इस मन्त्रिपरिषद् के कुछ सदस्य उसी समय से लगातार राज्य कार्य के संचालन में लगे हुये हैं। उत्तर प्रदेश के मंगल की और राज्य के संचालन की जिम्मेदारी चाहे मन्त्रिपरिषद् के सदस्य की हैसियत से चाहे उसके समर्थकों की हैसियत से इसी पार्टी की रही है। १५ साल के बाद भी आज क्या यह वाकया नहीं है कि पुलिस जितने मुकदमे चालान करती है उनके लिये कुछ पेशेवर गवाह होते हैं। गवाहों की फेहरिस्त होती है और १०, १५ मील के दायरे में जितने भी जुर्म होते हैं उन सबमें वे गवाह बन जाते हैं। आज तक पुलिस को जनता की सद्भावना, सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। खुशी से कौन आता है यह कहने कि, आइये हम गवाही देंगे, हमारे पड़ोस में जुर्म हुआ है, हम रास्ते से चले जा रहे थे हमने यह देखा है। कौन पेश करता है अपने को गवाही के लिये ? कह सकते हैं कि सारी जनता निकम्मी है, लेकिन मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं। निकम्मा यह निजाम है, वह वातावरण है, वह तौर तरीके हैं जिनमें कोई भला आदमी पुलिस के पास जाने से घबराता है। केवल इसीलिए कि शिकायत की सुनवाई नहीं होती।

मान्यवर, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर गौर करें कि यह प्रस्ताव क्यों पेश किया गया है, इसके लाने की गरज साफ़ है। इसका फैसला आज यहां नहीं होगा यह भी साफ़ है। मैजिस्ट्रेटों की संख्या पिछले १५ साल में दुगनी हो गयी, डी० एस० पीज० की संख्या पिछले १५ सालों में दुगुनी से ज्यादा हो गयी, लेकिन मुकदमात बिना जांच के रह जाते हैं, मुकदमों का महीनों फैसला नहीं होता। हाईकोर्ट में दस दस साल से ज्यादा की अपीलें आज भी पड़ी हुई हैं। बड़ी पुरानी मसल है—जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड (Justice delayed is Justice denied)। क्या तरकीब की सरकार ने इसके लिये ? दस साल तक मुकदमों का फैसला नहीं होता। कानून बना देते ह, और उसे लागू कर देते हैं। यह कर्त्तव्य है कि जो कानून पास किये जायं उसे लागू भी करें। यह कानून कोई आयते-हदीस नहीं हैं। उनमें बार-बार संशोधन लाए जाते हैं ? डेढ़ वर्ष हुआ इंटरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट में संशोधन किया गया था, उसका पूरे तौर पर निफाज भी न हो पाया कि तरमीम फिर आ गयी। विश्वविद्यालयों के बारे में लगातार एक के बाद एक कानून पास किये गये। माननीय वन मन्त्री ने दुहाई दी कि यह क्या करें, जब यहां कोई चीज स्वीकार की गई तो हमारा फर्ज है कि हम उसे लागू करें। बाद में आवश्यकता पड़ने पर संशोधन विधेयक लाये जायं। क्या नीति है ? चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखें या शान्ति व्यवस्था का प्रश्न लें, चाहे उद्योग-धंधे की बात है, चाहे सरकारी नौकरी की बात ले ली जाय, सब जगह एक ही बात है।

सरकार अगर कोई काम करना चाहती है तो उसका जरिया है सरकारी नौकर। किसी आदमी को अगर भरपेट अन्न और जरूरियात भर को खर्च न मिले तो उससे यह आशा

[श्री त्रिलोकीसिंह]

करना कि वह योग्यता और मुस्तैदी से काम करेगा, यह अनहोनी बात है। ऐसा तो सन्यासी भी नहीं करते। जरूरत होती है दो रुपये की और उस समय जब तक वे चार रुपये न पा लें तब तक मांगते ही रहते हैं। हमारे सरकारी कर्मचारीगण साधारण व्यक्ति हैं। सन् १९४७ में वेतन नियत किये गये थे। तब से आज ५५ फीसदी चीजों का दाम बढ़ गया है। क्या तनख्वाह में भी उसी हिसाब से बढ़ोत्तरी हुई है? जरूरत है कि पुनः इस प्रश्न पर विचार किया जाय। बचत करने की बात शुरू हुई और उसका श्रीगणेश हुआ चपरासियों से। पुरानी बात है कि हिन्दुस्तान के राज्य का ढांचा ऊपर से बोझिल है। मैं मान्यवर, माननीय सदस्यों की सेवा में धृष्टता करना चाहता हूं मैं अर्ज करना चाहता हूं कि टाप हैवी का अर्थ क्या है? माफ करेंगे आप, मुमकिन है कि माननीय सदस्य जानते हों। 'टाप हैवी' का यह अर्थ नहीं था कि गवर्नर जनरल बहादुर हिन्दुस्तान के दो लाख ५६ हजार रुपया सालाना तनख्वाह लेते थे। टाप हैवी का अर्थ था कि यहां जितनी जरूरत है उससे ज्यादा अफसर हैं। आज क्या दशा है? स्वराज्य हो गया, फिर भी अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। डी० एम० के साथ ए० डी० एम० हो गया। कमिश्नर महज बेकार के लोग हैं। जब कमिश्नर का ओहदा कायम किया गया था, उस समय रेल नहीं थी, तार नहीं था और एक जगह से बैठकर ४०० मील दूर से राज करना कठिन था। इसलिये कमिश्नर नियुक्त किये गये थे और ५, ६ जिलों में एक कमिश्नर रखा गया। मैं माननीय मुख्य मंत्री की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह आज कमिश्नरों के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो पायेंगे कि पहले ३ जिलों पर एक कमिश्नर रखा गया था। जब रेलें बन गयीं, तब ६ जिले हो गये। अंग्रेजों ने कमिश्नरों के पदों को कायम रखा, लेकिन कभी यह नहीं कहा कि वह जरूरी है। आज कहा जाता है कि वे सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अगर कुछ बचत करना चाहते हैं तो कमिश्नरियों को तोड़िये। जितना फायदा छोटे-छोटे कर्मचारियों को हटा कर, उनका रोजगार छीन कर होने वाला नहीं है, उससे ज्यादा फायदा इन कमिश्नरियों को तोड़ने से होगा। करीब १३ लाख की बचत इस पद को तोड़ देने से होगी। यह बेकार के स्थान हैं, इनको क्यों नहीं खत्म कर दिया जाता?

सादगी की बड़ी दुहाई दी जाती है। कल माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से एक प्रश्न का उत्तर देते समय उप मंत्री जी ने इंगलैण्ड के प्रधान मंत्री का जिक्र किया था लेकिन क्या उन्हें मालूम ह कि इंगलैण्ड में प्रधान मंत्री या किसी मंत्री को भी सरकार की तरफ से सवारी नहीं दी जाती। क्या उनको मालूम है कि दो मंत्रियों को छोड़ कर वहां किसी भी मंत्री के लिये आवास का व्यय नहीं दिया जाता। क्या उनको मालूम है कि एक लार्ड चान्सलर जिनके पास मोटर नहीं थी, दफ्तर जाने के लिए बस की लाइन में खड़े हुए थे। एक वह मुल्क है जहां पर मखमली कालीनों पर जूता पहन कर चला जाता है और जहां के प्रधान मंत्री इस तरह से रहते हैं, और दूसरी तरफ यहां क्या है? सादगी की दुहाई मत दीजिये, और अगर देनी है तो सचमुच में सादगी दिखाइये, सादे बनिये। सादा जीवन, उच्च विचार, हमारी पुरानी परम्परा रही है और जब तक इस परम्परा को अपनाया नहीं जाता, हम उच्च नहीं बन सकते। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और सारे मंत्रि मंडल के सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि सादे बनिये, हम आपके साथी होंगे। साथी का यह मतलब नहीं कि हम उनका विरोध करना छोड़ देंगे या उनको पलटना नहीं चाहेंगे। वह तो हम अपना कर्तव्य समझते हैं, उसके एक नहीं अनेक कारण हैं तथा प्रजातंत्र में कुछ सर्वमान्य मान्यतायें हैं।

क्या यह दुःख की बात नहीं है कि आज १५ साल की स्वतंत्रता के बाद हमने यह जरूरी समझा कि हम लोग एक जगह इकट्ठा होकर आचार संहिता बनाएं? हमारे लिये यह शर्म की बात है। यह कैसे पैदा हुई? इसकी क्यों जरूरत पड़ी? जो बात पहले, १० साल पहले, अनहोनी थी, वह आज साधारण बात हो गयी है। उन बातों से हमारा मस्तक नीचे झुकता है। उसको ऊंचा करने के लिये, जन साधारण के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिये क्या उपाय किये गये? मैंने आज मुकर्जी कमेटी की रिपोर्ट हासिल करने की कोशिश की,

लेकिन मुझे मालूम हुआ कि वह अभी छपी नहीं है, वह टाइप में है। अखबार में उसका कुछ हिस्सा निकला है। वह बात अगर सही है तो उस रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता का स्तर इतना गिर गया है कि बजाय इसके कि वह भ्रष्टाचार के विरोध में लड़े, उसके उन्मूलन में लगे, भ्रष्टाचार को उसने अपने जीवन का एक अंग मान लिया है। यह किसके जमाने में हुआ? क्या १५–२० साल पहले ऐसी बात होती थी? नहीं होती थी और आज बढ़ती जा रही है। और सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती। उनका बल है केवल बहुमत। लेकिन वह याद रखें कि हमारे पास संविधान है, उसके अन्तर्गत कुछ मौलिक अधिकार हैं। केवल हुकूमत के बल पर काम नहीं चल सकता है और अगर बहुमत इस तरह से जनता की आकांक्षाओं पर कुठाराघात करेगा और इस प्रकार से उनकी अवहेलना करके जो समाज के कलंक हैं उनको मिटाने में अपनी असमर्थता प्रकट करेगी तो यकीन मानिये, मान्यवर, जनता ऐसी सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगी। वह जानती है कि ऐसे लोगों से किस प्रकार मुक्ति हासिल की जाय। इस प्रस्ताव का कल फैसला चाहे जो हो, मगर जनता उसको नहीं भूलेगी।

मान्यवर, प्रजातंत्र की बड़ी दुहाई है। कहते हैं कि यहां जो फैसला हो गया वह हो गया। लेकिन मैं आपके द्वारा सारे सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि वे यह बतायें कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो पुराने थे और म्युनिसिपैलिटियां थीं उनको जो अधिकार थे, अन्तरिम जिला परिषद् बनने पर उनके अधिकार हैं वैसे ही हैं या कम किये गये हैं? मालूम होगा कि कम किये गये हैं। अन्तरिम जिला परिषद् के बहुत से सदस्य बिना चुनाव के मनोनीत किये गये। सबको मालूम है कि विधान परिषद् के लिए सदस्य मनोनीत किये जाते हैं किन्तु नामजदगी होती है विशेष वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए अथवा विशेषज्ञों का नामिनेशन होता है। मैं उधर के माननीय सदस्यों से जानना चाहूंगा कि अन्तरिम जिला परिषद् के जो सदस्य मनोनीत किये गये हैं उनकी योग्यता बता दें? कार्य-क्षमता को बता दें कि वह किस विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? स्त्री हैं, हरिजन हैं, पिछड़े हुए हैं, फौज के पेंशनर हैं या विशेषज्ञ हैं? या यह है कि उनका सम्बन्ध एक विशेष संस्था से है और यही सब से बड़ी योग्यता है। अगर यह विचार हो कि बहुमत द्वारा मनोनीत कर इस प्रदेश में जनतंत्र सफलतापूर्वक चल सकता है तो मान्यवर, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह कल्पना मात्र है। यही हाल कोआपरेटिव सोसाइटियों का है और यही नगरमहापालिकाओं का है। उनको यह भी अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह अपने मुख्य नगराधिकारी को नियुक्त कर सकें। कलकत्ता, बम्बई में गुलामी जमाने में चीफ एग्जिक्यूटिव आफिसर की नियुक्ति कारपोरेशन करता था। क्या माननीय सदस्यों को नहीं मालूम है कि १९२३ में बंगाल में उपद्रव हुआ था। पहली बार नगर प्रमुख का चुनाव हुआ, देशबन्धु सी० आर० दास चुने गये और उन्होंने नेता जी सुभाषचन्द्र बसु को वहां का चीफ एग्जिक्युटिव आफिसर मुकर्रर किया गया अ.ज वह अधिकार भी जनता से छीन लिया गया है। यह है प्रजातंत्र और इस तरह राज्य कर यह उम्मीद करते हैं कि उन्हें छुआ न जाय।

मैं इतना ही अर्ज करके समाप्त करता हूं। उधर से कहा गया कि यह फिजूल की बकवास है और शेखपरा के कलाम पेश किये गये। लखनऊ के चकबस्त ने जब इस प्रकार की बेबसी का जोर हुआ और जब हुकूमत ने चाहा था कि कोई फरियाद भी न करे तब उन्होंने कहा था कि "हुक्म हाकिम का है फरियाद जबानी रुक जाय।" आज हमसे भी इस सदन में तवक्को की जाती है कि हम अपनी बात भी न कहें और ऐसा करना आदरणीय सदन का समय नष्ट करना है और हम अपनी बात कह कर जनता के रुपये का अपव्यय कर रहे हैं। क्या यह सही नहीं है कि मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी नैनीताल न जाने की? लेकिन लोग गये और क्यों यह फजूलखर्ची की गयी? सादगी में पहाड़ का जाना परम धर्म और कर्त्तव्य है। जनता को सब बातें याद हैं। मुजफ्फरनगर जिला के एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसे खिलवाड़ न समझिये और अगर वह ऐसा समझते हैं तो हमें खेल खेलने दीजिये। जाइये, दारुलशफा के कमरों में आराम से बैठिये। हमारे दिल में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए दुख है। उसे कैसे नजात दिलाई

[श्री त्रिलोकीसिंह]

जाय ? उनके बुद्धि है और हम तकाजा करेंगे कि वह हमारी बात माने। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मानेंगे। जमाने की रफ्तार है। दुनिया उस तरफ चल रही है। जो बात आज हम कह रहे हैं वह होकर रहेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का पुनः समर्थन करता हूं।

*श्री रामलखन तिवारी (जिला बलिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

(श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा के सदन में चलने पर)

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)--श्रीमन्, क्या यह जेबा है कि एक माननीय मेम्बर माननीय वक्ता के और आपके बीच से क्रास करके सीधे वहां जावे ?

श्री अध्यक्ष--नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री रामलखन तिवारी--यह सर्वविदित है कि यह अविश्वास का प्रथम प्रयास नहीं है, वरन् इससे पहले भी कई अविश्वास के प्रस्ताव पेश किये गये हैं। माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने अभी फरमाया कि अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित करके हमारा उद्देश्य यह नहीं होता कि हम सरकार को बदल दें, वरन् हमारा उद्देश्य यह होता है कि हम सरकार के कानों में उसकी शिकायतों को, बुराइयों को पहुंचावें और जनता को जो उसके कार्यों से अहित हुआ है वह बतलावें। लेकिन उनको निराशा हुई कि इतनी बार प्रस्ताव पेश करने पर भी सरकार में कोई परिवर्तन नहीं हो सका। दुर्भाग्य की बात है कि त्रिलोकीसिंह जी को, जो पहले इसी कांग्रेस संस्था में थे, दूसरी संस्था में जाना पड़ा। किन परिस्थितियों में जाना पड़ा, यह सबको मालूम है। लेकिन जहां तक शासन का सम्बन्ध है, अगर वह शासन में होते तो वे कौन से काम करते, कौन-सा ऐसा जादू कर देते जिससे देश की दशा तुरन्त सुधर जाती, प्रदेश की तमाम खराबियां एकदम खत्म हो जातीं ? यह समझाने में वह शायद हमेशा असफल रहे हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकार जो विरोध पक्ष का होना प्रजातंत्र की सफलता के लिये आवश्यक समझती है, कैसे उनके सुझावों पर खयाल नहीं करेगी। अगर उन्होंने कोई सुझाव दिया होता तो बिलकुल असम्भव-सी बात है कि यह सरकार उन पर अमल नहीं करती या उसे फिक्र नहीं होती कि जनता की शिकायतें दूर हों। दुनिया में सरकारों के कुछ उद्देश्य हुआ करते हैं। किसी न किसी संस्था की वह होती है। यह सरकार जो यहां काम कर रही है यह कांग्रेस पार्टी की सरकार है। उनके कुछ उद्देश्य हैं, उनकी कुछ घोषणायें हैं, उनकी कुछ मान्यतायें हैं। उन घोषणाओं और मान्यताओं के आधार पर सरकार अपनी नीति बनाती है और उन नीतियों को कार्यान्वित करने की चेष्टा करती है। जहां तक सफलता और असफलता की बात है, यह परिस्थिति पर निर्भर करती है।

मैं समझता था कि अविश्वास का प्रस्ताव लाने के पूर्व विरोधीदल की ओर से सारे प्रदेश का कोई सर्वे किया गया होगा। सारे लोगों ने जिले जिले में जाकर जिलों के शासन की अच्छी तरह से जानकारी हासिल की होगी, वहां की कमियों का एक पूरा ब्योरा तैयार किया होगा और उन्हीं तमाम कार्यों के पूर्ण विवरण के साथ यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया होगा, जिसके कारण हमें भी बहुत सी जानकारी हासिल होगी कि किसी जिले में सरकार की नीति के परिणामस्वरूप क्या असर पड़ा है। केवल गोल माल और मोटी बात कह कर किसी सरकार को बुरा या भला बना देना और उस सरकार को पद से हटने के लिये बाध्य करना न्यायसंगत और उचित नहीं है। अच्छा हुआ होता यदि सारे जिलों की शिकायतों की एक तालिका उनकी ओर से बनायी गयी होती, उन चीजों का ब्योरा यहां उपस्थित किया जाता और तभी कोई कदम भी उठाया जा सकता था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह कहना कि अगर गुप्त वोट हो तो उनकी तरफ बहुत से सदस्य हो जायेंगे, उन सदस्यों के ऊपर यह एक प्रकार का लांछन है। एक प्रकार से उनके ऊपर अविश्वास करना है और उनकी बेइज्जती करना है। जो भी सदस्य यहां बैठे हुए हैं उन पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। हमें हर प्रकार से स्वतंत्रता है। हम अपनी बात को दूसरी जगह रख कर पार्टी मेनडेट के अनुसार कार्य करते हैं और सभी लोग अनुशासन के साथ चलते हैं चाहे उनके विचार एक से हों या न हों। ऐसा भी होता है कि कुछ भाइयों को बहुमत के विचारों के सामने दबना भी पड़ता है। लेकिन हम अपने विचारों को ईमानदारी के साथ रखते ह। हमें अपने विचार रखने का पूरा-पूरा हक हासिल है, लेकिन आपको यह हक नहीं है कि आप हमारे विचारों को बेईमानी समझें। हमारी नीयत पर आक्षेप करें या उससे यह साबित करने की कोशिश करें कि जनता का कल्याण करने का पूरा-पूरा अधिकार आपको ही है, दूसरे लोगों से उसका कोई ताल्लुक नहीं, दूसरे लोग जनता की कोई भलाई नहीं करते।

माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कहा कि २३ तारीख को इस प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं होगी बल्कि सन् ६२ में जनता के सामने होगी, वहां मालूम होगा कि जनता क्या चाहती है। इस बात को बहुत दिनों से हम देखते चले आये हैं और जनता भी देखती चली आ रही है। जब उनको मालूम हुआ था कि उसके लिये थोड़े ही दिन हैं तो उनको इसे उतने दिन के लिये स्थगित कर देना चाहिये था। लेकिन उन्हें तो इतनी बेसब्री हुई कि ४–६ महीने भी उनसे इन्तजार करते नहीं बना और आज ही उसको प्रस्तुत कर दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग इससे भी डरते नहीं हैं, पुनः जनता के बीच में लड़ने को तैयार हैं। आप भी हैं और हम भी हैं और जनता भी है। वही इसका निर्णय करने वाली है लेकिन मुझे शक है कि जो मेम्बरान आज बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं उनको अगले चुनाव में मौका मिलेगा, इसी के कारण वे परेशानी में हैं और इसीलिये उन्होंने यह अविश्वास का प्रस्ताव रखा है।

एक बात और मुझे कहनी थी। कहा गया कि १९१८ में जब ब्रिटिश सरकार थी तो एक चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पेश हुई जिसमें यह गुजारिश की गयी थी कि अभी हिन्दोस्तान में जनतंत्र का विकास नहीं हुआ है। सम्भवतः अच्छे अच्छे लोग चुन कर कौंसिलों और दूसरे स्थानों पर न पहुंच सकें, इसलिये एक विशेष किस्म के लोगों को उसमें नामिनेट करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया था और यह भी रखा गया था कि ६ महीने के बाद वे लोग उसके पुनः मेम्बर हो सकेंगे। तो मैं नहीं समझता कि अंग्रेजों द्वारा बनाये गये नियमों की ही क्यों दुहाई दी गयी। यह तो भारतीय संविधान में भी है ही, और उसके आधार पर ही यह सारी कार्यवाही की गयी है। जिस कार्यवाही के ऊपर अनेकों बार विवाद हो चुके, प्रश्नोत्तर हो चुके, सब कुछ हो चुका, तो उस प्रश्न पर पुनः अविश्वास के प्रस्ताव पर, जोर देना मैं उचित नहीं समझता। आपका कहना था कि हो सकता है कि कानून की दृष्टि से यह बात उचित हो लेकिन नैतिक दृष्टि से उनके लिये उचित नहीं प्रतीत होता। हो सकता है, आपके विचार उसके लिये सही हों, लेकिन दूसरे आदमियों को भी अपने विचार रखने का उतना ही हक है।

प्रादेशिक कांग्रेस पार्टी के सभापति की हैसियत से जो लोग काम कर चुके, या जिन लोगों ने राष्ट्रीय आन्दोलन में अपने जीवन को कुर्बान किया, वैसे लोग अगर किसी कारण से चुन कर नहीं आ सके, तो उनको यहां पर लाकर बैठा देना कोई बहुत अनुचित-सी बात नहीं प्रतीत होती। जिन लोगों ने देश के लिये सदा सोचा है, जिन लोगों ने देश के लिये अपने जीवन को सदा समर्पित कर रखा है, अगर उन लोगों को लाकर इन कुर्सियों पर बैठा दें, तो श्री राजनारायण जी के शब्दों में वे ऐरे गैरे नत्थू खैरे नहीं हो सकते हैं। उनकी दृष्टि में वे ऐरे गैरे नत्थू खैरे हो सकते हैं, लेकिन जित लोगों ने मुल्क के लिये अपने जीवन की कुर्बानी की, जिन लोगों ने मुल्क के लिये सोचा समझा है और अपनी जिन्दगी की कुछ तस्वीर बना रखी है, अगर हम उनकी सेवा की आवश्यकता समझते हैं तो हमें पूरा हक है कि ऐसे लोगों को यहां बैठा कर जो हमारी स्कीमें हैं उनको कार्यान्वित कराने में उनकी सहायता लें। उनके लिये ऐरे-गैरे नत्थू खैरे कहना बहुत ही अशोभनीय, अवांछनीय व अनुचित बात थी।

[श्री रामलखन तिवारी]

माननीय त्रिलोकी सिंह ने कहा कि जनता की सिक्योरिटी का प्रश्न एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं मानता हूं कि दुनिया में जितने भी शासन होते हैं, हर शासन का यह परम कर्तव्य होता है कि वह राष्ट्र की रक्षा के साथ-साथ जनता की जान व माल की सुरक्षा की व्यवस्था करे। माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने इस बात को साबित करने की चेष्टा की कि जनता की जान व माल की सुरक्षा की व्यवस्था करने में सरकार असफल रही है। उन्होंने एक दो घटनायें भी बतलायीं जिनके बारे में रिपोर्ट की गयी और पुलिस की ओर से कार्यवाही नहीं हुई और बाद में नतीजा यह हुआ कि लोग वे मार डाले गये। इसी तरह से उन्होंने यह बतलाया कि कितने पुलिस के मुंशी, कितने दारोगा भी इसलिये बरखास्त किये गये कि उन्होंने गलत रिपोर्ट की। ये सारी बातें सभी कह सकते हैं और इन जनरल बातों को कहने का हर व्यक्ति को अधिकार है। लेकिन माननीय त्रिलोकी सिंह ने यह कभी नहीं बतलाया कि पुलिस में अधिक से अधिक एफीशियेंसी लाने के लिये पुलिस आयोग की नियुक्ति इसी सरकार द्वारा की गयी। हर चीजों की पूरी-पूरी छान-बीन करने में सैकड़ों हजारों रुपये खर्च किये गये और उस कमेटी ने प्रश्नावली तैयार करके तमाम लोगों से उत्तर मंगाये। वह कमेटी जगह-जगह घूमी और जांच करायी। अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सरकार जो भी कदम उठा सकती थी, उसने उठाये। अगर सरकार की शिकायतों के साथ ही साथ उसके द्वारा किये गये प्रयासों का भी जिक्र किया जाता तो वह न्याय करना कहा जाता। मैं समझता हूं कि सरकार द्वारा तरक्की के जो जो प्रयास किये गये हैं उनका जिक्र न करना अन्याय है। इसी तरह से सरकार की फजूलखर्ची की बात कही गयी और कहा गया कि यहां पर बहुत ज्यादा अफसर बढ़ाये गये हैं और जो खर्च बढ़ा है उसको हल्का करना चाहिये। केवल एक सुझाव उन्होंने दिया कि कमिश्नरों के पदों को तोड़ देना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह भी किन्हीं लोगों का विचार हो सकता है लेकिन जो शासन चलाने वाले हैं वह अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से महसूस करते हैं कि किन कर्मचारियों को रखने या न रखने से राज्य का काम अच्छी तरह से चलेगा। अगर वह कमिश्नरों का रखना जरूरी समझते हैं तो फिर रुपये की क्या चिन्ता करें। अगर सुचारु रूप से शासन का कार्य चलाना है तो वह होगा ही। उनके बिना काम नहीं चल रहा है तो उन का रखना गलत नहीं कहा जा सकता।

एक बात उन्होंने खर्च के सम्बन्ध में यह कही कि इंग्लैंड में मिनिस्टर मोटर नहीं रखते और न सरकार की तरफ से उनको फ्री बंगला दिया जाता है लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उनको वहां कितना वेतन दिया जाता है, उनको कितना रुपया और कितनी अन्य सुविधायें दी जाती हैं। अगर वह उन सारी सुविधाओं का भी जिक्र कर देते तो ठीक तुलना हो सकती थी कि वहां के मुकाबले में यहां के मिनिस्टर कितना साधारण जीवन व्यतीत करते हैं और साधारण ढंग से रहते हैं। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने पक्ष की ही सब बातें कहीं और एक पार्टी लाइन पर ही अपनी बात को आधारित कर के सरकार को बदनाम करने की सारी बात कह डाली।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)---अध्यक्ष महोदय, मैं वर्तमान मन्त्रिमण्डल का जो गठन हुआ है उस पर अविश्वास प्रकट करता हूं। इसका एक कारण यह भी है कि जब से हमारे सूबे में यह गुप्ता जी की सरकार कायम हुई है तब से हमारे यहां जनतन्त्र प्रणाली का हनन हो रहा है। हमारे प्रदेश का किसान हो, मजदूर हो या किसी भी वर्ग का आदमी हो सब धीरे-धीरे इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रकट करते चले जा रहे हैं। यह सरकार एक तरफ से कागजी सरकार बनती चली जा रही है। जिस सरकार के यहां कागज पर कुये बनें, कागज पर नल लगें, और जिस के कागज पर ही सब काम हों, जिन में जनता की भलाई का जिक्र ही न हो, उस सरकार से जनता का विश्वास घट रहा है जब से यह यहां कायम हुई है। इस सरकार के रहते हुए बराबर किसानों और मजदूरों के हितों पर हमला होता चला जा रहा है। क्या इस सरकार ने किसानों की ३ आने नहर की छूट खत्म नहीं की? इसके अलावा किसान

पर रोज नये-नये टैक्स, लगान, तम्बाकू पर टैक्स, कपड़े पर टैक्स नहीं बढ़ाये हैं? तमाम यातायात सम्बन्धी टैक्स इस सरकार ने बढ़ाये हैं। यह सरकार हर तरह के प्रचार के साधनों को अपनाकर किसी न किसी तरह से अपने को कायम रखना चाहती है। सब जगह बसों में लिखा है कि घर-घर में बिजली और खेत-खेत में पानी का प्रबन्ध हो रहा है लेकिन पता नहीं कि वह सब कहां हो रहा है। आज देहातों के अन्दर वह वातावरण पैदा है कि दिन ब दिन वहां गरीबी घर करती चली जा रही है। इस सरकार के जमाने में कत्ल, डकैती, राहजनी और अनेक प्रकार के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। किस तरह से हम ऐसी सरकार पर विश्वास प्रकट करें और जनता विश्वास करे। इसलिये हमारा कहना है कि यह सरकार इस जगह पर रहने की हकदार नहीं है। यह सरकार इस जगह से या तो हटे या ऐसे निर्माण सम्बन्धी कार्य करे जिनसे जनता का जीवन स्तर उठे।

हमारे सामने जो सरकार की तरफ से तृतीय पंचवर्षीय योजना नाम की किताब बटी थी उसमें सरकार ने स्वयं इस बात को माना है कि हमारी आय पर कैपिटा के हिसाब से घटी है। जब इतने वर्षों के बाद भी यह आय घटती है और हम साधन विहीन होते जाते हैं और किसान व मजदूर की जिन्दगी खतरे में पड़ती जाती है तो मैं नहीं समझता कि ऐसी परिस्थिति में यह सरकार उस जगह पर रहने की हकदार कैसे है।

आज कत्लों का वह आलम है, राजहनी का वह आलम है कि किसी की जिन्दगी सुरक्षित नहीं है। भ्रष्टाचारियों का दिन पर दिन बोलबाला होता चला जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह सरकार धीरे-धीरे पूंजीपतियों के चंगुल में फंसती चली जा रही है। उसका कारण यह है कि जब चुनाव आते हैं, कांग्रेस पक्ष के लोग खड़े होते हैं तो उनको रुपये की जरूरत पड़ती है और वह रुपया उनको पूंजीपतियों और मिल मालिकों के जरिये से, बड़े-बड़े सेठ साहूकारों के जरिये से मिलता है। यह सरकार उनकी भलाई के लिये यहां पर कानून बनाती है, उनके हितों की रक्षा करती है। जो ग्राम नागरिक हैं जिनकी जिन्दगी गांवों में बसर होती है उनके लिये इस सरकार के पास कोई साधन प्रोग्राम नहीं है।

यातायात के साधन सड़क, पुल, बांध नष्ट हो रहे हैं। कई बार असेम्बली में प्रश्नों के जरिये से पूछा जा चुका है कि यह जनता के खून पसीने की कमाई जो सड़कों, पुलों और बांधों में लगाई जाती है तो क्या कारण है कि यह निर्माण कार्य मजबूती के साथ कायम नहीं रह पाते हैं? इसका कारण यह है कि ठेकेदार मुनाफा उठाते हैं, या अन्य सम्बन्धित लोग गबन करते हैं। अगर सरकार का इस तरफ ध्यान जाता तो करोड़ों और अरबों रुपये की जो योजनायें आज १४-१५ साल से हमारे प्रदेश में चल रही हैं, उनमें कुछ निर्माण कार्य हुआ होता। १५ अगस्त, १९४७ को आजादी मिली थी। उस दिन प्रदेश में बड़ी खुशी की लहर उठी थी लेकिन उसके बाद वह खुशी और रौनक धीरे-धीरे लुप्त होती चली जा रही है। जनता यह सोचती है कि यह राज्य पूंजीपतियों का है, इसके अन्दर पुलिस के हक बढ़ रहे हैं, कर्मचारियों के अधिकार बढ़ रहे हैं लेकिन जनता के अधिकार नहीं बढ़े हैं। चाहे जिस विभाग को देखें, सब में भ्रष्टाचार पनप रहा है और इतना पनप चुका है कि सरकार में दो गुट होने के कारण अधिकारियों के अन्दर भी दो गुट उत्पन्न हो गये हैं। इसका कारण यह है कि सरकार की इस कमजोरी से अधिकारी वर्ग फायदा उठा रहे हैं। इस गुटबन्दी का असर जनता पर भी पड़ता है और वह इसका खामियाजा भुगत रही है। अगर यह सरकार अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करती तो इसको यहां रहने का हक नहीं है।

जिस तरह से शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है, सामाजिक जीवन का स्तर गिर रहा है उसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। गांवों में यह हालत हो गई है कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है। सरकार पूंजीपतियों के चंगुल में फंसती चली जा रही है जिसका उदाहरण आचार्य दीपंकर जी ने दिया कि चीनी मिल मालिकों पर किसानों का १० करोड़ रुपया बाकी है पर सरकार उनको दिलाने में असमर्थ हो रही है। जिसका कारण स्पष्ट है कि चुनाव के समय मिल मालिकों से लाखों रुपया चन्दे के रूप में मिलेगा। अगर यही नीति सरकार की है तो इसको यहां से जल्दी हटना चाहिये।

[श्री सजीवनलाल]

एक पुस्तक पिजन होल में मिली, जिसमें लिखा है कि खेती की उपज बढ़ाने के लिये गहरी जुताई और अधिक सिचाई । लेकिन यह सब कैसे होगा जब आपने किसान की कमर तोड़ दी है, उसके साधन छीन लिये हैं और आर्थिक स्थिति बिगाड़ते जा रहे हैं। विकास क्षेत्रों में सिवाय रबी और खरीफ आन्दोलन के और कुछ काम नहीं रह गया। जनता का करोड़ों रुपया इन विकास क्षेत्रों पर खर्च करने के बाद भी अगर जीवन स्तर ऊंचा न उठे तो यह सरकार इस जगह बैठने की कतई हकदार नहीं है और इसको हटना चाहिये। कानून ऐसे बन रहे हैं जिनसे किसान लाभ नहीं उठा सकते। सहकारिता कानून, जिसके आधार पर आप सोच रहे थे कि प्रदेश के अन्दर एक नई लहर आयेगी और प्रदेश का विकास होगा वह भी नहीं हो रहा है और हो इसलिये नहीं रहा है क्योंकि सरकार के अन्दर खुद सहकारिता नहीं है। जिस प्रकार सरकार पर एक आध मिनिस्टर, जो पहले थे, विश्वास नहीं रखते उसी तरह जनता का भी विश्वास धीरे-धीरे उठ रहा है जिसका पता १९६२ में चलेगा।

जिस प्रजातन्त्र समाजवाद की दुहाई आप देते हैं उसी का गला इस सरकार के द्वारा घोटा जा रहा है। जनता हमसे पूछती है कि वह मंत्री जिनका आज तक जिक्र नहीं था कैसे सदन में आ गये माननीय हरगोविन्द सिंह, श्रीमती सुचेता कृपालानी. . . .

श्री अध्यक्ष--आप किसी का नाम न लीजिये, आम तौर पर कहिये।

श्री सजीवनलाल---ठीक है। तो यह किस तरह से मंत्रिमण्डल में आये, और कैसा मंत्रिमण्डल गठित हुआ है? जिस सरकार का गठन जनतांत्रिक तरीके पर न हुआ हो उसको यहां पर रहने का कोई हक नहीं है। या तो यह मंत्रिमण्डल जनता के द्वारा चुन कर आता या सन् ६२ तक इन्तजार करता और वोट ले कर यहां आता तो इस कार्य को सम्भालने का हकदार होता। हम बराबर कहते रहे हैं कि सरकार के बढ़ते हुए वे खर्चे जिनका ज्यादातर भार गरीब जनता के ऊपर पड़ता है उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है बल्कि दिन पर दिन दुरुपयोग बढ़ता चला जा रहा है।

निर्माण कार्यों को जब हम देखते हैं तो उनको कोई उचित व्यवस्था नहीं पाते हैं। आज जो निर्माण कार्य होते हैं थोड़े ही दिन बाद उनके ध्वस्त हो जाने का मतलब ही यह है कि सरकार में कमी है, उसके ऊपर ठेकेदारों और पूंजीपतियों का प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है।

पिछली बार जब इस सरकार के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव आया था तब भी करीब ९८ आदमियों ने, जो सरकारी पक्ष के थे सरकार के प्रति अपना अविश्वास प्रकट किया था और राज्यपाल सम्बोधन के वक्त में भी १२६ आदमियों ने इस सरकार का बहिष्कार किया था। तो इस सरकार को सोचना चाहिये कि इसी सरकार की भावनाओं से प्रेरित होकर उन्हीं के कितने आदमी इसका विरोध कर रहे हैं और इसी वजह से उनकी योजना सफल नहीं हो पातीं। चाहे जितने आन्दोलन आप चलवाइये, चाहे जितना ढोंग रचिये, कोई कार्य सफल नहीं होगा। चाहे वह अल्प बचत अभियान हो, चाहे वन लगाओ आन्दोलन हो, चाहे पुलिस द्वारा विनय आन्दोलन हो। वह पुलिस जो डंडे और भ्रष्टाचार के आधार पर अपनी जड़ मजबूत किये हुये है वह विनय आन्दोलन या पद यात्रा आन्दोलन से सुधर नहीं सकती है। हमारा कहना है कि पुलिस का कानून बदला जाय। इसी तरह से जो कानून जन हित में नहीं हैं उनमें परिवर्तन हो। अगर यह सरकार ऐसा नहीं करती है और समाजवाद के रास्ते पर नहीं चलती है तो इसको उधर रहने का कोई हक नहीं है। यह सरकार इस्तीफा दे या गद्दी छोड़ दे।

इतना ही नहीं, शिक्षा के मामले में मैंने बताया, स्वास्थ्य के मामले में भी हम बराबर देख रहे हैं कि अस्पताल है तो डाक्टर नहीं है और डाक्टर है तो दवायें नहीं हैं जिसके कारण स्वास्थ्य का स्तर भी हमारे प्रदेश में गिरता चला जा रहा है। हमारे जिले के एक सज्जन

ने माननीय गुप्ता जी से मिल कर कहा कि हम ६० हजार रुपये देने के लिये तैयार हैं, हमारे यहां ६ मील के घेरे में कोई अस्पताल नहीं है, वहां अस्पताल बना दीजिये। लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गयी और उसका कारण यह था कि चूंकि उस क्षेत्र से कोई एम० एल० ए० कांग्रेसी चुन कर नहीं आया है इसलिये उन्होंने समझा कि अगर हमने उस क्षेत्र में एक अस्पताल बनवा दिया तो ऐसा न हो कि दूसरी पार्टियों का प्रभाव उस क्षेत्र में बढ़ जाय। अगर आप ऐसा दृष्टिकोण रखेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, किसी न किसी दिन आपको उस जगह से हटना पड़ेगा और देश में जनवादी परम्पराएं कायम होंगी। दूसरी पार्टियां आगे बढ़ेंगी, यह निश्चित है, आप इसको अब रोक नहीं सकते। अब वह दिन चले गये जब बड़े मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब वह दिन आ गया है जब गांव का एक-एक व्यक्ति आपकी हर हरकत को समझ रहा है। वह अच्छी तरह से समझ रहा है कि यह सराकर कल्याणकारी सरकार नहीं है। यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, टाटा और बिड़ला की सरकार है। इसलिये मेरा इस सरकार पर कतई विश्वास नहीं है।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज इस आदरणीय सदन के समक्ष जो यह विरोधी दल के नेताओं की ओर से अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं और उसका एक विशेष कारण है कि इस प्रदेश में एक ऐसी पार्टी की सरकार है जो सभी पार्टियों की जननी है। विरोधी दलों में जो नेता आज विराजमान हैं वे सभी इस दल के सिपाही थे, कार्यकर्ता थे और इसी पार्टी के सदस्य थे। परन्तु जब उन्ह इस पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं रहा और उनके स्वार्थ की बात नहीं मानी गई तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये उन्होंने इस पार्टी से विरोध करके भिन्न-भिन्न पार्टियां बनाईं।

श्रीमन्, इस पार्टी ने वे रत्न पैदा किये हैं जो इस ओर भी हैं और उस ओर भी हैं। यह देश के सच्चे हिमायती हैं, चाहे कांग्रेस में हों या विरोधी दल में हों। हमें दुख नहीं होता है जब हम देखते हैं कि वे हमारी सरकार पर विश्वास नहीं करते हैं। यह कोई विशेष बात नहीं है। यह तो उनका एक स्वभाव बन गया है कि वे सरकार को कटु वाक्य कहें और विरोध करते रहें। वे कई बार अविश्वास का प्रस्ताव ला चुके हैं। लेकिन मुझे दुख होता है कि इस बार वे इसलिये लाये हैं कि हमारी पार्टी में मतभेद हैं। मुझे कोई सदस्य बताये जिनकी पार्टी में मतभेद न हो। सोशलिस्ट पार्टी में कितना भारी मतभेद है। हमारा सत्तारूढ़ दल है, उसके कन्धे पर तो प्रदेश की जिम्मेदारी है। लेकिन उनके ऊपर किसी प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि अपनी पार्टी की जिम्मेदारी है। हममें लाखों बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन हमको वे बतायें कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी छोड़कर वे सोशलिस्ट क्यों बने? उनके कंधे पर तो प्रदेश का भार नहीं था। उनमें क्यों मतभेद हुआ? जनसंघ और कम्युनिस्टों में भी मतभेद हैं। स्वतंत्र पार्टी का तो कल का जन्म है और उसमें सरमायेदार हैं, इसलिये उसका कोई सवाल नहीं है। माननीय पालीवाल जी माफ करेंगे कि धीरे-धीरे वह मौका आ रहा है और उस पार्टी की भी वही दशा होगी जो प्रजा सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, जनसंघ आदि की हुई है।

श्रीमन्, उनका इसमें कोई दोष नहीं है। हमारा इतना बड़ा कुटुम्ब है, हम लड़ते रहते हैं परन्तु वह क्यों लड़ते हैं? उन पर क्या बोझ है और उनमें कौन-सा बंटवारा है? जो चीज है वह इसी घर की है और वे भी इसी घर के सदस्य थे और इसी घर को छोड़कर गये हैं। आज वह अविश्वास का प्रस्ताव क्यों ला रहे हैं जब उनमें ही आपस में विश्वास नहीं है।

दूसरे कहते हैं कि पार्टी का चन्दा लेते हैं। क्या कोई सदस्य बतायेगा कि कोई पार्टी बगैर चन्दा के जिन्दा है। जब चुनाव के दिन आते हैं तो किसान मजदूर की रामायण सब पढ़ते हैं। यह एक गीता का दिया है और वह गीता यह है कि किसान और मजदरों के हित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीसिंह]

की बात करें परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि क्या किसान मजदूरों का उन्होंने हित किया है ? मैं आपके द्वारा सोशलिस्ट पार्टी के कर्णधारों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास आज गरीब से गरीब हरिजन कार्यकर्त्ता हैं लेकिन उनके पास जो मालदार से मालदार हरिजन हैं वही उनके कार्यकर्ता हैं.....

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—टाटा किधर हैं ?

श्री हरीसिंह—श्रीमन्, यह सदन है । यह स्कूल नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—अब आप कल भाषण जारी रखियेगा । अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मिश्रल,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२२ अगस्त, १९६१ ।

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३ पर)

१९६१ की परिषद् की परीक्षाओं में विभिन्न कारणों से रोके गये परीक्षार्थियों की संख्या

परीक्षा फल रोके जाने के कारण	परीक्षार्थियों की संख्या	
	इन्टर	हाई स्कूल
(१) परीक्षाकाल में परीक्षा भवन में अनुचित साधन प्रयोग करते हुये पकड़े गये विषय ।	३९८	५५७
(२) परीक्षकों द्वारा कापी जांचते समय अथवा आक्षेप के आधार पर परीक्षा समिति द्वारा नियुक्त स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा पकड़े गये विषय ।	८११	२,२४६
(३) परीक्षाभवन में लिखित अथवा कोरी उत्तर पुस्तक लेकर भाग जाने वाले विषय ।	७	३
(४) वास्तविक परीक्षार्थियों के स्थान पर अन्य व्यक्ति द्वारा परीक्षा देने वाले विषय ।	—	२
(५) उपस्थिति की कमी के कारण	३	७०
(६) परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रतिबन्धों की पूर्ति न करने के कारण ।	१०६	३३८
(७) आवश्यक तथ्यों के छिपाने के कारण ..	२०	४०
(८) अन्य कारण (उत्तर प्रदेश में निवास स्थान व असन्तोष-जनक आचरण इत्यादि) ।	४६	६४
(९) मारपीट तथा अनुशासनहीनता	३०	३६
(१०) समादेश प्रार्थना-पत्रों के आधार पर उच्च न्यायालयों में अस्थाई अनुमति के आधार पर दिये गये बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या]।	१३	११
योग ..	१,४३४	३,३६७

नत्थी 'ख'

(देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत निर्धारित तारांकित प्रश्न २-३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७ पर)

गुंडों व बदमाशों के आतंकपूर्ण कार्यों को समाप्त करने के संबंध में शहरी क्षेत्र के लिये बनाई गई योजना की रूपरेखा

कुछ शहरों में गुंडा विरोधी दल स्थापित किये गये हैं जो एक सब-इंसपेक्टर की अध्यक्षता में गश्त लगाते हैं। इनका कार्य शहर में साइकिलों पर गश्त लगाना तथा गुंडों व बदमाशों को गिरफ्तार करना है। स्कूलों, सिनेमा घरों तथा बाजारों में विशेष रूप से ये गश्त लगाते हैं। ये दल थानों के कर्मचारियों की संख्या (Strength) में से ही बनाये गये हैं।

२—कानपुर व लखनऊ में सेन्ट्रल कन्ट्रोल रूम स्थापित करने की व्यवस्था के आदेश सरकार ने दि० २६-७-६१ को दिये हैं। इन कन्ट्रोल रूम में वायरलेस सेट होंगे और इसके अन्तर्गत कुछ वायरलेस सेट लगी हुई मोटर गाड़ियां भी रहेंगी जो शहर में रात दिन गश्त लगाया करेंगी तथा गुंडों व बदमाशों की कार्यवाहियों की सूचना सेन्ट्रल कन्ट्रोल रूम को देंगी जहां से उचित कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी। कानपुर में इस सेन्ट्रल कंट्रोल रूम का संबंध उच्च पुलिस अधीक्षक, शहर पुलिस अधीक्षक, समस्त थाने तथा चौकियों से रहेगा। कानपुर में २४ घंटे और लखनऊ में १६ घंटे गश्त का काम होगा। इस काम के लिये कानपुर को ३ व लखनऊ को दो भागों में बांटा गया है। कानपुर में सेन्ट्रल कन्ट्रोल रूम का कार्य १५ अगस्त, १९६१ से प्रारम्भ किया गया है और लखनऊ में यह कार्य २ अक्टूबर, सन् १९६१ से प्रारम्भ होगा। उक्त दोनों शहरों में कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था हो जाने से ऐसी आशा की जाती है कि गुंडों व बदमाशों के आतंक को रोका जा सकेगा और इसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४ पर)

२५ पौन्ड सोडा बाईकार्ब की वितरण-तालिका

		दिनांक
१ पौन्ड पशु चिकित्सक, सूरियावां	.. ..	१३–१०–१९६०
१ पौन्ड पशु चिकित्सक, चोलापुर	.. ..	८–१०–१९६०
१ पौन्ड पशु चिकित्सक, राजवाड़ी	.. ..	८–१०–१९६०
१ पौन्ड पशु चिकित्सक, सैयदराजा	.. ..	८–१०–१९६०
१ पौन्ड पशु चिकित्सक, बड़ा गांव ..	.. ..	८–१०–१९६०
१ पौन्ड पशु चिकित्सक, सेवापुरी ..	.. ..	१०–१०–१९६०
१ पौन्ड पशु चिकित्सक, राजातालाब	.. ..	१०–१०–१९६०
१ पौन्ड पशु चिकित्सक, बबुरी ..	.. ..	१०–१०–१९६०
४ पौन्ड पशु चिकित्सक, बी० एच० यू०	.. ..	१०–१०–१९६० ४ पशु चिकित्सकों के लिये ।
४ पौन्ड पशु चिकित्सक, आराजी लाइन्स	.. ..	१०–१०–१९६०
१ पौन्ड ए० डी० ओ०, पिन्डरा ..	.. ..	१०–१०–१९६०
१ पौन्ड ए० डी० ओ०, चहनिया ..	.. ..	६–१२–१९६०
१ पौन्ड ए० डी० ओ०, चिरगांव ..	.. ..	६–१२–१९६०
१ पौन्ड ए० डी० ओ०, धानापुर ..	.. ..	६–१२–१९६०
१ पौन्ड ए० डी० ओ०, चंदौली ..	.. ..	६–१२–१९६०
१ पौन्ड ए० डी० ओ०, नियामताबाद	.. ..	६–१२–१९६०
१ पौन्ड ए० डी० ओ०, चकिया ..	.. ..	६–१२–१९६०
१ पौन्ड ए० डी० ओ०, ज्ञानपुर ..	.. ..	६–१२–१९६०
१ पौन्ड पशु चिकित्सक, चौरी ..	.. ..	१–३–१९६१

१०० गैलन फिनायल का वितरण

४८ गैलन दिनांक ६–१–१९६१ को निम्नांकित पशु चिकित्सकों में से प्रत्येक को ४ गैलन दिये गये चौबेपुर, चौलापुर, राजबाड़ी, अमरा, धानापुर, रामपुर कला, नौगढ़, राजातालाब, मिर्जामुराद, दलहीपुर, शाहीबगंज, सेवापुरी ।

		दिनांक
४ गैलन, बावन बीघा	.. .. ..	५–१–१९६१
४ गैलन, हरहुआ	.. .. ..	,,
६ गैलन, सैयदराजा	.. .. ..	६–१–१९६१
६ गैलन बबरी ..	.. .. ..	,,
१६ गैलन बी० एच० यू०	.. .. ..	५–१–१९६१
१२ गैलन आराजीलाइन्स	.. .. ..	,,
२ गैलन सरियावां	.. .. ..	१–३–१९६१
१ गैलन चौलापुर	.. .. ..	२–५–१९६१
१ गैलन र जवाड़ी	.. . ..	२–५–१९६१

२३० गैलन फिनायल जो कि सर्वश्री सनलाइट केमिकल लखनऊ से २५-८-१९६० को प्राप्त हुआ था इसका वितरण निम्न प्रकार से किया गया और इस माल के मूल्य का भी पूरा-पूरा भुगतान कर दिया जा चुका है ।

			दिनांक
१५	गैलन	मवेशी अस्पताल, चकिया	२९-८-१ ६०
१५	गैलन,	मवेशी अस्पताल ज्ञानपुर	२९-८-१९६०
१५	गलन	,, ,, पिन्डरा	६-९-१ ६०
१५	गैलन	,, ,, चिरइगांव	६-९-१९६०
१५	गैलन	,, ,, नियामतावाद	६-९-१९६०
१५	,,	,, ,, चकिया	६-९-१९६०
१५	गलन	,, ,, चन्दौली	६-९-१९६०
१५	गैलन	,, ,, धानापुर	६-९-१९६०
५	गैलन	,, ,, शिवपुर	६-९-१९६०
१५	गैलन	,, ,, आराजीलाइन्स	६-९-१९६०
१५	गैलन	,, ,, का० वि० पीट	६-९-१९६०
२०	गलन	,, ,, रामनगर	३-९-१९६०
३०	गैलन	,, ,, रेससेन्टर सेवापुरी	६-९-१९६०
२५	गैलन	,, अन्तरिम जिला परिषद् के अस्पताल के लिये	

२३० गैलन ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर)

सूची

इटावा जिले में १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में क्रमशः ६ तथा ५ आर्टीजन वेल्स निम्न-लिखित स्थानों में बनाने के लिये प्रस्तावित हैं :—

१९६१–६२

२ आर्टीजन वेल्स बढ़पुरा ब्लाक में
१ आर्टीजन वेल महेवा ब्लाक में
२ आर्टीजन वेल्स चकरनगर ब्लाक में और
१ आर्टीजन वेल अजीतमल में

योग ६

१९६२–६३

१ आर्टीजन वेल बढ़पुरा में
१ आर्टीजन वेल मेहवा में
१ आर्टीजन वेल चकरनगर में
१ आर्टीजन वेल अजीतमल ब्लाक में

योग ५

इटावा जिले में सन् ६१ तथा ६२ में कितने नलकूप और कहां-कहां बनेंगे यह अभी निश्चित नहीं है ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर)

पत्र दिनांक २० व २१ अप्रैल, १९५९ में दिये गये सुझावों की स्थिति

स्कीमें जिन पर काम हो गया है--

१--बहुता ड्रेन

२--शिवगढ़ ड्रेन

३--कल्याणी नदी-सुधार योजना

(२)

स्कीमें जिन पर कार्य होना है या हो रहा है--

१--गोमिया ताल ड्रेन भूमि प्राप्त होते ही इस पर कार्य शुरू होगा ।

२--इन्हौना नाले के पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति में है ।

३--अलमापुर ग्राम में साईफन ।

(३)

स्कीमें या प्रस्ताव जो कार्यान्वित करने योग्य नहीं पाये गये--

१--सफीपुर नाले को चौड़ा करना ।

२--रारी नाला ।

३--मुरलीगंज, जैदपुर में पानी की निकासी ।

४--दरियाबाद माइनर पर पुलिया ।

५--ग्राम जासेपुर, किरसायल व भदहा झीलों से पानी की निकासी ।

६--मिरचिया गांव में जल निकासी ।

७--दयालगंज व लक्ष्मणगढ़ ।

८--ग्राम मरदापुर तथा रबहिया में पुल ।

९--गढ़ी व सतरही झीलें नामक कोई स्थाई झील ऐसी नहीं है जिनमें पानी के निकास की कोई समस्या हो ।

१०--बारा ताल ।

(४)

स्कीमें जिन पर सर्वेक्षण हो रहा है--

१--मेउवा नाला

२--रेठा नाला

३--आरी नदी

४--जौरहिया नाला

५--मुहया नाला

६--लिलहौरा झील

(५)

पांच मील से कम लम्बी ड्रेनें जिन पर सरकारी आदेशानुसार कार्य की जिम्मेदारी अब ग्राम सभा पर है--

१--लाही नाला

२--न्योजना, छतौनी, परा इब्राहीम व मनोरथपुर, ग्रामों की जल निकासी के लिये नाला ।

३--सादुल्लापुर व ख्वाजानगर नाला ।

४--सिद्धौर नाला ।

५--करन्दा नाला ।

रामस्मृति,
सिंचाई मंत्री ।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७ पर)

क्रम सं०	गांव का नाम जहां कत्ल की घटना हुई	क्र० सं०	गांव का नाम जहां कत्ल की घटना हुई
१	देवघाट	१५	खाजवापुर
२	लखनपुर	१६	जाहिदपुर
३	सुलेम सराय	१७	बरकुतपुर
४	मुबारिकपुर	१८	माई का पुरवा
५	मोहतासेमगंज	१९	पुरा रुजारा
६	नया पुरवा	२०	छिजकी
७	अकबरपुर	२१	खकोठ
८	भाबापुर	२२	महुआब कला
९	आहयापुर	२३	चोखना
१०	हैता पटी	२४	मोटिवा
११	संगीपुर	२५	भटपुरा मदुरी
१२	जाघीपुर	२६	दुवहा
१३	खराना	२७	जगदीशपुर
१४	बेहसा		

नोट--थाना सराय आकिल के अन्तर्गत पाए गए एक अज्ञात शव के बारे में गांव के सही नाम का पता लगाया जा रहा है ।

हिन्दी भवन

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर नीचे पृष्ठ २७ पर)

तालिका 'क'

जिले का नाम	वर्ष	राजकीय कृषि बीज भंडार का नाम	अपहृत धनराशि तथा सामग्री का मूल्य रु० न० पै०	की गई कार्यवाही का विवरण
१	२	३	४	५
एटा	१९६१–६२	१–एटा	९,४५२.६३	संबंधित सुपरवाइजर को निलंबित (suspend) कर दिया गया है। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।
〃	〃	२–नाथुपुरा	५,४६१.८०	संबंधित सुपरवाइजर को स्थानान्तरित कर दिया गया है। मामले की जांच विभागीय अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २१२ एल० ए०—१९६१—८४५।